

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

परिशिष्ट

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित
2009

मूल्यः रूपये 65 डालर 5

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2009

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस
33 नेहरू रोड, कैन्ट सदर, लखनऊ फोनः 2481164

विषय–सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		**vii**
	विहंगावलोकन		**ix-xiv**
	अध्याय–I		
	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	**1**	
	प्रस्तावना	1.1	1
	लेखा परीक्षा अधिदेश	1.2	1-2
	राजकीय पीएसयू में निवेश	1.3	2-3
	बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण	1.4	3-4
	वित्तीय लेखों के साथ समाधान	1.5	4
	पीएसयू का कार्य सम्पादन	1.6-1.12	5-9
	लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण	1.13	9-11
	अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों का समापन	1.14	11
	लेखों पर टिप्पणी तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा	1.15-1.17	11-14
	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली	1.18	15
	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.19	15
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.20	16
	ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.21	16-17
	सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.22	18
	अध्याय–II		
	सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं		
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तापीय विद्युत गृहों में पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार के क्रियाकलाप	**2.1**	
	कार्यकारी सारांश	--	19
	प्रस्तावना	2.1.1	19-21
	संगठनात्मक ढांचा	2.1.2	21
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं प्रतिदर्श का आकार	2.1.3	21
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.1.4	21
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.1.5	21
	लेखा परीक्षा की कार्यविधि	2.1.6	22

	अध्याय–II		
	लेखा परीक्षा के निष्कर्ष	2.1.7-2.1.24	22-32
	परियोजना नियोजन और प्रतिवेदन निरूपण	2.1.8-2.1.11	22-24
	कार्य का क्रियान्वयन	2.1.12-2.1.16	24-28
	आरएण्डएम/जीर्णोद्धार के बाद के निष्पादन का मूल्यांकन	2.1.17-2.1.23	28-31
	पर्यावरणीय मामला	2.1.24	32
	अभिस्वीकृति	2.1.25	32
	निष्कर्ष	--	32-33
	संस्तुतियाँ	--	33
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा में राजस्व बिलिंग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली	**2.2**	
	कार्यकारी सारांश	--	34
	प्रस्तावना	2.2.1	34-35
	संगठनात्मक ढाँचा	2.2.2	35
	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	2.2.3	35
	लेखा परीक्षा का उद्देश्य	2.2.4	35
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.2.5	36
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.2.6	36
	लेखा परीक्षा सीमायें	2.2.7	36
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.2.8-2.2.43	36-53
	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	2.2.9-2.2.16	36-39
	बिलिंग/निर्धारण	2.2.17-2.2.25	39-45
	टैरिफ आदेश का अनुपालन	2.2.26-2.2.33	45-48
	अनुश्रवण व्यवस्था	2.2.34-2.2.43	48-53
	निष्कर्ष	--	53
	संस्तुतियाँ	--	53-54
	अध्याय–III		
	सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा	**3**	
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यात्मकता	--	
	कार्यकारी सारांश	--	55-56
	प्रस्तावना	3.1	56
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति	3.2	57
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	3.3	57

	अध्याय–III		
	लेखा परीक्षा की कसौटियाँ	3.4	58
	वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	3.5	58-60
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	3.6-3.23	61-77
	संचालन निष्पादन	3.7	61
	लोक परिवहन में निगम का अंश	3.8	61-63
	संचालन लागत का अर्जन	3.9	63
	संचालन में कौशल एवं मितव्ययिता	3.10	63-65
	बस उत्पादकता	3.11	65-66
	क्षमता उपयोग	3.12	66-68
	वाहनों का अनुरक्षण	3.13	68-70
	मानव शक्ति लागत	3.14	70-71
	ईंधन लागत	3.15	71
	अनुबन्धित बसों की लागत सार्थकता	3.16	71-72
	बॉडी निर्माण	3.17	72
	वित्तीय प्रबन्ध	3.18	73
	दावे एवं बकाया	3.19	73-74
	व्यावसायिक प्रतिरूप का पुनर्बद्ध करना	3.20	74-75
	किराया नीति तथा सामाजिक दायित्वो की पूर्ति	3.21	75-76
	अमितव्ययी मार्गो पर सेवाओं की पर्याप्तता	3.22	76
	सर्वोच्च प्रबन्धन द्वारा अनुवीक्षण	3.23	76-77
	निष्कर्ष	--	77
	संस्तुतियाँ	--	78
	अध्याय–IV		
	व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण	**4**	
	सरकारी कम्पनियाँ		
	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
	अविवेकपूर्ण निर्णय	4.1	79-80
	परिपक्वता तिथियों पर बाण्डों को समर्पण न करने से हानि	4.2	80-81
	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		
	राजकीय कोषागार को हानि	4.3	81
	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड		
	परिहार्य व्यय	4.4	82

	अध्याय–IV		
	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड		
	देयों की माफी से हानि	4.5	82-83
	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड		
	मिट्टी के कार्य पर अतिरिक्त व्यय	4.6	83-84
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	निजी नलकूप उपभोक्ताओं से फिक्स लाइन प्रभारों की अल्प वसूली	4.7	84
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	पी.जी.सी.आई.एल. से प्रतिभूति जमा प्राप्त किये बिना बी.पी.एल. संयोजनों को जारी करने की अनुमति दिया जाना	4.8	84-86
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण अल्प निर्धारण	4.9	86
	पी टी डब्ल्यू हेतु संयोजनों को अवमुक्त करने से हानि	4.10	86-87
	अनुबन्ध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को न लेने से हानि	4.11	87-88
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि	4.12	88-89
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4.13	89-90
	मध्यांचल विद्युत वितरण में डॉ. अम्बेदकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत दोषपूर्ण क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की अप्राप्ति		
	प्रस्तावना	4.14	90-93
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	अतिरिक्त माँग के लिये, माँग प्रभारों/अर्थदण्ड का अनारोपण	4.15	93-94
	निगम के मुख्यालय खाते में धन का हस्तान्तरण न करने से ब्याज की हानि	4.16	94-95
	दर सूची के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण	4.17	95
	सांविधिक निगम		
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम		
	बाण्ड पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण हानि	4.18	96
	भूखण्ड निरस्त होने के कारण हानि	4.19	97-98
	सावधि जमा पर उच्च दर से ब्याज के भुगतान के कारण हानि	4.20	98

	अध्याय–IV		
	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद		
	ट्रंक सीवर लाईन के निर्माण पर अनावश्यक अतिरिक्त व्यय	4.21	98-99
	उत्तर प्रदेश जल निगम		
	ठेकेदार को अनुचित लाभ	4.22	99-100
	सामान्य		
	धन की वसूली के अवसर की अनदेखी	4.23	100-102
	लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर उपचारात्मक कार्यवाही न करना	4.24	102-103
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	4.25-4.27	104
	निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया	4.28	104-105
	परिशिष्ट		
क्रम	**विवरण**		
1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2006 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1.3	107-114
2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.6	115-125
3	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान एवं उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियॉ, देयों की माफी, अपलिखित ऋण और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2009 की समाप्ति पर प्रतिबद्ध प्रत्याभूतियों को दर्शाती विवरणी	1.4	126-127
4	कार्यरत सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों, जिनके लेखे अन्तमीकृत नहीं किये गये हैं, में सरकार द्वारा अंशपूँजी, ऋण, अनुदान/उपदान के रूप मे किये गए निवेश को दर्शाती विवरणी	1.13	128
5	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.6	129-131
6	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.6	132-134
7	आरएण्डएम के लिये योजनाकृत इकाईयाँ, आरएण्डएम कार्य के प्रारम्भ होने एवं पूर्ण होने की तिथि एवं कार्य पर किये गये व्यय को दर्शाती विवरणी	2.1.1 एंव 2.1.3	135
8	वार्षिक रख रखाव के सूची का पालन न करने के विवरण को दर्शाती विवरणी	2.1.11 एंव 2.1.18	136
9	अधिक आक्जीलरी उपभोग को दर्शाती विवरणी	2.1.18	137
10	ऊष्मा के अधिक उपभोग को दर्शाती विवरणी	2.1.19	138
11	तेल का अधिक उपभोग	2.1.20	139
12	कोयले के अधिक उपभोग को दर्शाती विवरणी	2.1.21	140
13	लक्षित पीएलएफ के अप्राप्ति को दर्शाती विवरणी	2.1.22	141
14	उत्पादन के लागत को दर्शाती विवरणी	2.1.23	142

	परिशिष्ट		
क्रम	**विवरण**		
15	डाटा बैंक में दोहरे एवं काल्पनिक ऑकड़ो को दर्शाती विवरणी	2.2.16	143
16	डाटाबेस एवं वाणिज्यिक विवरणी में अन्तर को दर्शाती विवरणी	2.2.41	144
17	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के संचालन निष्पादन को दर्शाता विवरण	3.7	145
18	राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों को दर्शाता मानचित्र	3.8	146
19	कार्य के प्राक्कलन एवं वास्तविक मूल्य के बीच के अन्तर को दर्शाती विवरणी	4.14.4	147
20	परिवर्तको की कम स्थापना	4.14.5	148
21	निरीक्षण प्रतिवेदनो के उन अनिस्तारित प्रस्तरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र जिनमे धनराशि की वसूली के अवसर की अवहेलना की गयी	4.23	149-159
22	निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो से सम्बन्धित लेखा परीक्षण प्रेक्षणों पर उपचारात्मक कार्यवाही की कमी का संकेतक विवरण पत्र	4.24	160-207
23	प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नही हुए थे, को दर्शाती विवरणी	4.25	208
24	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	4.27	209-212
25	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	4.27	213-215
26	विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.28	216
27	विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी	4.28	217

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियाँ

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवदेन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसे समय–समय पर यथा संशोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। 11 विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ–साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सम्बन्ध में सीएजी को, उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ–साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखा परीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सम्बन्ध में भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2008–2009 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2008–2009 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

6. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सामग्री के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानको के अनुरूप की गई हैं।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। राज्य की सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2009 को उत्तर प्रदेश राज्य में 82 कार्यरत पीएसयू (75 कम्पनियाँ एवं 7 सांविधिक निगम) और 43 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमे 1.38 लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने 2008–09 में 31,480.07 करोड़ रुपये का आवर्त प्राप्त किया। यह आर्वत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.86 प्रतिशत था जो राजकीय पीएसयू द्वारा अर्थव्यवस्था में सामान्य भूमिका को दर्शाता है। यद्यपि, राज्य के कार्यरत पीएसयू ने 2008–09 में कुल 3,410.53 करोड़ रुपये की हानि वहन करी और अनकी संचित हानियाँ 14,386.19 करोड़ रुपये थी।

पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2009 को, 125 पीएसयू में 52,915.82 करोड़ रुपये निवेश था। निवेश में 2003–04 के 22,650.56 करोड़ रुपये से 133.62 प्रतिशत वृद्धि हुई जो मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के कारण हुई। 2008–09 में कुल निवेश का 87.14 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2008–09 के दौरान सरकार ने अंश पूँजी एवं अनुदान/उपदान के रूप में 3,594.14 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

पीएसयू का कार्य सम्पादन

वर्ष 2008–09 के दौरान, 82 कार्यरत पीएसयू में से, 30 पीएसयू ने 538.41 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और 26 पीएसयू ने 3948.94 करोड़ रुपये की हानि वहन की। छब्बीस कार्यरत पीएसयू, जिनका गठन 2006–07 (3), 2007–08 (1) तथा 2008–09 (22) में हुआ था, ने अपने प्रथम लेखें प्रस्तुत नही किये। लाभ में योगदान करने वालों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, (178.58 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (80.41 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (79.03 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (40.71 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (40.15 करोड़ रुपये) मुख्य थे। ज्यादा हानि वहन करने वालो मैं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (892.20 करोड़ रुपये), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (621.82 करोड़ रुपये), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (606.75 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (505.42 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (115.01 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (77.10 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (57. 92 करोड़ रुपये) थे।

पीएसयू की हानि का कारण मुख्यतः पीएसयू के कार्यात्मकता में कमियाँ थी। सीएजी के तीन वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यरत पीएसयू ने 7931.19 करोड़ रुपये की हानि वहन की तथा 27.60 करोड़ रुपये का निवेश निष्फलित रहा जो कि बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रणीय था। अतः कार्यात्मकता को सुधारने तथा हानियों को कम/समाप्त करने हेतु वृहद सम्भावनाएँ थीं। पीएसयू अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हों। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलाप में पेशेवरपन तथा जवाबदेही की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयू के लेखों में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2009 के दौरान अंतिमीकृत किए गए 41 संप्रेक्षित लेखों में से 35 लेखों पर क्वालिफाईड प्रमाणपत्र, एक लेखे पर एडवर्स प्रमाण पत्र तथा तीन लेखों पर डिस्क्लेमर मिला। लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 133 उदाहरण पाये गये। अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2009 के दौरान सांविधिक निगमों द्वारा अंतिमीकृत किए गए पाँच लेखों में से तीन लेखों की लेखा परीक्षा पूर्ण की गई तथा तीनो लेखों पर क्वालिफाइड प्रमाण पत्र दिये गए। कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन कई कमजोर क्षेत्र दर्शाते हैं।

लेखों के लम्बित अन्तिमीकरण एवं समापन

सितम्बर 2009 में 54 कार्यरत पीएसयू के 197 लेखें बकाया थे। बकायों को समाप्त करने के लिए पीएसयू के लक्ष्य तय करने तथा लेखों को बनाने का कार्य आउटसोर्स करने की आवश्यकता है। 43 अकार्यरत कम्पनियाँ थी। सरकार को अकार्यरत पीएसयू का समापन त्वरित गति से करना चाहिये क्योंकि इन पीएसयू के बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नही होती है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

कोपू द्वारा 1982–83 के अग्रेतर वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (1989–90 को छोड़कर, जिस पर पूर्णतः चर्चा की जा चुकी है) पर अभी पूर्ण चर्चा की जानी है। 25 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में 123 समीक्षाएँ तथा 850 प्रस्तर निहित हैं जिनमे से 63 समीक्षाएँ तथा 388 प्रस्तर चर्चा हेतु लम्बित है।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तापीय विद्युत गृहों में पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार के क्रियाकलाप और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा में राजस्व बिलिंग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएँ सम्पादित की गई थी। लेखा परीक्षा प्रेक्षण के कार्यकारी सारांश निम्नवत हैं:

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तापीय विद्युत गृहों के पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार के क्रियाकलाप

राज्य में नये तापीय विद्युत गृहों (टीपीएस) के निर्माण के लिए 1980 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 31 मार्च 2009 को कम्पनी के पास 4032 मेगावाट की अवक्षरित क्षमता के सात टीपीएस थे। इन टीपीएस की कई इकाईयॉ अपने उपयोगी कार्यकारी जीवन के 25 वर्ष पूरी कर चुकी हैं तथा उनमें से कुछ बहुत लम्बे समय से बन्द पड़ी हैं जिसकी वजह से राज्य में विद्युत की भीषण कमी हो गई हैं।

परियोजना नियोजन एवं प्रतिवेदन निरूपण

आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार क्रियाकलापों में, टीपीएस की इकाई की समस्याओं को चिन्हित करना, तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदनों की तैयारी, इन कार्यों से प्राप्त होने वालें लाभों को अर्पित करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) की तैयारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारण्टी के विरुद्ध, गतिविधि की अनुमानित लागत के 70 प्रतिशत के बराबर ऋण की स्वीकृति पावर फाइनेन्स कारपोरेशन देता है तथा शेष निधि की आवश्यकता आन्तरिक स्त्रोतों या राज्य सरकार से ऋण लेकर पूरी की जाती है। कम्पनी के दोषपूर्ण नियोजन के कारण आर एण्ड एम तथा जीर्णोद्धार के बन्दी अवधि के दौरान मुख्य उपकरण नही लगाये गये तथा सीईए के निर्देशों के उल्लंघन के कई दृष्टान्तो में वार्षिक अनुरक्षण अनुसूची का पालन नही किया गया। कम्पनी निष्पादन के धारणीय स्तरों को बनाये रखने में असमर्थ थी।

कार्यों का क्रियान्वयन

2363.52 करोड़ रुपये के आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार कार्य हरदुआंगज, पनकी, पारीछा, अनपारा 'ए', ओबरा 'ए' एवं 'बी' टीपीएस में किय गये थें। इनमें से अधिकांश कार्य उपकरणों/सामग्री की पूर्ति के साथ एकल कोटेशन के आधार पर बीएचईएल को दिये गये थे। इस प्रकार, प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर कार्य करवाने का उद्देश्य विफल हो गया था। हालॉकि बीएचईएल के साथ बातचीत की गयी थी, किन्तु प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के अभाव में, कार्य की लागत को निम्नतम स्तर पर रखने के लिए की गई बातचीत का आधार निर्धारित नहीं किया जा सका। सामग्री क्रय में कमियों के दृष्टान्त, आर एण्ड एम कार्यों की खराब कोटि तथा जीर्णोद्धार कार्यों का देर से कार्यान्वयन भी पाया गया।

आरएण्डएम कार्यों के बाद का/जीर्णोद्धार निष्पादन का मूल्यांकन

आरएण्डएम/जीर्णोद्धार के बाद टीपीएस का निष्पादन अपेक्षित/सम्भावित स्तर से बहुत कम था। यह संकेत करता था कि आरएण्डएम/जीर्णोद्धार का कार्य कुशलतापूर्वक, मितव्ययितापूर्वक एवं प्रभावी रूप से नही किया गया था। मानको की प्राप्ति न होने के कारण यह 2006–07 से 2008–09 के दौरान 3031.11 करोड़ रुपये की हानि के रूप में परिणामित हुआ।

पर्यावरणीय मामला

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएफ) ने प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण के लिए बनाये गये नियामक मानदण्डों के अनुपालन के लिए, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निगम उत्तरदायित्व (सीआरईपी) पर अधिकार पत्र जारी किया (मार्च 2003)। अधिकार पत्र में नये ईएसपी को लगाना, सूखी फ्लाई ऐश (राख) का प्रबंधन एवं भण्डारण पद्धति का प्रावधान, राख के पानी की पुनःसंचरण पद्धति और दिसम्बर 2005 तक उत्सर्जन स्तरो की निगरानी के लिए अपारदर्शी पद्धति का प्रावधान था। कम्पनी, हॉलाकि, अपने किसी भी टीपीएस में वर्णित कार्य को पूरा नही कर सकी (सितम्बर 2009)। परिणामस्वरूप, कम्पनी अपने किसी भी टीपीएस के लिए यूपीपीसीबी से वायु एवं जल सहमति प्राप्त नहीं कर सकी और केवल 2008–09 के लिए कम्पनी को 14.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त जल अधिभार से दण्डित किया गया।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा में राजस्व बिलिंग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली

दक्षिणांचल विद्युत विरण निगम लिमिटेड, आगरा (कम्पनी) का गठन उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में ऊर्जा के वितरण के मुख्य उद्देश्य से किया गया। कम्पनी की बिलिंग बाह्य स्रोत से की गई और कम्पनी के उपभोक्ताओं की बिलिंग समय–समय पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशों के अनुसार की जा रही थी।

आईटी नियन्त्रण

कम्पनी ने एक विधिवत आईटी नीति नहीं बनाई और अभिलेखित की। कम्पनी के डाटाबेस का रखरखाव बाह्य बिलिंग एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है और साफ्टवेयर के विकास एवं सही बिलिंग के अनुश्रवण के लिए कोई स्पष्ट उत्तरदायित्व विद्यमान नहीं है। कम्पनी के पास आपदा पुर्नलाभ एवं व्यवसाय निरन्तरता योजना नहीं थी और विभिन्न बाह्य एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त डाटाबेस संरचनाओं में अन्तर था। इसके परिणामस्वरूप, बिलिंग साफ्टवेयर में फार्मूला का गलत प्रयोग, डाटाबैंक में काल्पनिक एवं दोहरे अभिलेख के पकरण थे।

टैरिफ आदेशों का अनुपालन

दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग में टैरिफ आदेशों के प्रावधान लागू नहीं किये गये। परिणामस्वरूप नौ खण्डों में 31.85 करोड़ रुपये का अधिक निर्धारण हुआ। टैरिफ आदेशों के गलत प्रयोग के कारण विनविख, फतेहाबाद के ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं की 0.79 करोड़ रुपये से अधिक बिलिंग हुई। विनिविख, फिरोजाबाद ने उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के स्थान पर नियत यूनिटों पर बिल किया जिससे 2.20 करोड़ रुपये अल्प निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त वास्तविक उपभोग के स्थान पर उपभोक्तओं की बिलिंग 'एडीएफ' की तरह की गई जिससे 47.81 लाख रुपये की अधिक बिलिंग हुई। विनविख–तृतीय, आगरा ने घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर नियत प्रभार नहीं लगाया जिससे 56.14 लाख रुपये का अल्प निर्धारण हुआ। कम्पनी ने एनए/एनआर श्रेणी में बिल किये गये उपभोक्ताओं पर 13.49 करोड़ रुपये का दण्ड प्रभारित नहीं किया। चार खण्डों के द्वारा 24.05 लाख रुपये का वातानुकुलन प्रभार नहीं लगाया गया। विविख–तृतीय, अलीगढ़ एवं विविख, फतेहाबाद ने ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं पर 10.87 लाख रुपये का नियत प्रभार गलत लगाया। कम्पनी ने प्रतिभूति राशि पर 50.64 लाख रुपये के ब्याज का लाभ नहीं दिया।

अनुश्रवण व्यवस्था

कम्पनी बिलिंग एजेन्सियों के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन कराने में असफल रही। परिणामस्वरूप पाँच खण्डों में 4.48 लाख उपभोक्ताओं के बिल नही बनाये गये। परिणामस्वरूप 23.59 लाख करोड़ रुपये का निर्धारण नहीं किया जा सका। विनविख–चतुर्थ एवं सप्तम्, आगरा ने वास्तविक उपभोग के स्थान पर उपभोक्ताओं की बिलिंग 63 यूनिट से की। विनविख–पंचम, आगरा में 31.12 लाख रुपये के बकाये वाले 29 उपभोक्ता बिना बकाया भुगतान के डाटाबेस से हटाये गये और विनविख–चतुर्थ, आगरा में दोहरी बिलिंग की गई। 251 से 172580 यूनिट प्रति माह के उपभोग के बावजूद पाँच खण्डों द्वारा घरेलू बत्ती एवं पंखा उपभोक्ताओं में ज्यादा उपभोग के प्रकरण चिन्हित नहीं किये गये। वाणिज्यिक विवरणों एवं बिलिंग डाटाबेस के आँकड़ो में भिन्नता थी। 41.91 लाख रुपये की लागत से तैयार भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण का उपयोग नहीं किया गया।

निष्कर्ष एवं सस्तुतियाँ

कम्पनी द्वारा बाह्य एजेन्सियों को दी गई बिलिंग प्रणाली में सुरक्षा विशेषताओं, समान डाटा संरचना, बिलों/प्रतिवेदनो को बनाने हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी आईटी नियन्त्रण नही थे। अपर्याप्त अनुप्रयोग नियन्त्रण अभिपुष्टि नियन्त्रण सहित यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों को प्रणाली में गलत एवं अनुचित ढंग से समाहित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कम/अधिक बिलिंग हुई। कम्पनी को एक आईटी नीति, आपदा एवं व्यवसाय निरन्तरता योजना बनानी चाहिए। डाटाबेस के सतत अनुश्रवण के द्वारा टैरिफ आदेशों का अनुपालन एवं बाह्य एजेन्सियों द्वारा समान डाटा संरचना का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यात्मकता से सम्बन्धित समीक्षा सम्पादित की गई। लेखा परीक्षा प्रेक्षण का कार्यकारी सारांश निम्नवत हैं:

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यात्मकता

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) अपने 107 डिपो के माध्यम से राज्य में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। निगम के पास 31 मार्च 2009 को 7710 बसों की बेड़ा शामिल थी और प्रतिदिन औसतन 12.79 लाख यात्रियों का वहन किया। लोक परिवहन में निगम का अंश 28.18 प्रतिशत था तथा शेष निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराया गया। निगम की वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा, इसकी संचालन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता का, इसकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की योग्यता, राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोत का हस्तगत करने हेतु व्यवसाय–प्रतिरूप को पुनर्बद्ध करने की सम्भावना, किराया नीति की विद्यमानता एवं पर्याप्तता तथा निगम के मानकों के अनुवीक्षण में सर्वोच्च प्रबन्धन की प्रभावशीलता, के आकलन हेतु की गयी।

वित्त एवं निष्पादन

निगम ने वर्ष 2008–09 में पूर्व आवधिक समयोजकों के बिना 10.67 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2009 को इसकी संचित हानियॉ एवं उधार क्रमशः 804.29 करोड़ रुपये तथा 239.17 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2008–09 में निगम ने 15.02 रुपये प्रति किलोमीटर अर्जित किया और 14.91 रुपये प्रति किलोमीटर व्यय किया। लेखा परीक्षा ने अवलोकित किया कि सही प्रकार के नीति उपाय एवं इसके मामलों के बेहतर प्रबन्धन के द्वारा अधिक लाभार्जन एवं अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, राजस्व बढ़ाने एवं लागतों को कम करना सम्भव है।

अवरोही हिस्सेदारी

वर्ष 2008–09 में अनुज्ञप्त 27361 बसों में से लगभग 28.18 प्रतिशत निगम से सम्बन्धित था। प्रतिशत भागीदारी वर्ष 2007–08 के 31.33 प्रतिशत से मामूली घटकर वर्ष 2008–09 में 28.18 प्रतिशत हो गयी। भागीदारी में कमी, मुख्यतः संचालन अकुशलता के कारण थी जो अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत निजी संचालकों की तुलना में परमिट की प्राथमिकता होने के बावजूद परमिट न प्राप्त करने के कारण, संचालन 39.89 प्रतिशत तक रहने के कारण, हुई। प्रति लाख जनसंख्या वाहन घनत्व (निजी संचालको की बसों को सम्मिलित करते हुए) 35 बसों के अखिल भारतीय औसत (अ.भा.ओ.) के विरुद्ध समीक्षा अवधि के दौरान 13 रहा, जो राज्य में लोक परिवहन के स्तर में गिरावट का संकेतक था।

अनुवीक्षण

उच्च प्रबन्धन द्वारा अनुवीक्षण हेतु, उपलब्धि विषयक फीड बैंक प्राप्त करने के लिए, एक प्रभावशाली प्रबन्धन सूचना तंत्र (एमआईएस) की आवश्यकता है। संचालन में कमी एवं इससे सम्बन्धित डिपो द्वारा की जाने वाली उचित उपचारी कार्यवाही संचालक मण्डल में सुविचारित की जाती थी।

वाहन परिदृश्य एवं उपयोग

निगम के बस बेड़े में अपनी 6831 बसें और 879 अनुबन्धित बसें, समाहित थीं। वर्ष 2008–09 के अन्त में निगम के पास आठ वर्ष पुरानी कोई बस नही थी। अधिक आयु वाली बसों का प्रतिशत वर्ष 2004–05 के 16.99 के स्तर से, वर्ष 2004–09 के दौरान 5375 नई बसों के प्राप्त करने का कारण घट गया। हालांकि, प्रबन्धन के अनुसार, वर्ष 2008–09 के अन्त में 1239 अधिक आयु वाली बसें थी जिनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी।

निगम का बस बेड़ा उपयोग वर्ष 2008–09 में 95 प्रतिशत था जो अखिल भारतीय औसत 92 प्रतिशत से उच्च था। इसकी 332 किमी प्रतिदिन प्रति बस की वाहन उत्पादकता भी अखिल भारतीय औसत 313 किमी प्रतिदिन प्रति बस से अधिक थी। इसी प्रकार, इसका 65 प्रतिशत का लोड फैक्टर 63 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से अधिक रहा। बेड़ा उपयोग की दृष्टि से 14 से 39 डिपो अल्प निष्पादक थे तथा 29 से 65 डिपो ने निगम के ईंधन औसत को प्राप्त नही किया। प्रभावशाली अनुवीक्षण से उनके संचालन में सुधार लाया जा सकता है। यद्यपि, निगम ने संचालन पैरामीटर पर अच्छा किया फिर भी इसने मार्गवार लाभदायकता विनिश्चित नही किया जिससे कि प्रभावकारी अनुवीक्षण किया जा सके।

संचालन में मितव्ययिता

वर्ष 2008–09 में मानव संसाधन एवं ईंधन खर्च कुल व्यय का 73.88 प्रतिशत था। निगम वर्ष 2004–05 के 6.23 कर्मचारी प्रति बस को वर्ष 2008–09 में 5.15 कर्मचारी प्रति बस तक कम करने में सफल रहा।

राजस्व वृद्धिकरण

निगम के पास इसके संचालन हेतु 36.06 लाख वर्ग मीटर भूमि थी, उक्त भूमि का विकास इसके संचालन को अभिपुष्ट करने हेतु निरन्तर आय अर्जित करने के उद्देश्य से लोक एवं निजी क्षेत्रक भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर, किया जा सकता है। निगम ने इस सम्बन्ध में, किसी नीति का निरूपण नही किया है।

एक नियामक की आवश्यकता

सितम्बर 2005 से प्रति किमी किराया 49.52 पैसे रहा है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा किराया वृद्धि का अनुमोदन किया जाता है, किन्तु इसकी गणना का कोई वैज्ञानिक आधार नही है। अतः यह वांछनीय है कि एक स्वतंत्र नियामक निकाय (राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरह), होना चाहिए जो किराये का निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की व्यापकता का विनिश्चय एवं यात्रियों की शिकायतों का अनुश्रवण करे।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

समीक्षा अवधि के दौरान निगम लाभ अर्जित करता रहा है। हालांकि, अधिक मार्गों को शामिल करने एवं राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोतों को हस्तगत करने से राजस्व को अधिकाधिक करने का अभी भी अवसर था। निगम के निष्पादन में सुधार लाने हेतु इस निष्पादन समीक्षा में आठ संस्तुतियाँ की गयी हैं। अधिक वसों का अनुबन्धन, किराया एवं सेवाओं के नियमन हेतु नियामक की स्थापना, पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोतो को हस्तगत करना एवं मुख्य कार्यकारी का पर्याप्त अवधि हेतु कार्यकाल, इन संस्तुतियों में से कुछ हैं।

4. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन की कमियों को अभिव्यक्त करता है जिनके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे। इंगित की गई अनियमतताएँ मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

6.22 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि/व्यय के सात प्रकरण निम्नलिखित से सम्बन्धित थे:

- अनुदान की सीमा तक व्यय को नियंत्रित करने में विफलता;
- उच्च दरों पर कार्य प्रदान करना;
- अनुबन्ध में महत्वपूर्ण प्रावधान का सम्मिलित न किया जाना;
- निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करने में विफलता;
- उच्च ब्याज दरों पर सावधि जमा राशियाँ स्वीकार करना;
- सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट में अनावश्यक परिवर्तन।

(प्रस्तर 4.4., 4.6, 4.11, 4.18, 4.19, 4.20 एवं 4.21)

9.38 करोड़ रुपये के राजस्व हानि से सम्बन्धित पाँच प्रकरण थे:

- अन्यायसंगत ढंग से बकायों की माफी;
- स्थाई लाइन प्रभारों की अल्प वसूली;
- टैरिफ का गलत प्रयोग;

- अर्थदण्ड/माँग प्रभारों की अनारोपण।

(प्रस्तर 4.5, 4.7, 4.9, 4.15 एवं 4.17)

1.14 करोड़ रुपये धनराशि के तीन प्रकरण ठेकेदारों/उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पक्षपात से थे:

- प्रोटेक्टिव भार की स्वीकृति के बिना निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना;
- विद्युत की चोरी के विरुद्ध किए गए निर्धारण को वापस लेना;
- निष्पादित कार्य से अधिक भुगतान।

(प्रस्तर 4.12, 4.13 एवं 4.22)

2.73 करोड़ रुपये के तीन प्रकरण वित्तीय कुप्रबन्धन से सम्बन्धित थे:

- आटो स्वीप सुविधा प्राप्त न करना/कोषों को हस्तान्तरण न करना;
- परिपक्वता तिथि पर बाण्डो का समर्पण न किया जाना।

(प्रस्तर 4.2, 4.3 एवं 4.16)

कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तरों के सारांश निम्नवत है:

- **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के विरुद्ध अपील करने के अविवेकपूर्ण निर्णय करने के कारण 6.54 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि वहन करी।

(प्रस्तर 4.1)

- **उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड** द्वारा अनुदान की सीमा तक व्यय को नियन्त्रित न कर पाने के कारण 35.91 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 4.4)

- टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण **दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** को 7.43 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.9)

- अनुमन्य उपदान के सापेक्ष संयोजन के लागत की वसूली सुनिश्चित किये बिना 25 केवी परिवर्तक से एकल पीटीडब्ल्यू संयोजन अवमुक्त करने के कारण **दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** को 2.44 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.10)

- अर्थदण्ड एवं माँग प्रभारों को आरोपित न करने के कारण **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** को 1.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.15)

- बाण्ड धारको को देय/क्रेडिट किए गए ब्याज से स्त्रोत पर आयकर की कटौती करने एवं उसे जमा करने में विफलता के कारण **उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम** को 4. 13 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.18)

अध्याय–I

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम शामिल हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुये राजकीय पीएसयू की स्थापना व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिये की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में औसत स्थान रखते हैं। सितम्बर 2009 तक किये गये अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राजकीय कार्यरत पीएसयू ने 2008–09 में 31480.07 करोड़ रुपये का आवर्त प्राप्त किया। यह आर्वत वर्ष 2008–09 के लिये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.86 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश राज्य की पीएसयू की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन लेखों के अनुसार राज्य के कार्यरत पीएसयू ने 2008–09 के लिये कुल 3410.53 करोड़ रुपये की हानि वहन करी। 31 मार्च 2009 को उन्होनें 1.38 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था। राजकीय पीएसयू में छः प्रमुख विभागीय उपक्रम (डीयू) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है, परन्तु राजकीय विभागों के भाग हैं। इन डीयू से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षण राज्य की सिविल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2009 को 125 पीएसयू थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में अनुसूचित नहीं थी।

पीएसयू का प्रकार	कार्यरत पीएसयू	अकार्यरत पीएसयू[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	75	43	118
सांविधिक निगम	7	शून्य	7
योग	**82**	**43**	**125**

2008–09 में प्राप्त सूचना के अनुसार, 26 पीएसयू[4] (22 पीएसयू सेवा क्षेत्र में तथा चार[5] पीएसयू ऊर्जा क्षेत्र में) स्थापित की गयीं थी जबकि किसी पीएसयू का समापन नही किया गया था।

लेखा परीक्षा अधिदेश

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित हैं। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी चुकता अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी चुकता अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती हैं (डीम्ड सरकारी कम्पनी)।

राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखा परीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सीएजी के द्वारा भी की जाती है।

[1] 53 पीएसयू के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार। शेष 72 पीएसयू के द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

[2] अकार्यरत पीएसयू वो है जिन्होने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।

[3] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

[4] परिशिष्ट–1 की क्रम संख्या अ–38, 40, 41, 42 एवं 47 से 68 ।

[5] 2007–08 में गठित एक पीएसयू एवं 2006–07 में गठित तीन पीएसयू सम्मिलित हैं। इन पीएसयू में से, दो पीएसयू यथा प्रयाग राज पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं संगम पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड दिनांक 23–07–09 को निजीकृत हो गयी थीं।

सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। सीएजी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम, तथा उत्तर प्रदेश जल निगम का एकल लेखा परीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की लेखा परीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

राजकीय पीएसयू में निवेश

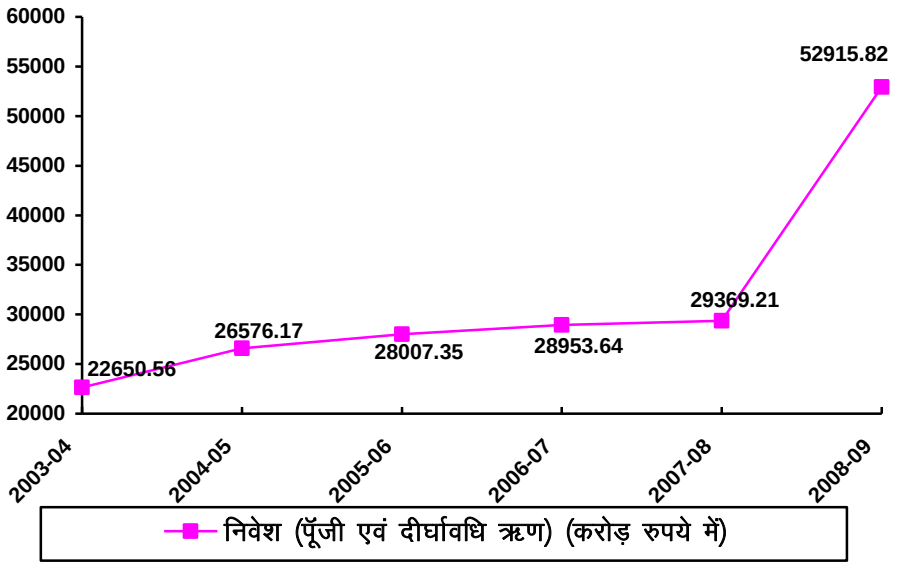
1.3 31 मार्च 2009 को, 125 पीएसयू (619–बी कम्पनियाँ सहित) में 52,915.82 करोड़ रुपये निवेश था, जिसका विवरण निम्न है।

(करोड़ रुपये में)

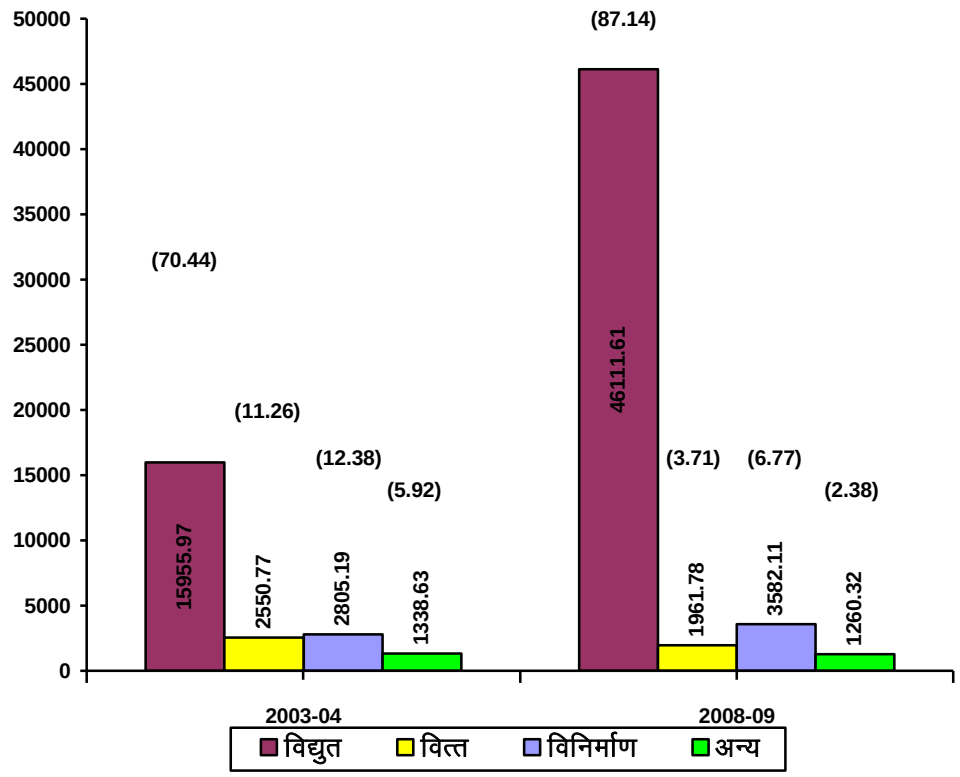
पीएसयू का प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत पीएसयू	40254.54	9992.39	50246.93	561.78	1223.06	1784.84	52031.77
अकार्यरत पीएसयू	442.89	441.16	884.05	-	-	-	884.05
योग	**40697.43**	**10433.55**	**51130.98**	**561.78**	**1223.06**	**1784.84**	**52915.82**

राजकीय पीएसयू में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

31 मार्च 2009 तक राजकीय पीएसयू में कुल निवेश का 98.33 प्रतिशत कार्यरत पीएसयू में तथा शेष 1.67 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयू में था। इस सकल निवेश में से 77.97 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 22.03 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2003–04 के 22,650.56 करोड़ रुपये से 133.62 प्रतिशत बढ़कर 2008–09 में 52,915.82 करोड़ रुपये हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में प्रदर्शित है।



31 मार्च 2004 तथा 31 मार्च 2009 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं। विगत पाँच वर्षों में पीएसयू में निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र में था, जिसका प्रतिशत अंश 2003–04 में 70.44 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 87.14 प्रतिशत हो गया जबकि विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2003–04 में 12.38 प्रतिशत से घटकर 2008–09 में 6.77 प्रतिशत हो गया।



(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण

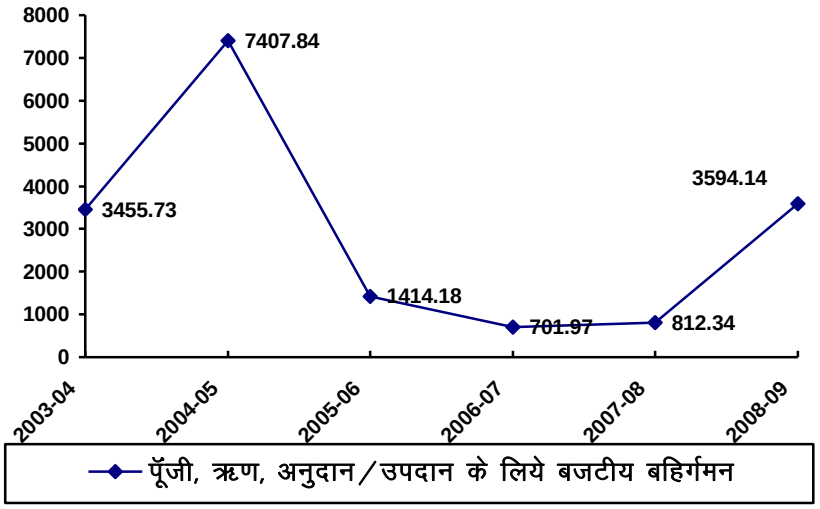
1.4 राजकीय पीएसयू के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, ऋणों की माफी, ऋणों का पँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है। 2008–09 को समाप्त हुये पिछले तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(राशिः करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2006-07		2007-08		2008-09	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	5	423.31	5	20.20	5	2405.08
2.	बजट से दिये गये ऋण	6	126.28	6	214.14	4	90.53
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	5	152.38	6	578.00	9	1098.53
4.	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**13***	**701.97**	**10***	**812.34**	**14***	**3594.14**
5.	अंश पँजी में परिवर्तित ऋण					2	209.30
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	9	4362.05	6	455.30	2	20735.82
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	12	7489.72	8	322.80	7	10525.81

** यह पीएसयू की वास्तविक संख्या, जिन्होनें बजटीय सहायता प्राप्त की, को प्रदर्शित करता है।*

पूँजी, ऋण, अनुदान/उपदान के लिये विगत पाँच वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।



यह देखा जा सकता है कि, राजकीय पीएसयू को पूँजी, ऋण, अनुदान/उपदान के लिये बजटीय बहिर्गमन 2003–04 से 2008–09 की अवधि के दौरान 2006–07 में निम्नतम था। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की तीन कम्पनियों को अंश पूँजी (2395.19 करोड़ रुपये) तथा अनुदान/उपदान (187.01 करोड़ रुपये) के रूप में 2582.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के कारण बजटीय बहिर्गमन 2008–09 में बढ़कर 3594.14 करोड़ रुपये हो गया। अदत्त प्रत्याभूति की राशि 2006–07 में 7489.72 करोड़ रुपये से घटकर 2007–08 में 322.80 करोड़ रुपये हो गयी जो 2008–09 में बढ़कर 10523.79 करोड़ रुपये हो गयी। 31 मार्च 2009 को दो पीएसयू के द्वारा प्रत्याभूति कमीशन की देय राशि 13.28 करोड़ रुपये[6] थी। वर्ष के दौरान एक पीएसयू[7] ने 11.20 करोड़ रुपये के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया।

वित्तीय लेखों के साथ समाधान

1.5 राजकीय पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिये। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिये। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2009 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

अदत्त	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	14386.22	31955.04	17568.82
ऋण	5089.25	1218.42	3870.83
प्रत्याभूति	11727.82	10525.81	1202.01

लेखा परीक्षा ने देखा कि यह अन्तर 27 पीएसयू में था तथा कुछ अन्तर 2000–01 से ही समाधान नहीं हो पाये थे। वित्त लेखों तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के आँकड़ों के मध्य अन्तर के समाधान का मामला नियमित रूप से पीएसयू के साथ उठाया जाता रहा (सितम्बर 2009)। सरकार तथा पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाधान करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

[6] उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (11.12 करोड़ रुपये) एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (2.16 करोड़ रुपये)।

[7] उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

पीएसयू का कार्य सम्पादन

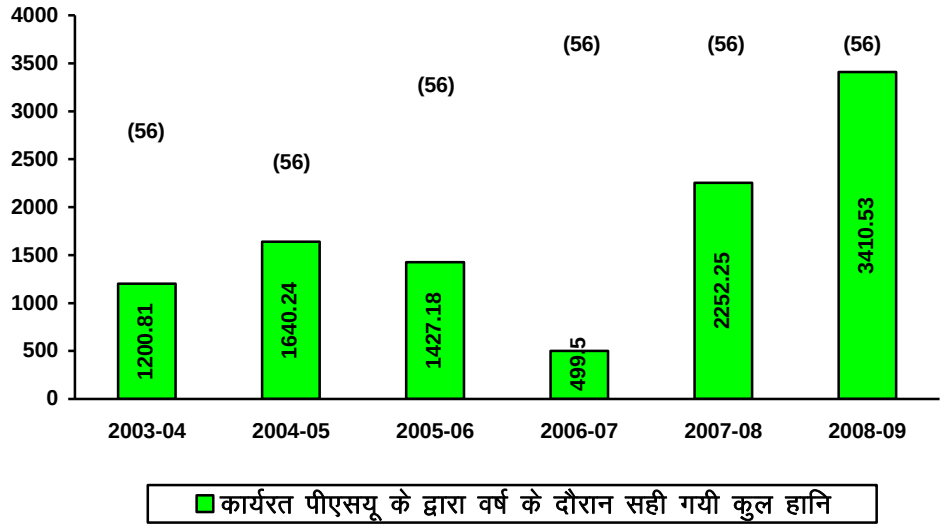
1.6 पीएसयू एवं कार्यरत सांविधिक निगमों के वित्तीय परिणाम, वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट–2, 5 एवं 6** में वर्णित हैं। पीएसयू के आवर्त तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू के कार्यकलापों का सीमा दर्शाता है। नीचे दी गयी सारणी में 2003–04 से 2008–09 की अवधि में कार्यरत पीएसयू का आवर्त तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विवरण दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आवर्त[8]	13442.74	13374.72	18750.76	18860.47	27261.62	31480.07
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	226972.00	248851.00	276969.00	309834.00	344346.00	400711.00
आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिशत	5.92	5.37	6.77	6.09	7.92	7.86

2003–04 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के साथ आवर्त का प्रतिशत 5.92 था जो छः वर्षों की अवधि में नगण्य विचलन दर्शाने के उपरान्त 2008–09 में 7.86 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2003–04 से 2008–09 की अवधि में कार्यरत पीएसयू के द्वारा वहन की गयी हानि नीचे बार चार्ट में दी गयी है।



(कोष्ठक में आँकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत पीएसयू की संख्या दर्शाते हैं।)

कार्यरत पीएसयू के द्वारा वहन की गयी हानि की राशि 2003–04 में 1200.81 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008–09 में 3410.53 करोड़ रुपये हो गयी। राजकीय पीएसयू के द्वारा वहन की गयी हानि की स्थिति अवधि के दौरान बदतर हो गयी, विशेषकर 2006–07 के उपरान्त, जब वहन की गयी हानि की राशि 499.50 करोड़ रुपये (2006–07) से बढ़कर 3410.53 करोड़ रुपये (2008–09) हो गयी। वर्ष 2008–09 के दौरान, 82 कार्यरत पीएसयू में से, 30 पीएसयू ने 538.41 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और 26 पीएसयू ने 3948.94 करोड़ रुपये की हानि वहन की। छब्बीस कार्यरत पीएसयू, जिनका गठन 2006–07 (3), 2007–08 (1) तथा 2008–09 (22) में हुआ था, ने अपने प्रथम लेखें प्रस्तुत नही किये। लाभ में योगदान करने वालों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, (178.58 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (80.41 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास

[8] 30 सितम्बर 2009 को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार।

निगम लिमिटेड (79.03 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (40.71 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (40.15 करोड़ रुपये) मुख्य थे। ज्यादा हानि वहन करने वालो में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (892.20 करोड़ रुपये), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (621.82 करोड़ रुपये), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (606.75 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (505.42 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (115.01 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (77.10 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (57.92 करोड़ रुपये) थे।

पीएसयू की हानि का कारण मुख्यतः वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, परियोजनाओं के अनुपालन, परिचालन तथा पर्यवेक्षण में अक्षमता थे। सीएजी के अद्यतन लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यरत पीएसयू ने 7931.19 करोड़ रुपये की हानि वहन की तथा 27.60 करोड़ रुपये का निवेश निष्फलित रहा जो कि बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रणीय था। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिया गया हैं।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	योग
शुद्ध हानि	499.50	2252.25	3410.53	6162.20
सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानि	7012.18	832.64	86.37	7931.19
निष्फलित निवेश	-	-	27.60	27.60

सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हानियाँ पीएसयू के अभिलेखों के नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे ज्यादा होगी। उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से हानि को कम किया जा सकता है। पीएसयू अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हों। उपरोक्त परिस्थिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलाप में पेशेवरपन तथा जवाबदेही की आवश्यकता इंगित करते हैं।

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.05	-	-	2.28	-	-
ऋण	9768.01	8133.48	8680.00	9192.09	9538.97	11656.61
आवर्त[9]	13442.74	13374.72	18750.76	18860.47	27261.62	31480.07
ऋण/आवर्त अनुपात	0.73:1	0.61:1	0.46:1	0.49:1	0.35:1	0.37:1
ब्याज का भुगतान	1314.85	12995.58	1166.79	1055.11	1212.39	1058.32
संचित हानियाँ	10674.81	10590.38	11141.45	12305.62	14129.45	15520.04

(उपरोक्त आँकड़े कार्यरत पीएसयू को छोड़कर समस्त पीएसयू के आवर्त से सम्बन्धित हैं।)

2003–04 से 2008–09 की अवधि में ऋण और आवर्त का अनुपात 2003–04 के 0.73:1 से सुधर कर 2008–09 में 0.37:1 हो गया जो लाभ पर कम दबाव को दर्शाता है। हालांकि, संचित हानि की राशि 10674.81 करोड़ रुपये से बढ़कर 15520.04 करोड़ रुपये हो गयी। निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ भी छः वर्षों की अवधि में 2003–04 एवं 2006–07 को छोड़कर ऋणात्मक थी।

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनायी थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा निवेशित चुकता अंश पूँजी पर पाँच प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश देना है। 30 सार्वजनिक उपक्रमों ने उनके अद्यतन

[9] कार्यरत पीएसयू के द्वारा 30 सितम्बर 2009 को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार।

अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 538.41 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि केवल एक सार्वजनिक उपक्रम[10] ने 1.67 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित कियां इस प्रकार, शेष लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों ने राज्य सरकार की न्यूनतम लाभांश नीति का अनुपालन नहीं किया।

महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन

1.7 2008–09 में सार्वजनिक कार्यरत उपक्रमों के निवेश और आवर्त का योग 83511.84 करोड़ रुपये था। 56 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों, जिन्होनें अपने पिछले वर्षों के लेखे बनाये थे, में से निम्न पाँच सार्वजनिक उपक्रमों के निजी निवेश एवं आवर्त सकल निवेश एवं आवर्त के पाँच प्रतिशत से ज्यादा थे। इन पाँच सार्वजनिक उपक्रमों ने सकल निवेश एवं आवर्त का 77.10 प्रतिशत प्राप्त किया।

(करोड़ रुपये में)

पीएसयू का नाम	निवेश	आवर्त	योग (2)+(3)	सकल निवेश एवं आवर्त का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	8970.38	3835.78	12806.16	15.33
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	25314.80	11587.25	36902.05	44.19
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2541.75	1751.25	4293.00	5.14
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2946.97	3005.12	5952.09	7.13
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	3061.16	2184.91	5246.07	6.28
योग	**42835.066**	**22364.31**	**65199.377**	**78.07**

उपरोक्त सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों में नियोजन, अनुपालन, अनुश्रवण, उद्देश्यों की अप्राप्ति एवं वित्तीय प्रबन्धन में कमी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षण आगामी प्रस्तरों में वर्णित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

1.8 सितम्बर 2009 में कम्पनी के दो वर्ष के लेखे लम्बित थे। कम्पनी की हानि 2002–03 में 839.61 करोड़ रुपये से घटकर 2006–07 में 505.42 करोड़ रुपये हो गयी। कम्पनी का आवर्त 2002–03 में 6610.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006–07 में 11587.25 करोड़ रुपये हो गया। यद्यपि, निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ इस अवधि में ऋणात्मक रहा।

नियोजन में कमियाँ

- उपकेन्द्र पर बिना आवश्यकता के 100 एमवीए के परिवर्तक की स्थापना के कारण 3.61 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2004–05 का प्रस्तर 2.3.13)।
- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उप–केन्द्र के लिये भूमि आबंटन के समय मार्ग का अधिकार नहीं माँगने के कारण कम्पनी को 94.70 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2004–05 का प्रस्तर 2.3.23)।

अनुश्रवण में कमियाँ

- विद्युत क्रय बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण 8.16 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त करने में असफल होने के साथ–साथ कम्पनी ने 124.43 करोड़ रुपये के अधिभार

[10] उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम।

का दायित्व वहन किया। (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2003–04 का प्रस्तर 2.3.10)।

- वितरण कम्पनियों के साथ समन्वय की कमी के कारण कम्पनी 132 केवी उप–केन्द्र को वाणिज्यिक भार पर नहीं ला सकी तथा 11.28 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ से वंचित रही (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2004–05 का प्रस्तर 2.3.14)।
- निर्दिष्ट मानकों से ज्यादा पारेषण हानि के कारण कम्पनी को 346.82 करोड़ रुपये की हानि हुई (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2004–05 का प्रस्तर 2.3.25)।

वित्तीय प्रबन्धन में कमी

- 2000–01 से 2002–03 की अवधि में परिचालन में कुल 3567.16 करोड़ रुपये का कोष समाप्त हो गया (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2003–04 का प्रस्तर 2.3.5)।
- आवश्यकता के अनुसार कोष की निकासी न करने के कारण कम्पनी को 2.50 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2003–04 का प्रस्तर 2.3.7)।
- उच्च ब्याज दर पर धन उधार लेने तथा राशि को निम्न ब्याज दर की सावधि जमा में रखने के कारण कम्पनी को 3.16 करोड़ रुपये की हानि हुई (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2003–04 का प्रस्तर 2.3.38)।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

1.9 कम्पनी का गठन 1 मई 2003 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी के रूप में हुआ था। सितम्बर 2009 में कम्पनी के तीन वर्ष के लेखे लम्बित थे। कम्पनी ने 2003–04 में 204.00 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था जो 2005–06 में 1182.56 करोड़ रुपये की हानि में रूपांतरित हो गया, यद्यपि इसी अवधि में आवर्त 621.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 3005.12 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ 25.39 प्रतिशत से घटकर ऋणात्मक हो गया।

अनुश्रवण में कमियाँ

- चेकों के बारम्बार अनादृत होने के बाद भी कम्पनी ने आपूर्ति विच्छेदित नही किया जिसके कारण 67.02 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2007–08 का प्रस्तर 3.19)।
- स्थायी विच्छेदन के मामलों में निपटान में अक्षमता/विलम्ब के कारण 9.43 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पायी (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2006–07 का प्रस्तर 2.2.30)।
- निम्न पावर फैक्टर मामलों में व्यवस्थागत चेतावनी तथा निर्दिष्ट कार्यवाही के अभाव के कारण 7.21 करोड़ रुपये मूल्य के 1.92 करोड़ इकाई ऊर्जा की हानि हुई (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2007–08 का प्रस्तर 2.4.20)।

उद्देश्यों की अप्राप्ति

- कम्पनी ने जीआईएस मेंपिग पर 94.66 लाख रुपये का निष्फल व्यय किया क्योंकि किसी भी कार्यालय के पास सहायक सॉफ्टवेयर एवं सॉफ्ट प्रति उपलब्ध नहीं थी (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2007–08 का प्रस्तर 2.4.16)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

1.10 कम्पनी का गठन 1 मई 2003 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी के रूप में हुआ था। सितम्बर 2009 में कम्पनी के तीन वर्ष के लेखे लम्बित

थे। 2003–04 से 2005–06 की अवधि में कम्पनी का आवर्त 908.16 करोड़ रुपये से बढ़कर 1751.25 करोड़ रुपये होने के बाद भी कम्पनी की हानि 2003–04 में 113.09 करोड़ रुपये से बढ़कर 892.20 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में कम्पनी का निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ ऋणात्मक रहा।

अनुश्रवण में कमियाँ

- पीक आवर उल्लघंन के लिये दण्ड में अनियमित कटौती करने के कारण कम्पनी को 44.36 लाख रुपये की हानि हुई (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2003–04 का प्रस्तर 3.13)।
- जाँच मीटर के परिणाम के आधार पर कम्पनी ने अतिरिक्त शुल्क का बिल जारी नहीं किया फलतः 1.74 करोड़ रुपये के विद्युत शुल्क की वसूली नहीं हो पायी (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2004–05 का प्रस्तर 3.6)।
- 11 केवी की दर के स्थान पर कम्पनी ने उपभोक्ता को 132 केवी की दर पर बिल किया जिसके कारण 1.12 करोड़ रुपये की कम बिलिंग हुई (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2004–05 का प्रस्तर 3.7)।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

1.11 कम्पनी का गठन 1 मई 2003 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी के रूप में हुआ था। सितम्बर 2009 में कम्पनी के तीन वर्ष के लेखे लम्बित थे। कम्पनी की हानि 2003–04 में 80.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005–06 में 606.75 करोड़ रुपये हो गयी, यद्यपि कम्पनी का आवर्त 988.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 2184.91 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में निवेशित पूँजी पर लाभ ऋणात्मक रहा।

अनुश्रवण में कमियाँ

- दोषपूर्ण मीटर वाले एलएमवी–I श्रेणी के उपभोक्ताओं के गलत निर्धारण के कारण 7.06 करोड़ रुपये राजस्व का कम निर्धारण हुआ (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2006–07 का प्रस्तर 2.4.18)।
- पीक आवर उल्लंघन के दण्ड सम्बन्धित बिलों के अनियमित संशोधन के कारण कम्पनी को 8.22 करोड़ रुपये की हानि हुई (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2003–04 का प्रस्तर 3.9)।
- कम्पनी ने पूर्व रेलवे से नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा हेतु 1.17 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2004–05 का प्रस्तर 3.9)।

निष्कर्ष

1.12 उपरोक्त विवरण इंगित करते हैं कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रम दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं तथा उनके कुल प्रदर्शन में सुधार की वृहद सम्भावना हैं। उनके उत्पादों तथा सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने हेतु उन्हें पेशेवरपन को बढ़ाना होगा। राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों की जिम्मेदारी तय करने हेतु प्रदर्शन आधारित व्यवस्था प्रारम्भ करना चाहिये।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

1.13 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनसे

सम्बन्धित विधान के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारणी कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सितम्बर 2009 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति को दिखाता है।

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	56	56	56	56	60[11]
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	50	55	42	64	46
3.	लम्बित लेखों की संख्या	189	183	195	180	197
4.	प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रमों का औसत बकाया (3/1)	3.38	3.27	3.48	3.21	3.28
5.	लम्बित लेखों वाले सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	50	49	50	49	54
6.	लम्बित लेखों की सीमा	1 से 16 वर्ष	1 से 16 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 14 वर्ष	1 से 14 वर्ष

2004–05 से 2007–08 की अवधि में लम्बित लेखों वाले सार्वजनिक कार्यरत उपक्रमों की संख्या 49 और 50 के मध्य थी जो सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या बढ़ने के कारण 2008–09 में 54 हो गयी। 2008–09 में कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद, अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या 2007–08 के 64 के विरुद्ध 46 थी जिसके फलस्वरूप लम्बित लेखों की संख्या 2007–08 में 180 से बढ़कर 2008–09 में 197 हो गयी। अधिकतर कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के लेखों को अद्यतन करने में असमर्थ रहे जिसके कारण बकाये लेखों की संख्या बढ़ी। लेखों के बकाये के लिए जिम्मेदार कारण मुख्यतः वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने में विलम्ब, निदेशक मंडल द्वारा लेखों को अनुमोदित करने में विलम्ब, सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा लेखों के सत्यापन में विलम्ब, वार्षिक आम सभा में लेखों को अंगीकृत करने में विलम्ब, लेखाकर्मियों की कमी आदि थे।

इसके अतिरिक्त अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों के लेखें भी बकाये थे। 43 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से 12[12] समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 31 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से 30 सार्वजनिक उपक्रमों के 1 से 30 वर्ष तक के लेखे बकाये थे।
जैसा कि **परिशिष्ट–4** में दिया गया हैं, राज्य सरकार ने 23 सार्वजनिक उपक्रमों में 4214. 16 करोड़ रुपये (अशं पूँजीः 2470.96 करोड़ रुपये, ऋणः 309.02 करोड़ रुपये, अनुदानः 1028.09 करोड़ रुपये तथा उपदानः 406.09 करोड़ रुपये) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखे अद्यतन नहीं हुये थे। लेखों तथा उनके लेखा परीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेश एवं व्यय का लेखा सही तरीके से किया गया था, तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ या नहीं और इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका के जाँच के बाहर रहा। इसके अतिरिक्त लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे का जोखिम तथा सार्वजनिक कोष का क्षरण हो सकता हैं।

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। यद्यपि लेखा परीक्षा द्वारा बकायें लेखों के सम्बन्ध में, प्रशासकीय विभागों को प्रत्येक तिमाही में सूचना दी गयी थी, तथापि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप इन सार्वजनिक उपक्रमों के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखा परीक्षा में नहीं

[11] फरवरी 2009 में गठित 22 पीएसयू को छोड़कर (सभी कम्पनियाँ) जो (परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या अ–47 से 68 तक) जिनके प्रथम लेखें देय नहीं हैं।

[12] परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या स–2, 3, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 29 एवं 34

किया जा सका। लेखों के बकाये के प्रकरण को मुख्य सचिव/वित्त सचिव के साथ 20 जनवरी 2009, 12 अप्रैल 2009 तथा 15 जुलाई 2009 को उठाया गया था ताकि लेखाओं के बकाओं को एक कालबद्ध तरीके से कम किया जाये। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बकाये लेखों के मामले पर चर्चा करने के लिये बकाया लेखों वाले आठ सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 9 जनवरी 2009 को एक बैठक की।

उपरोक्त वर्णित बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि:

- **सरकार बकाये के समापन के अनुश्रवण हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित कर सकती है तथा प्रत्येक कम्पनी हेतु लक्ष्य निश्चित कर सकती है जिसका अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा किया जा सकता है।**
- **जहाँ भी कर्मचारियों की कमी है अथवा आवश्यक योग्यता की कमी है, वहाँ सरकार लेखों के बनाने के कार्य को आउटसोर्स करने पर विचार कर सकती है।**

अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों का समापन

1.14 31 मार्च 2009 को 43 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम थे (40 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन डीम्ड सरकारी कम्पनियाँ)। इनमे से 12 सार्वजनिक उपक्रम समापन की प्रक्रिया में थे। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम की संख्या नीचे दी गयी है।

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	42	42	43	43	43

अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। 2008–09 की अवधि में दो[13] अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों के स्थापना व्यय पर 0.16 करोड़ रुपये व्यय किये।

अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं।

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ
1.	अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमो की कुल संख्या	43
2.	उपरोक्त (1) में से:	
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	12
(ब)	ऐच्छिक समापन (समापक नियुक्त)	-
(स)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	31

वर्ष 2008–09 के दौरान किसी कम्पनी का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 6 से 32 वर्षों से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाना चाहिये। सरकार को 31 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों, जिनके अकार्यरत होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उनके समापन के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। सरकार को अकार्यरत कम्पनियों के समापन को त्वरित करने हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिये।

लेखों पर टिप्पणी तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा

1.15 वर्ष 2008–09 में 38 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 41 संप्रेक्षित लेखें महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से 32 कम्पनियों के 35 लेखें अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक

[13] 43 अकार्यरत कम्पनियों में से केवल दो कम्पनियों ने सूचना उपलब्ध करायी (उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेडः 8.05 लाख रुपये एवं उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेडः 7.67 लाख रुपये)।

लेखा परीक्षा, लेखों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

(राशिः करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2006-07		2007-08		2008-09	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	11	11.41	8	17.67	10	53.60
2.	हानि में वृद्धि	20	21.94	12	95.02	8	843.84
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	3.64	-	-	-	-
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ			6	13.09	4	225.44
	योग		**36.99**		**125.78**		**1122.88**

सभी टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य 2006–07 में 36.99 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008–09 में 1122.86 करोड़ रुपये हो गया जो सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में गिरावट को इंगित करता है।

वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने दो लेखों पर अनक्वालिफाईड प्रमाणपत्र, 35 लेखों पर क्वालिफाईड प्रमाणपत्र, एक लेखे पर एडवर्स प्रमाण पत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे सत्य एवं वास्तविक स्थिति नहीं दर्षाते हैं) तथा तीन लेखों पर डिस्क्लेमर (जिसका अर्थ है कि लेखा परीक्षक लेखों पर कोई विचार नहीं बना सके) दिया। इसके अतिरिक्त सीएजी ने दो लेखों पर निन्दनीय (एडवर्स) टिप्पणियाँ दी। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा और 29 लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 133 उदाहरण पाये गये।

1.16 कम्पनियों के लेखो के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2006–07)

- सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों में कम्पनी के निवेश के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान नहीं होने के कारण वर्ष की हानि 810.89 करोड़ रुपये से कम थी।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2006–07)

- कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के स्थान पर आयकर नियम में निर्दिष्ट दर ह्रास पर लगाने के कारण वर्ष की हानि 6.88 करोड़ रुपये से कम कथित थी।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2005–06)

- विद्युत क्रय (9651.033 एमयू) का लेखांकन 1.897 रुपये प्रति इकाई के लागू दर के स्थान पर 2.34 रुपये प्रति इकाई पर करने के कारण हानि 427.54 करोड़ रुपये से अधिकथित थी।

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (2005–06)

- 1994–95 से 2004–05 के दौरान बिना सरकार के अनुमोदन के हैंड पम्प लगाने पर अधिव्यय किये गये 1.43 करोड़ रुपये की प्राप्य योग्य राशि के वापस न लेने के कारण विविध देनदार 1.43 करोड़ रुपये से अधिकथित थे।
- 2002–03 से 2005–06 के बीच गेंहूँ के खरीद पर हुये आकस्मिक व्यय को गलत आधार पर लेखांकित करने के कारण ऋण एवं अग्रिम 11.97 करोड़ रुपये से अधिकथित तथा संचित हानि कम कथित थे।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2006–07)

- प्लांट पर ह्रास का प्रावधान न करने के कारण वर्ष का लाभ 4.12 करोड़ रुपये से अधिकथित था।
- कैप्टिव विद्युत गृह के सम्बन्ध में बिजली बिल, डीजल, एवं वाहनों पर किये गये आयगत व्यय को लाभ एवं हानि खाते में भारित करने की जगह प्रगतिशील पूँजीगत कार्य में भारित करने के कारण वर्ष का लाभ 70 लाख रुपये से अधिकथित था।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (2007–08)

- कम्पनी के पक्ष में देनदारों से वसूल किये गये राशि पर राजस्व विभाग को देय वसूली शुल्क का प्रावधान न करने के कारण वर्ष का लाभ 1.27 करोड़ रुपये से अधिकथित था।
- सरकार द्वारा ऋण को ब्याज मुक्त गैर शोधनीय ऋण में परिवर्तन तक सरकारी ऋण पर 26.03 करोड़ रुपये के ब्याज को पुर्नलेखित करने के कारण वर्ष का लाभ 11.46 करोड़ रुपये से अधिकथित था।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (2004–05)

- संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान न होने के कारण वर्ष का लाभ 15.98 करोड़ रुपये से अधिकथित था।
- संदिग्ध अग्रिमों के लिये कम प्राविधान के कारण वर्ष का लाभ तथा चालू सम्पत्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम 7.02 करोड़ रुपये से अधिकथित थे।

इसी प्रकार, 2008–09[14] के दौरान पाँच सांविधिक निगमों ने अपने पाँच लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से दो सांविधिक निगमों के दो लेखे सीएजी द्वारा एकल लेखा परीक्षा से सम्बन्धित थे, जिसमे से केवल एक लेखे की लेखा परीक्षा पूर्ण हो सकी थी (30 सितम्बर 2009)। शेष तीन लेखों में से दो लेखे अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुने गये थे तथा इन लेखों की लेखा परीक्षा पूर्ण हो गयी थी (30 सितम्बर 2009)। सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा सीएजी के द्वारा एकल/अनुपूरक लेखा परीक्षा लेखों के संधारण के गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी के टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

(राशिः करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2006-07		2007-08		2008-09	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	32.55	5	202.57	2	3.89
2.	हानि में वृद्धि	2	8.07	1	5.37	1	0.68

वर्ष के दौरान प्राप्त हुये पाँच लेखों में से, तीन लेखों की लेखा परीक्षा की गयी थी तथा इन तीनों लेखों ने क्वालिफाईड प्रमाण पत्र पाया।

1.17 सांविधिक निगमों के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत हैं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (2007–08)

- एसएलआर बाण्ड्स पर देय ब्याज का प्रावधान न होने के कारण वर्ष की हानि 20.45 लाख रुपये से अधिकथित थी।

[14] अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2009

- पुर्नस्थापन शुल्क तथा विस्तार शुल्क को लाभ–हानि खाते में भारित करने के स्थान पर पूँजीकृत करने के कारण वर्ष की हानि 47.79 लाख रुपये से अधिकथित थी।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (2007–08)

- 1 अप्रैल 2008 से 31 जुलाई 2008 तक के लिये अग्रिम प्रीमियम के भुगतान को पूर्वदत्त व्यय न मानकर, चालू वर्ष का व्यय मानने के कारण वर्ष का लाभ 76.99 लाख रुपये से अधिकथित हैं।

- व्यावसायिक आय में कर्मचारियों तथा स्टोरेज/हैण्डलिंग एवं ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों से स्टोरेज एवं ट्रान्सपोर्ट हानि के लिये वसूली योग्य 2.29 करोड़ रुपये समाहित नहीं हैं। इस कारण चल सम्पत्तियाँ– 'कर्मचारियों तथा स्टोरेज/हैण्डलिंग एवं ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों से प्राप्य' 2.29 करोड़ रुपये से अधिकथित हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड (2007–08)

- निगम को कर्मचारी बीमा के लिये अंशदान से छूट हो गयी थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को पूर्व में भुगतान किये गये वसूली योग्य अंशदान को शामिल न करने के कारण वर्ष का लाभ 1.43 करोड़ रुपये से अधिकथित था।

- राज्य सरकार के ऋण के विरुद्ध उत्तरांचल सरकार ने 5.20 करोड़ रुपये के ब्याज को दायित्व सूचित किया जिसके विरुद्ध केवल 1.49 करोड़ रुपये का दायित्व का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष का शुद्ध लाभ 3.71 करोड़ रुपये से अधिकथित तथा चल दायित्व 3.71 करोड़ रुपये से अधिकथित थे।

सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती हैं। सांविधिक अंकेक्षको द्वारा 2007–08 में 43 कम्पनियों[15] तथा 2008–09 में 31 कम्पनियों[16] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों के टिप्पणी की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमे अनुशंसा की गयी	परिशिष्ट–2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
	1	**2**	**3**
1.	स्कन्ध एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिक सीमा तय न करना	12	अ-3, 20, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45 एवं 46
2.	कम्पनी के व्यवसाय के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का अभाव	20	अ-3, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 34, 35, 37, 71, 73, 74, स-16, 17 एवं 18
3.	लागत लेखों का संधारण न होना	7	अ-34, 35, 36, 37, 39, 44 एवं 46
4.	अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसेः परिमाणात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, ह्रासित मूल्य तथा उनकी स्थिति का संधारण का न होना	25	अ 1, 2, 7, 11, 15, 17, 20, 24, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 46, 71, 73, 74, स-16, 17, 28 एवं 38

[15] परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या अ–3, 5, 6, 9 से 16, 18 से 20, 24, 27 से 29, 31 से 35, 39, 44 से 46, 69 से 71, 73 से 75, स–3, 5, 16, 17, 20, 27, 28, 36 एवं 41

[16] परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या अ–2, 3, 7, 11 से 15, 17, 18, 20, 22, 27 से 29, 31, 33 से 37, 39, 44 से 46, 71, 73, 74, स–16, 28 एवं 38

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली

1.18 2008–09 के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन को 420.98 करोड़ रुपये की वसूली हेतु के मामले प्रकट किये थे, जिनमे से 383.37 करोड़ रुपये के मामले प्रबन्धन द्वारा स्वीकार किये गये तथा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 4.84 करोड़ रुपये की वसूली की गयी थी।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.19 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		एसएआर को विधायिका के समक्ष ने रखने के कारण
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2005-06	2006-07 2007-08	25-06-2009 09-09-2009	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08	07-07-1995 18-04-1996 28-08-1998 17-12-1999 27-07-2000 20-10-2001 25-07-2002 20-02-2004 28-01-2005 21-12-2005 08-09-2006 01-05-2007 12-09-2007 17-04-2008 07-08-2009	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2005-06	2006-07 2007-08	17-01-2008 24-03-2009	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम[17]	--	1997-98 1998-99	17-08-2000 23-05-2002	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2001-02	2002-03	10-12-2008	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	1994-95	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07	21-10-1997 18-02-1999 03-07-2000 19-09-2001 07-02-2002 13-02-2003 27-03-2004 30-12-2005 07-06-2006 02-02-2007 02-04-2008 21-03-2009	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का विलम्ब से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने से वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम के जवाबदेही मन्द पड़ जाती है। शासन को पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये।

[17] लेखा परीक्षण 1997–98 से सौंपा गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.20 राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में सभी उपक्रमों (सार्वजनिक एवं जनकल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के कार्य में लगे उपक्रमों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपने नेट वर्थ के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि को संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ईसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। ईसी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन किया गया था (नवम्बर 1998) किन्तु यह भंग कर दी गई (जनवरी 2000) और एक विनिवेश आयोग (डीसी) का गठन किया गया (जनवरी 2000)।

विनिवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक केन्द्रीय समिति (सीसी) का भी गठन किया गया (जनवरी 2000)। पीएसयू के कार्य प्रणाली में सुधार, संविलयन, पुनर्संरचना, निजीकरण अथवा बन्दी के मामलों को डीसी को सन्दर्भित करने के लिए सीसी को अधिकृत किया गया। यह विचारित था कि डीसी अपनी संस्तुतियॉ सीसी को सौंपेगा।

डीसी को 27 पीएसयू का संदर्भ प्रस्तुत किया गया तथा डीसी ने इन सभी मामलों पर अपनी संस्तुतियाँ दी। सीसी ने 25 पीएसयू के मामलों पर विचार कर अपनी संस्तुतियॉ सौंपी। इन सभी संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः एक उच्च स्तरीय विनिवेश समिति (एचपीडीसी) का गठन किया गया (अप्रैल 2003) जिसे पीएसयू के विनिवेश का कार्य सौंपा गया।

सरकार ने सूचित (सितम्बर 2003) किया किः

- प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 11 चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की आठ बीमार तथा पाँच बन्द चीनी मिलों के लिये विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई।
- 27 पीएसयू, जो कि डीसी को सन्दर्भित किये गये थे, के सम्बन्ध में डीसी की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जायेगी।
- विभागों/पीएसयू से विनिवेश की सम्भावना के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही थी तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विनिवेश के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) को विनिवेश के लिये सलाहकार चुना गया है। नीतिगत मामलों के निर्णय तथा व्यवहारिक संस्तुतियाँ करने के लिये एचपीडीपी पिकप से सलाह ले रही थी।

राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर प्रगति से सम्बन्धित मसौदे को उपलब्ध नहीं कराया गया।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.21 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन सितम्बर 1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम[18] की धारा 17 के अधीन विद्युत टैरिफ का विवेकीकरण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मसौदे पर अपनी राय राज्य को देने और लाइसेन्स जारी करने के उद्देष्य से किया गया। 2008–09 के दौरान, (ईआरसी) ने 46 (चार आदेश वार्षिक राजस्व की प्राप्ति के तथा 42 अन्य आदेश) आदेश जारी किये।

[18] विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(1) से बदल दिया गया।

राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच ऊर्जा क्षेत्र में चिन्हित सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुये (फरवरी 2000)। चिन्हित सुधार कार्यक्रम की अब तक की प्रगति नीचे दी गयी हैं।

क्रम संख्या	एमओयू समझौते के अनुसार सुधार कार्यक्रम	लक्ष्य प्राप्ति की अनुसूची	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
I	**राज्य सरकार द्वारा:**		
(i)	11 केवी के सभी फीडरों पर मीटर का लगाया जाना	30 सितम्बर 2000	पारेषण नेटवर्क के 97 प्रतिशत पोषकों पर मीटर स्थापित कर दिये गये एवं वितरण नेटवर्क के 99.38 प्रतिशत पोषकों पर मीटर स्थापित किय गये (मार्च 2009)।
(ii)	शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा आपूर्ति	31 दिसम्बर 2001	केवल 58.70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जा सका (जून 2007)।
(iii)	20 चुने गये नगरों की आन लाइन बिलिंग	31 मार्च 2001	केवल एक नगर, लखनऊ में सितम्बर 2006 में लागू किया गया। वर्तमान में लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के दस खण्डों द्वारा आन लाइन बिलिंग का कार्य किया जा रहा हैं। शेष 17 नगरों में आन लाइन बिलिंग विचाराधीन हैं।
(iv)	वितरण प्रणालियों को उन्नत करना	शून्य	विभिन्न कार्य जैसे कि– सर्विस लाइन का पुर्नवियोजन, कैपेसीटर बैंक की स्थापना, लाइनों का निर्माण, परिवर्तकों का लगाना और वितरण प्रणाली को सुदृढ कराना, पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर हैं (सितम्बर 2008)।
(v)	वितरण क्षेत्रों का निजीकरण जो वाणिज्यिक रूप से सक्षम नहीं हैं।	शून्य	अभी तक किसी भी कम्पनी का निजीकरण नहीं हुआ (सितम्बर 2009)। यद्यपि, दो पावर जनरेशन कम्पनी जो फरवरी 2007 में गठित हुई थी, का निजीकरण जुलाई 2009 में हो गया।
II	**केन्द्र सरकार द्वारा:**		
(i)	चालू तापीय तथा जल विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण एवं आधुनीकीकरण हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता	शून्य	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पावर प्लांट के नवीनीकरण एवं आधुनीकीकरण हेतु 1779.50 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया (मार्च 2009)। इसके अतिरिक्त त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 18.06 करोड़ रुपये का ऋण एवं इतनी ही राशि का उपादान स्वीकृत किया गया (मार्च 2006)।
(ii)	महत्वपूर्ण पारेषण कार्यों के निर्माण के लिए भारत सरकार से सहयोग	शून्य	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन ने 92 योजनाओं के लिये कुल 3584.32 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया। जिसके सापेक्ष 69 योजनाओं के लिये 1340.34 करोड़ रुपये प्राप्त किये जा चुके हैं (मार्च 2009)।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.22 30 सितम्बर 2009 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) में विचार–विमर्श हेतु लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में सम्मिलित समीक्षाओं तथा प्रस्तरों की स्थिति निम्नलिखित हैं।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कुल समीक्षायें एवं प्रतिवेदन		समीक्षाऐं एवं प्रस्तर जिन पर चर्चा हुयी	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1982-83	5	50	4	49
1983-84	4	60	2	60
1984-85	2	14	1	14
1985-86	6	22	5	22
1986-87	3	28	2	25
1987-88	8	23	7	23
1988-89	5	22	4	22
1989-90[19]	-	-	-	-
1990-91	6	21	2	3
1991-92	4	38	0	6
1992-93	5	33	3	9
1993-94	5	31	2	17
1994-95	5	41	1	32
1995-96	7	39	5	20
1996-97	8	40	2	30
1997-98	5	67	3	21
1998-99	5	26	3	14
1999-2000	4	41	3	23
2000-01	5	34	4	33
2001-02	4	34	0	3
2002-03	4	38	2	6
2003-04	4	26	1	7
2004-05	4	27	1	7
2005-06	6	34	2	4
2006-07	5	32	1	12
2007-08	4	29	0	0
योग	**123**	**850**	**60**	**462**

अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2009 की अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने 13 बैठकें की तथा 2005–06 तथा 2006–07 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दो समीक्षाओं तथा 12 प्रस्तरों पर विचार–विमर्श किया।

[19] कोपू द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1989–90 में सन्दर्भित छः समीक्षाऐं तथा 14 प्रस्तर पूर्ण चर्चा की गयी।

अध्याय-II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं

2.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तापीय विद्युत गृहों में पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार के क्रियाकलाप

कार्यकारी सारांश

राज्य में नये तापीय विद्युत गृहों (टीपीएस) के निर्माण के लिए 1980 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 31 मार्च 2009 को कम्पनी के पास 4032 मेगावाट की अवक्षरित क्षमता के सात टीपीएस थे। इन टीपीएस की कई इकाईयाँ अपने उपयोगी कार्यकारी जीवन के 25 वर्ष पूरी कर चुकी हैं तथा उनमे से कुछ बहुत लम्बे समय से बन्द पड़ी हैं जिसकी वजह से राज्य में विद्युत की भीषण कमी हो गई हैं।

परियोजना नियोजन एवं प्रतिवेदन निरूपण

आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार क्रियाकलापों में, टीपीएस की इकाई की समस्याओं को चिन्हित करना, तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदनों की तैयारी, इन कार्यों से प्राप्त होने वाले लाभों को अर्पित करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) की तैयारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारण्टी के विरुद्ध, गतिविधि की अनुमानित लागत के 70 प्रतिशत के बराबर ऋण की स्वीकृति पावर फाइनेन्स कारपोरेशन देता है तथा शेष निधि की आवश्यकता आन्तरिक स्रोतों या राज्य सरकार से ऋण लेकर पूरी की जाती है। कम्पनी के दोषपूर्ण नियोजन के कारण आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार के बन्दी अवधि के दौरान मुख्य उपकरण नही लगाये गये तथा सीईए के निर्देशों के उल्लंघन के कई दृष्टान्तो में वार्षिक अनुरक्षण अनुसूची का पालन नही किया गया। कम्पनी निष्पादन के धारणीय स्तरों को बनाये रखने में असमर्थ थी।

कार्यों का क्रियान्वयन

2363.52 करोड़ रुपये के आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार कार्य हरदुआगंज, पनकी, पारीछा, अनपारा 'ए', ओबरा 'ए' एवं 'बी' टीपीएस में किये गये थें। इनमें से अधिकांश कार्य उपकरणों/सामग्री की पूर्ति के साथ एकल कोटेशन के आधार पर बीएचईएल को दिये गये थे। इस प्रकार, प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर कार्य करवाने का उद्देश्य विफल हो गया था। हालांकि बीएचईएल के साथ बातचीत की गयी थी, किन्तु प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के अभाव में, कार्य की लागत को निम्नतम स्तर पर रखने के लिए की गई बातचीत का आधार निर्धारित नहीं किया जा सका। सामग्री क्रय में कमियों के दृष्टान्त, आर एण्ड एम कार्यों की खराब कोटि तथा जीर्णोद्धार कार्यों का देर से कार्यान्वयन भी पाया गया।

आरएण्डएम कार्यों के बाद का/जीर्णोद्धार निष्पादन का मूल्यांकन

आरएण्डएम/जीर्णोद्धार के बाद टीपीएस का निष्पादन अपेक्षित/सम्भावित स्तर से बहुत कम था। यह संकेत करता था कि आरएण्डएम/जीर्णोद्धार का कार्य कुशलतापूर्वक, मितव्ययितापूर्वक एवं प्रभावी रूप से नही किया गया था। मानको की प्राप्ति न होने के कारण यह 2006–07 से 2008–09 के दौरान 3031.11 करोड़ रुपये की हानि के रूप में परिणामित हुआ।

पर्यावरणीय मामला

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएफ) ने प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण के लिए बनाये गये नियामक मानदण्डों के अनुपालन के लिए, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निगम उत्तरदायित्व (सीआरईपी) पर अधिकार पत्र जारी किया (मार्च 2003)। अधिकार पत्र में नये ईएसपी को लगाना, सूखी फ्लाई ऐश (राख) का प्रबंधन एवं भण्डारण पद्धति का प्रावधान, राख के पानी की पुनःसंचरण पद्धति और दिसम्बर 2005 तक उत्सर्जन स्तरो की निगरानी के लिए अपारदर्शी पद्धति का प्रावधान था। कम्पनी, हांलाकि, अपने किसी भी टीपीएस में वर्णित कार्य को पूरा नही कर सकी (सितम्बर 2009)। परिणामस्वरूप, कम्पनी अपने किसी भी टीपीएस के लिए यूपीपीसीबी से वायु एवं जल सहमति प्राप्त नहीं कर सकी और केवल 2008–09 के लिए कम्पनी को 14.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त जल अधिभार से दण्डित किया गया।

प्रस्तावना

2.1.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन राज्य में नये तापीय विद्युत गृहों (टीपीएस) के निर्माण के लिए किया गया था। कम्पनी ने केवल एक फिरोज गाँधी ऊँचाहार तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण एवं संचालन किया। इस परियोजना को भी तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) के विद्युत देयों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को हस्तांतरित कर दी गई थी। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अंतरण योजना 2000 के अर्न्तगत यूपीएसईबी के विघटन के बाद 14 जनवरी 2000 को राज्य में टीपीएस के अनुरक्षण एवं संचालन का उत्तरदायित्व कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया गया।

कम्पनी, 31 मार्च 2009 को 4032 मेगावाट की सकल अवक्षरित क्षमता के सात टीपीएस का संचालन कर रही थी। 31 मार्च 2009 को टीपीएस की स्थापित अवक्षरित क्षमता और उनकी स्थापना की अवधि का विवरण निम्नवत् हैः

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	इकाई संख्या	स्थापित क्षमता	अवक्षरित क्षमता	संस्थापन के वर्ष
1.	ओबरा 'ए'	01	50	00[1]	जून 1967
		02	50	50	फरवरी 1968
		03	50	00[2]	अगस्त 1968
		04	50	00[2]	जून 1969
		05	50	00[2]	जून 1971
		06	100	94	जुलाई 1973
		07	100	94	दिसम्बर 1974
		08	100	94	सितम्बर 1975
2.	ओबरा 'बी'	09	200	200	जनवरी 1980
		10	200	200	जनवरी 1979
		11	200	200	दिसम्बर 1977
		12	200	200	मार्च 1981
		13	200	200	जुलाई 1982
3.	पनकी	03	110	105	नवम्बर 1976
		04	110	105	मार्च 1977
4.	हरदुआगंज	03	55	55	जनवरी 1972
		05	60	60	मार्च 1977
		07	110	105	मई 1978
5.	पारीछा	01	110	110	मार्च 1984
		02	110	110	फरवरी 1985
		03	210	210	नवम्बर 2006
		04	210	210	दिसम्बर 2007
6.	अनपारा 'ए'	01	210	210	मार्च 1986
		02	210	210	फरवरी 1987
		03	210	210	मार्च 1988
7.	अनपारा 'बी'	04	500	500	जुलाई 1993
		05	500	500	जुलाई 1994
	योग		**4265**	**4032**	

कम्पनी को टीपीएस का अन्तरण करते समय (जनवरी 2000), सभी इकाइयाँ जीर्णोद्धार अथवा पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) गतिविधियों के लिए अतिदेय हो चुकी थी। आरएण्डएम गतिविधियों का लक्ष्य संचालित इकाईयों में, जातीय दोषों, अभिकल्प–कमियाँ तथा उम्र बढ़ने के कारण होने वाली समस्याओ को, पुनःसुसज्जित करके, सुधार करके एवं नवीनतम तकनीकी/विधियों से उन्हे आवर्धित करकें समाधान करना होता है। टीपीएस में आरएण्डएम गतिविधियाँ इकाईयों की आवश्यकता एवं निष्पादन का निर्धारण करने के बाद 40 प्रतिशत या अधिक के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ[3]) पर संचालित होने की स्थिति में आरम्भ की जाती है। जबकि जीर्णोद्धार का लक्ष्य, उन इकाईयों का आर्थिक जीवन 15 से 20 वर्ष तक बढ़ाना होता है जिन्होने 20 वर्ष से अधिक की सेवा दी है अथवा 40 प्रतिशत[4] से कम के पीएलएफ पर संचालित हो रही है।

तदनुसार, कम्पनी ने 20 वर्ष या उससे अधिक जीवन पूरा करने वाली इकाईयों के जीर्णोद्धार तथा 10 वर्ष का जीवन पूरा करने वाली इकाईयों के आरएण्डएम तथा वार्षिक मरम्मत अनुसूची का कड़ाई से पालन करने का निर्णय एवं नियोजन किया।

वर्ष 1999–2000 में हरदुआगंज टीपीएस का पीएलएफ 17.67 प्रतिशत, पनकी टीपीएस का 38.92 प्रतिशत, पारीछा टीपीएस का 28.96 प्रतिशत एवं ओबरा 'ए' टीपीएस का 22.83 प्रतिशत ओबरा 'बी' का 45.20 प्रतिशत, अनपारा 'ए' टीपीएस का 62.58 प्रतिशत तथा अनपारा 'बी' टीपीएस का 91.80 प्रतिशत था। सीईए के निर्देशों के अनुसार, हरदुआगंज, पनकी, पारीछा तथा ओबरा 'ए' टीपीएस का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए था। जीर्णोद्धार

1 50 मेगावाट की इकाई संख्या 1, मई 2009 से संचालन योग्य हुई।
2 संचालन से इकाईयाँ हटा दी गई।
3 संयंत्र भार गुणंक (पीएलएफ) उत्पादन की संस्थापित उत्पादन क्षमता का वास्तविक उत्पादन से अनुपात है।
4 सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी मानकों के अनुसार।

गतिविधियों के स्थान पर कम्पनी ने हरदुआगंज, पनकी, पारीछा और ओबरा 'ए' (इकाई संख्या 6) टीपीएस का आर एण्ड एम गतिविधियों का नियोजन किया। आरएण्डएम के लिए नियोजित इकाईयों से सम्बन्धित विवरण, इन कार्यों पर किये गये व्यय को दर्शाती हुई आरएण्डएम कार्यों के प्रारम्भ व समापन की वास्तविक तिथि **परिशिष्ट–7** में समामेकित की गई हैं।

संगठनात्मक ढांचा

2.1.2 कम्पनी का प्रबन्धन एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक एवं तीन निदेशकों वाले निदेशक मण्डल में समाहित हैं। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का सर्वे सर्वा प्रभारी होता है तथा मुख्यालय/टीपीएस स्तर पर मुख्य अभियन्ताओं द्वारा सहायतित होता है। प्रत्येक टीपीएस पर आरएण्डएम और जीर्णोद्धार के कार्य का पर्यवेक्षण महाप्रबन्धक द्वारा किया जाता है और निगरानी कम्पनी के मुख्यालय की आरएण्डएम/जीर्णोद्धार शाखा द्वारा की जाती है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं प्रतिदर्श का आकार

2.1.3 जुलाई 2008 और अप्रैल 2009 के मध्य निष्पादित किया गया वर्तमान समीक्षा अनपारा 'ए', हरदुआगंज, पारीछा, ओबरा 'ए' (इकाई संख्या 6) तथा पनकी टीपीएस की आरएण्डएम गतिविधियों तथा ओबरा 'ए' (इकाई संख्या 1 से 5) एवं ओबरा 'बी' टीपीएस का सन्निहित करता है। समीक्षा में 2363.52 करोड़ रुपये के पूँजीगत परिव्यय को शामिल करते हुए, आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार के पहले और बाद की अवधि की आपूर्ति, प्रारम्भ व संचालनात्मक निष्पादन को सम्मिलित करती हुई, 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान 6 टीपीएस में की गई गतिविधियाँ आच्छादित थी **(परिशिष्ट–7)**।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.1.4 निष्पादन समीक्षा के मुख्य उद्देश्य, यह परीक्षण करना था किः

- टीपीएस (इकाईयों) का आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार, तकनीकी सम्भाव्यता व आर्थिक व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के पश्चात प्रारम्भ की गई थी।
- आरएण्डएम/जीर्णोद्धार गतिविधियाँ, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) सलाहकारों द्वारा सुझायी गई निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए प्रारम्भ की गई थी।
- अनुबन्ध प्रतिस्पर्द्धात्मक, उचित और पारदर्शी तरीके से तथा मितव्यतिता को उचित सम्मान देते हुए प्रदान किये गये थे।
- परियोजनाएं समय से अनुमानित परियोजना लागत अन्तर्गत ही क्रियान्वित की गई थी और क्रियान्वयन में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था।
- पुनर्नवीयत एवं आधुनिकीकृत/जीर्णोद्धारित इकाईयाँ, डीपीआर में पूर्वभारित लाभ प्रदान कर रहीं थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.1.5 लेखा परीक्षा ने निम्न मानदण्ड अपनाएः

- तापीय विद्युत गृहों का उत्पादन प्रतिवेदन।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तथा परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन तथा उनमे निर्धारित किय गये लक्ष्य।
- पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार के लिए किये गये अनुबन्ध।
- पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं कम्पनी के स्थायी तकनीकी आदेश।

लेखा परीक्षा की कार्यविधि

2.1.6 लेखा परीक्षा ने लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु मुख्यालय और टीपीएस पर अभिलखों/आँकड़ो का विश्लेषणों के लिए निम्नलिखित कार्यविधियों का मिश्रण अपनायाः

- सीईए/यूपीईआरसी/परामर्शदाता (एनटीपीसी)/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशक तत्वों की संवीक्षा।
- निदेशक मण्डल की सभाओ के सूक्ष्म एवं कार्यवृत्त का परीक्षण ।
- निविदा प्रपत्रों व समझौतो की संवीक्षा।
- आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार गतिविधियों से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा।
- प्रबन्धन के साथ अंतर्क्रिया।

लेखा परीक्षा के निष्कर्ष

2.1.7 आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार की निष्पादन समीक्षा से प्राप्त लेखा परीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगे आने वाले प्रस्तरों में की गई हैं। लेखा परीक्षा के निष्कर्ष प्रबन्धन को जून 2009 में प्रतिवेदित किये गये तथा प्रबन्धन के साथ निकासी सम्मेलन आयोजित किया गया (अगस्त 2009)। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय प्रबन्धन से प्राप्त उत्तर (जुलाई/सितम्बर 2009) तथा निकासी सम्मेलन में व्यक्त किये विचारों को ध्यान में रखा गया है।

परियोजना नियोजन और प्रतिवेदन निरूपण

2.1.8 आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार गतिविधियाँ टीपीएस की इकाई की समस्याओं को चिन्हित करना तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदनो का बनाना, कार्य का क्षेत्र, अनुमानित लागत, कार्य को पूर्ण करने के लिए समयावधि तथा इन कार्यों से प्राप्त होने वाले लाभो को दर्शाती हुई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनो (डीपीआर) की तैयारी को सन्निहित करती हैं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)/सीईए/राज्य सरकार से आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमति एवं समाशोधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था। समस्त जीर्णोद्धार गतिविधियों एवं मुख्य आरएण्डएम कार्यो के लिये शेष जीवन निर्धारण (आरएलए) का अध्ययन भी किया गया था। जीर्णोद्धार तथा आरएण्डएम के लिये, गतिविधि की अनुमानित लागत के 70 प्रतिशत के बराबर ऋण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई गारण्टी के विरुद्ध पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा स्वीकृत की जाती है तथा शेष निधि की आवश्यकता, आन्तरिक स्त्रोतो या राज्य सरकार से ऋण लेकर पूरी की जाती है। लेखा परीक्षा ने पाया कि हरदुआगंज एवं अनपरा 'ए' के प्रकरण में आरएण्डएम गतिविधियों के पश्चात् प्राप्त होने वाले इन लाभों का विश्लेषण टीपीएस की डीपीआर में नही किया गया था जबकि ओबरा 'ए' (इकाई संख्या 6) के मामले में, आरएण्डएम कार्यो को करने के लिए डीपीआर तैयार नही किया गया था।

कम्पनी के दोषपूर्ण नियोजन के कारण आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार बन्दी अवधि के दौरान मुख्य उपकरण नही लगाये गये तथा सीईए दिशानिर्देशो के उल्लंघन में कई दृष्टान्तो में टीपीएस की वार्षिक अनुरक्षण अनुसूची का पालन नही किया गया।

2.1.9 प्रबन्धन की सलाह से सीईए ने हरदुआगंज टीपीएस की इकाई संख्या 7 के जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित किया (अगस्त 2002) क्योंकि इकाई का पीएलएफ 2000–01 में 32.66 प्रतिशत तथा 2001–02 में 27.32 प्रतिशत था। प्रबन्धन ने, सीईए की अनुशंसाओ और निर्देशों पर ध्यान न देते हुए मई 2005 से जनवरी 2006 के दौरान 27.60 करोड़ रुपये व्यय करके इकाई का आरएण्डएम किया। डीपीआर में आरएण्डएम के बाद प्राप्त किये जाने वाल पीएलएफ के मानको के लिए कोई भी मानक तय नही किया गया था परन्तु यूपीईआरसी के मानको के अनुसार, इसे 2006–07 में 28 प्रतिशत, 2007–08 एवं 2008–09

में 40 प्रतिशत होना चाहिए था। इकाई बड़ी मुश्किल से 2006–07 में 23.79 प्रतिशत, 2007–08 में 31,11 प्रतिशत तथा 2008–09 में 39.48 प्रतिशत का पीएलएफ प्राप्त कर सकी। अंततः, प्रबन्धन ने 290.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत पर इकाई का जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया (मार्च 2009)। इस प्रकार, कुनियोजित आरएण्डएम के कारण 27.60 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2009) कि इकाई संख्या 7 बहुत पुरानी थी। उत्तर स्वयं सिद्ध है, जैसा कि प्रबन्धन इकाई के बहुत पुरानी होने के तथ्य से अवगत था। अतः इकाई के निम्न पीएलएफ होने के कारण सीईए के निर्देशानुसार इकाई का आरएण्डएम की जगह जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए था।

2.1.10 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशो (अप्रैल 2003) के अनुपालन में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स (ईएसपी) की स्थापना/मरम्मत, सभी टीपीएस में किया जाना चाहिए था। निदेशक मण्डल ने ओबरा 'ए' (इकाई संख्या 6) तथा पारीछा टीपीएस (इकाई संख्या 1 एवं 2) में नये ईएसपी लगाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया (दिसम्बर 2003)। नये ईएसपी को लगाने में संयंत्रो को 12 मास की अवधि की दीर्घकालिक बन्दी की आवश्यकता पड़ती है।

(i) लेखा परीक्षा ने पाया (फरवरी 2009) कि अप्रैल 2005 में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ओबरा 'ए' (इकाई संख्या 6) की आरएण्डएम योजना में, सीईए के आरएण्डएम अवधि के दौरान प्रबन्धन के ईएसपी लगाने के निर्देश के बावजूद, नये ईएसपी लगाने का प्रावधान नही किया गया था। वर्णित इकाई का आरएण्डएम मार्च 2008 में पूरा किया गया। ईएसपी को न लगाने से अब 64.75 करोड़ रुपये[1] मूल्य की न्यूनतम 333.74 एमयू की हानि होगी।

फर्म द्वारा जून 2007 से नवम्बर 2008 के दौरान आपूर्त ईएसपी बेकार पड़े हुए हैं क्योंकि इनको लगाने के लिए मशीनों को पुनः 12 माह के लिए बन्द करने की आवश्यकता पड़ती, जिसका नियोजन कम्पनी द्वारा नही किया गया है (जुलाई 2009)।

पारीछा टीपीएस में मई 2002 में, इकाई संख्या 1 एवं 2 का आरएण्डएम का कार्य कम्पनी द्वारा प्रारम्भ किया गया और जून 2006 में पूरा किया गया। कम्पनी ने आरएण्डएम कार्य के पूर्ण होने के बाद, अक्टूबर 2006 में 9.50 करोड़ रुपये के कमीशन प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, 40.50 करोड़ रुपये के ओपासिटी मानीटर के साथ ईएसपी की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रारम्भ करने का आदेश बीएचईएल को दिया। फर्म द्वारा जून 2007 से नवम्बर 2008 के दौरान आपूर्त ईएसपी बेकार पड़े हुए है क्योंकि इन्हे लगाने के लिए मशीनो को पुनः बन्द करने की आवश्यकता पड़ती है जिसका नियोजन अभी तक कम्पनी द्वारा नही किया गया है (नवम्बर 2009)। इस प्रकार खराब नियोजन के कारण ईएसपी की प्राप्ति पर व्यय की गयी 31 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध हो गई तथा कम्पनी को 132.33 करोड़ रुपये[2] मूल्य की 567.94 एमयू की उत्पादन हानि वहन करनी पड़ेगी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2009) कि

- ओबरा के मामले में, नये ईएसपी को लगाने के लिए उपलब्ध स्थान पर्याप्त नही था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ओबरा टीपीएस में पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए बनायी गई समिति ने उपलब्ध फाउण्डेशन को पर्याप्त पाया था और समय व धन बचाने के लिए नये ईएसपी के स्तम्भ को लगाने के लिए उपलब्ध फाउण्डेशन को प्रयोग में लाने की अनुशंसा की थी।

- पारीछा टीपीएस में ईएसपी लगाने का निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा अप्रैल 2006 में लिया गया था और इसे लगाने का आदेश अक्टूबर 2006 में निर्गत हुआ था जबकि आरएण्डएम का कार्य जून 2006 में पूर्ण हो गया था, अतः इसे आरएण्डएम की अवधि में नही लगाया जा सका। उत्तर संतोषजनक नही हैं क्योंकि ईएसपी लगाने का निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा पहले ही दिसम्बर 2003 में लिया जा चुका था परन्तु ईएसपी की प्राप्ति के प्रस्ताव की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण इसे आरएण्डएम के समय लगाया नही जा सका।

1 40.54 प्रतिशत के पीएलएफ पर आधारित (2006–07)।

2 58.94 प्रतिशत पीएलएफ पर आधारित (2006–07)।

(ii) भाप एंव जल विश्लेषण प्रणाली (एसडब्ल्यूएएस) ब्वायलर में प्रयुक्त होने वाले जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करती है और समुचित परिचालन की निगरानी के लिए यह एक आवश्यक प्रणाली है। कम्पनी ने, दिसम्बर 2006 में और फरवरी 2007 में इन्स्ट्रूमेशन लिमिटेड, कोटा पर हरदुआगंज टीपीएस में 24.20 लाख रुपये से और ओबरा 'ए' टीपीएस में 111.26 लाख रुपये से एसडब्ल्यूएएस की आपूर्ति, संस्थापन तथा प्रारम्भ करने का क्रयादेश निर्गत किया। ये प्रणालियाँ क्रमशः मई 2007 व नवम्बर 2007 में प्राप्त हुई परन्तु बेकार पड़ी है क्योंकि इन्हें लगाया तथा संस्थापित नही किया जा सका (मार्च 2009)। प्रणाली न लगाने तथा संस्थापित न करने के परिणामतः 1.35 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध हुई।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि एसडब्ल्यूएएस उपकरण, हरदुआगंज टीपीएस में अब खड़ा कर लिया गया है व अगस्त 2009 तक संस्थापित हो जाने की आशा है (अभी तक अपूर्ण, नवम्बर 2009) जबकि ओबरा 'ए' टीपीएस में इसे इकाई संख्या 7 एवं 8 की बड़ी मरम्मत के दौरान लगाया जायेगा। एसडब्ल्यूएएस के लगाने/न लगाने में देरी, समुचित नियोजन के अभाव का संकेतक है जिसके कारण 1.35 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध हो गई एवं वांछित लाभ प्राप्त नही हो पाये।

सभी टीपीएस की इकाईयों का वार्षिक अनुरक्षण 3 से 4 वर्षों के अन्तराल पर किया गया था जिसके कारण मशीनो की दशा लगातार क्षरित होती गई और जरूरी बन्दी का कारण बना तथा बार–बार आरएण्डएम करना पड़ा।

2.1.11 निष्पादन के दीर्घकालीन वहनीय स्तरों को सुनिश्चित करने हेतु, यह आवश्यक है कि आवधिक अनुरक्षण अनुसूचियों का पालन किया जाय। उपकरण की कुशलता एवं उपलब्धता वार्षिक अनुरक्षण एवं उपकरण की वार्षिक मरम्मत अनुसूचियों के कड़ाई से पालन पर निर्भर करती है। अनुसूची के पालन न करने पर उपकरण द्वारा अधिक कोयला, ईंधन–तेल के उपभोग तथा जरूरी बन्दी का अधिक भय रहता है जिसके कारण आरएण्डएम कार्यों की आवश्यकता पड़ती है। ये कारण उपकरणों की कम उपलब्धता के चलते विद्युत उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी करते है जिसके कारण सकल विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है।

लेखा परीक्षा में देख गया (जनवरी 2009) कि सभी टीपीएस की इकाईयों का वार्षिक अनुरक्षण एक से चार वर्ष की देरी से किया गया था **(परिशिष्ट–8)**। देर से अनुरक्षण के कारण यंत्रो की दशा लगातार बेकार होती गई जिसके कारण जरूरी बन्दी[1] व बार–बार आरएण्डएम करना पड़ा। इसके फलस्वरूप तेल, कोयले के बढ़े हुए उपभोग तथा विद्युत उत्पादन की हानि की चर्चा निष्पादन समीक्षा में अन्यत्र की गई है।

कार्य का क्रियान्वयन

2363.52 करोड़ रुपये के आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार के कार्य एकल निविदा के आधार पर बीएचईएल को प्रदान किये गये थे जिससे कार्य को प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर करवाने का उद्देश्य विफल हो गया।

2.1.12 2363.52 करोड़ रुपये लागत के आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार कार्य अनपरा 'ए', ओबरा 'ए' एवं 'बी' टीपीएस में बीएचईएल द्वारा एकल निविदा आधार पर करवाए गये। इस प्रकार, प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर कार्य करवानें का लक्ष्य पूरा नही हो पाया था। हालाँकि बीएचईएल के साथ वार्ता की गई थी, किन्तु प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के अभाव में कार्य की लागत को निम्नतम स्तर पर रखने के लिए की गई वार्ता का आधार निर्धारित नही किया जा सका। आरएण्डएम गतिविधियों में, ब्यावलर, टरबाइन जेनरेटर, बाउल मिल्स, 6.6 केवी आक्सीलर्स, ब्रेकर, सीएण्डआई उपकरण तथा कोयला हैण्डलिंग प्लांट के यंत्र–उपकरणों से सम्बन्धित कार्य शामिल थे। ये उपकरण मूल निर्माता अथवा अन्य निर्माताओं से या तो प्राप्त किये जाने थे अथवा सुधरवाये जाने थे जो संयंत्र उपलब्धता गुणंक, पीएलएफ में सुधार, ईंधन उपभोग तथा ऑक्जीलरी उपभोग की कमी को लक्षित करके, मूल संयंत्र के अप्रचलित उपकरणों/स्पेयर्स के लिए उपकरणों के संशोधित रूपांतरण प्रदान कर सके तथा जो पर्यावरणीय दशाओं में भी सुधार करें। लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये सामग्री खरीद में कमियों, आरएण्डएम कार्यों का खराब कोटि तथा जीर्णोद्धार कार्यों का देर से कार्यान्वयन के दृष्टान्त, निम्नवत् हैं।

1 जबरन बन्दी प्रणाली के ब्रेक डाउन के कारण संयंत्र का निर्धारित अवधि से अधिक बंद होना है।

सामग्री खरीद

2.1.13 क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सामग्री की खरीद क्रय नियमावली के अनुसार सामग्री की आवश्यकता का समुचित निर्धारण करने के पश्चात् की जानी चाहिए। लेखा परीक्षा ने पाया कि आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए निम्नलिखित खरीद में क्रय मानको का अनुपालन नही किया गया।

कम्पनी ने पनकी टीपीएस के लिए पीएफसी से अनुमोदित विक्रेताओं से ऑयल सर्वोमीटर आफ गवर्निंग तथा इंटरसेप्टर वाल्व की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की (अप्रैल 2001)। प्रतयुत्तर में बीएचईएल व स्कोडा (मूल उपकरण निर्माता) ने निविदा में भाग लिया। निविदा को अन्तिम रूप देते समय, स्कोडा द्वारा भेजी गई मूल्य बोली (भाग II) को, अर्नेस्ट मनी को वांछित स्वरूप में प्रस्तुत न करने के आधार पर संज्ञान में नही लिया गया तथा कम्पनी द्वारा, बीएचईएल को 70 लाख रुपये का आदेश दिया गया (फरवरी 2002)। लेखा परीक्षा ने देखा (मार्च 2009) कि एल.पी रोटर व बारिंग गियर असेम्बली की खरीद के लिए निकाले गये दो अतिरिक्त निविदाओं के मामले में स्कोडा की मूल्य बोली (भाग II) खोली गई (अक्टूबर 2002) और उनकी दरें 0.49 करोड़ रुपये (6.80 करोड़ रुपये – 6.31 करोड़ रुपये) तथा 0.34 करोड़ रुपये (0.70 करोड़ रुपये – 0.36 करोड़ रुपये) से कम पायी गई। अर्थात बीएचईएल द्वारा प्रस्तुत किये गये दरो की तुलना में क्रमशः 7.7 प्रतिशत व 97 प्रतिशत थी, जबकि फर्म ने इन निविदाओं में भी अर्नेस्ट मनी को निर्धारित स्वरूप में प्रस्तुत नही किया था। यह इंगित करता है कि कम्पनी ने निविदाओं को अन्तिम रूप देते समय, समरूप प्रक्रिया का पालन नही किया तथा फलस्वरूप प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों को प्राप्त करने में विफल रही।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2009) कि एल.पी रोटर्स व बारिंग गियर असेम्बली की निविदाओं के मामले में, स्कोडा ने एक या दूसरे रूप में अर्नेस्ट मनी प्रस्तुत किया था जबकि सर्वोमीटर के मामले में फर्म ने अर्नेस्ट मनी प्रस्तुत नही किया था। उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि दोनो मामलों में फर्म ने अपेक्षित स्वरूप में अर्नेस्ट मनी नही प्रस्तुत किया था।

कम्पनी ने बीएचईएल से बातचीत द्वारा परिनिश्चित मूल्य 6.80 करोड़ रुपये मे रोटर प्राप्त करने का निर्णय किया (मार्च 2003) जिसके कारण रोटर को 0.49 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करके अधिक लागत पर क्रय करना पड़ा।

2.1.14 पनकी टीपीएस की 110 मेगावाट की टरबाइन के लिए एल.पी रोटर की अध्यापित के लिए पीएफसी से अनुमोदित विक्रेताओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे (अप्रैल 2001)। उत्तर में दो फर्मों अर्थात स्कोडा, मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) तथा बीएचईएल ने अपने प्रस्ताव भेजे। बीएचईएल ने 7.18 करोड़ रुपये उद्घृत किया (जुलाई 2001) जबकि स्कोडा द्वारा भेजी गई मूल्य बोली के अनुसार सामान्य आयात के मामलों में 50.80 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क को सम्मिलित करके कुल लागत 7.77 करोड़ रुपये थी और आरएण्डएम योजना के अन्तर्गत विद्युत परियोजना के लिए क्रय के मामले में 21.80 प्रतिशत की रियायती दर पर सीमा शुल्क को सम्मिलित करके लागत 6.31 करोड़ रुपये थी बशर्ते कि भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाय। फिर भी, कम्पनी ने बीएचईएल से बातचीत द्वारा निश्चित 6.80 करोड़ रुपये की लागत पर रोटर प्राप्त करने का निर्णय किया (मार्च 2003)।

प्रबन्धन का सीमा शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाकर, आदेश न देने का निर्णय 0.49 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करके बीएचईएल से अधिक लागत पर रोटर के क्रय में फलित हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2009) कि कम्पनी की संस्थापित प्रथाओं एवं मानको के अनुसार, लेटर आफ क्रेडिट खोलकर डॉलर में भुगतान करना सम्भव नहीं था। उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि कम्पनी ने बेन्टली नेवादा, यूएसए से अनपरा 'बी' टीपीएस के लिए 'अपग्रेडेड कंडीशन मानीटरिंग सिस्टम' खरीदा था और लेटर आफ क्रेडिट एकाउन्ट खोलकर विदेशी मुद्रा में भुगतान किया था।

आरएण्डएम कार्यों की खराब कोटि

2.1.15 बीएचईएल ने 24.55 करोड़ रुपये की लागत पर इकाई संख्या 5 का आरएण्डएम प्रारम्भ किया (मई 2005) और इकाई को 26.05.08 को समकालिक बनाया गया। इकाई को ब्यावलर एवं टरबाइन में निरन्तर समस्याओं के कारण स्थिर नही किया जा सका और 26

26 मई 2008 से 28 सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान इकाई संख्या पाँच, 67 बार ट्रिप किया जिसके कारण 7 करोड़ रुपये के ईंधन तेल एवं हल्के डीजल तेल के असाधारण उपभोग के साथ–साथ 12.17 करोड़ रुपये मूल्य वाले 30.43 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई।

मई 2008 से 28 सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान यह 67 बार ट्रिप किया। इन ट्रिपिंग्स के कारण 7 करोड़ रुपये मूल्य के फ्यूल आयल तथा लाइट डीजल आयल के असामान्य उपभोग के साथ–साथ 1284.41 घण्टो के लिए जबरन बन्दी करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप 12.17 करोड़ रुपये* की मूल्य वाली 30.43 मिलियन यूनिट के सम्भावित उत्पादन की हानि हुई। फर्म (बीएचईएल) को निर्गत एलओआई में किसी दण्ड अथवा वसूली उपबन्ध के अभाव में, यह हानि वसूल नही की जा सकी।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2009) कि इकाई संख्या 5 नौ वर्षों के पश्चात् संस्थापित की गई थी तथा पुरानी इकाईयों का पुर्नसंस्थापन एक कठिन कार्य था इसलिए संस्थापन के दौरान कई बार ट्रिपिंग हुई। उत्तर संतोषजनक नही हैं क्योंकि इकाई के इमरजेंसी स्टॉप वाल्व (ईएसवी) के त्रुटिपूर्ण व्यवहार को बीएचईएल के अभियन्ताओं द्वारा सुलझाया नही जा सका इसलिए प्रबन्धन ने बीएचईएल से ऐसे अभियन्ताओं के दल की प्रतिनियुक्ति की प्रार्थना की (जुलाई 2008) जो दोषों को पहचाननें एवं सुधारने के लिए 60 मेगावाट टरबाइन तकनीकी में विशेष योग्यता रखते हो। यह प्रदर्शित करता है कि बीएचईएल ने ऐसे दल से काम करवाया था जो 60 मेगावाट टरबाइन में विशेष योग्यता नही रखता था। बीएचईएल द्वारा किये गये कार्य की खराब गुणवत्ता के कारण, कम्पनी को 12.17 करोड़ रुपये की उत्पादन हानि के अतिरिक्त, तेल के असाधारण उपभोग के कारण 7 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

कम्पनी ने फरवरी 2008 में, ओबरा 'बी' टीपीएस की इकाई संख्या 12 के ब्वायलर प्रेशर भाग की मुख्य मरम्मत का कार्य 4.12 करोड़ रुपये में बीएचईएल को दिया। इकाई को ओवरहालिंग के लिए 9 जुलाई 2008 से 7 सितम्बर 2008 तक बन्द कर दिया गया।

यह पाया गया (जनवरी 2009) कि ओवरहालिंग के पूर्व, ब्वायलर ट्यूब लीकेज (बीटीएल) के कारण मार्च 2008 से जून 2008 की अवधि के दौरान 148.06 घण्टे (औसतन 37 घण्टे प्रति माह) की बन्दी थी जबकि ओवरहालिंग के बाद, सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2008 के दौरान यह 419.74 घण्टे तक बढ़ गई (औसतन 105 घण्टे प्रति माह)। यह प्रदर्शित करता था कि इकाई की ओवरहालिंग पर 4.12 करोड़ रुपये का किया गया व्यय बीटीएल को नही रोक सका जिसके कारण 3.24 करोड़ रुपये मूल्य की 17.80 मिलियन यूनिट की उत्पादन की हानि हुई और ओवरहालिंग पर व्यय किया गया धन निरर्थक सिद्ध हुआ।

जीर्णोद्धार के कार्यों का देर से क्रियान्वयन

कम्पनी ने ओबरा 'बी' टीपीएस की 200 एमडब्ल्यू की 5 इकाईयों के जीर्णोद्धार के लिए बोलियॉ आमंत्रित की (1998)। बोलियाँ खोली गई थी (अक्टूबर 1999) और पीपीआईएल निम्मतम बोलीदाता पायी गई। पीपीआईएल ने 638.75 करोड़ रुपये में कार्य पूरा करने का प्रस्ताव दिया परन्तु इसे पीपीआईएल को नही दिया गया।

2.1.16 कम्पनी ने ओबरा 'बी' टीपीएस की 200 एमडब्लयू की 5 इकाईयों के जीर्णोद्धार के लिए बोलियॉ आमंत्रित किया (1998)। बोलियाँ अक्टूबर 1999 में खोली गई और मेसर्स पीपीआईएल द्वारा उद्घृत 638.75 करोड़ रुपये मूल्य को निम्नतम पाया गया। निदेशक मण्डल ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं नियामक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त फर्म (पीपीआईएल) को आशय पत्र (एलओआई) निर्गत करने का निर्णय किया (नवम्बर 2001)। दिसम्बर 2001 में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने योजना को अनुमोदित किया। इसी बीच में, द्वितीय निम्नतम बोलीदाता मेसर्स एलस्टांग पॉवर इण्डिया लिमिटेड ने अपने 648.26 करोड़ रुपये के पहले के प्रस्ताव को 581.26 करोड़ रुपये तक कम कर दिया (दिसम्बर 2001)। इस कारण से, कम्पनी द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया और राज्य सरकार ने उपरोक्त बोलियों को निरस्त करने का निर्णय लिया (अगस्त 2004) और इसके स्थान पर, बीएचईएल को कार्य सौंप दिया।

बातचीत के पश्चात् बीएचईएल 1175.00 करोड़ रुपये की लागत पर कार्य करने पर सहमत हो गई।

बीएचईएल 1175.00 करोड़ रुपये की लागत पर कार्य करने को सहमत हुआ। कार्य जिसे शून्य तिथि (20 जून 2006) से 30 माह के अन्दर अर्थात 20 दिसम्बर 2008 तक पूरा हो जाना था, नवम्बर 2008 में प्रारम्भ हुआ और अभी तक प्रगति में हैं (नवम्बर 2009)।

लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि दिसम्बर 2001 में निम्नतम् बोलीदाता (पीपीआईएल) को कार्य न सौंपने के कारण तथा फिर मई 2006 में बीएचईएल को देर से कार्य सौंपने के

* 39.48 प्रतिशत पीएलएफ पर आधारित (2008–09)।

कारण, कम्पनी को ओबरा 'बी' टीपीएस के जीर्णोद्धार पर 536.25 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा। प्रबन्धन ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (जुलाई 2009) कि बीएचईएल को कार्य राज्य सरकार के निर्देश पर सौंपा गया था। तथ्य यही रहा कि कार्य सौंपने में देरी का निर्णय 2008–09 तक के पाँच वर्षो के लिए 451.32 करोड़ रुपये मूल्य के 2803.20 एमयू के सम्भावी उत्पादन की हानि के अतिरिक्त 536.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत के रूप में परिणामित हुआ।

कम्पनी ने ओबरा 'ए' टीपीएस की 50 एमडब्ल्यू की क्षमता की 5 इकाईयों के जीणोद्धार के लिए मेसर्स टेक्नो प्रोम एक्सपोर्ट (टीपीई), रूस के साथ 479.50 करोड़ रुपये का समझौता किया (फरवरी 2003)। समझौते में इकाई संख्या 1 एवं 2 का जीर्णोद्धार जनवरी 2005 तक (चरण I), इकाई संख्या 3 का जुलाई 2005 (चरण II) एवं इकाई संख्या 4 एवं 5 का जनवरी 2006 (चरण III) तक पूर्ण होना पूर्वाभासित था। चरण II एवं III के अन्तर्गत इकाईयों का जीर्णोद्धार चरण I के पूर्ण होने के बाद प्रारम्भ किया जाना था।

टीपीई ने चरण I के अन्तर्गत इकाई संख्या 1 एवं 2 का जीर्णोद्धार प्रारम्भ किया (जुलाई 2003) किन्तु अनुबन्ध को पूर्ण किये बिना बीच में ही कार्य रोक दिया (फरवरी 2006)। फर्म के बीजकों से 64.14 लाख रुपये का दण्ड काट लिया गया (अप्रैल 2006)।

इकाई संख्या 1 एवं 2 (चरण I) का कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित किये बिना, चालू दशा में इकाई संख्या 4 एवं 5 (चरण III) टीपीई को सौंप दिये गयें और 74.72 लाख रुपये की लागत से तोड़ दिये गयें।

टीपीई के साथ पुनः, एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ (अप्रैल 2006) जिसमे कम्पनी द्वारा पहले काटे गये दण्ड की वापसी तथा नवम्बर 2006 तक चरण I के कार्य को पूर्ण करने का प्रावधान था। टीपीई पुनः जनवरी 2008 तक बढ़ी हुई अवधि में कार्य पूर्ण करने में असफल रहा। समझौता समाप्त कर दिया गया (मार्च 2008) तथा चरण I का शेष कार्य कम्पनी द्वारा 186.36 करोड़ रुपये का व्यय करके पूर्ण करवाया गया (मई 2009)। परन्तु, कम्पनी ने अनुबन्ध भंग के लिए टीपीई से दण्ड वसूल करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से कोई कार्यवाही नही की। दिसम्बर 2008 में टीपीई की प्रार्थना पर (नवम्बर 2008) कम्पनी द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया गया। टीपीई द्वारा कम्पनी के पास 217.33 करोड़ रुपये का दावा पंजीकृत किया गया (जनवरी 2009)। जवाब में टीपीई के विरुद्ध 371.88 करोड़ रुपये (अक्टूबर 2009) व 54.41 लाख यूएस डालर का दावा किया।

लेखा परीक्षा ने पाया कि (जनवरी 2009) कि इकाई संख्या 1 एवं 2 का कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित किये बिना टीपीई को इकाई संख्या 3, 4 एवं 5 सौंप दी गई थी (सितम्बर 2005)। इकाई संख्या 4 एवं 5 चालू दशा में थी तथा विद्युत उत्पादित कर रही थी किन्तु 74.72 लाख रुपये की लागत से तोड़ दी गई। टीपीई, फर्म के स्वयं के कारणो से आनुबांधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रही। कार्य के क्रियान्वयन में देरी को दृष्टिगत रखते हुए, सीईए ने कम्पनी को निर्देश दिया (अगस्त 2007) कि इकाई संख्या 3, 4 एवं 5 पर और निवेश करने की आवश्यकता नही थी। फरवरी 2008 में, ये इकाईयाँ सीईए द्वारा इस आधार पर हटा दी गई कि फर्म की लगातार असफलता के कारण, ये इकाईयाँ लम्बे समय से असंचालन योग्य हो गई थी। इस प्रकार, इकाई संख्या 1 एवं 2 का कार्य पूर्ण होने के पूर्व, इकाई संख्या 3, 4 एवं 5 को सौंपने का प्रबन्धन का अविवेकी निर्णय, सितम्बर 2005 से अगस्त 2007 के दौरान 217.87 करोड़ के मूल्य वाले 1124.352 एमयू के सम्भावी उत्पादन की हानि के रूप में फलित हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2009) कि कार्य के हित में टीपीई से दण्ड की वसूली नही की गई थी और अब टीपीई से वसूली योग्य अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत, मध्यस्थ के समक्ष पंजीकृत किये गये दावो में शामिल किया गया हैं। इकाई संख्या 3, 4, एवं 5, टीपीई को जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी लाने हेतु सौंपी गई थी क्योंकि ये इकाईयाँ बहुत ऊँची लागत पर विद्युत का उत्पादन कर रही थी तथा कार्य करने के लिए असुरक्षित थी। उत्तर संतोषजनक नही हैं क्योंकि अनुमोदित जीर्णोद्धार योजना के अनुसार, इकाई संख्या 3, 4 एवं 5 चरण I के कार्य (अर्थात इकाई संख्या 1 एवं 2) के पूर्ण होने के बाद सौंपी जानी थी जिसे सुनिश्चित नही किया गया। इस प्रकार, अनुबन्धकर्ता का अनुचित रूप से पक्ष लिया गया तथा इकाई 3, 4, एवं 5 को तोड़ने को सहमत होकर कम्पनी के वित्तीय हितों की

अनदेखी की गई, इन इकाईयों से होने वाला विद्युत का न्यूनतम उत्पादन भी बन्द हो गया और राज्य ओबरा (इकाई संख्या 3, 4 एवं 5) से होने वाली बहुमूल्य विद्युत से अगले 15/20 वर्षों के लिए वंचित रह गया जो जीर्णोद्धार गतिविधि के स्वयं के उद्देश्यो को कुंठित करने में परिणामित हुआ।

ओबरा 'ए' टीपीएस (इकाई संख्या 1 एवं 2) के लिए सीएण्डआई प्रणाली का कार्य, इनस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (भारत सरकार का उपक्रम) को दिया गया जिसका 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की तिथि अर्थात जून 2008 से 4 महीनों में अक्टूबर 2008 तक पूर्ण हो जाना आशान्वित था परन्तु फर्म जनवरी 2009 तक कार्य पूर्ण नही कर सकी। नियत तिथि (अक्टूबर 2008) पर इकाई संख्या 1 एवं 2 का कार्य पूरा करने में आईएल, कोटा के कारण हुई देरी, नवम्बर 2008 से जनवरी 2009 के दौरान 37.62 करोड़ रुपये के मूल्य की 176.64 एमयू के उत्पादन की हानि के रूप में फलित हुई। समझौते में दण्ड उपबन्ध के अभाव में, आईएल, कोटा पर देर से कार्य पूरा करने के लिए कोई दण्ड नही लगाया जा सका।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2009) कि आईएल, कोटा ने सरकारी कम्पनी होने के कारण देर से अनुबन्ध के क्रियान्वयन पर दण्ड उपबन्ध को स्वीकार नही किया। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि प्रबन्धन ने अनुबन्ध में ऐसे उपबन्ध को शामिल करने हेतु कोई वार्ता नही की थी।

आरएण्डएम/जीर्णोद्धार के बाद के निष्पादन का मूल्यांकन

आरएण्डएम/जीर्णोद्धार को करने के बाद टीपीएस का निष्पादन योजनाओं में पूर्वाभासित मानको के अनुसार नही पाया गया। यह 2006–07 से 2008–09 के दौरान 3033.27 करोड़ रुपये की हानि के रूप मे परिणामित हुई।

2.1.17 आरएण्डएम/जीर्णोद्धार योजना में टीपीएस में ऑक्जीलरी का उपभोग, ऊष्मा दर, तेल, कोयला पीएलएफ तथा उत्पादन लागत के लिए मानक पूर्वाभासित किये जाते हैं। पारीछा, पनकी तथा ओबरा 'ए' टीपीएस ने आरएण्डएम अवधि के बाद के लिए डीपीआर में मानक तक किये थे जबकि हरदुआगंज व अनपारा 'ए' टीपीएस ने योजनाओं[1] में कोई मानक तय नहीं किया था। इन मानको के विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	मानक					
		ऑक्जीलरी (प्रतिशत में)	ताप (कैल/केडब्ल्यूएच)	तेल (एमएल/केडब्ल्यूएच)	कोयला (किग्रा/केडब्लयूएच)	पीएलएफ (प्रतिशत में)	उत्पादन लागत (रुपये/केडब्ल्यूएच)
1.	ओबरा 'ए'	11.0	3000	4.0	0.89	65.0	1.66
2.	पनकी	13.0	2950 से 3100	8.0	0.84	55.0	1.97
3.	हरदुआगंज	11.0 से 11.5	3300 से 3450	4.5 से 5.0	0.87 से 0.97	28.0 से 40.0	2.23 से 2.33
4.	पारीछा	10.0	3100 से 3250	10.0	0.85	60.0	2.04
5.	अनपारा 'ए'	8.0 से 8.5	2500	2.0	0.79 से 0.91	75.0 से 80.0	0.89

लेखा परीक्षा ने पाया (मई 2009) कि आरएण्डएम/जीर्णोद्धार को करने के बाद टीपीएस का निष्पादन आशान्वित/पूर्वाभासित से बहुत कम था। यह संकेत करता है कि आरएण्डएम/जीर्णोद्धार के कार्य कुशलतापूर्वक, मितव्ययिता से एवं प्रभावी रूप से नही किये गये थें यह मानको की अप्राप्ति के कारण 2006–07 से 2008–09 के दौरान 3031.11 करोड़ रुपये की हानि के रूप में फलित हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

अधिक ऑक्जीलरी उपभोग

2.1.18 डीपीआर/यूपीईआरसी के अनुसार, प्रत्येक टीपीएस के सम्बन्ध में तय किये गये ऑक्जीलरी उपभोग[2] के मानक और 2006–07 से 2008–09 की अवधि के दौरान उनके विरुद्ध प्राप्तियाँ **परिशिष्ट–9** में दी गई है। विश्लेषण प्रकट करता है कि सिवाय पनकी के (2008–09) कोई भी टीपीएस ऑक्जीलरी उपभोग आरएण्डएम के बाद की अवधि के लिए

1 निष्पादन निर्धारण के लिए जहॉ कोई मानक तय नही किय गये है, यूपीईआरसी के मानक आधार के रूप मे लिये गये हैं।
2 संयंत्र को चलाने के लिए प्रयुक्त विद्युत।

निर्धारित मानको के अन्तर्गत नही रख सका। कथित अवधि के दौरान अधिक ऑक्जीलरी उपभोग का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	अवधि	अधिक उपयोग की गई यूनिट (एमयू में)	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	ओबरा 'ए'	2008-09	14.32	3.05
2.	पनकी	2006-07 से 2007-08	7.57	1.80
3.	हरदुआगंज	2006-07 से 2008-09	87.27	29.82
4.	पारीछा	2006-07 से 2008-09	194.67	52.58
5.	अनपारा 'ए'	2006-07 से 2008-09	258.89	35.08
	योग		**562.72**	**122.33**

अधिक ऑक्जीलरी उपभोग का कारण मुख्यत मशीनो की वार्षिक अनुरक्षण अनुसूची के अनुपालन में असफलता यथा **परिशिष्ट–8** में विवरणित है, किसी भी टीपीएस में ईएसपी का न लगाना विशुद्ध वॉटर पम्प और आईडी फैन इत्यादि का खराब निष्पादन था। यह इंगित करता है कि आरएण्डएम/जीर्णोद्धार गतिविधियॉ कुशलतापूर्वक सम्पादित नही की गई थी जिसके कारण 122.33 करोड़ रुपये मूल्य वाली 562.72 एमयू की अधिक ऊर्जा का उपभोग हुआ।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि देर से ओवरहालिंग होने के कारण मशीनों को आंशिक भार पर जबरन चलाना पड़ा जो कि कम उत्पादन और परिणामतः ऑक्जीलरी के उच्च प्रतिशत उपभोग के रूप में फलित हुआ।

अधिक ऊष्मा का उपभोग

2.1.19 विद्युत गृह की तापीय कुशलता एक सूचंकाक है जो तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की कुशलता को मापती हैं जिसे उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन में समाहित तापीय ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में सूचित किया जाता है। डीपीआर में तय मानको के अनुसार प्रत्याभूत तापीय–कुशलता न प्राप्त होने के कारण, कोयले के संदर्भ में अधिक उपभोग की गयी ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए यूपीईआरसी द्वारा तय की गई ताप दर का प्रयोग किया जाता था। कोयले के संदर्भ में लक्षित ऊष्मा दर, उपभोग की गयी ऊष्मा एवं ऊष्मा के अधिक उपभोग का विवरण **परिशिष्ट–10** में दिया गया है।

परिशिष्ट का विश्लेषण इंगित करता है कि 2007–08 में अनपारा 'ए' के सिवाय कोई भी टीपीएस आरएण्डएम के बाद की अवधि के लिए तय मानको के अन्दर ऊष्मा दर को कायम नही रख सका। यह, सन्दर्भित अवधि के दौरान, नीचे दिये गये विवरणानुसार अधिक ऊष्मा उपभोग में फलित हुआः

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	अवधि	अधिक उपभोगित ऊष्मा (कि. कैलोरी में)	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	ओबरा 'ए'	2008-09	135626	5.79
2.	पनकी	2006-07 से 2008-09	1345480	74.30
3.	हरदुआगंज	2006-07 से 2008-09	735917	46.36
4.	पारीछा	2006-07 से 2008-09	993392	51.74
5.	अनपारा 'ए'	2006-07 से 2008-09	1285183	36.98
	योग		**4495598**	**215.17**

ऊष्मा के अधिक उपभोग के कारण, बिना जले कार्बन के रूप में बर्बादी, चूर्णित कोयला क्षय और तली की राख का कम न होना तथा ईएसपी को न लगाने से कोयले की सूखी राख का कम न होना, इस तथ्य की ओर संकेत करता था कि आरएण्डएम/जीर्णोद्धार की गतिविधियाँ कुशलतापूर्वक सम्पादित नही की गई थीं इसके कारण 215.17 करोड़ रुपये मूल्य की 44.96 लाख कैकेल ऊष्मा का अधिक उपभोग हुआ।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि आंशिक भारण एवं अन्य मजबूरियों के कारण, ताप का उपभोग मानको से अधिक था तथा आरएण्डएम कार्यो से इकाई के भार–गुणांक में सुधार नही हुआ।

तेल का अधिक उपभोग

2.1.20 डीपीआर/यूपीईआरसी के अनुसार प्रत्येक टीपीएस के सम्बन्ध में तेल के उपभोग के लिए तय मानक तथा वास्तविक तेल का उपभोग, औसत तेल का उपभोग एवं 2006–07 से 2008–09 की अवधि के दौरान उत्पादित ऊर्जा को **परिशिष्ट–11** में दर्शाया गया है। परिशिष्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि आरएण्डएम के बाद की अवधि के पश्चात् पनकी एवं अनपारा 'ए' टीपीएस, तेल का उपभोग मानको के अन्तर्गत रख सके तथा अन्य तीन टीपीएस तेल उपभोग को रोकने में असफल रहें। कथित अवधि के दौरान तेल के अधिक उपभोग का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	अवधि	अधिक उपभोग किया गया तेल (कि.ली. में)	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	ओबरा 'ए'	2008-09	1781.11	6.09
2.	हरदुआगंज	2006-07 से 2008-09	11532.56	34.42
3.	पारीछा	2006-07 से 2008-09	3098.49	9.73
	योग		**16412.16**	**50.24**

लेखा परीक्षा ने ज्ञात किया कि तेल का अधिक उपभोग यंत्रो की बार–बार ट्रिपिंग के कारण था। टीपीएस की ट्रिपिंग प्रतिवेदनों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि उत्पादन करने वाली इकाईयों ने वॉयलर नली में लीकेज, फरनेस ड्राफ्ट में उतार–चढ़ाव और ईएसवी* समस्याओं के कारण वर्ष 2006–07 में 246 बार, 2007–08 में 219 एवं 2008–09 में 185 बार ट्रिपिंग का सामना किया। इस प्रकार, आरएण्डएम/जीर्णोद्धार गतिविधियाँ तेल उपभोग में मितव्ययिता नही ला सकी और जिसके कारण 50.24 करोड़ रुपये के मूल्य के 16412.16 कि.ली तेल का अधिक उपभोग फलित हुआ। प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा का दृष्टिकोण स्वीकार किया (सितम्बर 2009)।

कोयले का अधिक उपभोग

2.1.21 उपभोग किये गये कोयले, उत्पादित विद्युत, प्रति उत्पादित इकाई पर औसत कोयले का उपभोग, अधिक उपभोग का विवरण **परिशिष्ट–12** में दिया गया हैं। परिशिष्ट का विश्लेषण संकेत करता है कि अनपारा 'ए' के सिवाय कोई भी इकाई (2006–07 तथा 2007–08 में) आरएण्डएम के बाद की अवधि के लिए तय मानको के अन्दर कोयले का उपभोग नही रख सकी। परिणामस्वरूप कथित अवधि के दौरान कोयले के अधिक उपभोग का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	अवधि	अधिक उपभोग किया गया कोयला (एमटी में)	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	ओबरा 'ए'	2008-09	38128	5.30
2.	पनकी	2006-07 से 2008-09	215851	43.58
3.	हरदुआगंज	2006-07 से 2008-09	63907	38.88
4.	पारीछा	2006-07 से 2008-09	170605	36.46
5.	अनपारा 'ए'	2008-09	9165	10.17
	योग		**497656**	**134.39**

यह पाया गया कि तेल का अधिक उपभोग एअर प्रीहिटर बास्केट के अवरुद्ध होने व फरनेस ड्राफ्ट में उतार–चढ़ाव के कारण था जिसे ईएसपी को लगाकर रोका जा सकता था परन्तु उसे नही लगाया गया। इसके अतिरिक्त, विद्यमान राख प्रबन्धन प्रणालियाँ पूर्ण भार निकासी का निपटान करने में सक्षम नही थी जिसके कारण 134.39 करोड़ रुपये मूल्य के 4.98 लाख एमटी कोयले का अधिक उपभोग हुआ।

* इमरजेंसी स्टॅप वाल्व।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि इकाईयाँ बहुत पुरानी थी तथा कोयले की गुणवत्ता खराब थी जिसके कारण कोयले का अधिक उपभोग हुआ और उपभोग को कम करने के प्रयास किय जा रहे है। उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि प्राप्त कोयले का औसत ग्रेड/कोटि आरएण्डएम के पहले और बाद की अवधि के दौरान वही था। आरएण्डएम गतिविधियाँ पुरानी इकाईयों के निष्पादन को सुधारने के लिए प्रारम्भ की गई थी परन्तु यह उद्देश्य आरएण्डएम/जीर्णोद्धार के बाद भी पूरा नही हो सका।

पीएलएफ की अप्राप्ति

2.1.22 लक्षित पीएलएफ, प्राप्त पीएलएफ, उत्पादन और उत्पादन की हानि **परिशिष्ट–13** में दिया गया है। तालिका संकेत करती है कि अनपारा 'ए' (2006–07 एवं 2008–09 में) और ओबरा 'ए' (इकाई संख्या 6, 2008–09 में) के सिवाय कोई भी टीपीएस, आरएण्डएम के बाद की अवधि के लिए तय पीएलएफ प्राप्त नही कर सकी जिसके फलस्वरूप कथित अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	अवधि	पीएलएफ की कमी के कारण उत्पादन में कमी (एमयू में)	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	पनकी	2006-07 से 2008-09	82.60	19.74
2.	हरदुआगंज	2006-07 से 2008-09	358.46	108.27
3.	पारीछा	2006-07 से 2008-09	663.34	181.66
4.	अनपारा 'ए'	2007-08	377.94	49.51
	योग		**1482.34**	**359.18**

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि निम्न पीएलएफ प्रायः ट्रिपिंग व संयंत्रो में रुकावट के कारण था। उत्तर, स्वतः स्वीकारक है कि आरएण्डएम/जीर्णोद्धार के बाद भी यंत्रो की रुकावट कम नहीं हुई।

उत्पादन लागत

2.1.23 पारीछा तथा पनकी टीपीएस की आरएण्डएम योजना में उत्पादन की प्राप्त की जाने वाली लागत पूर्व लक्षित थी जबकि अन्य टीपीएस में आरएण्डएम के बाद प्राप्त की जाने वाली उत्पादन की लागत पूर्वलक्षित नहीं थी। लेखा परीक्षा को ओबरा 'ए', हरदुआगंज व अनपारा 'ए' टीपीएस के मामले में विश्लेषण के लिए यूपीईआरसी द्वारा उत्पादन लागत के लिए तय मानक अपनाने पड़े और पारीछा एवं पनकी टीपीएस के मामले में विश्लेषण के लिए डीपीआर के मानक लिये गये थे। लक्षित उत्पादन की लागत, इसकी प्राप्ति और उत्पादन लागत की अप्राप्ति के कारण, हानि **परिशिष्ट–14** में दी गई है। तालिका संकेत करती है कि कोई भी टीपीएस, उत्पादन लागत को आरएण्डएम के बाद की अवधि के लिए तय मानको के अन्दर नहीं रख सका।

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	अवधि	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	ओबरा 'ए'	2008-09	107.30
2.	पनकी	2006-07 से 2008-09	426.16
3.	हरदुआगंज	2006-07 से 2008-09	560.90
4.	पारीछा	2006-07 से 2008-09	496.09
5.	अनपारा 'ए'	2007-08	559.35
	योग		**2149.80**

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2009) कि इकाईयाँ, कई प्रतिबन्धों, जैसे कन्डेन्सर वैक्यूम, कोयले की गुणवत्ता एवं 2007–08 में ओवरहालिंग के कारण तेल के अधिक उपभोग के फलस्वरूप पूर्ण भार पर नहीं चल सकी जिससे उत्पादन की लागत बढ़ गई। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा बताये समस्त प्रतिबन्ध यूपीईआरसी द्वारा उत्पादन की लागत को निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया था।

पर्यावरणीय मामला

2.1.24 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार (जीओआई), ने प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण के लिए बनाये गये नियामक मानदण्डों के अनुपालन के लिए, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निगम उत्तरदायित्व (सीआरईपी) पर अधिकार पत्र प्रारम्भ किया (मार्च 2003)। अधिकार पत्र ने जल, ऊर्जा के संरक्षण, रसायनों के दोहन, प्रदूषण में कमी, विषाक्त प्रदूषकों को हटाने, अवशेष जिन्हे पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित तरीके से निपटाया जाना था, के प्रक्रियन एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित लक्ष्य तय किये थें। अधिकार पत्र अत्यधिक प्रदूषण वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगो में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्रियात्मक बिन्दू सूचित करता है। दिसम्बर 2003 में निदेशक मण्डल ने अपने सभी टीपीएस में सीआरईपी के प्रावधान लागू करने का निश्चय किया, जिसमे शामिल थाः

- विद्यमान ईएसपी का प्रतिस्थापन
- सूखी फ्लाई राख के प्रबन्धन एवं भण्डारण प्रणाली का प्रावधान
- राख के पानी के पुनर्संचरण प्रणाली का प्रावधान
- उत्सर्जन स्तरों की निगरानी के लिए अपारदर्शी मीटरों का प्रावधान।

इन कार्यों को दिसम्बर 2005 तक पूर्ण हो जाना आवश्यक था परन्तु इसे किसी भी टीपीएस द्वारा पूर्ण नही किया जा सका। (सितम्बर 2009)। मार्च 2009 तक, इन पर्यावरणीय कार्यो, जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं, पर 173.86 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका था।

कम्पनी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से अपने किसी भी टीपीएस के लिए सहमति प्राप्त नही कर सकी जो यूपीपीसीबी को जल अधिभार पर 14. 24 करोड़ रुपये के परिहार्य भुगतान के रूप में फलित हुआ।

यह पाया गया कि कम्पनी एमओईएफ, जीओआई के निर्देशानुसार ईएसपी, सूखी फ्लाई निष्कासन प्रणाली, एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट व कूलिंग टावर्स को न लगा सकी जिसके कारण यह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से अपने किसी भी टीपीएस के लिए सहमति न प्राप्त कर सकी। परिणामस्वरूप, यूपीपीसीबी ने वर्ष 2008–09 के लिए 14.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जल अधिभार दण्ड के रूप में लगाया।

अभिस्वीकृति

2.1.25 निष्पादन लेखा परीक्षा को विभिन्न स्तर पर संचालित करते समय प्रबन्धन के सहयोग एवं मदद को लेखा परीक्षा अंगीकार करती है।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा निष्कर्षों को सरकार को मई अगस्त 2009 प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2009)।

निष्कर्ष

- **कम्पनी ने तकनीकी–आर्थिक औचित्य प्रतिवेदन की प्रस्तुति, डीपीआर का अनुमोदन, कार्य देने हेतु निविदा आमंत्रित करने हेतु समय ढाँचा का संकेत करती हुई, आरएण्डएम तथा जीर्णोद्धार गतिविधियाँ करने हेतु कोई विस्तृत योजना नही बनायी।**
- **कम्पनी के दोषपूर्ण नियोजन ने, आरएण्डएम एवं जीर्णोद्धार बन्दी अवधियों के दौरान मुख्य उपकरण लगाने विषयक, सीईए के निर्देशो का अनुपालन नहीं किया।**
- **कई मामलों में टीपीएस के वार्षिक अनुरक्षण अनुसूचियों के पालन न होने से यंत्रो की दशा में खराबी व जबरन बन्दी हुई।**
- **ओबरा 'ए' टीपीएस की इकाई संख्या 3, 4, एवं 5 अनुबन्धकर्ता को सौंप दी गई, और इकाई संख्या 1 एवं 2 पर कार्य पूर्ण करवायें बिना, तोड़ दी गई।**
- **आक्जीलरी, ताप, तेल एवं कोयले के उपभोग के लिए तय मानको को प्राप्त न कर पाने के कारण कम्पनी का निष्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ जिससे आरएण्डएम के बाद की अवधि में उत्पादन की ऊँची लागत रही।**

- कम्पनी ने उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के मानको का पालन नहीं किया जिसके कारण इसे अपने किसी भी टीपीएस के लिए वायु एवं जल हेतु सहमति नहीं प्राप्त हो सकी।

उपरोक्त के कारण जीर्णोद्धार तथा पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य विफल हो गयें।

संस्तुतियाँ

- चयनित आरएण्डएम/जीर्णोद्धार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए, कम्पनी को मील के पत्थर का संकेत करती हुई विस्तृत योजना बनानी चाहिए।
- कम्पनी को आरएण्डएम/जीर्णोद्धार गतिविधियों के क्रियान्वयन में विस्तृत योजना के पालन की निगरानी के लिए एवं निर्णयन प्रक्रिया में देरी को न्यूनतम करने के लिए प्रणाली बनानी चाहिए। प्रणाली में, समय से सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए, की जाने वाली आरएण्डएम/जीर्णोद्धार गतिविधियों के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।
- कम्पनी को उत्पादन की हानि से बचने के लिए ऐसे कार्यों जिनमे आरएण्डएम योजना के अन्तर्गत यंत्रो की दीर्घकालिक बन्दी की आवश्यकता पड़ती है जैसे ईएसपी एवं एसउब्ल्यूएएस का लगाना, की पहचान करनी चाहिए।
- कम्पनी को यंत्रो की दशा को और खराब होने से बचाने के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुसूची का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- कम्पनी को एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने के लिए एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक दरो को प्राप्त करने के लिए खुली निविदा प्रणाली को अपनाना चाहिए।
- कम्पनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए और अपने सभी टीपीएस के लिए वायु, जल सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

2.2 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा में राजस्व बिलिंग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली

कार्यकारी सारांश

दक्षिणांचल विद्युत विरण निगम लिमिटेड, आगरा (कम्पनी) का गठन उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में ऊर्जा के वितरण के मुख्य उद्देश्य से किया गया। कम्पनी की बिलिंग बाह्य स्रोत से की गई और कम्पनी के उपभोक्ताओं की बिलिंग समय–समय पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशों के अनुसार की जा रही थी।

आईटी नियन्त्रण

कम्पनी ने एक विधिवत आईटी नीति नहीं बनाई और अभिलेखित की। कम्पनी के डाटाबेस का रखरखाव बाह्य बिलिंग एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है और साफ्टवेयर के विकास एवं सही बिलिंग के अनुश्रवण के लिए कोई स्पष्ट उत्तरदायित्व विद्यमान नहीं है। कम्पनी के पास आपदा पुर्नलाभ एवं व्यवसाय निरन्तरता योजना नहीं थी और विभिन्न बाह्य एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त डाटाबेस संरचनाओं में अन्तर था। इसके परिणामस्वरूप, बिलिंग साफ्टवेयर में फार्मूला का गलत प्रयोग, डाटाबैंक में काल्पनिक एवं दोहरे अभिलेख के प्रकरण थे।

टैरिफ आदेशों का अनुपालन

दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग में टैरिफ आदेशों के प्रावधान लागू नहीं किये गये। परिणामस्वरूप नौ खण्डों में 31.85 करोड़ रुपये का अधिक निर्धारण हुआ। टैरिफ आदेशों के गलत प्रयोग के कारण विनविख, फतेहाबाद के ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं की 0.79 करोड़ रुपये से अधिक बिलिंग हुई। विनिविख, फिरोजाबाद ने उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के स्थान पर नियत यूनिटों पर बिल किया जिससे 2.20 करोड़ रुपये अल्प निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त वास्तविक उपभोग के स्थान पर उपभोक्तओं की बिलिंग 'एडीएफ' की तरह की गई जिससे 47.81 लाख रुपये की अधिक बिलिंग हुई। विनविख–तृतीय, आगरा ने घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर नियत प्रभार नहीं लगाया जिससे 56.14 लाख रुपये का अल्प निर्धारण हुआ। कम्पनी ने एनए/एनआर श्रेणी में बिल किये गये उपभोक्ताओं पर 13.49 करोड़ रुपये का दण्ड प्रभारित नहीं किया। चार खण्डों के द्वारा 24.05 लाख रुपये का वातानुकुलन प्रभार नहीं लगाया गया। विविख–तृतीय, अलीगढ़ एवं विविख, फतेहाबाद ने ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं पर 10. 87 लाख रुपये का नियत प्रभार गलत लगाया। कम्पनी ने प्रतिभूति राशि पर 50.64 लाख रुपये के ब्याज का लाभ नहीं दिया।

अनुश्रवण व्यवस्था

कम्पनी बिलिंग एजेन्सियों के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन कराने में असफल रही। परिणामस्वरूप पाँच खण्डों में 4.48 लाख उपभोक्ताओं के बिल नही बनाये गये। परिणामस्वरूप 23.59 लाख करोड़ रुपये का निर्धारण नहीं किया जा सका। विनविख–चतुर्थ एवं सप्तम्, आगरा ने वास्तविक उपभोग के स्थान पर उपभोक्ताओं की बिलिंग 63 यूनिट से की। विनविख–पंचम, आगरा में 31.12 लाख रुपये के बकाये वाले 29 उपभोक्ता बिना बकाया भुगतान के डाटाबेस से हटाये गये और विनविख–चतुर्थ, आगरा में दोहरी बिलिंग की गई। 251 से 172580 यूनिट प्रति माह के उपभोग के बावजूद पाँच खण्डों द्वारा घरेलू बत्ती एवं पंखा उपभोक्ताओं में ज्यादा उपभोग के प्रकरण चिन्हित नहीं किये गये। वाणिज्यिक विवरणों एवं बिलिंग डाटाबेस के आँकड़ो में भिन्नता थी। 41.91 लाख रुपये की लागत से तैयार भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण का उपयोग नहीं किया गया।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

कम्पनी द्वारा बाह्य एजेन्सियों को दी गई बिलिंग प्रणाली में सुरक्षा विशेषताओं, समान डाटा संरचना, बिलों/प्रतिवेदनो को बनाने हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी आईटी नियन्त्रण नही थे। अपर्याप्त अनुप्रयोग नियन्त्रण अभिपुष्टि नियन्त्रण सहित यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों को प्रणाली में गलत एवं अनुचित ढंग से समाहित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कम/अधिक बिलिंग हुई। कम्पनी को एक आईटी नीति, आपदा एवं व्यवसाय निरन्तरता योजना बनानी चाहिए। डाटाबेस के सतत अनुश्रवण के द्वारा टैरिफ आदेशों का अनुपालन एवं बाह्य एजेन्सियों द्वारा समान डाटा संरचना का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना

2.2.1 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (कम्पनी) का गठन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की सहायक कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के 17 जिलों[1] में उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण करने के लिये किया गया था।

1 आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, झाँसी, बाँदा, उरई, हमीरपुर, कानपुर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, महोबा, ललितपुर, हाथरस एवं मैनपुरी।

कम्पनी के उपभोक्ता मुख्यतः दो श्रेणियों यथा अति उच्च विभव एवं उच्च विभव[1] (एचटी) एवं अल्प विभव[2] (एलटी) में विभाजित थे और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेशो के तहत बिल किये जा रहे थे।

नवम्बर 2008 तक एचटी उपभोक्ताओं की बिलिंग प्राइज वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा विकसित इनर्जी बिलिंग सिस्टम (ईबीएस) द्वारा और दिसम्बर 2008 से साई कम्प्यूटर्स, मेरठ द्वारा विकसित 'स्मृति' साफ्टवेयर से की जा रही थी। एलटी उपभोक्ताओं की बिलिंग बाह्य स्रोत से की जा रही थी, जो निजी एजेन्सियों को दिया गया था और दो विधियों, ओपीजी, नई दिल्ली द्वारा आईबीएम पैटर्न से एवं साई कम्प्यूटर्स, मेरठ एवं सीएस साफ्टवेयर, हैदराबाद द्वारा हैण्डहैल्ड (एचएच) पैटर्न द्वारा की जा रही थी। आईबीएम पैटर्न में कम्पनी के कम्प्यूटर बिलिंग सर्विस सेन्टर (सीबीएससी) द्वारा इनपुट (जिसमे उपभोक्ता, उपभोग एवं भुगतान सम्बन्धी जानकारी होती हैं) स्टब के रूप में बिल बनाने के लिए भेजे जाते है। हैण्डहैल्ड पैटर्न में निजी बिलिंग एजेन्सियाँ अपने कर्मचारियों को हैण्डहैल्ड मशीन के साथ तैनात करती है जो उपभोक्ताओं के द्वार पर ऊर्जा का उपभोग फीड करते हैं, बिल बनाते हैं और यदि उपभोक्ता चाहे तो उनसे चेक भी इकठ्ठा करते हैं।

ओपीजी की बिलिंग 'यूनिक्स' आपरेटिंग सिस्टम के साथ 'कोबोल', पर आधारित थी, साई कम्प्यूटर एसक्यूएल सर्वर 2000 को बैक एण्ड एवं विजियूल बेसिक को फ्रन्ट एण्ड की तरह उपयोग करता, तथा सीएस साफ्टवेयर 'ओरेकल' का उपयोग कर रहा था।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2.2 कम्पनी एक निदेशक मण्डल (बोओडी) द्वारा संचालित की जाती है जिसमे एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक जोकि कम्पनी का मुख्य कार्यकारी होता है, और जिसकी सहायता के लिए महाप्रबन्धक (वित्त), महाप्रबन्धक (तकनीकी) एवं महाप्रबन्धक (वाणिज्य) मुख्यालय पर तैनात हैं। कार्यक्षेत्र पाँच क्षेत्रों[3], 20 मण्डलों एवं 52 वितरण खण्डों जो क्रमशः मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं और अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा देखे जा रहे थे। कम्पनी के पास कोई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विंग नही था और निजी बिलिंग एजेन्सियों का कार्य मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा देखा जा रहा था।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.3 आईटी समीक्षा के उद्देश्य से 52 वितरण खण्डों में से आगरा, अलीगढ़ एवं मथुरा शहरों के 12 वितरण खण्डों के जिनमें 488162 उपभोक्ता थे, के नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि के डाटाबेस का 'आइडिया' साफ्टवेयर के प्रयोग से विश्लेषण किया गया।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

2.2.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना, अभिलिखित रणनीति एवं सूचना प्रौद्योगिकी योजना, मुख्य नियन्त्रण एवं अनुश्रवण व्यवस्था है जिससे इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली के लाभ प्राप्त किये जा सके;
- रुकावट के खतरो से बिलिंग गतिविधि को बचाने के लिए व्यवसाय निरन्तरता एवं आपदा पुर्नलाभ योजना थी;
- बिलिंग प्रक्रिया की परिशुद्धता, दक्षता एवं कार्य साधकता के दृष्टिकोण से बिलिंग अनुपालनो में पर्याप्त आईटी नियन्त्रण थे;
- कम्पनी के पास लागू टैरिफ आदेशों, संहिता के प्रावधानों, प्रचलित क्रियाविधि एवं यूपीईआरसी द्वारा जारी नियमों को अनुपालन हेतु पर्याप्त अनुश्रवण व्यवस्था है।

1 ईएचटी एवं एचटी का अर्थ 6.6केवी और उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त उपभोक्ताओं से हैं।
2 एलटी का अर्थ 400 वोल्ट तक वोल्टेज पर अपूर्ति प्राप्त उपभोक्ताओ से हैं।
3 आगरा, अलीगढ़, बाँदा झाँसी एवं कानपुर।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.2.5 यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या उपरोक्त वर्णित उद्देश्य प्राप्त किये गये, निम्नांकित लेखा परीक्षा मानदण्डों का प्रयोग किया गया:

- वित्तीय हितो एवं निष्पादन की सुरक्षा हेतु कम्पनी एवं बाह्य एजेन्सियों के बीच हुये अनुबन्ध;
- आपूर्ति संहिता 2005 में निर्दिष्ट शर्तें;
- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित टैरिफ आदेश;
- आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था द्वारा प्रणालीगत कमियों की पहचान हेतु प्रणालीगत अभिगम।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.2.6 राजस्व बिलिंग से सम्बन्धित डाटा बैंक का विश्लेषण आईडिया साफ्टवेयर द्वारा किया गया जिससे आँकड़ो की शुद्धता, पूर्णता एवं अक्षुण्णता का परीक्षण किया जा सके। आईटी नियन्त्रणों के अस्तित्व एवं पर्याप्तता तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली की कार्य साधकता भी मूल्यांकित की गई।

राजस्व हानियों/क्षय को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी नियन्त्रणों की पर्याप्तता को मूल्यांकित करने के लिए वितरण खण्डों पर भौतिक अभिलेखों का डाटाबेस पर उठाये गये प्रश्नो के परिणामों से परस्पर जाँच की गई।

लेखा परीक्षा सीमायें

2.2.7 नवम्बर 2008 तक एचटी उपभोक्ताओं की बिलिंग प्राइज वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा विकसित इनर्जी बिलिंग सिस्टम तथा दिसम्बर 2008 से साई कम्प्यूटर द्वारा विकसित 'स्मृति' साफ्टवेयर द्वारा किया जा रहा है। स्मृति साफ्टवेयर द्वारा बिल किये जा रहे एचटी उपभोक्ताओं का डाटाबेस, यद्यपि 16 मार्च 2009 को आयोजित इन्ट्री कानफ्रेन्स में प्रबन्धन द्वारा प्रदान करने की सहमति प्रकट की गई थी फिर भी उपलब्ध नही कराया गया। परिणामस्वरूप, इसकी पर्याप्तता के साथ इसकी शुद्धता लेखा परीक्षा में जाँची नहीं जा सकी।

पुनः, इस साफ्टवेयर के निर्माण में हुये व्यय के साथ निर्मित सम्पत्तियों का विवरण भी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा कि मासिक बिलों की सीडी खण्ड स्तर पर रखी जाती है पर यह तथ्य है कि लेखा परीक्षा को कोई डाटाबेस नहीं दिया गया।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.2.8 निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा आपत्तियाँ आगे के अनुच्छेदों में प्रस्तुत की गई हैं:

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

2.2.9 एक सही प्रभावी एवं मितव्ययी बिलिंग हेतु कम्पनी के पास नियन्त्रण व्यवस्था, अभिलिखित आईटी योजना, डाटाबैंक के रखरखाव पर नियंत्रण, सभी वितरण खण्डों में एक समान डाटा संरचना, सूचना की सुरक्षा, दोष व्यवहार रीति एवं आडिट ट्रेल होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

बिलिंग एजेन्सियों के पास अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं संरचना की अपर्याप्तता

2.2.10 यद्यपि कम्पनी अपनी स्थापना से ही कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली अपनाये हुये थी फिर भी इसने अपने साफ्टवेयर विकसित करने और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण हेतु समय सीमा, मुख्य निष्पादन सूचकों एवं लागत लाभ विश्लेषण को समाहित करते हुये एक

विधिवत आईटी नीति एवं दीर्घ/मध्यम कालीन आईटी रणनीति नही बनाई और अभिलिखित की। उपभोक्ताओं का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस बाह्य एजेन्सियों द्वारा रखा जाता था। बाह्य एजेन्सियों के साफ्टवेयर के विकास/संचालन तथा उपभोक्ताओं की सही बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ कोई योजना/स्टीयरिंग कमेटी, नहीं थी।

बिलिंग एजेन्सियों द्वारा प्रभावी बिलिंग हेतु पर्याप्त अभिसंरचना जैसे हैण्डहैल्ड मशीनें, कम्प्यूटर, सर्वर प्रिन्टर और योग्य कर्मचारी रखे जाने थे। लेखा परीक्षा एवं प्रबन्धन के संयुक्त निरीक्षण (अप्रैल 2009) में पाया गया कि मथुरा में सीएस साफ्टवेयर के पास स्थानीय रूप से बिल बनाने के लिये कोई प्रणाली नहीं थी और यह उनके हैदराबाद स्थित मुख्यालय में करके कोरियर द्वारा मथुरा के स्थानीय कार्यालय को भेजे जाते थे।

लेखा परीक्षा आपत्तियों पर प्रबन्धन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

आईटी सुरक्षा नति की अपर्याप्तता

2.2.11 कम्पनी ने अपनी सूचना सम्पत्तियों, साफ्टवेयर और डाटाबैंक की सुरक्षा के लिये आईटी सुरक्षा नीति नहीं बनाई। लेखा परीक्षा में पाया गया किः

- बाह्य एजेन्सी द्वारा उपभोक्ता सेवाओं, मीटर एवं मीटर पठन, भुगतान, अनादृत चेकों, नये उपभोक्ताओं का जुड़ना, बकाया, निर्धारण में समायोजन से सम्बन्धित मास्टर डाटा में किये गये परिवर्तन कम्पनी के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किसी पर्यवेक्षकीय समीक्षा के अधीन नहीं थे जिससे परिवर्तनों को डाटाबैंक में समाहित करने के पूर्व अधिकृत किया जा सके।
- एक बाह्य एजेन्सी से दूसरी बाह्य एजेन्सी को उपभोक्ता आकँड़े स्थानांतरित करना समीक्षाधीन नहीं था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक एजेन्सी का अन्तिम डाटा दूसरी एजेन्सी के प्रारम्भिक डाटा से मेल खा रहा है, क्योंकि उनके साथ किये गये अनुबन्धों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
- काल्पनिक बुक नम्बरों, मास्टर डाटाबैंक से उपभोक्ता हटाने, दोहरे एवं अविश्वसनीय अभिलेख स्वीकारने, एवं ज्यादा बकाये वाले उपभोक्ताओं की गलत स्थिति की देखरेख के लिए कोई नियन्त्रण विधि/प्रणाली नहीं थी।

लेखा परीक्षा आपत्तियों पर प्रबन्धन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

आँकड़ो में एकरूपता का अभाव

2.2.12 यद्यपि पीडब्ल्यूसी ने बिलिंग एजेन्सियों द्वारा एकरूप डाटा संरचना अपनाने के दृष्टिकोण से फील्ड्स, फील्ड्स का विवरण, आँकड़ो की इकाई, फील्ड की श्रेणी, लम्बाई, गणितीय फील्ड की लम्बाई एवं सन्दर्भ तालिका को समाहित करते हुये साफ्टवेयर एवं उसका प्रयोक्ता मैनुअल विकसित किया था, लेकिन ये डाटा संरचना या कोई अन्य उपयुक्त डाटा संरचना का प्रावधान बिलिंग एजेन्सियो के अनुबन्ध में नहीं था। इस प्रकार के किसी प्रावधान के अभाव में बिलिंग एजेन्सियों ने एकदम अलग डाटा संरचना अपनाई और किसी भी एजेन्सी ने भार (अश्वशक्ति/किलोवाट/केवीए) की इकाई जैसा कि पीडब्ल्यूसी के डाटा संरचना में था, इंगित नहीं किया। अतः अनुबन्ध में बिलिंग हेतु एकरूप डाटा संरचना के अभाव के कारण विभिन्न कमियों जैसे दोहरे उपभोक्ता, दोहरे मीटर, काल्पनिक उपभोक्ता, उपभोक्ताओं के विरुद्ध अधिक/कम बिलिंग देखी गई जिनका विवरण आगे के अनुच्छेदों में किया गया हैं।

अश्वशक्ति से केवीए में भार परिवर्तन के लिए गलत विधि का प्रयोग किया गया जिससे 0.48 करोड़ रुपये अतिभारित एवं 0.02 करोड़ रुपये कम भारित हुए।

बिलिंग साफ्टवेयर में भार परिवर्तन हेतु गलत विधि का प्रयोग

2.2.13 टैरिफ आदेश (2008–09) के सामान्य प्रावधान में यह निहित है कि 25 अश्वशक्ति एवं अधिक के अनुबन्धित भार वाले सभी लघु एवं मध्यम पावर उपभोक्ताओं हेतु केवीएएच आधारित टैरिफ लगाई जानी थी। तद्नुसार, अश्वशक्ति के भार को केवीए में परिवर्तित करना था जिसकी विधि यथा हैः एचपी×0.746/0.90 (औसत पावर फैक्टर)= केवीए में भार।

यह पाया गया कि टैरिफ प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण बिलिंग एजेन्सी द्वारा भार परिवर्तन की विधि गलत अपनायी गई थी। परिणामस्वरूप, 25 बीएचपी एवं अधिक भार वाले 17,617 लघु एवं मध्यम उपभोक्ताओं में, भार परिवर्तन की गलत विधि जैसे एचपी भार और 0.746 के गुणनफल को पूर्णांक में परिवर्तित करके केडब्ल्यू बनाया गया और उसको केवीए में लाने के लिए 0.90 से भाग दिया गया, अपनाई गई। इस प्रकार से इन उपभोक्ताओं के नियत प्रभार गलत संगणित किये गये और उनसे नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 के दौरान 52 खण्डों में 0.48 करोड़ रुपये अधिक भारित किये गये।

पुनः 31,750 प्रकरणों में अश्वशक्ति भार का परिवर्तन किया गया जबकि उनका भार 25 अश्वशक्ति से कम था और इन प्रकरणों में भार परिवर्तन आवश्यक नहीं था। इसके फलस्वरूप 0.02 करोड़ रुपये का नियत प्रभार अल्प भारित किया गया।

लेखा परीक्षा आपत्तियों पर प्रबन्धन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

अल्प शक्ति गुणांक के प्रकरणों में चेतावनी प्रणाली का अभाव

2.2.14 बिलिंग हेतु निर्मित एवं प्रयुक्त साफ्टवेयर लघु एवं मध्यम पावर उपभोक्ताओं के प्रकरणो में पावर फैक्टर 0.75 से नीचे जाने के सन्दर्भ में प्रत्येक माह स्वतः चेतावनी नहीं देता और अपवाद रिपोर्टो का सृजन नहीं करता है, परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं के पावर फैक्टर में सुधार हेतु आवश्यक उपाय नहीं किये जा सके।

निम्न पावर फैक्टर प्रकरणों पर बिलिंग साफ्टवेयर स्वतः चेतावनी नहीं देता था जिससे 9.52 लाख रुपये मूल्य की ऊर्जा की हानि हुई।

लघु एवं मध्यम पावर उपभोक्ताओं (एलएमवी–6) के नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 के डाटा बैंक के विश्लेषण से पाया गया कि 1605 प्ररणों में पावर फैक्टर 0.75 से नीचे था और 0.01 से 0.74 के बीच था। बिलिंग एजेन्सी तथा कम्पनी द्वारा इस प्रकार के विश्लेषण के अभाव में पावर फैक्टर के सुधार हेतु आवश्यक उपकरणों की स्थापना करवाना अथवा आपूर्ति विच्छेदित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

इन प्रकरणों में 76.16 लाख यूनिट की ऊर्जा हानि आँकलित की गई। उन प्रकरणों में जहाँ केडब्ल्यूएच बिलिंग की गई थी, ऊर्जा हानि का मूल्य जनवरी से दिसम्बर 2008 की अवधि में 9.52 लाख रुपये आंकलित किया गया।

लेखा परीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

ईबीएस के अन्तर्गत नवविकसित एचटी बिलिंग साफ्टवेयर में कमियाँ

2.2.15 पूर्व में प्रयुक्त ईबीएस साफ्टवेयर की कमियों को दूर करने के लिये कम्पनी ने साई कम्प्यूटर, मेरठ को नियुक्त किया (जनवरी 2008)। एजेन्सी ने 13.48 लाख की लागत से 'स्मृति' नामक साफ्टवेयर विकसित किया किन्तु इस साफ्टवेयर में पूर्व में प्रयुक्त ईबीएस साफ्टवेयर की विशेषताएं नहीं थी जिससे साफ्टवेयर द्वारा बनाये गये बिलों की शुद्धता की स्वतन्त्र जाँच के लिए सम्व्यवहार डाटा को अलग करना सम्भव हो। न तो कम्पनी और न ही एजेन्सी इसके द्वारा जनित आउटपुट की जाँच के लिये आवश्यक इनपुट डाटा प्रस्तुत कर सके। पूर्व साफ्टवेयर में सुधार के बजाय, नया साफ्टवेयर ज्यादा उपयुक्त नहीं था सिर्फ इसके कि बिल बनाये जा रहे थे। इस प्रकार से, नये बिलिंग साफ्टवेयर के विकास पर व्यय किया गया जिसमे इनपुट पैरामीटर* को पकड़ने की प्राथमिक सुविधा नहीं थी। आवश्यक डाटाबेस साफ्टवेयर के तकनीकी, प्रयोक्ता और संचालन मैनुअल के अभाव में, यह नहीं ज्ञात किया जा सका कि किया गया व्यय लाभपूर्ण रूप से उपयोग किया गया।

लेखा परीक्षा आपित्त पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

डाटा बैंक में दोहरे एवं काल्पनिक अभिलेख

2.2.16 बिलिंग एजेन्सियों द्वारा विकसित एवं प्रयुक्त साफ्टवेयर में पर्याप्त इनपुट नियन्त्रण नही थे जिससे कि यह देखा जा सके कि डाटा बैंक में दोहरे उपभोक्ताओं, दोहरी पुस्तक/सर्विस संख्याओं, काल्पनिक मीटर के प्रकरण, रिक्त मीटर कालम है। मीटर की

* एमआरआई द्वारा दर्ज आँकड़े जिसमे वाणिज्यिक एवं तकनीकी मानको का उल्लेख होता हैं।

क्रम संख्या, फेस, मार्का एवं श्रेणी स्वयं में अनन्य थे, अतः प्रणाली द्वारा कोई अन्य मीटर प्रविष्टि समान विवरण के साथ स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।

आठ खण्डों मे 2,92,844 उपभोक्ताओं के संदर्भ में 892 दोहरे पुस्तक/एससी संख्या, 19864 काल्पनिक मीटर संख्याये एवं 13091 मीटर 31775 परिसर मे लगाये गये थे।

आठ खण्डों के 3,17,426 उपभोक्ताओं के डाटाबैंक के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 2,92,844 सक्रिय उपभोक्ताओं में से 892 प्रकरणों में दोहरी पुस्तक/सर्विस संख्या, 19,864 प्रकरणों में काल्पनिक मीटर संख्या तथा 13,091 मीटर संख्याऐं 31,775 उपभोक्ताओं (2 से 13 संख्याओं के बीच) के विरुद्ध अंकित किये गये थे जैसा कि **परिशिष्ट–15** में दिया गया है।

प्रबन्धन ने बताया कि डाटाबेस में दोहरे बुक/सर्विस संख्याऐं लिपिकीय त्रुटि के कारण है तथा काल्पनिक मीटर नम्बर उपभोक्ताओं के लेजरीकरण के लिए डाले गये है। अब निर्माणकर्ता द्वारा दिये गये वास्तविक नम्बर 12 डिजिट में फीड किये जा रहे है। उत्तर स्वयं में व्याख्यात्मक है।

बिलिंग/निर्धारण

दोषपूर्ण मीटर के प्रकरणों मे टैरिफ आदेशों के विरुद्ध बिलिंग की गई जिससे सात खण्डों में 31.05 करोड़ रुपये का अधिक निर्धारण हुआ।

2.2.17 बिलिंग एजेन्सी के साथ किए गए अनुबन्ध में एजेन्सी द्वारा साफ्टवेयर विकास एवं रखरखाव का प्रावधान था। दोषपूर्ण मीटरवाले उपभोक्ताओं जोकि आईडीएफ/एडीएफ/आरडीएफ* के रूप में श्रेणीबद्ध थे, के आँकड़ो की जाँच में पाया गया कि इन उपभोक्ताओं की बिलिंग असगंत थी और टैरिफ आदेशों को स्वीकार करने हेतु पर्याप्त परिवर्तन नियन्त्रण विधि नहीं थी। पर्याप्त परिवर्तन नियन्त्रण के अभाव में विद्युत प्रभार एवं विद्युत कर का अधिक/कम निर्धारण किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- समय–समय पर अनुमोदित टैरिफ आदेशों में प्रावधान है कि दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों में बिलिंग पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जानी है, जहाँ पिछले तीन बिलिंग चक्रों का उपभोग उपलब्ध नहीं है वहाँ सही मीटर स्थापित होने के बाद के तीन चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जानी थी। टैरिफ आदेशों में उक्त प्रावधान होते हुये भी, घरेलू उपभोक्ताओं, जिनका मीटर दोषपूर्ण था, की बिलिंग तीन एजेन्सियों (सीएस साफ्टवेयर @ 100 तथा 300 यूनिट, साई कम्प्यूटर्स एवं ओपीजी @ 80 यूनिट) द्वारा 80, 100 एवं 300 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के तदर्थ आधार पर की गई और जिसके परिणामस्वरूप सात खण्डों द्वारा 2,43,441 उपभोक्ताओं पर 28.23 करोड़ रुपये के विद्युत प्रभार एवं 2.82 करोड़ रुपये के विद्युत कर का अधिक निर्धारण किया गया जिसका विवरण निम्न है:

खण्ड का नाम	प्रकरणों की संख्या	प्रति किवा प्रति माह यूनिट निर्धारण	ईसी प्रभारित (प्रभार किया जाने वाला ईसी) (रुपये)	ईसी का अधिक निर्धारण (रुपये)	ईडी प्रभारित (प्रभारित किया जाने वाला ईडी) (रुपये)	ईडी का अधिक प्रभारण (रुपये)
विविख–II, आगरा	15,240	80	3,13,60,242.00 (1,00,86,264.00)	2,12,73,978.00	0.00 (0.00)	0.00
विनविख– I, आगरा	7,899	300	15,60,34,828.00 (4,76,40,457.00)	10,83,94,371.00	32,77,530.00 (9,97,125.85)	22,80,404.15
विनविख– II, आगरा	1,22,593	100	15,03,00,702.00 (6,11,98,464.00)	8,91,02,238.00	45,99,605.60 (8,845.20)	45,90,760.40
विनविख– III, आगरा	5,714	100	46,34,857.20 (13,25,242.30)	33,09,614.90	1,44,683.01 (45,857.25)	98,825.76
विनविख– IV, आगरा	8,657	300	1,15,49,515.10 (20,93,208.00)	94,56,307.10	3,31,174.08 (1,17,856.80)	2,13,317.28
विनविख– V, आगरा	72,516	100	4,82,70,148.00 (14,44,613.90)	4,68,25,534.10	2,18,49,926.00 (10,34,996.50)	2,08,14,929.50
विनविख– VII, आगरा	2,216	100	2,06,08,800.00 (1,72,40,480.00)	33,68,320.00	5,98,320.00 (4,38,768.00)	1,59,552.00
विनविख– I, मथुरा	7,632	80	9,15,840.00 (2,44,224.00)	6,71,616.00	0.00 (0.00)	0.00
विविख– II, अलीगढ़	974	80	3,35,720.25 (4,15,072.00)	(-) 79,351.75	0.00 (0.00)	0.00
योग	**2,43,441**			**28,23,22,627.35**		**2,81,57,789.09**

* दोषपूर्ण इंगित/दोषपूर्ण दिखने वाले/दोषपूर्ण पठन वाले।

इसके अतिरिक्त, आईडीएफ/एडीएफ/आरडीएफ/उपभोक्ताओं के विरुद्ध निम्नलिखित गलत बिलिंग देखी गई:

निजी नलकूप उपभोक्ताओं की बिलिंग मे तदर्थ यूनिटे बिक्रीत दिखाई गई जिससे 96. 78 करोड़ रुपये का कम निर्धारण हुआ।

- दिसम्बर 2008 के निजी नलकूपों (एलएमवी–5) के बिलिंग आंकड़ो की समीक्षा में देखा गया कि यद्यपि बिल आधार आईडीएफ एवं एडीएफ दिखाया गया था किन्तु उनकी बिलिंग नवम्बर 2004 में यूपीपीसीएल द्वारा निर्धारित दरों के स्थान पर 50 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रति माह के तदर्थ आधार पर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2008 की अवधि में 30,958 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 96.78 करोड़ रुपये कम बिलिंग की गई।

प्रबन्धन ने बताया कि इन उपभोक्ताओं के मीटर नहीं लगे हुये थे और बिलिंग न्यूनतम आधार पर की गई थी तथ 50 यूनिट केवल लेजर में दर्शाये गये थे।

- ग्रामीण निजी नलकूप उपभोक्ताओं के औंकड़ो के विश्लेषण में पाया गया कि यद्यपि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटर की स्थापना तक 130 रुपये प्रति अश्व शक्ति प्रति माह पर की जानी थी किन्तु इन उपभोक्ताओं की बिलिंग 500 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रति माह पर की गई और इन मीटर रहित उपभोक्ताओं के विरुद्ध 221300 केडब्ल्यूएच दिखाये गये।

प्रबन्धन ने बताया कि सहीं बिलिंग की जा रही है और बिलिंग एजेन्सी को बिक्रीत यूनिटे हटाने का निर्देश दे दिये गये हैं।

7900 एलएमवी–2 उपभोक्ताओं की बिलिंग 104 यूनिट के स्थान पर 300 यूनिट पर की गई जिससे 11.07 करोड़ रुपये का अधिक निर्धारण हुआ।

- विनविख–प्रथम, आगरा में, 7900 आईडीएफ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एलएमवी–2, एसटी–20♥) की बिलिंग यूपीपीसीएल द्वारा निर्धारित 104 यूनिट/किवा प्रति माह के स्थान पर 300 यूनिट/किवा प्रति माह पर की गई। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि में 10.84 करोड़ के विद्युत प्रभार एवं 0.23 करोड़ रुपये के विद्युत कर का अधिक निर्धारण किया गया।

प्रबन्धन ने बताया कि बिलिंग एजेन्सी को दोषपूर्ण मीटरों के सम्बन्ध में टैरिफ आदेशों के अनुसार बिल निर्गत करने के निर्देश दे दिये गये है।

- तीन खण्डों (विनविख–प्रथम, मथुरा, विविख–द्वितीय, अलीगढ़ एवं विनविख, फिरोजाबाद) के 17,788 प्रकरणों में बिक्रीत यूनिट 80 प्रति किवा प्रति माह ली गई और तद्नुसार विद्युत कर प्रभारित किया गया किन्तु निर्धारण 120 रुपये प्रति किवा प्रति माह पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि में 7.39 लाख रुपये कम प्रभारित किये गये (जिसकी गणना 152 रुपये प्रति किवा प्रति माह (80 यूनिट × 1.90 रुपये) और 120 रुपये के अन्तर पर ली गई है।

प्रबन्धन ने बताया कि विनविख–प्रथम, मथुरा के 2640 उपभोक्ताओं पर 49,692 रुपये प्रभारित किये गये है तथा अन्य प्रकरणों में कम निर्धारित धनराशि की वसूली हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

- इसी प्रकार, मार्च 2008 में विनविख–तृतीय, आगरा में दोषपूर्ण मीटर श्रेणी के 38 उपभोक्ताओं की बिलिंग फरवरी 2008, जनवरी 2008 एवं दिसम्बर 2007 में 'एनओआर' (नार्मल) श्रेणी में की गई थी। मार्च 2008 के डाटाबेस को फरवरी 2008, जनवरी 2008 और दिसम्बर 2007 से जोड़ने पर तीन माह का औसत उपभोग मार्च 2008 के वास्तविक उपभोग से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त 38 प्रकरणों में 1.39 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि मई और जून 2009 के बिलो में 1.39 लाख रुपये प्रभारित कर दिए गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा को कोई अभिलेखीय साक्ष्य नही प्रस्तुत किये गये।

♥ शहरी सारिणी से आपूर्ति वाले वाणिज्यिक उपभोक्ता।

- विनविख–प्रथम, मथुरा में आईडीए श्रेणी के 715 उपभोक्ताओं की बिलिंग दिसम्बर 2008 में पिछले तीन बिलिंग चक्र के औसत उपभोग के आधार पर नहीं की गई यद्यपि तीन बिलिंग चक्रों (सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर 2008) का औसत दिसम्बर 2008 में बिल किये गए यूनिटों से अधिक था जिससे 1.29 लाख रुपये का अल्प निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि 715 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 1.29 लाख रुपये प्रभारित किये जा रहे है।

सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं का दोषपूर्ण श्रेणी में गलत श्रेणीकरण

एलएमवी–2 के 413 उपभोक्ताओं की बिलिंग वास्तविक उपभोग के स्थान पर नियत यूनिटों पर की गई जिससे 2.20 करोड़ रुपये के राजस्व का कम निर्धारण किया गया।

2.2.18 जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के लिए विनविख, फिरोजाबाद के डाटा बैंक की जाँच में पाया गया कि एसटी–20 के 413 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में यद्यपि उनका मीटर उपभोग दर्ज कर रहा था किन्तु इन उपभोक्ताओं का एडीएफ में श्रेणीकरण किया गया और मीटर में दर्ज उपभोग के स्थान पर कम्पनी द्वारा नियत 800 यूनिट प्रति किवा प्रति माह या यूपीपीसीएल द्वारा नियत 104 यूनिट प्रति किवा प्रति माह पर की गई। कम्पनी द्वारा नियत की गई 800 यूनिट प्रति किवा प्रति माह की सीमा यूपीईआरसी द्वारा समय–समय पर अनुमोदित टैरिफ आदेशों में प्रावधानित नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 2. 20 करोड़ रुपये के राजस्व का कम निर्धारण किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	ईसी प्रभारित (ईसी लेनी चाहिए) (रुपये)	ईसी का अन्तर (रुपये)	ईडी प्रभारित (ईडी लेनी चाहिए) (रुपये)	ईडी का अन्तर (रुपये)
जनवरी 2008	34	1,75,468.80 (18,86,788.80)	17,11,320.00	4,049.28 (43,541.28)	39,492.00
फरवरी 2008	37	2,11,161.60 (17,53,034.40)	15,41,872.80	4,919.76 (40,454.64)	35,534.88
मार्च 2008	37	1,83,736.80 (19,53,014.70)	17,69,277.90	4,240.08 (45,069.57)	40,829.49
अप्रैल 2008	36	99,340.80 (18,11,507.10)	17,12,166.30	2,301.84 (41,804.01)	39,502.17
मई 2008	40	1,62,316.70 (22,03,165.20)	20,40,848.50	3,738.96 (46,112.76)	42,373.80
जून 2008	34	1,41,728.00 (19,90,620.50)	18,48,892.50	2,966.40 (41,664.15)	38,697.75
जुलाई 2008	34	1,64,466.40 (19,41,364.00)	17,76,897.60	3,442.32 (40,633.20)	37,190.88
अगस्त 2008	35	1,27,348.80 (20,39,709.30)	19,12,360.50	2,665.44 (42,691.59)	40,026.15
सितम्बर 2008	33	1,98,694.40 (21,67,470.90)	19,68,776.50	4,158.72 (45,365.67)	41,206.95
अक्टूबर 2008	30	1,26,316.80 (19,53,391.10)	18,27,074.30	2,643.84 (40,884.93)	38,241.09
नवम्बर 2008	33	85,759.20 (20,52,445.90)	19,66,686.70	1,794.96 (42,958.17)	41,163.21
दिसम्बर 2008	30	91,469.60 (15,57,289.50)	14,65,819.90	1,914.48 (35,937.45)	34,022.97
योग	**413**		**2,15,41,993.50**		**468281.34**

प्रबन्धन ने बताया कि जाँच के उपरान्त कम धनराशि के प्रभारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं की गलत बिलिंग

2.2.19 विविख, फतेहाबाद के बत्ती एवं पंखा उपभोक्ताओं के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि अधिकांश उपभोक्ता दोषपूर्ण मीटर श्रेणी में बिल किये जा रहे थे और बहुत कम प्रतिशत 'एमयू'' श्रेणी में बिल हो रहे थे।

खण्ड द्वारा 80 यूनिट प्रति किवा प्रति माह को विक्रय मानते हुये नियत प्रभार के साथ 120 रुपये प्रति किवा प्रति माह का विद्युत प्रभार एवं 14.40 रुपये विद्युत कर के रूप में प्रभारित किये जा रहे थे। इस प्रकार की बिलिंग में यद्यपि विद्युत कर 80 यूनिट पर लिया जा रहा

* मीटर्ड यूनिट।

ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं की गलत बिलिंग के परिणामस्वरूप 0.79 करोड़ रुपये का अधिक निर्धारण हुआ।

था किन्तु 80.00 रुपये (80×1.00) प्रति किवा प्रति माह के स्थान पर विद्युत प्रभार 120 रुपये लिया जा रहा था। गलत एवं दोषपूर्ण बिलिंग के कारण 5329 प्रकरणों में 78.83 लाख रुपये का अधिक निर्धारण किया गया जिसकी गणना लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये नवीनतम बिलिंग माह के श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर की गई थी।

प्रबन्धन ने बताया कि निर्धारण नवम्बर 2004 के आदेश के अनुसार किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत कर 80 यूनिट को बिक्रीत मान कर लिया गया है जबकि विद्युत प्रभार 80 रुपये के स्थान पर 120 रुपये लिया गया है।

विद्युत कर की गलत गणना

2.2.20 घरेलू बत्ती एवं पंखा तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बिलिंग हेतु बिलिंग एजेन्सियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले साफ्टवेयर में सरकारी उपभोक्ताओं को 'जी' तथा गैर सरकारी उपभोक्ताओं को 'एनजी' दिखाया जाता है जिससे विद्युत प्रभार एवं विद्युत कर लागू होने वाले टैरिफ के अनुसार लगाया जा सके।

सरकारी उपभोक्ताओं पर गलत विद्युत कर प्रभारित किया गया जिसे 8.73 लाख रुपये अधिक प्रभारित हुए।

नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि के आँकड़ो के लेखा परीक्षण विश्लेषण में पाया गया कि बिलिंग साफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग तर्क का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप, आगरा शहर के वितरण खण्डों के डाटाबेस में सरकारी एवं गैर–सरकारी उपभोक्ताओं का वर्गीकरण प्रदर्शित नहीं किया गया था और सभी सक्रिय उपभोक्ताओं की बिलिंग विद्युत प्रभार एवं विद्युत कर हेतु गैर–सरकारी उपभोक्ताओं की तरह की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, विनविख, फिरोजाबाद एवं विविख, फतेहाबाद में यद्यपि डाटाबेस में सरकारी एवं गैर–सरकारी के बीच वर्गीकरण किया गया था किन्तु 60,471 सरकारी उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में सरकारी उपभोक्ताओं हेतु लागू 0.03 पैसा प्रति यूनिट के स्थान पर गैर–सरकारी उपभोक्ताओ हेतु लागू 0.09 पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 60,471 उपभोक्ताओं से 8.73 लाख रुपये के विद्युत कर का अधिक प्रभारण किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या	सरकारी उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ताओं की सख्या जो विद्युत कर दे रहे थे	अवधि	ईडी प्रभारित (रुपये)	ईडी प्रभारित की जानी चाहिए (रुपये)
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, फिरोजाबाद	59,488	55,021	15,308	12,164	दिसम्बर 2008	1,69,189.77	38,350.59
विद्युत वितरण खण्ड, फतेहाबाद	1,22,381	74,522	45,163	40,524	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008	7,52,555.69	10,068.03
योग	**1,81,869**	**129,543**	**60,471**	**52,688**		**9,21,745.46**	**48,418.62**

प्रबन्धन ने बताया कि फिरोजाबाद खण्ड में सरकारी उपभोक्ताओं की संख्या 27 है जबकि यह 15,308 प्रकरणों में दिखाई गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा ने वही प्रकरण लिये है जहाँ जीओवीटी फील्ड में 'जी' दर्शाया गया है।

बिल बनाने में अभिपुष्टि नियन्त्रण का अभाव

2.2.21 उपभोक्ता का ऊर्जा उपभोग वर्तमान मीटर रीडिंग एवं पूर्व मीटर रीडिंग का अन्तर लेकर आकंलित किया जाता है और बिलिंग एजेन्सी द्वारा 'एनओआर' (नार्मल) श्रेणी में बिल किये जाते है। उन प्रकरणो में जहॉ उपभोक्ता की वर्तमान मीटर रीडिंग पहले की मीटर रीडिंग से कम है वहाँ उपभोक्ता को 'एडीएफ' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी ऊर्जा बिलिंग पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना चाहिए जब उनके मीटर सही खपत दर्ज कर रहे थे।

घरेलू बत्ती पंखा एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के डाटा बैंक के विश्लेषण में पाया गया कि विनविख–पंचम, आगरा में 2,438 सक्रिय उपभोक्ता 'एनओआर' श्रेणी में बिल किये जा रहे थे जबकि उनकी वर्तमान रीडिंग पूर्व रीडिंग से कम थी। यह दर्शाता है कि उनके मीटर

दोषपूर्ण थे और उनकी बिलिंग एडीएफ श्रेणी में होनी चाहिए थी किन्तु उन्हे 'एनओआर' श्रेणी में बिल किया गया। इन बिलों के लिए बाह्य बिलिंग एजेन्सी को 'एडीएफ' श्रेणी हेतु लागू दरों के स्थान पर 'एनओआर' श्रेणी की दरों पर भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने बताया कि बिलिंग एजेन्सी से 4.62 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं।

आगे, विनविख–द्वितीय, आगरा के दिसम्बर 2008 माह के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि 41,564 प्रकरणों में से 48 प्रकरणों में डाटा बैंक के 'पीआरटीएमटीआर' (वर्तमान मीटर रीडिंग) और 'पीआरवीएमटीआर' (पूर्व मीटर रीडिंग) की फील्डो में गणना त्रुटिपूर्ण थी। उपयोग की गयी यूनिटें पीआरटीएमटीआर से पीआरवीएमटीआर को घटाकर निकाली जाती है किन्तु 48 प्रकरणों में पीआरटीएमटीआर, पीआरवीएमटीआर से कम था। इन परिस्थितियों में लेजर में उपभोक्ता को आरडीएफ श्रेणी में दर्शाना चाहिए था किन्तु नार्मल श्रेणी में दिखाया गया। बिलिंग डाटाबेस में इस तरह की गलती बिलिंग एजेन्सी द्वारा प्रयुक्त बिलिंग साफ्टवेयर में अनुप्रयोग नियन्त्रण की कमी दर्शाती है।

प्रबन्धन ने बताया कि बिलिंग एजेन्सी को इन प्रकरणों को आरडीएफ की तरह दर्शाने के निर्देश दे दिये गये है।

'एमयू' श्रेणी के उपभोक्ताओं की अधिक बिलिंग

35,859 उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक उपभोग से अधिक पर बिल किया गया था जिससे 47.81 लाख रुपये की अधिक बिलिंग हुई।

2.2.22 प्रचलित बिलिंग प्रक्रिया के अनुसार 'एमयू' श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग पीआरटीएमटीआर* से पीआरवीएमटीआर** को घटाकर प्राप्त उपभोग यूनिटों के आधार पर की जाती है। विनविख–प्रथम, अलीगढ़ के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि 35,859 उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक उपभोग के अनुसार बिल नहीं किया गया था और उपयोग की गयी यूनिटो से अधिक यूनिटो पर बिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध 47.81 लाख रुपये का अधिक निर्धारण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

माह	भार (केडब्ल्यू)	उपभोक्ताओं की संख्या	ईसी प्रभारित (प्रभार किया जाने वाला ईसी) (रुपये)	ईसी का अन्तर (रुपये)	ईडी प्रभारित (प्रभार किया जाने वाला ईसी) (रुपये)	ईडी का अन्तर (रुपये)	कुल अन्तर (ईसी+ईडी) (रुपये)
नवम्बर 2007	1	585	51,129.00 (37,015.80)	14,113.20	14,672.27 (1,753.38)	12,918.89	27,032.09
नवम्बर 2007	2	17,006	41,00,486.30 (25,80,672.00)	15,19,814.30	15,65,439.55 (77,420.16)	14,88,019.39	30,07,835.69
नवम्बर 2007	3	2	7,716.00 (1,561.80)	6,154.20	6,311.70 (73.98)	6,237.72	12,391.92
दिसम्बर 2007	1	631	51,433.00 (35,514.80)	15,918.20	2,436.30 (1,682.28)	754.02	16,672.22
दिसम्बर 2007	2	17,635	40,67,621.90 (24,00,216.00)	16,67,405.90	1,22,027.01 (72,006.48)	50,020.53	17,17,426.43
		35,859					**47,81,358.35**

प्रबन्धन ने बताया कि अगस्त 2009 से वास्तविक उपभोग के अनुसार बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

घरेलू बत्ती एवं पंखा उपभोक्ताओं की गलत बिलिंग

2.2.23 विनविख–प्रथम, मथुरा के नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में यद्यपि, एक किलोवाट वाले घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर चल रहे थे किन्तु इन उपभोक्ताओं की बिलिंग वास्तविक उपभोग के अनुसार

* वर्तमान मीटर रीडिंग
** पूर्व मीटर रीडिंग

'एनओआर' श्रेणी में नहीं की गई बल्कि एडीएफ की तरह की गई और 50 रुपये का नियत प्रभार एवं 70 रुपये विद्युत प्रभार प्रभारित किया गया।

बिलिंग एजेन्सी द्वारा अपनाई गई विधि लागू आदेशों के अनुसार नहीं थी क्योंकि उन 2640 उपभोक्ताओं से जिनका उपरोक्त अवधि में वास्तविक उपभोग 37 से 4007 केडब्ल्यूएच के बीच था, 70 रुपये विद्युत प्रभार के रूप में लिये गये जिससे 2.85 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	ईसी प्रभारित (रुपये)	ईसी प्रभारित की जानी चाहिए (रुपये)	अन्तर (रुपये)
नवम्बर 2007	16	1,120.00	3,572.30	2,452.30
दिसम्बर 2007	11	770.00	2,606.20	1,836.20
फरवरी 2008	90	6,300.00	25,006.60	18,706.60
मार्च 2008	118	8,260.00	50,189.30	41,929.30
मई 2008	101	7,070.00	32,885.70	25,815.70
जून 2008	214	14,980.00	38,388.40	23,408.40
जुलाई 2008	44	3,080.00	3,228.10	148.10
अगस्त 2008	14	1,080.00	10,467.50	9,387.50
सितम्बर 2008	16	1,170.00	3,666.40	2,496.40
अक्टूबर 2008	14	1,080.00	1,107.70	27.70
नवम्बर 2008	970	67,900.00	1,30,891.20	62,991.20
दिसम्बर 2008	1,032	72,240.00	1,68,426.30	96,186.30
योग	**2,640**	**185,050.00**	**4,70,535.70**	**285,385.70**

प्रबन्धन ने बताया कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

नियत एवं विद्युत प्रभार की गलत बिलिंग

गलत दर अपनाने के कारण 4.49 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

2.2.24 उपभोक्ताओं के डाटा बैंक की जाँच में पाया गया कि बिलिंग एजेन्सियाँ, यूपीईआरसी के लागू होने वाले टैरिफ प्रावधानों के अनुसार डाटा बैंक को समय–समय पर अद्यतन नहीं कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं के विरुद्ध गलत गणना एवं नियत प्रभार के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

- विनविख–प्रथम, आगरा के 692 घरेलू एवं 29 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में नवम्बर और दिसम्बर 2008 के दौरान विद्युत प्रभार लागू टैरिफ के अनुसार प्रभारित नही किया गया जिससे 4.49 लाख रुपये का अल्प निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

- 27 अप्रैल 2008 से लागू टैरिफ आदेश की दर–अनुसूची के अनुसार सरकारी श्रेणी (एलएमवी–4ए) के उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभार के रूप में 4.00 रुपये प्रति यूनिट (केडब्ल्यूएच) प्रभारित किये जाने थे। मई 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि विनविख–पंचम, आगरा में दर अनुसूची में दिये गये दरों पर बिलिंग एजेन्सी द्वारा विद्युत प्रभार की गणना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 87 प्रकरणों में 0.42 लाख रुपये का अधिक निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि बिलिंग एजेन्सी को अपने साफ्टवेयर में परिवर्तन के निर्देश दे दिये गये हैं।

'स्थायी रूप से बन्द' श्रेणी के उपभोक्ताओं के विरुद्ध कम निर्धारण

2.2.25 विनविख–तृतीय, आगरा के नवम्बर 2007 से जनवरी 2009 की अवधि के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि बिलिंग एजेन्सी (मेसर्स सीएस साफ्टवेयर, हैदराबाद) ने घरेलू

56.14 लाख रुपये का नियत प्रभार 818 उपभोक्ताओं को प्रभारित नही किया गया।

बत्ती एवं पंखा (एलएमवी–1) एवं वाणिज्यिक (एलएमवी–2) उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में उन उपभोक्ताओं जिनका निवास स्थायी रूप से बन्द था/उपभोक्ता मौजूद नही था, 'पीएल' में श्रेणीबद्ध किया था। चूँकि ये उपभोक्ता एनए/एनआर उपभोक्ताओं की तरह थे, इनकी बिलिंग पिछले तीन माह के औसत उपभोग के अनुसार होनी चाहिए थी और उस दशा में जब पिछले तीन बिलिंग चक्रों का औसत उपलब्ध न हो, प्रचलित आदेशों के अनुसार एलएमवी–1 के सम्बन्ध में नियत प्रभार के साथ 120 रुपये प्रति किवा प्रति माह और एलएमवी–2 के मामलो में 104 यूनिट प्रति किवा प्रति माह से होनी चाहिए थी।

यह देखा गया कि एलएमवी–1 के 517 उपभोक्ता 120 रुपये प्रति किवा प्रतिमाह की दर से बिल किये गये थे किन्तु 2.81 लाख रुपये धनराशि का नियत प्रभार 50 रुपये प्रति किवा प्रति माह के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, एलएमवी–2 के 301 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 100 रुपये प्रति किवा प्रति माह का नियत प्रभार नहीं लिया गया था जिससे 53.33 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

अतः, बिलिंग एजेन्सी द्वारा गलत बिलिंग करने से 'पीएल' श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 56.14 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ जोकि एजेन्सी की बिलिंग गतिविधि पर अनुश्रवण का अभाव दर्शाता है।

प्रबन्धन ने बताया कि धनराशि मई एवं जून 2009 के बिल में प्रभारित कर दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा को वसूली से सम्बन्धित कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

टैरिफ आदेश का अनुपालन

एनए/एनआर उपभोक्ताओं पर दण्ड का अनिर्धारण

नौ खण्डों में 300 रुपये प्रति किवा प्रति माह की दर से 13.49 करोड़ रुपये का दण्ड प्रभारित नहीं किया गया।

2.2.26 13 अगस्त 2007 से लागू टैरिफ आदेश के सामान्य प्रावधानों के अनुसार उन उपभोक्ताओं जिनके मीटर पढ़े नहीं जा सकते या पढ़ने हेतु उपलब्ध नहीं है, की बिलिंग आपूर्ति संहिता के प्रस्तर 6.2(सी) के प्रावधानों के अनुसार 300 रुपये प्रति किवा प्रति माह के दण्ड के साथ की जानी थी। प्रस्तर 6.2(सी) में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि एनए/एनआर उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में एक सूचना उपभोक्ताओं को भेजी जानी चाहिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि सात दिनों के अन्दर यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित दण्ड का भुगतान करते हुए मीटर पढ़ने हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा इसमे विफल रहने पर आपूर्ति विच्छेदित कर दी जाएगी।

सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि हेतु 10 खण्डों के बिलिंग डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि घरेलू, वाणिज्यिक और लघु एवं मध्यम शक्ति श्रेणी के उपभोक्ताओं के 1,89,285 प्रकरणों में प्रचलित विधि का पालन नहीं किया गया और तद्नुसार बिलिंग एजेन्सियों को कोई सूचना नहीं दी गई। इसके परिणामस्वरूप, 300 रुपये प्रति किवा प्रतिमाह की दर से यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित 13.49 करोड़ रुपये की धनराशि का दण्ड प्रभारित/वसूल नही किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपये)
1	विनविख–I, आगरा	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008	4,461	38,37,397.00
2	विनविख–III, आगरा	सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2008	398	29,62,200.00
3	विनविख–II, आगरा	सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2008	947	5,22,132.00
4	विनविख–IV, आगरा	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008	1,11,072	6,05,32,200.00
5	विनविख–V, आगरा	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008	545	21,63,925.00
6	विनविख– फिरोजाबाद	जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008	5,449	1,01,67,939.00
7	विनविख–I, मथुरा	जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008	244	6,82,200.00
8	विनविख–II, अलीगढ़	सितम्बर 2007 से नवम्बर 2008	3,269	79,60,581.00

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपये)
9	विनविख–III, अलीगढ़	नवम्बर 2007 से मार्च 2009	62,162	4,18,07,277.00
10	विविख– फतेहाबाद	सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2008	738	42,36,442.00
			1,89,285	**13,48,72,293.00**

प्रबन्धन ने बताया कि अधिकाशं उपभोक्ता जगह पर उपलब्ध नही हैं और 300 रुपये का दण्ड लगाने से बकाया अनावश्यक रूप से बढ़ेगा और बिलिंग एजेन्सी को वास्तविक एनए/एनआर प्रकरणों में प्रभारित करने के निर्देश दे दिये गये है। उत्तर अपवंचक है।

वातानुकूलन प्रभार का अनिर्धारण

2.2.27 27 अप्रैल 008 से लागू टैरिफ आदेश 2008–09 के सामान्य प्रावधान का खण्ड 11 प्रावधानित करता है कि एलएमवी–2, एलएमवी–4 एवं एचवी–1 के अन्तर्गत 5 किवा से अधिक सभी भारों हेतु अप्रैल से सितम्बर तक लागू प्रभार दर के अनुसार बिल के अतिरिक्त 1.5 टन/5 किवा या शपथ पत्र द्वारा सूचित वास्तविक वातानुकूलन भार हेतु 150 रुपये प्रति टन के वातानुकूलन भार के अनुसार बिल किया जायेगा। यह प्रभार न्यूनतम उपभोग प्रभार के अन्तर्गत बिल किये गये उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा। उपभोक्ता जिनके यहाँ कोई वातानुकूलन भार नहीं है या जिनका वास्तविक वातानुकूलन भार 1.5 टन/किवा फार्मूले से आँकलित वातानुकूलन भार से कम है, को इस सम्बन्ध में खण्डीय/उपखण्ड अधिकारी को शपथपत्र देने की सुविधा होगी।

चार खण्डों के 5287 उपभोक्ताओं पर 24.05 लाख रुपये का वातानुकूलन भार नहीं भारित किया गया।

मई से सितम्बर 2008 के बिलिंग माह के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि चार खण्डों में 5 किवा से अधिक 5287 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में बिल के अतिरिक्त वातानुकूलन भार हेतु विशेष टैरिफ नहीं लगाया गया जिससे 24.05 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

खण्ड	उपभोक्ताओं की संख्या	वातानुकूलन भार की राशि जो भारित नही की गई (रुपये)
विनविख–III, आगरा	938	3,39,525.00
विनविख–I, मथुरा	1983	10,51,200.00
विनविख–III, अलीगढ़	611	2,80,800.00
विनविख–फिरोजाबाद	1,755	7,33,050.00
योग	**5,287**	**24,04,575.00**

प्रबन्धन ने बताया कि विनविख–तृतीय, आगरा के प्रकरण में एसी प्रभार विद्युत प्रभार में सम्मिलित किया गया है, विनविख–तृतीय, अलीगढ़ में उपखण्ड अधिकारी को जाँच के लिए निर्देशित किया गया है और मथुरा के सम्बन्ध में, 5 किवा वाले उपभोक्ता भी लेखा परीक्षा दल द्वारा दिखाये गये 3178 उपभोक्ताओं में शामिल है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊपर दिये गये उपभोक्ताओं में से 5 किवा तक भार वाले उपभोक्ताओं को अलग कर दिया गया है।

मीटरयुक्त उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियत प्रभार का कम निर्धारण

2.2.28 यूपीईआरसी द्वारा जारी (अगस्त 2007 और अप्रैल 2008) टैरिफ आदेश के अनुसार ग्रामीण सारणी के अनुसार आपूर्ति वाले घरेलू बत्ती एवं पंखा (एलएमवी–1) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एलएमवी–2) से 15 रुपये प्रति किवा प्रति माह की दर से नियत प्रभार प्रभारित किया जाना चाहिए।

विविख–द्वितीय, अलीगढ़ के डाटाबैंक की जाँच में पाया गया कि इन उपभोक्ताओं से बिना उनके भार को ध्यान रखे 15 रुपये एवं 30 रुपये की दर से प्रभारित किया गया जिससे 13,529 प्रकरणों में 4.02 लाख रुपये के नियत प्रभार का कम निर्धारण किया गया।

प्रबन्धन ने बताया कि नियत प्रभार के कम निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए खण्ड को निर्देशित किया गया है।

लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं को छूट न देना

लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं को 19.22 लाख रुपये की ग्रामीण छूट नही दी गई।

2.2.29 टैरिफ आदेश प्रावधान करता है कि दर प्रभार (नियत प्रभार, विद्युत प्रभार एवं न्यूनतम प्रभार) पर 15 प्रतिशत की छूट ग्रामीण सारणी से आपूर्ति वाले लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं को दी जायेगी।

विविख–द्वितीय, अलीगढ़ में लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं के डाटा बैंक के विश्लेषण में पाया गया कि उपभोक्ताओं को नियत एवं विद्युत प्रभारों पर 15 प्रतिशत की छूट नहीं दी गई जिससे जनवरी से दिसम्बर 2008 के बीच 15.85 लाख रुपये के विद्युत प्रभार एवं 3.37 लाख रुपये के नियत प्रभार की अधिक बिलिंग की गई।

प्रबन्धन ने बताया कि खण्ड को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रतिभूति राशि पर ब्याज का कम/शून्य क्रेडिट

2.2.30 आपूर्ति संहिता 2005 के उपबन्ध 4.20 (i) के अनुसार, अप्रैल, मई या जून माह में उपभोक्ता के बिल में, लाइसेन्सधारी द्वारा 1 अप्रैल को लागू बैंक दर पर प्रतिभूति राशि पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा। तद्नुसार, बिलिंग साफ्टवेयर में प्रावधान होना चाहिए था जिससे कि उपभोक्ताओं के खाते में ब्याज अपने आप जमा हो जाये।

नौ खण्डो. द्वारा उपभोक्ताओं की प्रतिभूति राशि पर 50.64 लाख रुपये का ब्याज नही दिया गया।

तथापि, बिलिंग एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त बिलिंग साफ्टवेयर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी के नौ खण्डों के 1,23,972 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 50.64 लाख रुपये की प्रतिभूति राशि पर ब्याज नही दिया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

खण्ड	उपभोक्ताओं की संख्या जिनको लाभ नहीं दिया गया	राशि जमा (क्रेडिट) नही की गई (रुपये)
विनविख–I, आगरा	2,772	2,75,932.00
विनविख–II, आगरा	25,064	13,97,335.48
विनविख–III, आगरा	30,895	10,49,329.26
विनविख–IV, आगरा	3,610	0.00
विनविख–V, आगरा	43,893	13,82,043.84
विनविख–VII, आगरा	4,864	0.00
विविख–फतेहाबाद, आगरा	931	68,970.72
विनविख–III, अलीगढ़	2,581	5,28,075.66
विनविख–I, मथुरा	9,362	3,62,510.00
	1,23,972	**50,64,196.96**

पुनः आपूर्ति संहिता 2005 के अनुसार, उपभोक्ताओं को क्रेडिट बैंक दर पर दिया जाना था लेकिन डाटा बैंक की जाँच में पता चला कि छः खण्डों द्वारा प्रतिभूति राशि पर ब्याज छः प्रतिशत की प्रचलित दर के स्थान पर तीन प्रतिशत के दर पर लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप, दो खण्डों के 15,685 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 3.13 लाख रुपये के ब्याज का कम क्रेडिट किया गया।

प्रबन्धन ने बताया कि मार्च 2009 में उपलब्ध प्रतिभूति राशि के आधार पर ब्याज का क्रेडिट दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

टैरिफ के गलत प्रयोग से कम निर्धारण

2.2.31 टैरिफ आदेश की दर सूची एलएमवी–4 कम्पनी अधिनियम, 1956 में पंजीकृत कम्पनियों को छोड़कर सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों पर लागू है। इन उपभोक्ताओं की बिलिंग 75 किवा तक एलएमवी–2 में और 75 किवा से ऊपर एचवी–1 में की जानी थी।

बीएसएनएल उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में गलत टेरिफ के प्रयोग से 25.82 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

एलएमवी–4ए श्रेणी के उपभोक्ताओं के डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि सात खण्डों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कार्यालयों एवं टेलीफोन एक्सचेन्जों जोकि दूरसंचार विभाग से सरकारी कम्पनी में परिवर्तित (1 अक्टूबर 2000) हुआ था, की बिलिंग इसी सूची में की जा रही थी जबकि बीएसएनएल कम्पनी अधिनियम, 1956 में पंजीकृत एक सरकारी कम्पनी है। इसके परिणामस्वरूप, छः खण्डों* में इन उपभोक्ताओं की 25.82 लाख रुपये से कम बिलिंग की गई जिसकी गणना जनवरी 2005 से दिसम्बर 2008 की अवधि में एलएमवी–2 एवं एलएमवी–4 के नियत एवं विद्युत प्रभार के अन्तर पर की गई थी।

इसी प्रकार विनविख–प्रथम, मथुरा में चार सरकारी उपभोक्ता निजी नलकूप 'एलएमवी–5' के अन्तर्गत की जा रही थी जबकि, इन उपभोक्ताओं की बिलिंग सरकारी उपभोक्ताओं हेतु लागू एलएमवी–4ए के अन्तर्गत की जानी थी। टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण जनवरी से दिसम्बर 2008 माह हेतु 1.38 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि बीएसएनएल उपभोक्ताओं की बिलिंग एलएमवी–2 एवं एलएमवी–4 में स्थानान्तरित कर दी गई है। अन्तर धनराशि के बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

ग्रामीण सारिणी से आपूर्ति वाले मीटरयुक्त उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियत प्रभार का कम निर्धारण

2.2.32 13 अगस्त 2007 से लागू टैरिफ आदेश के द्वारा ग्रामीण सारिणी से आपूर्ति वाले उपभोक्ताओं का नियत प्रभार 15 रुपये प्रति किवा प्रति माह से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किवा प्रति माह कर दिया गया था।

जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि हेतु विविख, फतेहाबाद के डाटा बैंक की जाँच में पाया गया कि 11,621 उपभोक्ताओं पर टैरिफ आदेश के अनुसार नियत प्रभार प्रभारित नहीं किया गया जिससे 6.85 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि यूपीईआरसी ने पुर्नविचार याचिका पर समयाधीन टैरिफ रद्द कर दी थी। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

कोड के प्रावधानों के विरुद्ध एनए/एनआर उपभोक्ताओं की बिलिंग

2.2.33 सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि हेतु विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–तृतीय, अलीगढ़ के डाटा बैंक की जाँच में पाया गया कि डाटा बैंक में दिसम्बर 2008 माह में एनए/एनआर श्रेणी के 53 उपभोक्ता (घरेलू उपभोक्ता) उपलब्ध थे। आपूर्ति संहिता 2005 के खण्ड 6.2(सी) के अनुसार इन उपभोक्ताओं की बिलिंग उनके पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जानी थी। तथापि ये उपभोक्ता सितम्बर 2008 से नवम्बर 2008 की अवधि में 'एमयू' श्रेणी में बिल किये गये। पिछले तीन बिलिंग चक्रो के डाटाबेस को जोड़ने और उपरोक्त अवधि के लिए औसत उपभोग की गणना करने पर पाया गया कि पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत यूनिटें दिसम्बर 2008 में प्रभारित यूनिटों से अधिक थी। अतः इन उपभोक्ताओं की बिलिंग संहिता के प्रावधानो के विरुद्ध की गई।

प्रबन्धन ने बताया कि वर्तमान में एनए/एनआर उपभोक्ताओं की बिलिंग औसत उपभोग के आधार पर की जा रही है।

अनुश्रवण व्यवस्था

बिलों का न बनाना

2.2.34 बिलिंग एजेन्सी (सीएस साफ्टवेयर इन्टरप्राइज लिमिटेड, हैदराबाद) के साथ निष्पादित अनुबन्ध के सामान्य विशिष्टियों के उपबन्ध 1.2.1 में प्रावधान है कि बिलिंग एजेन्सी का प्रत्येक मीटर रीडर उपभोक्ता के परिसर पर जायेगा, रीडिंग लेगा, उनको दिये

* विनविख–पंचम, सप्तम एवं विविख–फतेहाबाद, आगरा, विनविख–तृतीय, अलीगढ़, विनविख–प्रथम, मथुरा एवं विनविख, फिरोजाबाद।

गये हैण्डहेल्ड मशीन में भरेगा, बिल छापेगा और केवल चेक द्वारा भुगतान स्वीकार करेगा। आगे, उपबन्ध 5.26.2(vi) में प्रावधान है कि उपभोक्ता यदि शिकायत करे कि उसे बिल नही पहुँचाया गया है और कम्पनी इससे सन्तुष्ट हो तो 100 रुपये प्रति गलती दण्ड के रुप में बिलिंग एजेन्सी से वसूले जायेंगे कम्पनी इन प्रावधानो का अनुपालन करवाने में असफल रही जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- पाँच वितरण खण्डों के घरेलू बत्ती एवं पंखा और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के डाटाबैंक के विश्लेषण से पता चला कि 23,91,653 सक्रिय उपभोक्ताओं में से केवल 19,43,752 उपभोक्ताओं का बिल बनाया और पहुँचाया गया। तथापि, खण्ड ने न तो इन 4,47,901 उपभोक्ताओं के बिल बनाने और पहुॅचाने के लिए एजेन्सी से पूछा और न ही उनके बिलो से 4.48 करोड़ रुपये (100 रुपये प्रति गलती की दर से) का दण्ड वसूला/लगाया। पुनः, नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि में, इन उपभोक्ताओं का बिल न बनाने और पहुँचाने के कारण, 23.59 करोड़ रुपये का निर्धारण नहीं किया जा सका जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या	सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या जिनके बिल बन रहे थे	सक्रिय उपभोक्ताओ की कुल संख्या जिनके बिल नही बन रहे थे	राशि कम निर्धारित (करोड़ रुपये में)
1.	विनविख–II, आगरा	381109	225140	155969	8.38
2.	विनविख–I, मथुरा	636510	435663	200847	11.11
3.	विनविख–III, आगरा	508422	460251	48171	2.18
4.	विनविख–VII, आगरा	469521	463987	5534	0.64
5.	विनविख–V, आगरा	396091	358711	37380	1.28
	योग	**2391653**	**1943752**	**447901**	**23.59**

प्रबन्धन ने बताया कि दण्ड लगाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि किसी उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिलों का न बनना खण्डों की जानकारी में था।

7733 उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक उपभोग के स्थान पर 63 यूनिट प्रति माह से बिल किया गया।

- विनविख–चतुर्थ, आगरा में नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि में 2780 उपभोक्ता तदर्थ आधार पर 63 यूनिट पर बिल किये गये जबकि उनका उपभोग 63 यूनिट से कम था। तदर्थ 63 यूनिटो पर बिलिंग का कोई आधार/प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध 1.39 लाख रुपये की अधिक बिलिंग हुई। इसके अतिरिक्त, गलत बिल बनाने के कारण बिलिंग एजेन्सी पर दण्ड लगना चाहिए था जो 100 रुपये प्रति गलती की दर से 2.78 लाख रुपये होता है किन्तु एजेन्सी से इसकी वसूली नहीं की गई।

- इसी प्रकार, विनविख–सप्तम, आगरा में, 4953 उपभोक्ता 63 यूनिट प्रति किवा प्रति माह के आधार पर बिल किये गये जबकि उनका वास्तविक उपभोग 63 यूनिट से कम था। बिलिंग एजेन्सी ने सही बिल नहीं बनाया। अतः, अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार 100 रुपये प्रति गलती की दर से दण्ड की उत्तरदायी थी जिसकी राशि 4.95 लाख रुपये थी किन्तु उनके बिलों से खण्ड द्वारा वसूली नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने बताया कि मैकेनिकल मीटर लगे होने के कारण खण्ड ने बिलिंग एजेन्सी से 63 यूनिट प्रति किवा प्रति माह से बिल बनाने को कहा था।

- दिसम्बर 2008 में विनविख–प्रथम, आगरा के 346 प्रकरणों में यद्यपि मीटर रीडिंग उपलब्ध थी किन्तु बिलिंग एजेन्सी द्वारा उनके बिल नहीं बनाये गये जिससे 4.35 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण नहीं हुआ।

डाटा बैंक से निष्क्रिय उपभोक्ताओं के बकायो में कमी

2.2.35 प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, यदि उपभोक्ता बकाये का भुगतान कर दे या उसका स्थायी विच्छेदन (पीडी) हो जाय और यदि कोई काल्पनिक राशि है तो उसको माफ कर देने के उपरान्त निष्क्रिय उपभोक्ताओं के बकाये में घटाया जाता है। विनविख–सप्तम, आगरा के निष्क्रिय उपभोक्ताओं (बीएलएल_एसटीएयूएस'जेड') के डाटा बैंक की जाँच से पता चला कि पाँच लाख के ऊपर बकाये वाले उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2008 में 29 थी और उनका बकाया 2.32 करोड़ रुपये था। तथापि, अप्रैल 2008 के डाटा बैंक में बावजूद इसके कि न तो इन उपभोक्ताओं ने बकाया धनराशि का भुगतान किया था और न ही उनकी पीडी अन्तिमीकृत हुई थी, इनकी संख्या 1.52 करोड़ रुपये के बकाये के साथ घटकर नौ हो गई।

31.12 लाख रुपये बकाये वाले 29 उपभोक्ता डाटाबेस से हटा दिये गये।

इसी प्रकार, विनविख–पंचम, आगरा में अगस्त 2008 में 6.68 करोड़ रुपये के बकाये वाले निष्क्रिय उपभोक्ताओं की संख्या 591 थी किन्तु सितम्बर 2008 के डाटा बैंक में इनकी संख्या 562 दर्शायी गई और 29 उपभोक्ता जिनका बकाया 31.12 लाख रुपये था, डाटाबेस से हटा दिये गये जिसके विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बकाया धनराशि के भुगतान का कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया कि जाँच के बाद कार्यवाही की जा रही है।

बिलिंग एजेन्सी द्वारा भुगतान संग्रह केन्द्र पर आवश्यक ढाँचा की स्थापना न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

2.2.36 बिलिंग एजेन्सी (सीएस साफ्टवेयर इन्टरप्राइजेस लिमिटेड, हैदराबाद) के साथ हुये अनुबन्ध (फरवरी 2008) के उपबन्ध 2 में प्रावधान है कि एजेन्सी राजस्व संग्रहण और मास्टर डाटा बैंक को अद्यतन करने के लिये प्रत्येक भुगतान संग्रह केन्द्र पर एक कम्प्यूटर स्थापित करेगा। अन्य प्रावधानो के साथ अनुबन्ध बताता है कि उपभोक्ता को यह सुविधा होगी कि वह केन्द्र पर अपनी रीडिंग लेकर आये, अपना बिल बनवाये और संग्रह केन्द्र पर भुगतान करे।

कम्पनी ने इसी कार्य हेतु 10000 रुपये प्रति माह की नियत राशि पर दूसरी एजेन्सी (मैसर्स प्रीमियर साफ्टवेयर) से दूसरा अनुबन्ध किया (14 अगस्त 2008) और उसको नियमित भुगतान किया तथा उसकी वसूली बिलिंग एजेन्सी (सीएस साफ्टवेयर) से नहीं की।

प्रबन्धन ने बताया कि बिलिंग एजेन्सी का कार्य प्रीमियर साफ्टवेयर के कार्य से भिन्न था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान संग्रह केन्द्र की स्थापना का प्रावधान बिलिंग एजेन्सी के अनुबन्ध में था।

बाह्य बिलिंग एजेन्सी द्वारा दोहरी बिलिंग

2.2.37 विनविख–चतुर्थ, आगरा के मास्टर डाटा बैंक की जाँच में पाया गया कि नवम्बर 2007 से मार्च 2008 की अवधि के मास्टर डाटा बैंक में 109 दोहरे उपभोक्ता थे जिनकी गणना डाटाबेस जोड़ने के कमाण्ड द्वारा की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

माह	उपखण्ड	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	दोहरे उपभोक्ता
नवम्बर 2007	उपखण्ड अधिकारी–प्रथम	7,006	33
दिसम्बर 2007	उपखण्ड अधिकारी–द्वितीय	7,056	33

माह	उपखण्ड	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	दोहरे उपभोक्ता
दिसम्बर 2007	उपखण्ड अधिकारी–प्रथम	12,904	105
जनवरी 2008	उपखण्ड अधिकारी–द्वितीय	14,025	105
जनवरी 2008	उपखण्ड अधिकारी–प्रथम	13,058	109
फरवरी 2008	उपखण्ड अधिकारी–द्वितीय	14,097	109
जनवरी 2008	उपखण्ड अधिकारी–प्रथम	13,058	108
मार्च 2008	उपखण्ड अधिकारी–द्वितीय	14,151	108

इन दोहरे उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी ने खण्ड को कभी नहीं बताया और इन उपभोक्ताओं के बिल बनाये। बिलिंग एजेन्सी द्वारा अपवाद रिपोर्ट भी नही दी गई, 109 उपभोक्ताओं के बिल दो बार बनाये गये और उनका भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने बताया कि उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जाँच के उपरान्त बिलिंग एजेन्सी से वसूली की जायेगी।

लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं की तदर्थ बिलिंग

2.2.38 जनवरी से दिसम्बर 2008 की अवधि में विनविख–चतुर्थ, आगरा के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के डाटा बैंक की जाँच में पता चला कि विद्युत प्रभार की गणना प्रचलित टैरिफ प्रावधानो के अनुसार नहीं की गई।

पुनः दो लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, यद्यपि, डाटाबेस में मीटर रीडिंग उपलब्ध थी किन्तु निर्धारण तदर्थ/अस्थाई रूप से की गई। इसके परिणामस्वरूप 8.22 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि उपभोक्ताओं के बिल संशोधित किये गये थे और उसी माह में इन्ट्री कर दी गई थी। दो प्रकरणों के सम्बन्ध में उसने बताया कि वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किये जा रहे है।

मीटर्ड यूनिट (एमयू) श्रेणी में गलत बिल बनाना

कुल बिल धनराशि के स्थान पर विद्युत प्रभार को पूर्णांकित किये जाने के कारण 5.98 लाख रुपये का अधिक निर्धारण हुआ।

2.2.39 अप्रैल से दिसम्बर 2008 की अवधि में विनविख–प्रथम, मथुरा के घरेलू उपभोक्ताओं के डाटाबेस की जाँच से पाया गया कि 1 किवा भार वाले 27,054 सक्रिय प्रकरणों में बिलिंग 'एनओआर' श्रेणी में की गई। बिलिंग एजेन्सी ने विद्युत प्रभार को पूर्णांकित कर दिया जबकि कुल बिल धनराशि पूर्णांकित की जानी थी जिससे 27,054 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 0.11 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ और जून से दिसम्बर 2008 की अवधि में 24,136 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 5.98 लाख रुपये का अधिक निर्धारण हुआ।

पुनः क्योंकि बिलिंग एजेन्सी ने उपभोक्ताओं के गलत बिल बनाये, अतः, अनुबन्ध के प्रावधानो के अनुसार 51.19 लाख रुपये के दण्ड हेतु उत्तरदायी थी लेकिन एजेन्सी से उसकी वसूली नहीं की गई।

प्रबन्धन ने बताया कि बिलिंग एजेन्सी को सिर्फ बिल धनराशि को पूर्णांकित करने के निर्देश दे दिये गये है।

कम्पनी ज्यादा उपभोग वाले उपभोक्ताओं की पहचान नहीं कर सकीं।

ज्यादा विद्युत उपभोग के प्रकरणों की पहचान न होना

2.2.40 विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में दिये गये फार्मूलें से गणना के अनुसार 1 किवा भार वाले उपभोक्ताओं का एक माह में उपभोग 216 केडब्ल्यूएच* से अधिक नहीं होना चाहिए।

* एलएचएफडी फार्मूला (1×24×0.3×30)= 216 द्वारा आगणित।

यदि उपभोक्ता इस सीमा का उल्लंघन करता है तो इसका अर्थ है कि या तो उपभोक्ता का भार अधिक है या मीटर ऊर्जा की सही खपत नहीं दर्ज कर रहा है।

नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि में पाँच वितरण खण्डों के 1 किवा भार वाले एलएमवी–1 (घरेलू बत्ती एवं पंखा) डाटा बैंक की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत सीमा से अधिक उपभोग के 7,675 प्रकरण थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

खण्ड का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	स्वस्थ श्रेणी के अन्तर्गत प्रकरणों की संख्या	निर्धारित उपभोग की यूनिट से अधिक उपभोग के प्रकरणों की संख्या	उपभोग का विस्तार
विनविख–I, आगरा	5,29,609	39,944	2,506	251-89,105
विनविख–II, आगरा	41,573	17,260	74	490-9,993
विनविख–IV, आगरा	1,59,037	44,519	1,182	251-1,72,580
विनविख–VII, आगरा	4,01,915	39,385	3,322	251-65,068
विनविख–I, मथुरा	3,51,283	2,67,100	591	251-62,999
योग			**7,675**	

यह इंगित करता है कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा प्रयुक्त बिलिंग साफ्टवेयर में ऐसी कोई रिपोर्ट स्वतः बनने की सुविधा नहीं थी। इन रिर्पोटों के अभाव में कम्पनी हानि बचाने के लिये उनके अधिक भार को नियमित करने या उनके दोषपूर्ण मीटर बदलने हेतु ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित उपभोक्ताओं का उपभोग तीस दिनो से ज्यादा का हो सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा ने उन्हीं प्रकरणों को लिया है जहाँ एक माह का नियत प्रभार लगाया गया था।

वाणिज्यिक विवरणों एवं बिलिंग डाटाबेस में अन्तर

डाटाबेस और वाणिज्यिक विवरणों में दिखाये गये आँकड़ो में भिन्नता थी।

2.2.41 एजेन्सी के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार एजेन्सी द्वारा बिलिंग लेजर एवं बिलिंग डाटा अन्य प्रतिवेदनो के साथ खण्ड को साफ्ट कापी में प्रदान किया जाना था जिससे वाणिज्यिक विवरणो के अंक जिसमे प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के विवरणों के साथ उनके निर्धारण को कम्पनी मुख्यालय भेजने के पूर्व समाधानित किया जा सके। किन्तु बिलिंग लेजर एवं बिलिंग डाटा की साफ्ट कापी बिलिंग एजेन्सियों से प्राप्त नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक विवरणों में समाहित अंक और लेजर के अनुसार अंक समाधानित नहीं किये जा सके और आठ खण्डों में दिसम्बर 2008 माह में दोनो के आँकड़ो में भिन्नता थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–16** में दिया गया है।

प्रबन्धन ने बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित अन्तर स्थायी विच्छेदन वाले उपभोक्ताओं के कारण है जिनको उसी माह में डाटाबेस से हटाया नहीं जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित आँकड़े निष्क्रिय उपभोक्ताओं को छोड़कर थे।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण का उपयोग न होना

41.91 लाख रुपये के व्यय के बावजूद जीआईएस मानचित्रण का उपयोग नहीं किया गया।

2.2.42 कम्पनी ने 41.91 लाख रुपये की लागत से जीआईएस मानचित्रण हेतु बिलिंग एजेन्सियों (साई, मेरठ और सीएस साफ्टवेयर, हैदराबाद) से अनुबन्ध निष्पादित (नवम्बर 2007 एवं फरवरी 2008) किये। अनुबन्ध के कार्य की सीमा अन्य प्रावधानो सहित प्रावधानित करती थी कि एजेन्सियों को घर–घर सर्वेक्षण जीआईएस मानचित्रण (मार्गों, गलियों, पथों, घरों या बहुभुजों को दर्शाते हुये) सहित, वितरण परिवर्तको (डीटी), खम्भों एवं करेंट परिवर्तको (सीटी), डीटी के लो टेन्शन की ओर स्थापित मीटरो को चिन्हित करना था।

सर्वेक्षण में मीटर की स्थिति की पहचान (भौतिक एवं संचालनात्मक स्थिति, टूटे शीशे, सीलों की स्थिति, मीटर की बनावट, निर्माण वर्ष, अंको की संख्या आदि) मीटर नम्बर की सत्यता, स्पष्टता, ग्राहक संख्या, पता इत्यादि सम्मिलित था। इसमे उपभोक्ता के भवन (या अन्यथा) की ओर जा रही ऊर्जा लाइनो की पहचान, वास्तविक भौतिक क्रमों के अनुसार दृष्टिगत निरीक्षण द्वारा क्रमांको का आवंटन भी शामिल था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि यद्यपि एजेन्सियों द्वारा जीआईएस मानचित्रण तैयार किया गया था किन्तु यह साहायित साफ्टवेयर एवं एजेन्सी के सर्वर या बिलिंग एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त उपभोक्ताओं के डाटा बैंक से सम्बद्धता के साथ साफ्ट कापी में उपलब्ध नहीं था। कम्पनी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण का प्रयोग नहीं कर सकी जिससे सम्पूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

प्रबन्धन ने बताया कि आगे की कार्यवाही भविष्य में प्रणाली विकसित करने के बाद की जायेगी। उत्तर अपवंचक है।

आपदा पुनर्लाभ एवं व्यापार निरन्तरता योजना का अभाव

2.2.43 उपभोक्ताओं के विरुद्ध उनके ऊर्जा उपभोग की राजस्व बिलिंग करना एवं उसकी वसूली कम्पनी की आय का मुख्य स्त्रोत है। यदि कोई आपदा आती है और उपभोक्ताओं के बिल समय पर नहीं बनाये जाते है तो कम्पनी की आय बहुत अधिक प्रभावित होगी।

कम्पनी के पास आपदा♣ के पश्चात तुरन्त कार्यवाही के लिए कोई आपदा पुनर्लाभ एवं व्यापार निरन्तरता योजना नही थी जिससे कि डाटा प्रक्रिया संचालन तुरन्त शुरू किया जा सके। मुख्य ढाँचा वस्तुऐं जैसे हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कर्मचारी एवं अन्य परिसम्पत्तियों, जो आपदा के समय सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की निरन्तरता के लिए आवश्यक थी, चिन्हित एवं अभिलेखित नहीं की गई थी। आगे, बाह्य बिलिंग एजेन्सी की तरफ से चूक होने पर अपनी बिलिंग क्रिया के लिए कोई पुनर्लाभ योजना कम्पनी के पास नहीं थी।

प्रबन्धन ने बताया कि आरएपीडीआरपी के अन्तर्गत एक आपदा पुनर्लाभ केन्द्र बनाया जायेगा। उत्तर अप्रवंचक है क्योंकि लेखा परीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नही की गई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2009); उनके उत्तर प्राप्त नही हुये (नवम्बर 2009)।

निष्कर्ष

कम्पनी की बाह्य बिलिंग प्रणाली में सुरक्षा विशेषता, समान आंकड़ा संरचना, प्रतिवेदनो का निर्माण आदि के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी आईटी नियन्त्रण नही था।

अनेक प्रकरणों में उपभोक्ताओं की बिलिंग में टैरिफ आदेशों का प्रयोग अपर्याप्त सूचना नियन्त्रण एवं अभिपुष्टि नियन्त्रण सहित, गलत और अनुचित ढंग से प्रणाली में समाहित था जिससे उपभोक्ताओं के विरुद्ध कम/अधिक बिलिंग हुई। कम्पनी की अनुश्रवण व्यवस्था कमजोर थी परिणामतः जीआईएस मानचित्रण का प्रयोग नही हुआ, बिल नही बने/गलत बने और वाणिज्यिक विवरणों एवं बिलिंग डाटाबेस में भिन्नता हुई।

संस्तुतियाँ

- **कम्पनी को एक आईटी योजना बनानी एवं अभिलेखित करनी चाहिए।**
- **बिना प्रमाणन के डाटाबेस में परिवर्तन/सुधार को रोकने के लिए आईटी सुरक्षा नीति एवं व्यवसाय निरन्तरता योजना बनानी चाहिए।**

♣ प्राकृतिक/तकनीकी दुर्घटना के कारण आँकड़ो का क्षय।

- कम्पनी को आपदा के समय आकँड़ा विधायन के तुरन्त संचालन के लिए आपदा पुनर्लाभ योजना बनानी चाहिए।
- यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ प्रावधानो का अनुपालन एवं बाह्य एजेन्सी द्वारा प्रयुक्त बिलिंग साफ्टवेयर/डाटाबेस में उनके प्रयोग का उचित प्रकार से अनुश्रवण होना चाहिए।

अध्याय–III

सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यात्मकता

कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) अपने 107 डिपो के माध्यम से राज्य में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। निगम के पास 31 मार्च 2009 को 7710 बसों की बेड़ा शामिल थी और प्रतिदिन औसतन 12.79 लाख यात्रियों का वहन किया। लोक परिवहन में निगम का अंश 28.18 प्रतिशत था तथा शेष निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराया गया। निगम की वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा, इसकी संचालन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता का, इसकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की योग्यता, राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोत का हस्तगत करने हेतु व्यवसाय–प्रतिरूप को पुनर्बद्ध करने की सम्भावना, किराया नीति की विद्यमानता एवं पर्याप्तता तथा निगम के मानकों के अनुवीक्षण में सर्वोच्च प्रबन्धन की प्रभावशीलता, के आकलन हेतु की गयी।

वित्त एवं निष्पादन

निगम ने वर्ष 2008–09 में पूर्व आवधिक समयोजकों के बिना 10.67 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2009 को इसकी संचित हानियाँ एवं उधार क्रमशः 804.29 करोड़ रुपये तथा 239.17 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2008–09 में निगम ने 15.02 रुपये प्रति किलोमीटर अर्जित किया और 14.91 रुपये प्रति किलोमीटर व्यय किया। लेखा परीक्षा ने अवलोकित किया कि सही प्रकार के नीति उपाय एवं इसके मामलों के बेहतर प्रबन्धन के द्वारा अधिक लाभार्जन एवं अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, राजस्व बढ़ाने एवं लागतों को कम करना सम्भव है।

अवरोही हिस्सेदारी

वर्ष 2008–09 में अनुज्ञप्त 27361 बसों में से लगभग 28.18 प्रतिशत निगम से सम्बन्धित था। प्रतिशत भागीदारी वर्ष 2007–08 के 31. 33 प्रतिशत से मामूली घटकर वर्ष 2008–09 में 28.18 प्रतिशत हो गयी। भागीदारी में कमी, मुख्यतः संचालन अकुशलता के कारण थी जो अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत निजी संचालकों की तुलना में परमिट की प्राथमिकता होने के बावजूद परमिट न प्राप्त करने के कारण, संचालन 39.89 प्रतिशत तक रहने के कारण, हुई। प्रति लाख जनसंख्या वाहन घनत्व (निजी संचालको की बसों को सम्मिलित करते हुए) 35 बसों के अखिल भारतीय औसत (अ.भा.ओ.) के विरुद्ध समीक्षा अवधि के दौरान 13 रहा, जो राज्य में लोक परिवहन के स्तर में गिरावट का संकेतक था।

अनुवीक्षण

उच्च प्रबन्धन द्वारा अनुवीक्षण हेतु, उपलब्धि विषयक फीड बैंक प्राप्त करने के लिए, एक प्रभावशाली प्रबन्धन सूचना तंत्र (एमआईएस) की आवश्यकता है। संचालन में कमी एवं इससे सम्बन्धित डिपो द्वारा की जाने वाली उचित उपचारी कार्यवाही संचालक मण्डल में सुविचारित की जाती थी।

वाहन परिदृश्य एवं उपयोग

निगम के बस बेड़े में अपनी 6831 बसें और 879 अनुबन्धित बसें, समाहित थीं। वर्ष 2008–09 के अन्त में निगम के पास आठ वर्ष पुरानी कोई बस नही थी। अधिक आयु वाली बसों का प्रतिशत वर्ष 2004–05 के 16.99 के स्तर से, वर्ष 2004–09 के दौरान 5375 नई बसों के प्राप्त करने का कारण घट गया। हालांकि, प्रबन्धन के अनुसार, वर्ष 2008–09 के अन्त में 1239 अधिक आयु वाली बसें थी जिनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी।

निगम का बस बेड़ा उपयोग वर्ष 2008–09 में 95 प्रतिशत था जो अखिल भारतीय औसत 92 प्रतिशत से उच्च था। इसकी 332 किमी प्रतिदिन प्रति बस की वाहन उत्पादकता भी अखिल भारतीय औसत 313 किमी प्रतिदिन प्रति बस से अधिक थी। इसी प्रकार, इसका 65 प्रतिशत का लोड फैक्टर 63 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से अधिक रहा। बेड़ा उपयोग की दृष्टि से 14 से 39 डिपो अल्प निष्पादक थे तथा 29 से 65 डिपो ने निगम के ईंधन औसत को प्राप्त नही किया। प्रभावशाली अनुवीक्षण से उनके संचालन में सुधार लाया जा सकता है। यद्यपि, निगम ने संचालन पैरामीटर पर अच्छा किया फिर भी इसने मार्गवार लाभदायकता विनिश्चित नही किया जिससे कि प्रभावकारी अनुवीक्षण किया जा सके।

संचालन में मितव्ययिता

वर्ष 2008–09 में मानव संसाधन एवं ईंधन खर्च कुल व्यय का 73.88 प्रतिशत था। निगम वर्ष 2004–05 के 6.23 कर्मचारी प्रति बस को वर्ष 2008–09 में 5.15 कर्मचारी प्रति बस तक कम करने में सफल रहा।

राजस्व वृद्धिकरण

निगम के पास इसके संचालन हेतु 36.06 लाख वर्ग मीटर भूमि थी, उक्त भूमि का विकास इसके संचालन को अभिपुष्ट करने हेतु निरन्तर आय अर्जित करने के उद्देश्य से लोक एवं निजी क्षेत्रक भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर, किया जा सकता है। निगम ने इस सम्बन्ध में, किसी नीति का निरूपण नही किया है।

एक नियामक की आवश्यकता

सितम्बर 2005 से प्रति किमी किराया 49.52 पैसे रहा है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा किराया वृद्धि का अनुमोदन किया जाता है, किन्तु इसकी गणना का कोई वैज्ञानिक आधार नही है। अतः यह वांछनीय है कि एक स्वतंत्र नियामक निकाय (राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरह), होना चाहिए जो किराये का निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की व्यापकता का विनिश्चय एवं यात्रियों की शिकायतों का अनुश्रवण करे।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

समीक्षा अवधि के दौरान निगम लाभ अर्जित करता रहा है। हालांकि, अधिक मार्गो को शामिल करने एवं राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोतों को हस्तगत करने से राजस्व को अधिकाधिक करने का अभी भी अवसर था। निगम के निष्पादन में सुधार लाने हेतु इस निष्पादन समीक्षा में आठ संस्तुतियाँ की गयी हैं। अधिक वसों का अनुबन्धन, किराया एवं सेवाओं के नियमन हेत नियामक की स्थापना, पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोतो को हस्तगत करना एवं मुख्य कार्यकारी का पर्याप्त अवधि हेतु कार्यकाल, इन संस्तुतियों में से कुछ हैं।

प्रस्तावना

3.1 उत्तर प्रदेश में लोक सड़क परिवहन सुविधा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदान की जाती है जिसे कुशल, पर्याप्त, मितव्ययी तथा समुचित रूप से समबन्धित सड़क परिवहन सुविधा हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य द्वारा निजी संचालको को भी लोक परिवहन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु राज्य द्वारा कतिपय मार्गों (राष्ट्रीयकृत मार्ग) को केवल निगम के लिए आरक्षित किया गया है तथा अन्य मार्गों (अराष्ट्रीयकृत मार्ग) पर निगम तथा निजी संचालकों, दोनो को संचालन हेतु अनुमति दी गयी है। कुछ अराष्ट्रीयकृत मार्गो पर केवल निजी संचालको द्वारा परिवहन सेवाएं प्रदान की जाती है। किराया–ढाँचा, शासन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह ढाँचा निगम तथा निजी संचालकों, दोनो के लिए समान होता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) का गठन राज्य सरकार के पूर्ण सवामित्व वाले निगम के रूप में, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 01 जून, 1972 को किया गया था। निगम राज्य सरकार के परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। निगम का प्रबन्धन एक संचालक मण्डल में निहित है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अक्ष्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा आठ निदेशक शामिल हैं। दैनदिन कार्य, प्रबन्धन निदेशक जोकि निगम का मुख्य कार्यकारी होता है के द्वारा मुख्य महाप्रबन्धकों, महाप्रबन्धकों, क्षेत्रीय प्रबन्धकों, एवं डिपो प्रबन्धकों की सहायता सें, सम्पन्न किये जाते हैं। निगम के पास 19 श्रेत्रीय कार्यालय, 107 डिपो तथा दो केन्द्रीय कार्यशालाएं हैं। बस बॉडी निर्माण एवं टायर रिट्रीडिंग कार्य, बाह्य एजेन्सियों के द्वारा भी सम्पादित किये जाते हैं।

निगम के पास 31 मार्च 2009 को 7710 बसों का बेड़ा था जिसमे 879 अनुबन्धित बसें सम्मिलित थीं। वर्ष 2008–09 के दौरान औसतन इसने 12.79 लाख यात्री प्रतिदिन, वहन किये। राज्य में संचालित बसों में निगम का अंश 28.18 प्रतिशत था तथा शेष 71.82 प्रतिशत निजी संचालको द्वारा संचालित था। वर्ष 2008–09 में निगम का टर्नओवर 1413.86 करोड़ रुपये था जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (400711 करोड़ रुपये) का 0.35 प्रतिशत था। 31 मार्च 2009 को निगम में 35198 कर्मचारी कार्यरत थे।

निगम के संचालन निष्पादन एवं सामग्री प्रबन्धन पर समीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश शासन, वर्ष 2000 में सम्मिलित किया गया था। इस समीक्षा, पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा वर्ष 2003 में आंशिक रूप से विचार–विमर्श किया गया। कोपू की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की स्थिति का वर्णन आगामी प्रस्तरों में किया गया है:

लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

3.2 फरवरी 2009 से जून 2009 तक सम्पादित की गयी वर्तमान समीक्षा में निगम के वर्ष 2004–05 से 2008–09 के निष्पादन को समाहित किया गया है। यह समीक्षा, मुख्यताः संचालन कौशल, वित्तीय प्रबन्धन, किराया नीति, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति तथा उच्च प्रबन्धन द्वारा अनुवीक्षण से सम्बन्धित है। लेखा परीक्षा जाँच में, मुख्यालय, एक केन्द्रीय कार्यशाला सात क्षेत्रीय कार्यालय• (तीन हानि, तीन लाभ अर्जन तथा एक अस्थिर निष्पादन वाले क्षेत्रीय कार्यालय) तथा 107 डिपो में से 17 डिपो जिनका कुल राजस्व में 12.42 प्रतिशत योगदान था और राज्य के सभी तरफ के भौगोलिक क्षेत्र को समाहित करते हुए, अभिलेखों की संवीक्षा की गयी।

लेखा परीक्षा कसौटियों के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनायी गयी पद्धतियों, उच्च प्रबन्धन को लेखा परीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराना, मुख्यालय एवं चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखा परीक्षिनी कार्मिकों के साथ संवाद, लेखा परीक्षा कसौटियों के सन्दर्भ में, आँकड़ो का विश्लेषण, लेखा परीक्षा प्रश्नों का उठाना, प्रबन्धन के साथ लेखा परीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श तथा प्रबन्धन की टिप्पणी हेतु, ड्राफ्ट समीक्षा प्रबन्धन को निर्गत करना, शामिल किया गया।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

3.3 निष्पादन लेखा परीक्षा के उद्देश्य यह आकंलित करने हेतु थेः

संचालन निषपादन

- उस सीमा का पता करना कि निगम लोक परिवहन हेतु बढ़ती माँग को पूर्ण करने हेतु कहाँ तक समर्थ रहा;
- क्या निगम संचालन लागतों को अर्जित करने में सफल रहा;
- उस सीमा का पता लगाना जहाँ तक निगम कुशलता पूर्वक संचालन कर रहा था; और
- क्या समय पर वाहनों को संचालन योग्य बनाने हेतु पर्याप्त अनुरक्षण कार्य सम्पन्न किया था।

वित्तीय प्रबन्धन

- क्या निगम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने एवं अपने देयों की कुशलतापूर्वक वसूली करने में समर्थ था; और
- राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोतो को हस्तगत करने हेतु निगम के व्यावसायिक प्रतिरूप को पुनर्सम्बद्ध करने की तथा ऐसे कोषों तक पहुँच हेतु अपनाये जाने वाले नवोन्मेसी की सम्भाव्यता का आँकलन।

किराया नीति तथा सामाजिक दायित्वो की पूर्ति

- किराया नीति की विधमानता एवं पर्याप्तता का आकंलन; और
- क्या निगम ने अमितव्ययी मार्गो पर पर्याप्त संचालन किया था।

उच्च प्रबन्धन द्वारा अनुवीक्षण

- निगम के उच्च प्रबन्धन द्वारा किया जाने वाल अनुवीक्षण प्रभावशाली था।

• लखनऊ, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ महानगरीय क्षेत्र।

लेखा परीक्षा की कसौटियाँ

3.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का आँकलन करने हेतु अपनायी गयी लेखा परीक्षा कसौटियाँ थीः

- निष्पादन पैरामीटर हेतु अखिल भारतीय औसत;
- राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ (एएसआरटीयू) द्वारा निर्धारित निष्पादन प्रमाप एवं संचालन मानक;
- प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य/मानक;
- निर्माताओं द्वारा निर्धारित विशिष्टताएं, बस की आयु हेतु मानक, उपचारी अनुरक्षण सारिणी, ईंधन कुशलता मानक इत्यादि;
- भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश तथा अन्य सम्बन्धित नियम एवं विनियम; और
- निगम द्वारा अभिनिर्धारित प्रक्रिया।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

3.5 निगम की वर्ष 2008–09 तक पाँच वर्षीय वित्तीय स्थिति निम्नवत हैः

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनन्तिम)
अ. दायित्व					
प्रदत्त पँजी	312.13	312.13	359.13	359.13	369.13
संचय एवं आधिक्य (पूँजीगत अनुदानो सहित परन्तु ह्रास संचय रहित)	1.18	1.28	18.70	33.17	23.19
उधारियाँ (ऋण कोष)	184.24	211.77	187.07	168.94	239.17
चालू दायित्व एवं प्रावधान	804.22	855.47	974.17	931.07	928.86
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराँचल राज्य सड़क परिवहन निगम पुनर्गठन निराकरण खाता	26.41	26.41	26.41	26.41	26.41
योग	**1328.18**	**1407.06**	**1565.48**	**1518.72**	**1586.76**
ब. परिसम्पत्तियाँ					
सकल परिसम्पत्तियाँ	729.53	838.32	918.82	974.42	1096.27
घटायाः ह्रास	430.43	485.89	503.41	596.84	649.49
शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ	299.10	352.43	415.41	377.58	446.78
पूँजीगत कार्य प्रगति पर (चेसिस लागत सहित)	7.75	6.24	7.75	8.06	11.56
विनियोग	1.91	2.01	2.53	0.52	-
चल सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	143.42	157.99	167.89	200.75	204.08
संचित हानियाँ	755.95	768.34	851.85	811.76	804.29
अर्न्तकार्यालयीन समाययोजन	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05
योग	**1328.18**	**1407.06**	**1565.48**	**1518.72**	**1586.76**

संचालन सम्बन्धी कार्यकारी परिणामों का विवरण यथा संचालन आय और व्यय, कुल आय एवं व्यय, शुद्ध आधिक्य/हानि तथा प्रति किमी आय एवं लागत, निम्नवत हैः

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कुल आय	872.23	1018.68	1141.18	1240.74	1413.86
2.	संचालन आय[1]	840.77	981.57	1104.17	1198.66	1260.56
3.	कुल व्यय	868.36	1004.91	1101.14	1200.03	1403.19
4.	स्ंचालन व्यय[2]	850.50	987.85	1082.03	1182.24	1381.02
5.	संचालन लाभ/हानि	(-) 9.73	(-) 6.28	22.14	16.42	(-)120.46
6.	वर्ष का लाभ/हानि	3.87	13.77	40.04	40.71	10.67
7.	संचित लाभ/हानि	(-)755.95	(-)768.34	(-)851.85	(-)811.76	(-)804.29
8.	स्थायी लागतेंः					
	कार्मिक लागत	162.52	171.03	169.60	184.94	204.56
	ह्रास	79.60	89.63	103.09	115.08	117.02
	ब्याज	16.28	15.76	18.03	17.16	21.93
	अन्य स्थायी लागतें	13.34	14.38	17.29	14.52	12.27
	कुल स्थायी लागतें	**271.74**	**290.80**	**308.01**	**331.70**	**355.78**
9.	परिवर्तनशील लागतें					
	ईंधन एवं एनेहक	293.57	390.45	449.80	469.89	586.18
	टायर एवं ट्यूब	23.13	25.54	29.28	34.02	41.51
	अन्य सामग्री/स्पेयर्स	25.53	28.87	32.04	35.19	40.07
	कर (एमवी कर, यात्री कर, इत्यादि)	7.37	7.59	8.35	8.37	8.78
	अन्य परिवर्तनशील लागतें	92.00	95.13	96.82	115.58	131.89
	परिवर्तनशील कार्मिक लागत	155.02	166.53	176.84	205.28	238.98
	कुल परिवर्तनशील लागतें	**596.62**	**714.11**	**793.13**	**868.33**	**1047.41**
10.	शुद्ध संचालित किमी (लाख में)	7223.56	7954.30	8477.71	9012.94	9411.53
11.	आय प्रति किमी (रुपये) (1/10)	12.07	12.81	13.46	13.77	15.02
12.	स्थायी लागत प्रति किमी (रुपये) (8/10)	3.76	3.66	3.63	3.68	3.78
13.	परिवर्तनशील लागत प्रति किमी (रुपये) (9/10)	8.26	8.98	9.36	9.63	11.13
14.	लागत प्रति किमी (रुपये) (3/10)	12.02	12.63	12.99	13.31	14.91
15.	शुद्ध आय प्रति किमी (रुपये) (11–14)	0.05	0.18	0.47	0.46	0.11
16.	यात्री आय[3]	832.31	975.05	1097.73	1196.08	1249.50
17.	यात्री आय प्रति किमी (रुपये) (16/10)	11.52	12.26	12.95	13.27	13.28
18.	संचालन लाभ/हानि प्रति किमी (रुपये) (5/10)	(-)0.13	(-)0.08	0.26	0.18	(-)1.28

1 संचालन आय मे सम्मिलित है– यात्री आय, पास एवं सीजन टिकट, रियायती पास के विरुद्ध वापसी, किमी योजना के अन्तर्गत निजी संचालको से प्रशासनिक शुल्क के रूप मे प्राप्त आय, इत्यादि।

2 संचालन व्यय मे सम्मिलित है– यातायात व्यय, बेड़े का ह्रास, मरम्मत एवं अनुरक्षण, विद्युत, कल्याण एवं पारिश्रमिक, लाइसेन्स एवं कर तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय।

3 यात्री आय, टिकटो की बिक्री, अग्रिम बुकिंग, आरक्षण शुल्क तथा अनुबन्धित बसो की आय का प्रतिनिधित्व करती है।

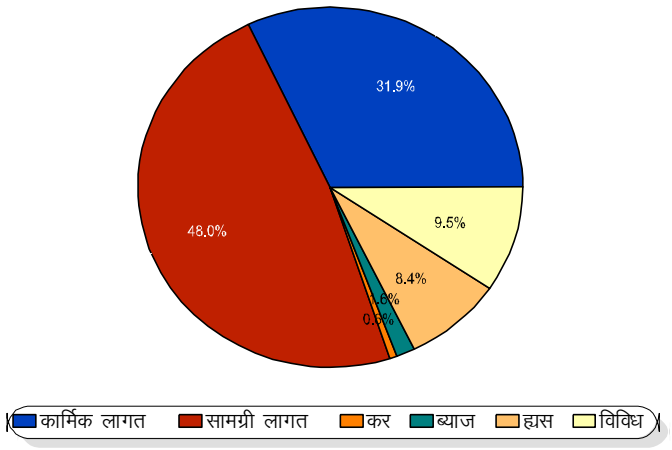
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक के लाभ, बिना गत वर्षीय समायोजन (–) क्रमशः 19.85 करोड़ रुपये, 26.16 करोड़ रुपये, 123.54 करोड़ रुपये, 0.62 करोड़ रुपये एवं 3.20 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए, निकाले गये थे। अतएव 2004–05 से 2006–07 तक के लाभ क्रमशः 15.98 करोड़ रुपये, 12.39 करोड़ रुपये, 83.51 करोड़ रुपये की हानियो में परिवर्तित हो जाएँगे तथा वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लाभ घट कर क्रमशः 39.89 करोड़ रुपये तथा 7.47 करोड़ रुपये हो गये।

वर्ष 2006–07 से 2008–09 के कार्यशाला संचालन खाता की लेखा परीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निगम बस बाडी निर्माण/टायर रीट्रिडिंग की वास्तविक लागत डेबिट करने के बजाय मानक लागत को डेबिट करता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, निर्मित स्टॉक क्रमशः 4.22 करोड़ रुपये, 0.88 करोड़ रुपये तथा 8.27 करोड़ रुपये से अधिपूँजीकृत हो गया। अतः सम्बन्धित वर्षों का लाभ भी उक्त सीमा तक अधिसूचित था।

लागत के तत्व

3.5.1 **लागत** का मुख्य भाग कार्मिक एवं सामग्री लागत से सम्बन्धित था। वर्ष 2008–09 की लागतों का प्रतिशत विभाजन निम्न वृत्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है:

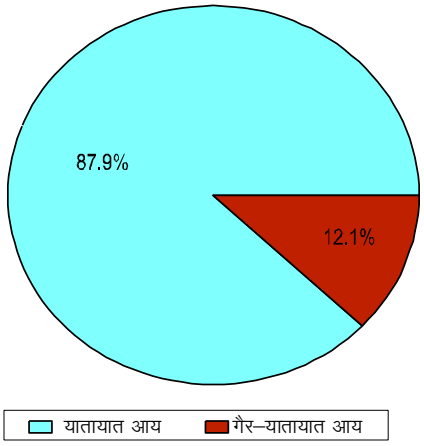
लागत के विभिन्न तत्वों के विभाग



आय के तत्व

3.5.2 आय के मुख्य तत्वों में यातायात एवं गैर यातायात आय सम्मिलित थी। वर्ष 2008–09 के आय का प्रतिशत विभाजन ग्राफ के रूप में निम्नवत प्रतिबिम्बित है:

आय के विभिन्न तत्वों के विभाग



लेखा परीक्षा प्रेक्षण

3.6 निष्पादन समीक्षा के लेखा परीक्षा उद्देश्यों से निगम को 11 फरवरी 2009 को आयोजित आगमन सम्मेलन के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा अवगत कराया गया। तत्पश्चात, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को निगम तथा शासन को सितम्बर 2009 में प्रतिवेदित किया गया तथा 29 सितम्बर 2009 को आयोजित बहिर्गमन सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया, जिसमें प्रबन्ध निदेशक, वित नियंत्रक और मुख्य महाप्रबन्धक (संचालन, तकनीकी एवं प्रशासन) उपस्थित हुए। निगम ने लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर अगस्त 2009 में प्रस्तुत किये। समीक्षा को पूर्ण करते समय उनके द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोणों पर विचार किया गया। लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर निम्नवत चर्चा की गयी हैः

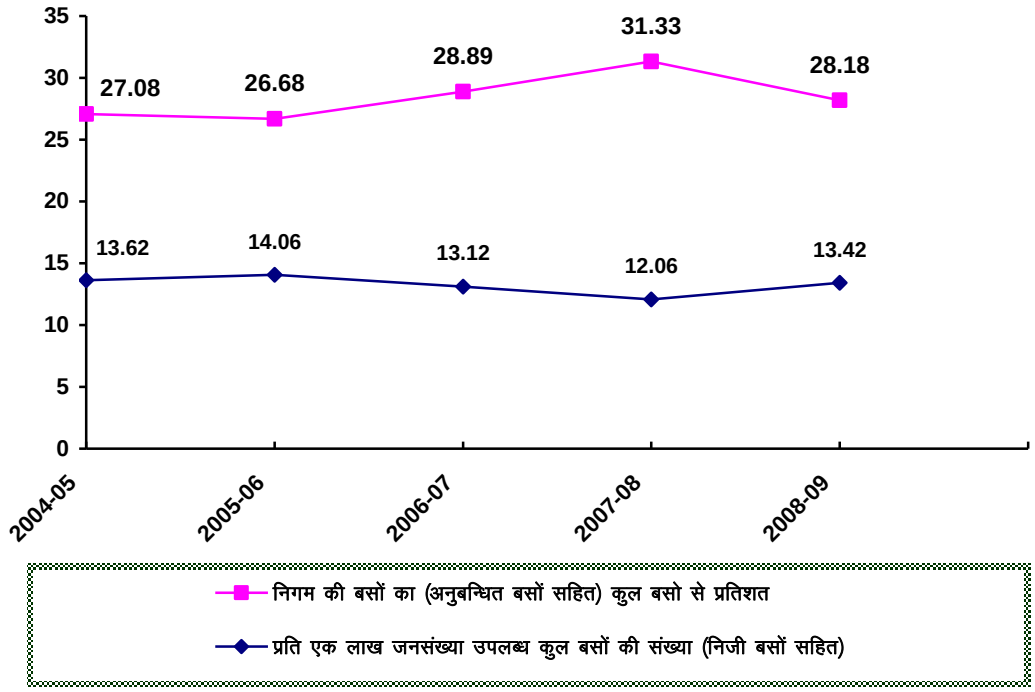
संचालन निष्पादन

3.7 निगम के वर्ष 2008–09 तक पाँच वर्षीय संचालन निष्पादन **परिशिष्ट–17** में दिए गये है। निगम के संचालन निष्पादन का मूल्यांकन विभिन्न संचालन मापदण्ड द्वारा मूल्यांकित किया गया, जो निम्नवत हैं। यह भी अवलोकित किया गया कि, क्या निगम बढ़ती हुई लोक परिवहन माँग के साथ समन्वय स्थापित करने में समर्थ था। आगामी प्रस्तरों में वर्णित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों से प्रतिबिम्बित होता है कि हानियाँ नियंत्रणीय थी तथा निष्पादन में सुधार के अवसर विद्यमान हैं।

लोक परिवहन में निगम का अंश

3.8 राज्य सरकार ने किसी परिवहन नीति का निरूपण नहीं किया है। हालांकि, केन्द्र सरकार की परिवहन नीति में लोक परिवहन के सन्तुलित मिश्रण एवं निजी परिवहन को हतोस्साहित करने की अपेक्षा की गयी है। पर्याप्त, ग्राहय तथा वहनीय माध्यम जैसे बसे, मिनी बसे, विद्युत ट्रॉली बसें जोकि तीव्र जन मार्गस्थ प्रणाली यथा मेट्रो एवं यात्री रेल द्वारा सम्पूरित हो, द्वारा उपलब्ध जन परिवहन विकल्पों के वृद्धि पर ध्यान होना चाहिए। नीति यह अभिज्ञान करती है कि पूर्णतः विकसित रेल आधारित तीव्र जन मार्गस्थ प्रणाली के अस्तित्व में आने के बाद भी, बस प्रणाली, मुख्य जन परिवहन प्रणाली प्रदायक के रूप में भूमिका निभाती रहेगी।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 103 के अनुसार, निगम को अपनी बसे मुख्यतः राष्ट्रीयकृत मार्गो पर संचालित करना होता है। राज्य में परिवहन योग्य 133105 किमी सड़के हैं, जिसमें 17729 किमी (13 प्रतिशत) सड़के राष्ट्रीयकृत तथा 87 प्रतिशत अराष्ट्रीयकृत हैं। राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों की स्थिति को **परिशिष्ट–18** में दिये गये नक्शे में प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीयकृत सड़कों पर निगम का एकाधिकार है जबकि अराष्ट्रीयकृत सड़के, निजी संचालको तथा निगम दोनो के द्वारा संचालन हेतु उपलब्ध है। हालांकि, निगम को अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन हेतु अनुमति आबंटन में निजी संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकता प्राप्त है। पाँच क्षेत्रों की परीक्षण जाँच में यह ज्ञात हुआ कि निगम 39.89 प्रतिशत अराष्ट्रीयकृत मार्गो पर संचालन करता है जिसे बस बेड़े में विस्तार द्वारा, बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि अराष्ट्रीयकृत मार्गो पर संचालन में निगम का अंश पर्याप्त नही है। वर्ष 2008–09 तक पाँच वर्षों के दौरान निगम के बसों का राज्य के कुल बसों के सापेक्ष अंश तथा प्रति एक लाख जनसंख्या के सापेक्ष उपलबध बसो को प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र निम्नवत प्रस्तुत हैः



निम्न सारणी राज्य में लोक परिवहन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है:

क्रम संख्या	विवरण[1]	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	निगम की अपनी बसें	5843	6230	6561	6665	6831
2.	अनुबन्धित बसें	949	853	784	848	879
3.	निगम की कुल बसें	6792	7083	7345	7513	7710
4.	निजी वाहन	18289	19466	18078	16467	19651
5.	लोक परिवहन हेतु कुल बसें	25081	26549	25423	23980	27361
6.	निगम का प्रतिशत अंश	27.08	26.68	28.89	31.33	28.18
7.	निजी संचालको का प्रतिशत अंश	72.92	73.32	71.11	68.67	71.82
8.	प्राक्कलित जनसंख्या (करोड़)[2]	18.41	18.89	19.38	19.88	20.39
9.	प्रति एक लाख जनसंख्या पर वाहन घनत्व (5/8)	13.62	14.05	13.12	12.06	13.42

35 बसो के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध, प्रति एक लाख जनसंख्या पर बस की उपलब्धता 13.42 रही।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि निगम लोक परिवहन हेतु बढ़ती माँग के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नही रहा है क्योंकि वर्ष 2008–09 में राज्य में लोक परिवहन की उपलब्धता वर्ष 2004–05 के 13.62 से घटकर 13.42 प्रति एक लाख जनसंख्या थी। यह प्रति एक लाख जनसंख्या के 35 बसों के राष्ट्रीय औसत से काफी दूर था। यह इस बात का संकेतक है कि निगम, जैसा कि अधिनियम द्वारा अधिकृत किया गया है, राज्य में पर्याप्त, कुशल तथा मितव्ययी परिहवन सुविधा विकसित करने में असफल रहा है। प्रति एक लाख जनसंख्या पर 35 बसों के राष्ट्रीय औसत को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य में 71365 बसो की आवश्यकता थी। मार्च 2009 के अन्त में संचालित 27361 बसो को ध्यान में रखते हुए, कुल 44004 बसों की कमी है। इस कमी को पूरा करने हेतु वर्ष 2008–09 के क्रय दर 12.92 लाख रुपये प्रति बस के आधार पर, 568.53 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी।

1 वर्ष के अन्त में बसों की संख्या।
2 वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित तथा 2.59 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अद्यतन की गयी जनसंख्या।

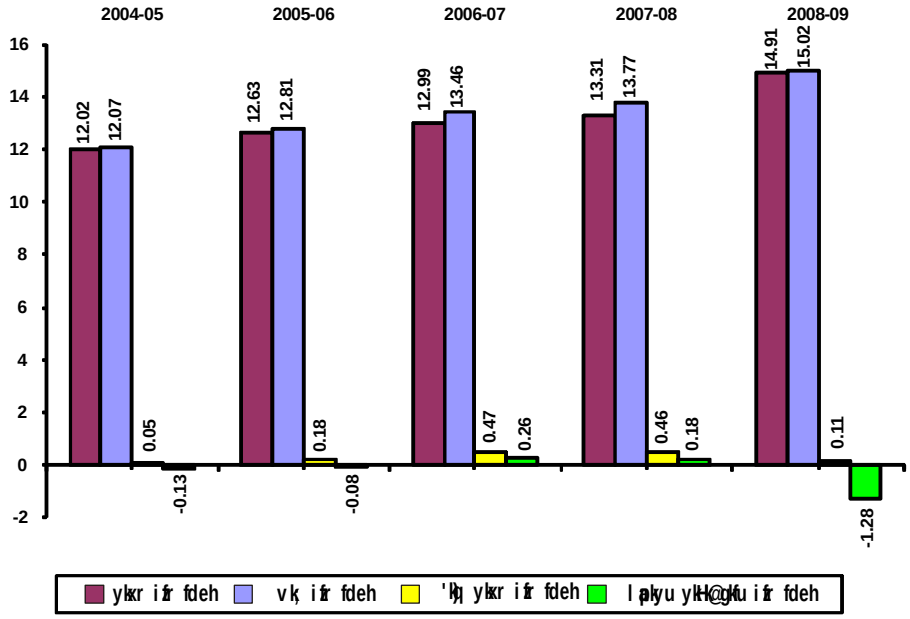
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष संचालित शुद्ध किमी की स्थिति निम्नवत है जो 3.92 से 4.62 के मामूली सुधार को दर्शाता है।

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
शुद्ध संचालित किमी (लाख)	7223.56	7954.30	8477.71	9012.94	9411.53
प्राक्कलित जनसंख्या (करोड़)	18.41	18.89	19.38	19.88	20.39
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष किमी	3.92	4.21	4.37	4.53	4.62

संचालन लागत का अर्जन

3.9 वर्ष 2008–09 तक पाँच वर्षों के दौरान, संचालन लागत के अर्जन तथा शुद्ध अर्जित आय की स्थिति निम्नवत ग्राफ[1] में प्रदर्शित है:

(राशि रुपये में)



उक्त ग्राफ गत वर्ष के निगम के क्षीण होती हुई निष्पादन का घोतक है जहाँ कि वर्ष 2007–08 की शुद्ध आय 0.46 रुपये से घटकर वर्ष 2008–09 में 0.11 रुपये हो गयी। घटती हुई आय ने निगम की पर्याप्त लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के सामर्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है क्योंकि संचालन क्रियाओं से जनित राजस्व के कुछ भाग का प्रयोग बस बेड़ा की वृद्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

संचालन में कौशल एवं मितव्ययिता

बेड़ा शक्ति तथा उपयोग

बेड़ा शक्ति तथा इसकी आयु संरचना

3.10 निगम के पास अपना बस बेड़ा है तथा यह ठेकेदारों से भी बसों को किराये पर लेता है। 31 मार्च 2009 को निगम की अपनी 6831 तथा 879 अनुबन्धित बसे थी। अनुबन्धित बसों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रस्तर 3.16 में प्रस्तुत किया गया है।

1 लागत प्रति किमी, कुल व्यय को संचालित किमी के विभाजन को प्रतिनिधित्व करता है।
प्रति किमी आय, कुल आय को शुद्ध संचालित किमी से विभाजित कर के ज्ञात की गयी।
शुद्ध राजस्व प्रति किमी, राजस्व प्रति किमी से व्यय प्रति किमी घटाने पर ज्ञान हुई है।
संचालन लाभ/हानि प्रति किमी, संचालन आय प्रति किमी से संचालन व्यय प्रति किमी धटाने से प्राप्त।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ (एएसआरटीयू) ने निर्धारित किया (सितम्बर 1997) था कि एक बस की वाँछनीय आयु आठ वर्ष तक अथवा पाँच लाख किमी, जो पहले हो, होगी। हालांकि, निगम ने एक बस की वांछनीय आयु 6 वर्ष अथवा 8 लाख किमी निर्धारित किया है। निम्न सारणी में वर्ष 2008–09 के अन्त तक पाँच वर्ष की अवधि हेतु निगम द्वारा अवधारित बसों की आयु संरचना को प्रदर्शित किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	वर्ष के प्रारम्भ में निगम की कुल बसों की संख्या*	5643	5843	6230	6561	6665
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	1048	1230	1134	498	1465
3	वर्ष के दौरान बेड़े से पृथक बसें	848	843	803	394	1299
4	वर्ष के अन्त में अवधारित बसें* (1+2–3)	5843	6230	6561	6665	6831
5	(4) के अन्तर्गत, 8 वर्ष से अधिक पुरानी बसों की संख्या	993	729	273	91	0
6	(4) के अन्तर्गत, 6 वर्ष से अधिक पुरानी बसों की संख्या	1439	1310	1062	1294	1239
7	अधि–आयु वाली बसो का कुल बसों से प्रतिशत	16.99	11.70	4.16	1.37	0

निगम को 1239 अधि–आयु बसों के प्रतिस्थापन हेतु 160.08 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी।

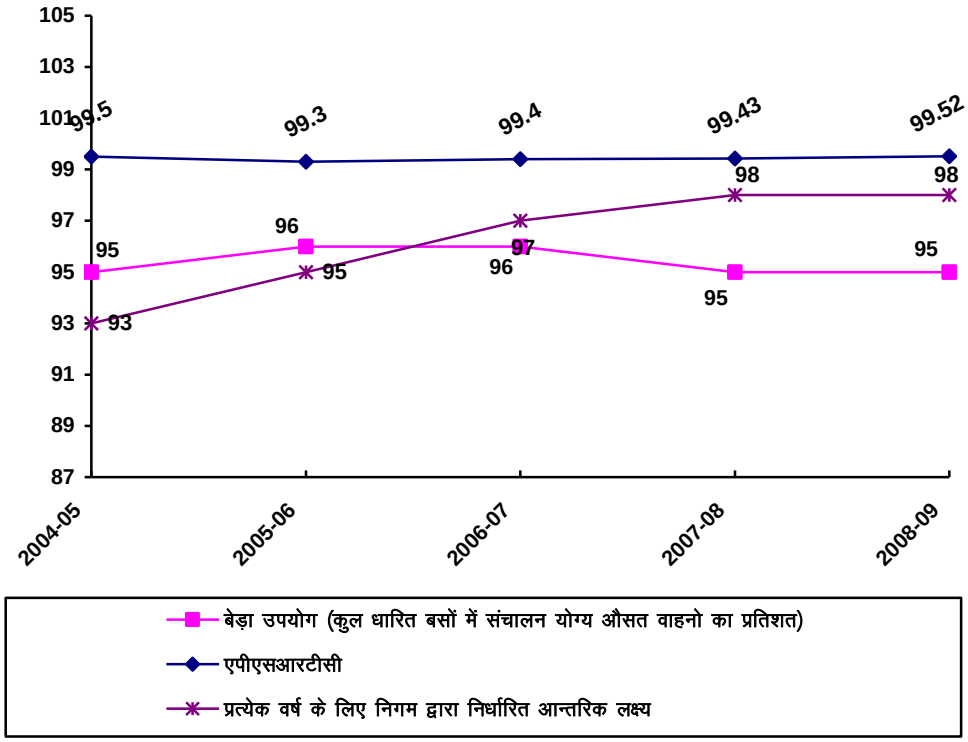
2004–09 की अवधि के दौरान निगम ने 5375 नई बसों का क्रय किया जिसके लिए 678.27 करोड़ रुपये का व्यय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों, राज्य सरकार एवं आन्तरिक स्त्रोतों द्वारा किया गया। निगम द्वारा निर्धारित सही आयु वाली बसों हेतु अतिरिक्त 1239 बसो के क्रय की आवश्यकता थी जिसमें लगभग 160.08 करोड़ रुपये व्यय होते। यद्यपि निगम ने अपने संचालन के द्वारा वर्ष 2008–09 तक बसो के प्रतिस्थापन के वित्तीयन हेतु 613.47 करोड़ रुपये (ह्रास से पूर्व लाभ 504.22 करोड़ रुपये) के पर्याप्त संसाधन सृजित कर लिया था, फिर भी सम्पूर्ण लाभ, बसों के क्रय हेतु ह्रास कोष को निर्दिष्ट करने के बजाय, व्यवासायिक क्रियाओं में पुनर्नियोजित कर दिया गया था। निगम को अपने पूँजीगत व्यय के वित्तीयन हेतु गैर परम्परागत राजस्व अवसरो को हस्तगत करने हेतु एक बेहतर कोष प्रबन्धन प्रवर्तित करनी चाहिए था।

बेड़ा उपयोग

3.10.1 बेड़ा उपयोग, निगम द्वारा धारित कुल बसों में संचालन योग्य बसों के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करना है। निगम ने वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान, बेड़ा उपयोग का 93 से 98 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके विपरीत, निगम का बेड़ा उपयोग 95 से 96 प्रतिशत तक परिवर्तनशील रहा जबकि आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) ने 99 प्रतिशत का बेड़ा उपयोग अर्जित किया था, जैसा कि निम्न रेखा चित्र में प्रदर्शित हैः

आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु (कुम्बाकोणम) और तमिलनाडु (कोयम्बतूर) ने वर्ष 2006–07 के दौरान सर्वोत्तम बेड़ा उपयोग क्रमशः 99.4, 98.4 तथा 98.3 प्रतिशत दर्ज किया। (स्त्रोतः सीआईआरटी, पूणे द्वारा प्रस्तुत राज्य परिवहन उपक्रम संरचना एवं निष्पादन वर्ष 2006–07)।

* अनुबन्धित बसों को छोड़कर।



क्षेत्रवार आँकड़ो के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि निगम की अपनी उपलब्धि की तुलना में कुछ अल्प निष्पादन वाले क्षेत्रो/डिपो का पुञ्ज था। वर्ष 2005–09 के दौरान कुल 107 डिपो में से 14 से 39 डिपो 95 प्रतिशत बेड़ा उपयोग भी प्राप्त नही कर सके। अल्प बेड़ा उपयोग का कारण, जैसा कि लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ, बसों के मरम्मत में बिलम्ब था।

अतः, बेडा उपयोग का सकल निष्पादन, अल्प निष्पादन वाले डिपो द्वारा अवरुद्ध किया गया। प्रबन्धन ने ऐसे डिपो के निष्पादन में सुधार हेतु प्रभावकारी कदम नही उठाये।

बस उत्पादकता

3.11 बस उत्पादकता का आशय, किसी वर्ष में, प्रति बस प्रतिदिन चालित औसत किलोमीटर से है। वर्ष 2008–09 तक पाँच वर्षों हेतु निगम की बस उत्पादकता, अधि आयु बेड़े के साथ, निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	निगम की बस उत्पादकता (प्रति बस प्रतिदिन चालित किमी)	307	315	321	330	332
2.	एपीएसआरटीसी की बस उत्पादकता	332	335	347	352	360
3.	अधि आयु बेड़ा (प्रतिशतता)	17	12	4	1	0

वर्ष 2006–07 के अखिल भारतीय औसत 313 किमी प्रतिदिन प्रति बस की तुलना में निगम की बस उत्पाकता सिवाय वर्ष 2004–05 के उच्च स्तर पर रही किन्तु यह, एपीएसआरटीसी से कम रही। बस उत्पादकता पर अधि आयु बसो का सहसम्बन्ध एवं इसका प्रभाव उपरोक्त से स्पष्ट है क्योंकि समीक्षा अवधि के दौरान बस उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

तमिलनाडू (विल्लुपुरम), तमिलनाडू (सलेम) और तमिलनाडू (कुम्बाकोणम) ने वर्ष 2006–07 के दौरान सर्वोत्तम बस उत्पादकता क्रमशः 474, 469 तथा 462.8 किमी प्रतिदिन दर्ज किया। (स्रोतः सीआईआरटी, पूणे द्वारा प्रस्तुत राज्य परिवहन उपक्रम संरचना एवं निष्पादन वर्ष 2006–07)।

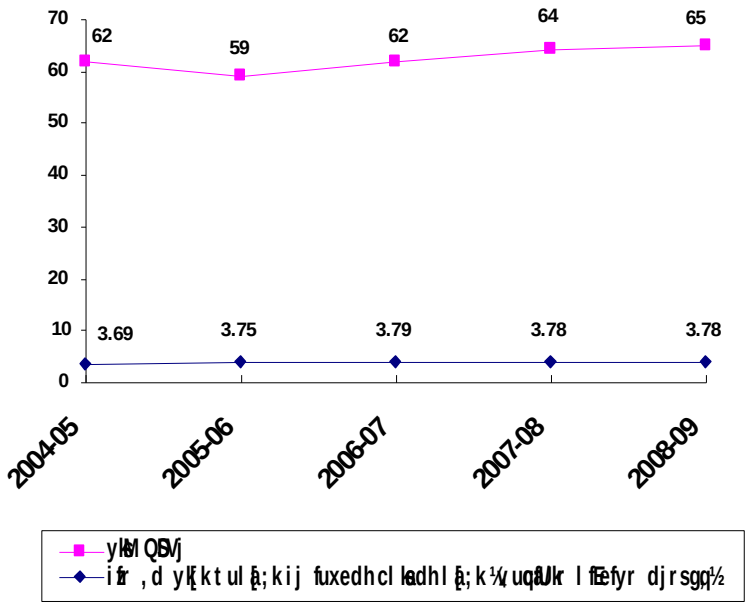
हालाकि, उच्च बस उत्पादकता वाले राज्य परिवहन उपक्रम थे जो सिद्ध करता है कि सुधार हेतु गुँजाइश थी। यूपीएसआरटीसी तथा एपीएसआरटीसी के निष्पादन की तुलना करने पर विदित होता है कि बाद वाले की, अधि आयु बसों के होते हुए भी, बस उत्पादकता अच्छी रही है। एपीएसआरटीसी के पास अन्यत्र की अपेक्षा अधिक दृढ़ स्क्रैपिंग कसौटी (9 वर्ष अथवा 11 लाख किमी) के साथ, वर्ष 2006–07 में यूपीएसआरटीसी के पास 4 प्रतिशत अधि आयु बसो की तुलना में, 32 प्रतिशत अधि आयु बसें थी, फिर भी इसने, सभी वर्षो में यूपीएसआरटीसी से अधिक अच्छा निष्पादन किया है। खराब बस उत्पादकता का कारण, जैसा लेखा परीक्षा के दौरान (मई 2009) ज्ञात हुआ, अवैज्ञानिक मार्ग योजना, निर्धारित अनुरक्षण न करना फेरे में बहुधा कटौती तथा कार्यशाला द्वारा मार्ग बाधा को ठीक करने तथा बसों की मरम्मत में अधिक समय लेना, थे जैसा कि आगामी प्रस्तरो में चर्चित है:

क्षमता उपयोग

लोड फैक्टर

3.12 किसी परिवहन उपक्रम के क्षमता उपयोग का मापन लोड फैक्टर में किया जाता है जो सीट–क्षमता के सापेक्ष परिवहित यात्रियों के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। लोड फैक्टर में सुधार हेतु मार्गो के समुचित अध्ययन के पश्चात, संचालन सूची निर्धारित किया जाता है और इसकी सामायिक समीक्षा भी आवश्यक होती है। 63 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत (2006–07) के विरुद्ध, निगम का लोड फैक्टर वर्ष 2004–05 के 62 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 65 प्रतिशत पहुँच गया। लोड फैक्टर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर उपलब्ध बसो की संख्या को निम्नवत ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

स्टेट एक्सप्रेस ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन (तमिलनाडू), तमिलनाडू (कोयम्बतूर) और तमिलनाडू (बिल्लूपूरम) ने वर्ष 2006–07 मे सर्वोत्तम लोड फैक्टर क्रमशः 85.69, 79.57 तथा 75.06 प्रतिशत दर्ज किया। (स्त्रोतः सीआईआरटी, पुणे द्वारा प्रस्तुत राज्य परिवहन उपक्रम संरचना तथा निष्पादन, 2006–07)।



सात क्षेत्रो की लेखा परीक्षा (मई 2009) के दौरान, लोड फैक्टर के अधिकतम करने के विरुद्ध निम्नलिखित कारकों की जानकारी हुई:

- लोड फैक्टर में वृद्धि हेतु बस मार्गों एवं उनकी समय सारिणी के नियोजन विषयक वैज्ञानिक सर्वेक्षणों का अभाव,
- समय सारिणी के अनुपालन न किये जाने तथा डिपो के मध्य समन्वयकारी तंत्र के न होने के कारण, एक समय एक साथ कई बसो की उपलब्धता को अन्यत्र मार्गों

पर बसों का पूर्ण अभाव, ने लोड फैक्टर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया तथा बाद वाली स्थिति में यात्रियों के लिए कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई।

अनुबन्धित/विभागीय चालक एवं परिचालक (दल) की संरचना में परिवर्तन के दृष्टिगत, मार्ग आधारित अविभेदकारी जाँच व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया। विभागीय परिचालक, जो कि किसी दुष्कृत्य के पता चलने पर, अनुशासनिक कार्यवाही का सामना करते है, की तुलना में अनुबन्धित दल के लिए सेवाच्युत की शर्त पर्याप्त प्रभावक नही थी जिससे राजस्व का क्षरण होता है।

निम्न सारणी में शत–प्रतिशत लोड फैक्टर एवं प्रति किमी कुल लागत के आधार पर संगणित समविच्छेद लोड फैक्टर (बीईएलएफ) का विवरण प्रस्तुत किया गया है:

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	लागत प्रति किमी (रुपये में)	12.02	12.63	12.99	13.31	14.91
2.	शत–प्रतिशत लोड फैक्टर आधारित यात्री आय प्रति किमी (रुपये में)	18.58	20.78	20.89	20.73	20.75
3.	समविच्छेद लोड फैक्टर (1/2) (प्रतिशत में)	64.69	60.78	62.18	64.21	71.86

समविच्छेद लोड फैक्टर इस बात का संकेतक था कि निगम को अपना संचालन इस प्रकार नियोजित करना चाहिए जिससे आय में वृद्धि हो सके। अमित्व्ययी मार्गों पर संचालन की स्थिति में यद्यपि लोड फैक्टर में सुधार सीमित है, फिर भी संचालन लागतो में कमी लाने के पर्याप्त अवसर मौजूद है जैसा कि आगामी प्रस्तरो में स्पष्ट किया गया है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2009) कि उन्होने लोड फैक्टर में सुधार किया है जो वर्ष 2004–05 के 62 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 65 प्रतिशत हो गया और अल्प निष्पादित डिपो के लोड फैक्टर में मार्गो के पुनर्निर्धारण द्वारा सुधार लाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

मार्ग नियोजन

3.12.1 मार्च 2009 के अन्त में निगम 5.75 लाख किमी के 2450 मार्गो पर संचालन कर रहा था। मार्ग की औसत लम्बाई 235 किमी थी। मार्गों पर बसो का संचालन नियोजित फेरे (ट्रिप) के आधार पर निश्चित किया जाता है। लक्षित किमी का आशय नियोजित फेरों की संख्या एवं मार्ग की दूरी के गुणनफल से है। लेखा परीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि निगम अपने डाटा बैंक में मार्गवार व्यय का अभिलेखन नही कर रहा था जबकि आय, उसमें प्रदर्शित की जाती है। अतः मार्गवार व्यय के अभाव में, मार्गवार लाभदायकता का न तो आकंलन और न ही अनुवीक्षण किया गया था। यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न कारणो से यथा बस/दल की अनुपलब्धता, मार्ग अवरोध और दुर्घटनाएँ इत्यादि, नियोजित फेरो में कटौती की गयी थी। निगम के वर्ष 2004–05 से 2008–09 के लक्षित किमी में हुई कटौती निम्नवत है:

(किमी लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	निर्धारित किमी	7914.66	8542.14	8993.59	9456.74	10423.02
2.	शुद्ध किमी	7223.56	7954.30	8477.71	9012.94	9411.53
3.	निरस्त किमी	691.10	587.84	515.88	443.80	1011.49
4.	निरस्त किमी की प्रतिशतता	8.73	6.88	5.74	4.69	9.70

तमिलनाडू (सलेम), स्टेट एक्सप्रेस ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन (तमिलनाडू) और तमिलनाडू (बिल्लूपुरम) ने वर्ष 2006–07 मे न्यूनतम क्रमशः 0.45, 0.67 एवं 0.78 प्रतिशत की निर्धारित किमी की कटौती दर्ज की। (स्रोतः सीआईआरटी, पूणे द्वारा प्रकाशित राज्य परिवहन उपक्रम संरचना एवं निष्पादन, 2006–07)

उक्त सारिणी यह दर्शाती है कि लक्षित किमी में कटौती वर्ष 2004–05 के 8.73 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2007–08 में 4.69 प्रतिशत रही तथा पुनः बढ़कर वर्ष 2008–09 में 9.70 प्रतिशत हो गयी। लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि निगम के डाटा बैंक में लक्षित किमी में कटौती के कारण के अनुसार विश्लेषण विषयक सूचना उपलब्ध नही थी। वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक लक्षित किमी में कटौती के फलस्वरूप निगम के सम्बन्धित वर्षो के लाभांजन के आधार पर, 6.98 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा कि किमी में कटौती, बाढ़, कर्फ्यू तथा अन्य सामाजिक कारकों के कारण हुई। हालांकि लक्षित किमी में कटौती के कारणों का निगम स्तर पर न तो व्यवस्थित रखा गया था और न ही उच्च प्रबन्धन द्वारा इनका अनुवीक्षण किया गया था।

लक्षित किलोमीटर का निर्धारण सही नहीं था क्योंकि यह मार्ग की दूरी तथा फेरों की संख्या पर आधारित नहीं था।

अर्जित किमी की मात्रा अनुपातिक रूप से संचालित फेरो की संख्या पर निर्भर करती है। संचालित फेरो की संख्या में कमी/वृद्धि, तदनुसार अर्जित किमी की मात्रा में प्रतिबिम्बत होती हैं परिक्षण जाँच वाले पाँच क्षेत्रों♠ के अभिलेखो की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्गवार नियोजित लक्षित किमी सही नही था क्योंकि यह मार्ग की लम्बाई एवं नियोजित फेरो की संख्या का गुणनफल नही था। अग्रेतर संवीक्षा में सभी मार्गो पर दो अन्तर्विरोधी तथ्य प्रकट हुएः

- नियोजित की अपेक्षा अधिक फेरो का संचालन किन्तु अर्जित किमी का लक्षित किमी से कम रहना;
- नियोजित की अपेक्षा कम फेरो का संचालन किन्तु अर्जित किमी का लक्षित किमी से अधिक रहना।

यह इस बात का संकेतक था कि निरूपित योजना के अनुसार संचालन नही किया जा रहा था। उक्त स्थिति का मुख्य कारण था, उच्च प्रबन्धन के अनुवीक्षण हेतु डाटा बैंक में पृथक रूप से ऐसे अनियोजित किमी का गलत अभिलेखन। इसकी वजह से संचालन नियोजन अविश्वसनीय हो गया।

माँग के अनुरूप उपयुक्त मार्ग नियोजन उच्च लोड फैक्टर को अग्रसारित करता है। समीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ किः

- नया संचालन आरम्भ करने से पूर्व मार्गों की वित्तीय साध्यता आंकलित नहीं की गयी थी।
- संसद/राज्य विधान सभा के सदस्यों और लोक प्रतिनिधियों की संस्तुतियों पर संचालित मार्ग, साध्यता अध्ययन पर आधारित नही थे।

उत्तर में यह कहा गया कि परिस्थिति अधीन आवश्यकता के दृष्टिगत, नियोजित संचालन मार्गों को निरस्त करके, संचालन मार्गों के परिवर्तन हेतु सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों (एआरएम) को अधिकृत किया गया है। हालांकि यह तथ्य था कि संचालन चार्ट में ऐसे मार्ग परिवर्तन, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु, युक्तिसंगत नहीं किये गये थे।

वाहनों का अनुरक्षण

निवारक अनुरक्षण

3.13 बसों को अच्छी संचालन स्थिति में रखने तथा मार्ग अवरोधो (ब्रेक डाउन)/अन्य यांत्रिक गड़बड़ियो को कम करने हेतु, निवारक अनुरक्षण आवश्यक है। निगम के पास टाटा

♠ मुरादाबाद, आगरा, झाँसी, वाराणसी तथा लखनऊ।

एवं लीलैण्ड निर्मित बसें थीं जिनके लिए मूल संयंत्र निर्माताओं (ओईएम) द्वारा निम्न अनुरक्षण सारणी का निर्धारण किया गया थाः

क्रम संख्या	विवरण	अनुरक्षण सारणी
1.	**इंजन आयल बदलना**	
1 (अ)	टाटा निर्मित	प्रत्येक **9000** किमी पर
1 (ब)	लीलैण्ड निर्मित	प्रत्येक **10000** किमी पर
2.	**ब्रेक जाँच**	
2 (अ)	टाटा निर्मित	प्रत्येक **18000** किमी पर
2 (ब)	लीलैण्ड निर्मित	प्रत्येक **24000** किमी पर

निगम ने धुलाई, सफाई एवं दैनिक जाँच के अतिरिक्त आवधिक निवारक अनुरक्षण हेतु 4000/4500 किमी से 32000/36000 किमी के मानक का निर्धारण किया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000 के वाणिज्यिक प्रतिवेदन में प्रतिबिम्बित संचालन निष्पादन एवं सारणी प्रबन्ध पर समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा के दौरान यह संस्तुति की गयी थी कि बसो की मरम्मत में विलम्ब को रोकने हेतु कार्यशाला मेनुअल बनाया जाय। हालाँकि, निगम ने ऐसे मैनुअल को तैयार नही किया यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान मानक के अनुरूप निर्धारित अनुरक्षण नही सम्पन्न किया जा सका, तथा कमी निम्नवत थीः

निर्धारित अनुरक्षण की संख्या	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
निर्धारित	169966	187160	199476	212070	156858
पूर्ण की गयी	152060	167565	179083	193511	145239
कमी	17906	19595	20393	18559	11619
कमी की प्रतिशतता	10.54	10.47	10.22	8.75	7.41

बेड़ा उपयोग में सुधार लाने के उद्देश्य से निगम ने ऐसी व्यवस्था अपनायी है जिसमें डिपो की बसो को 20–30 के समूह में रखा जाता है तथा डिपो के वरिष्ठ मेकैनिक को उस समूह का प्रभारी बनाया जाता है। समूह की बसों के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व, प्रभारी तथा समूह के मेकैनिक/कार्मिक पर होता है। हालांकि निगम ने निवारक अनुरक्षण की विभिन्न क्रियाओं में लगने वाले समय के बारे में मानक निर्धारित नही किया था ताकि पर्याप्त संख्या में बसे संचालन योग्य बनी रहें।

मरम्मत एवं अनुरक्षण

3.13.1 वर्ष 2008–09 तक पाँच वर्षों की बेड़ा स्थिति, अधि आयु बसों तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण (आरएण्डएम) व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत हैः

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कुल बसें (वर्ष के अन्त में) (संख्या)	5843	6230	6561	6665	6831
2.	अधि आयु बसें (वर्ष के अन्त में) (8 वर्ष से अधिक) (संख्या)	993	729	273	91	शून्य
3.	अधि आयु बसों का प्रतिशत	17	12	4	1	शून्य
4.	आरएण्डएम व्यय (करोड़ रुपये में)	118.44	130.02	135.76	152.01	175.46
5.	प्रति बस आरएण्डएम व्यय (लाख रुपये में) (4/1)	2.03	2.09	2.07	2.28	2.57

यह प्रदर्शित करता है कि निगम अनुरक्षण व्यय पर नियंत्रण नही रख पाया है और प्रति बस अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में अनुरक्षण व्यय में तीव्र वृद्धि का कारण, निगम के मानक के विरुद्ध, अधिक, अधि आयु बसों का होना तथा स्पेअर्स एवं स्टाफ लागत में वृद्धि होना, था।

दीर्घ मरम्मत एवं अनुरक्षण

3.13.2 क्षेत्रीय कार्यशालाओं को 1 लाख किमी के संचालन (अगस्त 2008 से दो लाख किमी) के बाद होने वाले निर्धारित अनुरक्षण का कार्य आबंटित किया गया था। लखनऊ क्षेत्र के वर्ष 2005–06 के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इसके बेड़े में 485 बसे थीं और इसने 597.93 लाख किमी का संचालन किया था। प्रति बस औसत संचालन 1.20 लाख किमी था। अतः सभी बसे दीर्घकालीन मरम्मत हेतु निर्धारित थी। इसके विपरीत, मरम्मत हेतु केवल 56 बसें ही क्षेत्रीय कार्यशाला में पहुँची। यद्यपि निर्धारित अनुरक्षण के बिना इन बसों ने संचालन में अधिक किमी अर्जित किया फिर भी ऐसा निष्पादन दीर्घकाल में निगम को प्रभावित कर सकता है।

आगरा, झाँसी और मुरादाबाद के क्षेत्रीय कार्यशालाओं के अभिलेखों की परीक्षण जाँच से यह भी ज्ञात हुआ कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान, मरम्मत में 1 से 50 दिनों (बाह्य एजेन्सी को सामान्य एवं दुर्घटनाग्रस्त मरम्मत हेतु अनुमन्य क्रमशः 10 एवं 15 दिनो की तुलना में) का विलम्ब हुआ। इसकी वजह से उक्त अवधि के दौरान 1.81 करोड़ रुपये के प्रभावी राजस्व की हानि परिलक्षित हुई। (प्रतिदिन प्रति बस 330 किमी बस उपयोग तथा 13. 27 रुपये प्रति किमी आय के आधार पर आगणित)

मानक घंटो/मानव दिवसो के सम्बन्ध में कार्यों के अनुसार मानक निर्धारित न किये जाने के उत्तरदायी कारणो का उल्लेख उत्तर में नही किया गया है।

मानव शक्ति लागत

1999–2000 में लेखा परीक्षा द्वारा संज्ञान में लाने के बावजूद, 1234 अतिरेक कार्मिकों को प्रयुक्त करने हेतु कार्यवाही नही की गयी थी तथा 41.80 करोड़ रुपये अनुत्पादक मजदूरी में व्यय किए गये।

3.14 संगठन की लागत संरचना यह प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2008–09 में मानव शक्ति तथा ईंधन लागतें कुल लागत की 73.78 प्रतिशत थी। ब्याज, ह्रास और कर जैसी लागते जो अल्पकाल में नियंत्रण योग्य नही है, कुल लागत की 19.93 प्रतिशत थी। मानव शक्ति लागत का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो वर्ष 2008–09 में निगम के कुल व्यय का 31.61 प्रतिशत था। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस लागत को नियंत्रण में रखा जाय तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने हेतु मानव शक्ति का अनुकूलतम उपयोग किया जाय। यह ज्ञात हुआ कि (जुलाई 2009) कि 1234 अतिरिक्त कार्मिक थे। वर्ष 1999–2000 में, संचालन निष्पादन तथा सामग्री प्रबन्धन पर समीक्षा के दौरान इंगित करने के बावजूद निगम ने ऐसे कार्मिकों की सेवाओं को उत्पादक कार्यों में प्रयोग करने हेतु किसी नीति/योजना का निरूपण नहीं किया। समीक्षा अवधि के दोरान 41.80 करोड़ रुपये गैर उत्पादक वेतन एवं मजदूरी मद में व्यय हुए (वर्ष 2004–05 के औसत वेतन के आधार पर आगणित)। निम्न सारणी में मानव शक्ति, उसकी लागत तथा उत्पादकता का विवरण प्रस्तुत किया गया है:

गुजरात, तमिलनाडु (बिल्लूपुरम) और तमिलनाडु (सलेम) वर्ष 2006–07 में क्रमशः 6.10 रुपये, 6.13 रुपये तथा 6.21 रुपये प्रति प्रभावी किमी मानव लागत का सर्वोत्तम निष्पादन दर्ज किया। (स्रोतः राज्य परिवहन उपक्रम संरचना एवं निष्पादन वर्ष 2006–07, सीआईआरटी, पूणे।

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कुल मानव शक्ति (संख्या)	36398	37339	35687	35314	35198
2.	मानव शक्ति लागत (करोड़ रुपये में)	317.53	337.56	346.44	390.22	429.42
3.	प्रभावी किमी (लाख में)	7223.56	7954.30	8477.71	9012.94	9411.53
4.	प्रति प्रभावी किमी लागत (रुपये) (2/3)	4.40	4.24	4.09	4.33	4.56
5.	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता (किमी)	54.37	58.36	65.08	69.92	73.26
6.	वर्ष के अन्त में कुल बसें	5843	6230	6561	6665	6831
7.	प्रति बस मानव शक्ति संख्या (1/6)	6.23	5.99	5.44	5.30	5.15

वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 में न्यूनतम संचालन लागत हेतु सीआईआरटी, पूर्ण द्वारा निगम पुरस्कृत किया गया। प्रति किमी कार्मिक लागत वार्षिक औसत (7.50 रुपये) से

काफी कम रही। जैसा लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, न्यूनतम मानव शक्ति लागत के उत्तरदायी कारण नयी भर्तियों पर रोक, किमी योजना के अन्तर्गत चालक एवं परिचालक की सेवाएं न्यूनतम लागत पर बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त करना तथा जनवरी 2006 से लागू छठें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियाशील न करना, थे।
इसके अतिरिक्त बस–कार्मिक अनुपात, अनुबन्धित बसों हेतु 2.16 कार्मिक प्रति बस के बजाय, 4.77 कार्मिक प्रति बस, आबंटित करने के कारण, त्रुटिपूर्ण ढंग से आगणित एवं प्रतिवेदित किया गया था।

ईंधन लागत

3.15 ईंधन एक मुख्य लागत तत्व है जो वर्ष 2008–09 में कुल व्यय का 40.80 प्रतिशत था। किसी सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा ईंधन लागत नियंत्रण, उसके संचालन व्यय को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। हालांकि, वर्ष 2006–07 में ईंधन औसत में अधिकतम सुधार हेतु निगम ने पुरस्कार प्रदान किया तथा 2004–05 एवं 2005–06 में द्वितीय स्थान पर रहा। लेखा परीक्षा में यह प्रकाश में आया कि वर्ष 2004–05 से 2007–08 के दौरान 29 से 65 डिपो का ईंधन उपभोग निगम औसत के समतुल्य नही था और संचालन लागत को कम करने हेतु ईंधन औसत को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, जैसा कि निम्नवत वर्णित किया गया है:

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
निगम का ईंधन औसत	5.03	5.16	5.33	5.31	5.32
निगम औसत से कम औसत वाले डिपो की संख्या	42	55	65	29	43
अतिरिक्त डीजल उपभोग (लाख लीटर में)	5.32	9.28	14.92	18.81	17.56
प्रति लीटर औसत डीजल लागत (रुपये)	28.45	29.45	29.45	29.45	33.64
कुल अतिरिक्त व्यय (करोड़ रुपये में)	1.51	2.73	4.39	5.54	5.91

अतः, समीक्षा अवधि के दौरान, अल्प निष्पादन वाले डिपो ने 20.09 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जिसे पर्याप्त रूप में कम किया जा सकता था यदि उपयुक्त स्तर पर प्रभावी अनुवीक्षण किया गया होता।

अनुबन्धित बसों की लागत सार्थकता

3.16 निगम ने 1977–78 से प्रति किमी भुगतान के आधार पर (किमी योजना) निजी बसो को किराये पर लेना प्रारम्भ किया। किमी योजना के अन्तर्गत, निजी बस मालिको से प्रारम्भिक तौर पर पाँच वर्षो के लिये अनुबन्ध किये गये थे। इन बसों के मालिको को बस के साथ चालक उपलब्ध कराना था एवं बसो के संचालन के सभी व्यय वहन करने थे। निगम को परिचालक उपलब्ध कराना था तथा अपना प्रशासनिक व्यय घटाने के पश्चात, बस संचालको को वास्तविक संचालित किमी के आधार पर भुगतान करना था। वर्ष 2005–09 के दौरान निगम ने 879 से 949 अनुबन्धित बसो के संचालन से 19.36 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। लेखा परीक्षा में, अनुबन्धित बसो के निष्पादन की समीक्षा के दौरान, ज्ञात हुआ कि अनुबन्धित बसों में वृद्धि द्वारा निजी प्रतिभाग को निगम प्रवृत्त नही कर सका और ऐसे बसों की संख्या वर्ष 2004–05 में 979 से घटकर वर्ष 2008–09 में 879 रह गयी। इसके अतिरिक्त अनुबन्धित बसों की लाभ अर्जन भी वर्ष 2004–05 में 3.42 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2008–09 में 2.68 करोड़ रुपये रही। अनुबन्धित बसों से अर्जित शुद्ध लाभ भी 33 पैसे प्रति किमी से घटकर 23 पैसे प्रति किमी रह गया। गत वर्षों से भिन्न, वर्ष 2008–09 में चालक सहित अनुबन्धित बसें, निगम बसो की तुलना में कम लाभदायक रही। जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, अनुबन्धित बसों से लाभ में कमी के उत्तरदायी कारक निम्न रूप में बस संचालको को अनुचित लाभ प्रदान करने वाले थे:

- बस संचालकों को भुगतान हेतु, मासिक पास धारको की कल्पित आय को सम्मिलित करने हेतु बस आय फार्मूले को संशोधित करना;
- लक्षित किमी न पूर्ण करने की स्थिति में लगने वाले दण्ड को समाप्त करना;
- बस किराये में सम्मिलित दुर्घटना निधि के आगम का 75 प्रतिशत, बस आय में वृद्धि हेतु जोड़ना, जिस पर बस संचालको के लाभ का आगणन किया जाना था;
- सितम्बर 2005 से किराये में कोई वृद्धि न होने के बावजूद डीजल मूल्य में वृद्धि होने पर निजी संचालको को देय भुगतान दर का संशोधन करना;
- आगम लागतो में वृद्धि के बावजूद, निगम द्वारा स्थिर रूप से प्रशासनिक व्ययों की वसूली।

योजना के अनुसार, निगम को हानि की सम्भावना नही थी क्योकि इसके (मार्च 2002) क्षेत्रों को, निविदादाताओं के द्वारा उल्लिखित न्यूनतम प्रति किमी दर जो कि निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम दर के अधीन होगी, के आधार पर अनुबन्धित बसों को लगाने हेतु, निविदाएं आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया। उक्त आदेश में सन्निहित था कि आय में से सर्वप्रथम, प्रशासनिक व्यय को घटाया जायेगा और शेष आय में से बस संचालक को अनुमोदित भुगतान दर अथवा शेष आय, जो भी कम हो, के आधार पर भुगतान किया जायेगा। कुछ प्रकरणों में ज्ञात हुआ कि अनुबन्धित बसों के संचालन में हुआ व्यय आय से अधिक था जो निजी संचालको को अनुचित लाभ देने के कारण बाद में कल्पित रूप से बढ़ गया था। प्रशासनिक व्यय की वसूली वास्तविक आय पर की गयी। परिणामतः निगम को 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान 2.11 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

बॉडी निर्माण

3.17 निगम के पास कानपुर स्थित 948 बस बॉडी निर्माण की कुल वार्षिक क्षमता की दो बॉडी निर्माण करने वाली कार्यशालाएं है जिनके नाम केन्द्रीय कार्यशाला एवं राममनोहर लोहिया कार्यशाला थे। इन कार्यशालाओं ने वर्ष 2008–09 तक पाँच वर्षो के दौरान 215.39 करोड़ रुपये की लागत से 4947 बस बॉडी का निर्माण किया जिनका विवरण निम्नवत है:

(लागतः लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	निगम द्वारा निर्मित बसें	992	1192	833	454	1476
2.	प्रति बस बॉडी निर्माण की औसत लागत	4.27	3.57	4.03	4.85	5.07

कार्यशालाओं में बसवार लागत की गणना नही की गयी थी; मानक लागत के आधार पर पूँजीकरण किया गया था।

इसके अतिरिक्त, निगम ने 46.80 करोड़ रुपये की लागत से 368 बसों का निर्माण बाह्य एजेन्सियों से कराया। कार्यशाला के अभिलेखो की लेखा परीक्षा संवीक्षा से निम्न तथ्य दृष्टिगोचर हुए:

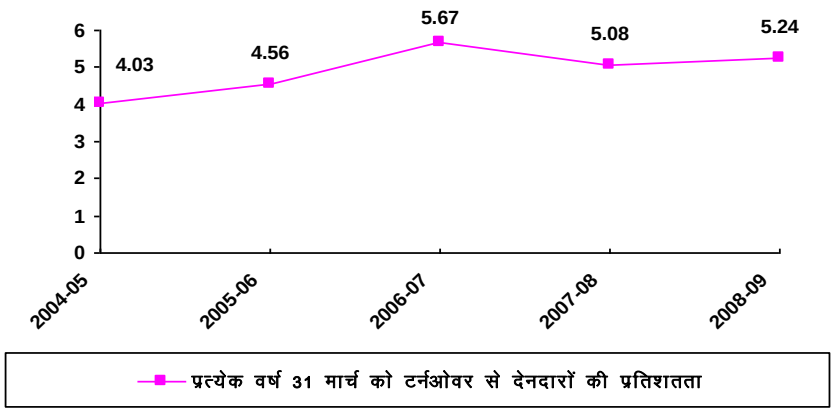
- उच्चदर पर बस बॉडी निर्माण कार्य बाह्य स्त्रोत से कराना युक्तिसंगत नही था क्योंकि वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान, विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग नही किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 7.47 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।
- कार्यशालाओ द्वारा वास्तविक व्यय को दर्शाते हुए जॉब कार्ड पूरे नही किये गये और मानक लागत को अपनाया गया जो उच्च थी।
- बस बॉडी निर्माण हेतु निगम द्वारा 30 दिनों के निर्धारित मानक के विरुद्ध, केन्द्रीय कार्यशाला ने 192 बसों के निर्माण में विलम्ब किया जिससे 60 बसों के निर्माण में 30 से 250 दिनों का विलम्ब हुआ और 2004–05 से 2008–09 के अवधि में 2.46 करोड़ रुपये के प्रभावी राजस्व की हानि हुई।

वित्तीय प्रबन्ध

3.18 पूँजीगत व्ययों, यथा बसों के प्रतिस्थापन/वृद्धि हेतु कोषों की व्यवस्था करना, निगम के मामलों के वित्तीय प्रबन्धन में, मुख्य चुनौती है। यह विषय प्रस्तर 3.10 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रस्तर निगम की दावों को प्रस्तुत करने एवं उनकी वसूली की क्षमता से सम्बन्धित है। यह खण्ड यह भी विश्लेषित करता है कि क्या बिना सेवा प्रदायगी से समझौता किये अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने हेतु व्यावसायिक प्रतिरूप को सम्बद्ध करने का कोई अवसर है।

दावे एवं बकाया

3.19 निगम द्वारा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों एवं अन्य पक्षो को बसें किराये पर दी जाती हैं जिसके लिए, किराये का 75 प्रतिशत अग्रिम के रूप में भुगतान पक्षों को करना था। इसके अतिरिक्त निगम लोक सभा एवं राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों, विधान सभा तथा विधान परिषद के निर्वाचित तथा भूतपूर्व सदस्यों, प्रेस संवाददाताओं, विकलांग व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा लोक रक्षक सेनानियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करता है जिनके देयक की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार के विभाग द्वारा किया जाता है। यह जनपद प्राधिकारियों की माँग पर वीआईपी टैक्सी भी उपलब्ध कराता है। मार्च 2005 के 35.99 करोड़ रुपये के सापेक्ष, 31 मार्च 2009 को विभिन्न पक्षो का बकाया 74.04 करोड़ रुपये तक संचित हो चुका था। बकायों की वसूली के प्रभावी अनुवीक्षण हेतु निगम ने कोई आयुवार विश्लेषण नही किया था। वर्ष 2004–05 से 2008–09 के टर्नओवर के प्रतिशतता के रूप में बकायों की स्थिति, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया था, को निम्न रेखाचित्र में प्रस्तुत किया गया है:



रेखाचित्र से अवलोकित किया जा सकता है कि टर्नओवर से देनदारों की प्रतिशतता अनवरत बढ़ी है और यह वर्ष 2004–05 की 4.03 प्रतिशत से बढ़कर, वर्ष 2008–09 के अन्त में 5.24 प्रतिशत हो गया। यह, प्रभावी कार्यवाही के अभाव में बकायों के बढ़ोत्तरी का द्योतक था।

देनदारों में तीव्र वृद्धि का कारण, जैसा लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, अपर्याप्त अभिलेखन था क्योंकि प्रयोक्ता विभाग द्वारा ड्यूटी स्लिप सत्यापित नही किये गये थे, पुलिस विभाग के 13.67 करोड़ रुपये के देयक सत्यापित नहीं किये गये थे और देयकों पर प्रयोक्ता विभाग के नाम नही दर्शाये गये थे। अतः अधिकांश प्रकरणों में वसूली प्रभावी नही हो सकी।

निगम ने नवम्बर 2006 से नोएडा/गेटर नोएडा में महानगरीय बस सेवा का संचालन किया और नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निगम को संचालन हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की थी। निगम ने इस कार्य में प्रारम्भ से ही हानि वहन किया और मार्च 2009 तक हानि संचित होकर 7.65 करोड़ रुपये हो गयी किन्तु यह, उक्त प्राधिकरणों से हानि की प्रतिपूर्ति कराने में असफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा कि वसूलियों के प्रयास किये जा रहे थे।

उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर (मेमबर्स इमोल्यूमेन्ट्स एण्ड पेंशन) एक्ट, 1980 की धारा 13 के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधायिका के विद्यमान सदस्य निगम की बसो में निःशुल्क यात्रा हेतु अधिकृत थे। इस मद के दावे की प्रतिपूर्ति विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश द्वारा की जानी थी। यह निःशुल्क सुविधा शासन द्वारा अगस्त 2005 में बन्द कर दी गयी जो मार्च 2006 में पुनः शुरू कर दी गयी तथा अप्रैल 2008 तक प्रभावी रही। लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि निगम ने यह सुविधा राज्य विधायिका के विद्यमान सदस्यों को प्रदान की किन्तु अप्रैल 2006 से अप्रैल 2008 तक के अवधि के 23.96 लाख रुपये के दावे विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत नही किये।

निगम ने कहा कि, उसने प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार के पास प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा भुगतान करने से इन्कार कर दिया गया।

व्यावसायिक प्रतिरूप का पुर्नबद्ध करना

3.20 निगम, जनता को एक कुशल, पर्याप्त एवं मितव्ययी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत है। अतः निगम अपने संचालन को विशुद्धतः व्यावसायिक आधार पर नहीं चला सकता है। इसे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने हेतु अमितव्ययी मार्गों पर भी सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती है। इसे किराया भी वहन करने योग्य रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, निगम के लिए आवश्यक है कि वह अपने संचालन को सहायतित करने हेतु गैर परिवहन राजस्व को हस्तगत करे। गैर परिवहन राजस्व को हस्तगत करने के उद्देश्य से निगम ने इन क्रियाओं से सम्भावित लाभों की गणना के लिए एक अध्ययन किया था और केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु दिसम्बर 2008 में राज्य सरकार के पास प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। सरकार ने निजी लोक सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर बस स्टेशनों के विकास हेतु सलाहकार की नियुक्ति हेतु फरवरी 2009 में एक समिति का गठन कर दिया है। अग्रेतर प्रगति लेखा परीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी।

विज्ञापनों हेतु प्रसारण अधिकारों का विक्रय

बस आधारित प्रसारण अधिकारों के विक्रय कार्य से सम्बद्ध सीएएमडी को वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना बन्द करने से 1.19 करोड़ रुपये की हानि।

3.20.1 निगम, विज्ञापन हेतु बस में उपलब्ध स्थानों एवं स्टेशनों पर होर्डिग लगाने हेतु उपलब्ध स्थानों के विक्रय के द्वारा गैर परिवहन राजस्व भी अर्जित करता है। निगम ने (सितम्बर 2005) पूर्व निर्धारित दरों पर विज्ञापन हेतु स्थानो के विक्रय हेतु कारपोरेट एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग डिवीजन (सीएएमडी) का गठन किया। इसने अप्रैल 2008 तक 11.70 करोड़ रुपये के प्रसारण अधिकारों का विक्रय किया। अध्यक्ष ने निर्देशित किया (मार्च 2008) कि खुली निविदा के माध्यम से प्रसारण अधिकारों का विक्रय किया जायेगा। तद्नुसार, मई 2008 से सीएएमडी के कार्यकलापो को बन्द कर दिया गया और जुलाई 2008 में आमंत्रित निविदा, नौ माह के अन्तराल के पश्चात, फरवरी 2009 में, निर्णीत हुई तथा 1.19 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

बस आधारित प्रसारण अधिकारों के विक्रय हेतु मूल दर से कम प्राप्त दरों को स्वीकार करने के कारण 8.12 करोड़ रुपये के प्रभावी राजस्व की हानि होगी।

निविदाकर्ताओं ने अ, ब और स वर्ग की बसो[#] हेतु, निगम द्वारा निर्धारित दरें क्रमशः 88321 रुपये, 92841 रुपये और 200403 रुपये प्रति बस प्रति वर्ष के सापेक्ष क्रमशः 3013 रुपये, 54000 रुपये एवं 39960 रुपये प्रति बस प्रति वर्ष की अधिकतम दरें उद्धृत की। प्रबन्धन ने इस आधार पर अ और स वर्ग की बसों पर प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया (सितम्बर 2008) कि वे मूल दर से कम हैं किन्तु जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा ब वर्ग की

वर्ग अ (साधारण एवं प्रीमियम बसें) ब (नगर बसे) और स (एसी बसे)।

बसो हेतु उद्धृत 54000 रुपये प्रति बस प्रति वर्ष की दर को, जो मूल दर से 42 प्रतिशत कम थी, स्वीकार कर लिया। मूल दर की अपेक्षा कम दर को स्वीकार करने के कारण सितम्बर 2009 से सितम्बर 2014 के दौरान 8.12 करोड़ रुपये के सम्भवित राजस्व की हानि होगी।

प्रबन्धन का कहना था कि निविदा में अधिक बसों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से सीएएमडी के कार्यकलापो को बन्द किया गया था। यह भी कहा गया कि 'ब' वर्ग हेतु उद्धृत दर अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा प्राप्त दर से उच्च थी। उत्तर तथ्यो पर आधारित नही है क्योंकि निविदा हेतु पूर्वानुमानित बसें उपलब्ध नही थी तथा सीएएमडी ने ब वर्ग बसों हेतु पूर्व में स्वंय 92841 रुपये की दर प्राप्त की थी।

किराया नीति तथा सामाजिक दायित्वो की पूर्ति

किराया नीति की विद्यमानता तथा स्पष्टता

3.21 निगम, यात्रियो से तय की गयी दूरी हेतु आनुपातिक किराया वसूल करता है। किराया निर्धारण की शक्ति, राज्य सरकार में निहित है। निम्न किराया सारणी में, वर्ष 2004–05 से अब तक लागू किराये को प्रस्तुत किया गया है:

साधारण बसों हेतु किराया सारणी (पैसा प्रति किमी में)

विवरण	30.06.04 तक	31.07.04 - 31.01.05	01.02.05 - 30.06.05	08.09.05 से अब तक
प्रति किमी किराया (पैसे में)	42.89	45.00	48.00	49.52

राज्य सरकार ने (मई 1996) में निर्देशित किया कि, चूँकि कर्मचारियों को देय महँगाई भत्ते एवं डीजल मूल्य अनियंत्रणीय हैं, अतः डीजल मूल्य एवं महँगाई भत्ते में प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि पर किराये में क्रमशः 0.18 प्रतिशत तथा 0.20 प्रतिशत से वृद्धि की जायेगी। उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर शासन ने मई 2000 तक किराये में परिवर्तन किया। इसके पश्चात, राज्य सरकार ने (मई 2000) में निर्देशित किया कि उक्त फार्मूले पर आधारित किराये में वृद्धि एक वर्ष में 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। उक्त आधार पर सितम्बर 2004 तक किराये का परिवर्तन किया गया। राज्य सरकार ने नवम्बर 2004 में अधिसूचित किया कि डीजल मूल्य में परिवर्तन पर आधारित किराया का संशोधन वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई), अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियो द्वारा किया जायेगा। हालांकि, बस किराया के निर्धारण हेतु मानक लागत निर्धारित नहीं की गयी थी।

किराये में संशोधन न होने के कारण 291.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखा परीक्षा में (मई 2009) ज्ञात हुआ कि अन्तिम बार सितम्बर 2005 में किराये में संशोधन किया गया था जब डीजल का मूल्य 28.45 रुपये प्रति लीटर था किन्तु उसके बाद किराये में संशोधन नही हुआ यद्यपि कि जून 2006 से जनवरी 2009 तक डीजल मूल्य में (30.45 रुपये प्रति लीटर से 33.64 रुपये प्रति लीटर) कई बार वृद्धि हुई है। नियमित मामलों के रूप में, निगम ने यात्री किराये में वृद्धि हेतु कई बार राज्य सरकार से अनुरोध किया। हालांकि, राज्य सरकार ने किराये में वृद्धि नही किया किन्तु (जुलाई 2008) में, डीजल मूल्य में हुई वृद्धि तथा जनवरी 2008 से प्रभावी मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू होने के कारण वर्ष 2008–09 में 100 करोड़ रुपये की एक मुश्त सहायता हेतु स्वीकृति प्रदान की। डीजल के मूल्य में वृद्धि के अनुरूप किराये में संशोधन न होने के कारण, जून 2006 से अगस्त 2009 के दौरान निगम को 291.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

वर्ष 2000 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित निगम के संचालन निष्पादन एवं सामग्री प्रबन्धन पर आधारित समीक्षा पर चर्चा के दौरान लोक उपक्रम समिति की संस्तुति के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा बस किराये के संशोधन में हुए विलम्ब के कारण हुई हानियो के समायोजन हेतु, निगम ने कार्यवाही नहीं की थी।

स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता

3.21.1 किराया निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में संचालन करने वाले, यात्री परिवहन सेवाओ हेतु स्तरीय संचालन क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु, सड़क परिवहन क्षेत्र में स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर स्वतंत्र परिवहन नियामक के निम्न कार्य होगेः

- वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंग से विभिन्न प्रकार की सेवाओं हेतु स्थिर मूल्य बैंड का निर्धारण;
- क्षेत्रो (ग्रामीण, दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये) हेतु सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सार्वभौलिक सेवा दायित्वो की पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में, अभितंत्र उपलब्ध कराना;
- औचित्यपूर्ण यात्री किराये से युक्त परिवहन सेवा दाताओं को आईएसओ 9001–2000 का प्रमाण पत्र अधिकृत करना; और
- विभिन्न बस संचालकों यथा लोक एवं निजी के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता को उत्प्रेरित करना।

अतः आवधिक किराया निर्धारण एवं राज्य में परिवहन व्यवस्था के अनुवीक्षण हेतु, एक स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता है।

अमितव्ययी मार्गो पर सेवाओं की पर्याप्तता

3.22 निगम के पास मितव्ययी/गैर मितव्ययी मार्ग के पहचान की कोई व्यवस्था नही है। मार्गवार व्यय का अभिलेखन भी निगम द्वारा नहीं किया जाता है जिसके अभाव में, लेखा परीक्षा द्वारा ऐसा कोई विश्लेषण नही किया जा सका। जबकि बहुत से मार्ग ऐसे होगे जो गैर मितव्ययी हों। यद्यपि निगम को इन मार्गो में सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है, फिर भी निगम ने गैरमितव्ययी मार्गो पर सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु किसी मानक का निरूपण नहीं किया है। मानको के अभाव में, गैरमितव्ययी मार्गो पर सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धतता का विनिश्चय, लेखा परीक्षा में नही किया जा सका। यात्रियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, गैर मितव्ययी मार्गो पर सेवाओं की उपलब्धतता के विनिश्यचन हेतु, एक स्वतंत्र नियामक निकाय की आवश्यकता पुनः परिलक्षित होती है। हालांकि, यह कम व्यय की क्षमता वाले यात्रियों के लिए, बस किरायावार, जनता बस सेवा का संचालन कर रहा है। यदि कोई मार्ग अलाभकारी हो जाता है तो उस पर संचालन बन्द कर दिया जाता है। अतः लाभार्जन के उद्देश्य से ही बस का संचालन किया जा रहा है, जिसने निगम को इसकके आधारभूत उद्देश्य राज्य में परिवहन सुविधा के विकास से विचलित किया।

उत्तर में कहा गया कि मार्गवार लाभदायकता का निर्धारण सम्भव नही है क्योंकि मार्गवार/बसवार व्यय/आय का अभिलेखन नही किया जाता है और लोड फैक्टर के आधार, लाभदायकता की मानिटरिंग की जाती है। हालांकि, गैरमितव्ययी मार्गों पर संचालन नही किया गया क्योंकि अलाभदायक मार्गो पर संचालन बन्द कर दिया गया था।

सर्वोच्च प्रबन्धन द्वारा अनुवीक्षण

3.23 सड़क परिवहन निगम जैसे संगठन को मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी संचालन में सफल होने के लिए, संचालन, सेवा स्तर और लक्ष्यों के लिखित मानक होने चाहिए। पुनः लक्ष्यों एवं मानको की उपलब्धियों को प्रतिवेदित करने हेतु एक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) होना चाहिए। कमियों के दृष्टिगत तथा आगामी वर्षो के लक्ष्यो को निर्धारण हेतु उपलब्धियों की समीक्षा की आवश्यकता होती है। लक्ष्य सामान्यतः ऐसे होने चाहिए कि उनकी प्राप्ति से संगठन आत्म निर्भर बन जाए। निगम के पास, प्रबन्ध निदेशक के अधीनस्थ महाप्रबन्धक द्वारा संचालित एक एमआईएस प्रकोष्ठ है। एमआईएस प्रकोष्ठ डिपो से प्राप्त

विभिन्न निष्पादन संकेतको से सम्बन्धित सूचनाओ का संकलन करता है तथा इन्हें, सम्बन्धित विभाग प्रमुखों को, यथा मुख्य महाप्रबन्धक (संचालन) मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) और वित्त नियंत्रक को मासिक रूप से संप्रेषित करता है। विभिन्न निष्पादन पैरामीटर से सम्बन्धित डिपो वार मासिक अथवा वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण विभाग प्रमुख द्वारा किया जाता है। निगम के कार्यकलापो की अनुवीक्षण, निदेशक मण्डल द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, इसके पास मासिक आधार पर क्षेत्रो की प्रगति की अनुवीक्षण हेतु, प्रबन्ध निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धको की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था है। सर्वोच्च प्रबन्धन द्वारा की जाने वाली अनुवीक्षण कमजोर थी क्योंकि प्रबन्ध निदेशक का न्यूनतम तीन वर्षो का कार्यकाल नही था, जैसा कि राज्य सरकार ने 1994 में जारी नीति प्रपत्र में विहित किया था। इसकी वजह से निगम के कार्यकलापो के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुसरण हेतु पर्याप्त समय नही उपलब्ध रहा। पुनः, डाटा बैंक में मार्गवार व्यय के अभिलेखन न किये जाने के कारण, मार्गवार लाभदायकता का आगणन नही किया गया था। क्षेत्रों तथा डिपो प्रत्येक हेतु वार्षिक लक्ष्य पृथक–पृथक निर्धारित नही किये गये थे और उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया था। अतएव, क्षेत्र स्तर पर अनुवीक्षण की व्यवस्था नही थी।

प्रकरण प्रबन्धन एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2009); उनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2009)।

निष्कर्ष

संचालन निष्पादन

- **निगम लोक परिवहन की बढ़ती माँग के अनुरूप विकास नही कर सका क्योंकि इसका अंश 2007–08 के 31.33 प्रतिशत से घटकर 2008–09 में 28.18 प्रतिशत रह गया।**
- **यह 2008–09 तक पाँच वर्षो के दौरान, परिवर्तनशील लागतों को वसूलने में सक्षम रहा।**
- **मानक के अनुसार, निवारक अनुरक्षण तथा बड़े मरम्मत के कार्य पूर्ण न किये जाने से बसों की संचालन योग्यता प्रभावित हुई।**

वित्तीय प्रबन्धन

- **समय पर अपने बकायो हेतु दावों को प्रस्तुत करने एवं तार्किक स्तर तक उनकी वसूली के अनुसरण में, निगम ने राजकोषीय अनुशासन प्रदर्शित नही किया।**
- **इसे, राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोतो को हस्तगत करने हेतु रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अत्यधिक सम्भावना है।**

किराया नीति तथा सामाजिक दायित्वो की पूर्ति

- **निगम की किराया नीति, शासन द्वारा नियंत्रित है जो आदर्शात्मक लागत पर आधारित नही है।**
- **गैर मितव्ययी मार्गो पर संचालन हेतु कोई नीति मानदण्ड तय नही किये गये हैं।**

उच्च प्रबन्धन द्वारा अनुवीक्षण

- **निगम का एमआईएस तंत्र अपूर्ण था क्योंकि इसमें मार्गवार/बस वार डाटा बैंक की व्यवस्था नही थी।**

व्यापक आधार पर, निगम के निष्पादन में सुधार की बहुत अधिक सम्भवव्यता है।

संस्तुतियाँ

निगमः

- राज्य में पर्याप्त, मितव्ययी और प्रभावी सेवा प्रदान करने हेतु, अनुबन्धित बसों को बढ़ाकर गैर मितव्ययी मार्गो पर अपने संचालन का विस्तार करे।
- मार्गवार/बस वार लाभदायकता के आगणन हेतु पूर्ण डाटा बैंक का रखरखाव करें।
- बकायों की समय पर वसूली हेतु राज्य सरकार के साथ कार्य योजना के निरूपण हेतु कार्यवाही करे।
- लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर राजस्व के गैर परम्परागत स्त्रोतो को हस्तगत करने हेतु प्रयास तीव्रता करे, जिसके फलस्वरूप बिना किसी अतिरिक्त विनियोजन के नियमित आय होगा।
- सर्वोच्च प्रबन्धन महत्वपूर्ण संचालन पैरामीटर का अनुवीक्षण करे और सुधार हेतु उपचारी कदम उठायें।

राज्य सरकार विचार करेः

- राष्ट्रीय परिवहन नीति के अनुसरण में, राज्य परिवहन नीति का निरूपण।
- निगम योजना के निरूपण एवं क्रियान्वयन के उद्देश्य से समरूपता एवं अनवरतता के दृष्टिगत, निगम के मुख्य अधिशासी की पर्याप्त समय के लिए नियुक्ति।
- किराया के नियमन और राज्य में परिवहन सेवाओं के मानदण्डों के निरूपण हेतु एक स्वतंत्र नियामक की नियुक्ति।

अध्याय – IV

4. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है।

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4.1 अविवेकपूर्ण निर्णय

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कम्पनी द्वारा अपील करने के अविवेकपूर्ण निर्णय की वजह से 32.20 करोड़ रुपये का कोष अवरुद्ध रहा और फलस्वरूप 6.54 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई

मेसर्स स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड (एस.पी.एल.) के 17.25 करोड़ रुपये के श्रमिक देयों के बकाया को समाप्त करने के लिए जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा एस.पी.एल. की अतिरिक्त भूमि (45 एकड़) के विक्रय हेतु आयोजित नीलामी (मार्च 2003) में कम्पनी ने 12.91 करोड़ रुपये की बोली लगाई। मेसर्स पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड (एस.पी.एल. का एक अंशधारी) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रय पर रोक लगा दी (सितम्बर 2003)। इसी दौरान श्रम आयुक्त द्वारा अप्रैल 2005 में वह वसूली प्रमाण–पत्र वापस ले लिया गया जिसके आधार पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नीलामी 2 मई 2005 को पुनः आयोजित हुई तथा कम्पनी का 32.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। नीलामी की शर्तों के अनुसार कम्पनी को प्रारम्भ में बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा करना था एवं शेष 75 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर अर्थात् 16 मई 2005 तक जमा करना था।

लेखा परीक्षा में यह देखा (जनवरी 2008) गया कि कम्पनी ने बोली की 25 प्रतिशत धनराशि उसी दिन अर्थात् 2 मई 2005 को जमा कर दिया पर शेष 75 प्रतिशत धनराशि 16 मई 2005 की निर्धारित तिथि के विरुद्ध 18 मई 2005 को जमा किया। यद्यपि ड्राफ्ट 14 मई 2005 को ही बनवा लिए गए थे। ड्राफ्ट को जिला प्राधिकारियों के पास जमा करने में हुए विलम्ब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि बिक्री मनमाने ढंग से की गई थी, 02 मई 2005 की हुई नीलामी को खारिज (जनवरी 2006) कर दिया जिससे बिक्री साकार नहीं हो सकी।

चूँकि नीलामी को दर किनार कर दिया गया था, न्यायालय ने नीलामी राशि को वापस लेने के लिए कम्पनी से कहा। कम्पनी ने नीलामी राशि वापस लेने के बजाय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर (फरवरी 2006) कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज (मई 2008) कर दिया गया तथा कहा गया कि चूँकि क्रेता ने शेष राशि का भुगतान निर्धारित अवधि 15 दिन के अन्दर नहीं किया था इसलिए क्रेता को कोई अधिकार नहीं मिला एवं कोई विक्रय नहीं हुआ।

अतः, नीलामी प्रक्रिया में हुई अनियमितता तथा नीलामी राशि का शेष 75 प्रतिशत विलम्ब से जमा करने से निवेश जोखिम युक्त होने की समुचित जानकारी होते हुए तथा उच्च न्यायालय के आदेश (जनवरी 2006) के बावजूद भी प्रबन्धन ने नीलामी राशि वापस नहीं ली तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जिससे 32.20 करोड़ रुपये फरवरी 2006 से अप्रैल 2009 तक अवरुद्ध रहा एवं उस पर 6.54 करोड़ रुपये (6.25 प्रतिशत वार्षिक पर संगणित) के ब्याज की हानि हुई। यदि कम्पनी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नीलामी राशि को विवेकपूर्वक वापस ले लिया होता तो 6.54 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि से बचा जा सकता था।

जिला प्राधिकारियों के पास ड्राफ्ट विलम्ब से जमा करने के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कम्पनी को अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का निर्णय लिया जिससे 6.54 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को प्रतिवेदित (जून 2009) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थें (नवम्बर 2009)।

4.2 परिपक्वता तिथियों पर बाण्डों को समर्पण न करने से हानि

परिपक्वता तिथियों पर बाण्डों को समर्पण न करने के कारण कम्पनी को 2.01 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई

कम्पनी ने द प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यूपी लिमिटेड (पिकप) द्वारा जारी बाण्डों में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया (नवम्बर 1999) था, जिसके मूलधन एवं उस पर 13.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के भुगतान का जिम्मा राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। आवंटन की मानद तिथि से पाँचवे, छठे एवं सातवें वर्ष के अंत पर बाण्ड प्रमाप पत्रों के समर्पण करने पर बाण्ड का शोधन क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के अनुपात में होना था। आवंटन की मानद तिथि 1 नवम्बर 1999 थी और अंतिम शोधन की तिथि के बाद किसी भी स्थिति में बाण्ड पर ब्याज नहीं देय था।

पिकप ने 13 अगस्त 2002 तक 13.85 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया। फिर भी, बाजार में ब्याज दरों में महत्वपूर्ण कमी एवं पिकप की खराब होती हुई वित्तीय स्थिति के मद्देनजर, कम्पनी ने पिकप की ब्याज दर को 13.85 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत वार्षिक करने के निवेदन को स्वीकार (दिसम्बर 2002) कर लिया। पिकप ने 13 अगस्त 2003 तक 11 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया पर वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण इसके बाद ब्याज का भुगतान नहीं कर सका तथा मूलधन पर, एक मुश्त समाधान करने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त (अप्रैल 2005)।

पिकप की गम्भीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए 223 संस्थागत बाण्ड धारकों ने मूलधन पर ही एक मुश्त समाधान के लिए सहमति दे दी। इसी दौरान बाण्ड, नवम्बर 2004 (4 करोड़ रुपये), नवम्बर 2005 (4 करोड़ रुपये) तथा नवम्बर 2006 (2 करोड़ रुपये) में परिपक्व हो गए। इस तथ्य के बावजूद कि परिपक्वता के बाद बाण्ड पर ब्याज देय नहीं था, बाण्डों को नियत तिथियों पर शोधन हेतु समर्पण नहीं किया गया तथा इन्हें जनवरी 2009 तक अवधारित रखा गया। बाण्डों को अन्ततः मूलधन पर ही फरवरी 2009 में शोधित कराया गया।

प्रबन्धन को बाण्डों की परिपक्वता की नियत तिथियों पर शोधित कराना चाहिए था तथा कोष को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने या सावधि निक्षेप के रूप में बैंक में जमा कर और लाभदायक तरीके से उपयोग करना चाहिए था। यदि नियत तिथियों पर शोधन करा लिया जाता एवं प्राप्त धन को बैंक की सावधि निक्षेपों में निवेश किया गया होता तो नवम्बर 2004 से जनवरी 2009 के दौरान 2.01 करोड़ रुपये ब्याज (तत्कालीन प्रचलित ब्याज दर 5.75 एवं 6.25 प्रतिशत वार्षिक के आधार पर की गयी की गणना) की हानि से बचा जा सकता था।

प्रबन्धन ने उत्तर में कहा (जून 2009) कि पिकप द्वारा जारी किए गए बाण्डों पर उत्तर प्रदेश शासन का पूर्ण आश्वासन प्राप्त था इसलिए सिर्फ मूलधन पर बाण्डों के शोधन हेतु सहमति नहीं दी गई थी। यद्यपि मुख्य सचिव, पिकप के पदेन अध्यक्ष के अनुरोध पर कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया एवं तद्नुसार ब्याज माफी पर सहमति दी गयी थी।

उत्तर लेखा परीक्षा के इस बिन्दु को सम्बोधित नहीं है कि बाण्डों पर परिपक्वता के बाद ब्याज नहीं देय था इसलिए इन बाण्डों को परिपक्वता पर शोधित करा लेना चाहिए था।

कम्पनी को आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण प्रकरणों पर समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके और लापरवाही की जिम्मेंदारी भी तय कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2009); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2009)।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

4.3 राजकीय कोषागार को हानि

कम्पनी द्वारा बचत खाते में पड़े अधिशेष कोष के निवेश हेतु आटो स्वीप की सुविधा न लेने के कारण राजकोष को 48.65 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी, वित्त जुटाने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की जीविका को सुधारने के लिए उन्हें ऋण बाँटने का कार्य करती है। वित्त कम्पनी होने के नाते इसके वित्त का प्रबन्धन कम्पनी के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा प्रबन्धन के स्तर पर यह अनिवार्य हो जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोष अप्रयुक्त न रहे तथा आवश्यकतानुसार आहरण की सुविधा के साथ अधिक ब्याज का अनुकूलतम लाभ देने वाले खातों में रखा जाए।

कम्पनी के पास दो बचत खाते थे एक ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स (ओ.बी.सी.), लखनऊ तथा दूसरा पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.), लखनऊ में जिसमें अन्तिम लाभार्थी को वितरण करने के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य एजेन्सी से प्राप्त अनुदान एवं ऋण रखे जाते थे।

लेखा परीक्षा में यह पाया (मार्च 2009) गया कि कम्पनी ने आटो स्वीप (स्वतः हस्तांतरण) सुविधा नहीं ले रखी थी यद्यपि ओ.बी.सी. में नवम्बर 2006 से नवम्बर 2008 के दौरान 1.36 करोड़ रुपये से 2.74 करोड़ रुपये तथा पी.एन.बी. में अप्रैल 2006 से नवम्बर 2008 के दौरान 7.18 लाख रुपये से 35.80 करोड़ रुपये की न्यूनतम शेष राशि थी। आटो स्वीप (स्वतः हस्तांतरण) सुविधा न लेने के कारण राजकोष को तीन प्रतिशत, जो कि बचत खाता एवं फ्लेक्सी जमा पर अनुमन्य ब्याज दर का अंतर है, पर संगणित 0.49 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2009) कि कम्पनी न–लाभ न–हानि के आधार पर स्थापित की गई थी। शासन से स्वीकृत कोष, कोषागार से आहरण करने के उपरान्त बैंक के माध्यम से जिलों को उपलब्ध करा दिया गया था। कोष को बैंक में बहुत अल्प समय के लिए रखा जाता है तथा अर्जित ब्याज को शासन की देनदारी दिखाई जाती है न कि निगम की आय।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओ.बी.सी. के बचत खाते में 1.36 करोड़ रुपये 25 माह (नवम्बर 2006 से नवम्बर 2008) से अधिक तथा पी.एन.बी. में 9.92 करोड़ रुपये 7 माह (फरवरी 2008 से सितम्बर 2008) से अधिक समय तक अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन ने अपने पूरक उत्तर (जुलाई 2009) में कहा कि कोष को फ्लेक्सी जमा खाते में रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है, जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण की पुष्टि करता हैं।

कम्पनी को ऐसा कोष प्रबन्धन तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि अतिरिक्त कोष का निवेश, कम्पनी के लिए सबसे लाभदायक योजना में हो सके।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जून 2009) है; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड

4.4 परिहार्य व्यय

अनुदान की सीमा तक व्यय नियंत्रित न कर पाने के कारण कम्पनी द्वारा 35.91 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

सघन क्षेत्रीय एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (आधारभूत संरचना विकास) योजना के अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैरियर कानवेंट गर्ल्स इंटर कालेज, लखनऊ में 100 बिस्तरों के महिला छात्रावास के निर्माण हेतु राज्य सरकार को 50 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया। अनुदान की नियम एवं शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को अनुदान की अनुमोदित सीमा के अन्तर्गत अवमुक्त कोष का तीव्र उपभोग सुनिश्चित करना था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (अ.क.वि.), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा छात्रावास निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को सितम्बर 2005 में दिया गया।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया (जुलाई 2008) कि 50 लाख रुपये के अनुमन्य अनुदान के विरुद्ध कम्पनी ने 86.82 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया तथा इस पर अगस्त 2006 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। परिणामस्वरूप, 50 लाख रुपये के स्वीकृत अनुदान के विरुद्ध 85.91 लाख रुपये के व्यय पर कार्य पूर्ण (अगस्त 2007) किया गया। कम्पनी द्वारा किये गये व्यय–आधिक्य के प्रकरण पर अ.क.वि. द्वारा मई 2008 में हुई बैठक में समीक्षा की गई जिसमें यह कहते हुए व्यय–आधिक्य की प्रतिपूर्ति करने से इंकार कर दिया गया कि यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा व्यय–आधिक्य को कम्पनी द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाना चाहिए। तथापि, कम्पनी ने स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किये जाने के लिये दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की थी।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2008) कि यह व्यय कम्पनी के पास अ.क.वि. के अन्य परियोजनाओं के विरुद्ध उपलब्ध कोष से किया गया था। उत्तर में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि भारत सरकार ने यह निर्देशित किया था कि कोष का उपभोग केवल स्वीकृत प्रयोजन के लिए तथा अनुदान की स्वीकृत सीमा के अन्दर ही करना था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कम्पनी ने अन्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कोष का उपभोग कर लिया था पर अन्य परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए कम्पनी को इसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी।

अतः कार्य हेतु स्वीकृत अनुदान की सीमा तक व्यय, न नियंत्रित कर पाने के कारण कम्पनी द्वारा 35.91 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

कम्पनी को ऐसा प्रभावी बजट प्रबन्धन तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे कार्य के लिए स्वीकृत एवं प्राप्त धन से अधिक व्यय वाले दृष्टांतों को रोका जा सके।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को प्रतिवेदित (मार्च 2009) किया गया; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

4.5 देयों की माफी से हानि

शासन के निर्देशों पर ठेकेदार के विरुद्ध देयों को माफ करने से कम्पनी को 22.25 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी मत्स्य जलाशय के प्रबन्धन का कार्य करती है। इन जलाशयों के मत्स्य अधिकार नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया जाना था अनुबन्ध

के नियम एवं शर्तों के अनुसार बकाया देयों के भुगतान में त्रुटि होने पर 2 प्रतिशत प्रति माह के ब्याज के साथ बकाया वसूल होना था। यह भी परिकल्पित था कि विवाद, यदि कोई हो, की स्थिति में प्रकरण (पंच/मध्यस्थ) को संदर्भित किया जाना था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि चन्द्रावल एवं जैमिनी जलाशयों के मत्स्य अधिकार ठेकेदार को अक्टूबर 1998 से जून 2001 तक के लिए हस्तगत किये गए थे। अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार देयों का भुगतान न करने के कारण ठेकेदार के विरुद्ध फरवरी 2001 को 8.21 लाख रुपये बकाया थे। उपरोक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया था तथा प्रतिभूति राशि 1.95 लाख रुपये जब्त कर ली गई थी। ठेकेदार के अनुरोध पर एक आरबीट्रेटर भी नियुक्त (अक्टूबर 2002) कर दिया गया था पर आरबीट्रेटर के निर्णय के अधीन ठेकेदार को कोई परितोष नहीं प्राप्त हुआ (अगस्त 2005)। आरबीट्रेटर के निर्णय के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय में ठेकेदार ने याचिका दायर की परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कर दी गई (अप्रैल 2008) और ठेकेदार से शेष राशि की वसूली के लिए व्यवस्था दी। तद्नुसार प्रबन्धन ने ठेकेदार को 22.25 लाख रुपये (14.04 लाख रुपये ब्याज सहित) के देयों का भुगतान करने के लिए अंतिम सूचना जारी (मई 2008) किया। फिर भी शासन ने निर्णीत (जुलाई 2008) किया कि ठेकेदार से वसूली न्यायसंगत नहीं है तथा कम्पनी को प्रकरण बन्द करने के लिए निर्देशित किया।

अतः आरबीट्रेटर एवं जिला न्यायालय के अनुकूल निर्णय के बावजूद ठेकेदार से देय वसूल न करने के राज्य सरकार के निर्देशों के कारण कम्पनी को 22.25 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2009) कि चन्द्रावल व जैमिनी जलाशयों से सम्बन्धित 22.25 लाख रुपये के देय शासन के निर्देशों को दृष्टिगत करते हुए माफ किए गए।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर, जो कि शासन द्वारा पृष्ठांकित था, में तथ्यों की पुष्टि की।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

4.6 मिट्टी के कार्य पर अतिरिक्त व्यय

ऊँचे दरों पर मिट्टी के कार्य को प्रदान करने के कारण कम्पनी को 18.31 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

कम्पनी की संयुक्त क्रय समिति (जे.पी.सी.), कन्नौज द्वारा ट्रैक्टर ट्राली/ट्रैक्टर द्वारा खुदाई की गई मिट्टी का परिसर के अन्दर किन्तु निर्माण कार्यस्थल से न्यूनतम 300 मीटर दूर परिवहन/निस्तारण की दर 20 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर तथा गड्ढों में प्रस्तावित भूतल से 1.8 मीटर ऊँचाई की कुर्सी तक उपलब्ध मिट्टी भरना तथा दबाना इत्यादि की दर 22 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर अनुमोदित (दिसम्बर 2006) की गयी।

कम्पनी की राजकीय मेडिकल कालेज (निवास), कन्नौज इकाई के लेखा परीक्षा में यह देखा (अप्रैल 2008) गया कि इकाई द्वारा परिसर में उपलब्ध खोदी गई अनुमानित 72500 क्यूबिक मीटर मिट्टी को लादने, उतारने एवं भरने सहित ढुलाई के लिए अधिकतम स्वीकार्य दर 42 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर (मिट्टी की ढुलाई हेतु 20 रुपये एवं भराई हेतु 22 रुपये) जो जे.पी.सी. द्वारा दिसम्बर 2006 में अनुमोदित की गयी थी, के विरुद्ध 70 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से दिसम्बर 2006 से मई 2007 के दौरान नौ कार्यादेश जारी किए गए। 72500 क्यूबिक मीटर की अनुमानित मात्रा के विरुद्ध 65,419.83 क्यूबिक मीटर मिट्टी की ढुलाई की गई एवं गड्ढों तथा फर्श में भरी गई जिसके लिए इकाई ने ठेकेदार को कुल 45.79 लाख रुपये का भुगतान किया। अतः कम्पनी द्वारा मिट्टी के कार्य हेतु 28 रुपये प्रति क्यूबिक मी0 (70 रुपये प्रति क्यू0मी0 42 रुपये प्रति क्यू0मी0) की अधिक दर स्वीकार करके 18.31 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

प्रबन्धन/शासन ने कहा (अगस्त/सितम्बर 2009) कि उक्त कार्य के अन्तर्गत, 2 से 3 माह पूर्व एकत्र की गई मिट्टी की खुदाई, ढुलाई जिसमें लादना, उतारना इत्यादि तथा गड्ढो में मिट्टी की भराई, समतलीकरण, दबाव, सिंचन इत्यादि सम्मिलित थे। उक्त कार्यों की दर

72 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित की गई थी जो कि संयुक्त क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दरो के अनुरूप था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यादेश में यथाउल्लिखित कार्य क्षेत्र में केवल दो कार्य यथा ट्रैक्टर/ट्राली द्वारा खोदी गयी मिट्टी का कार्य स्थल तक परिवहन एवं गड्ढों में मिट्टी की भराई, सिंचन, दबाव तथा समतलीकरण इत्यादि और इन कार्यों हेतु अनुमोदित दर 42 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर थी।

प्रबन्धन को दरों की गलत विश्लेषण के आधार पर कार्य को ऊँची दरों पर दिये जाने हेतु तथा जे.पी.सी. द्वारा स्वीकृत कम दर को नजर अंदाज करने के लिये दोषी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.7 निजी नलकूप उपभोक्ताओं से फिक्स लाइन प्रभारों की अल्प वसूली

यू.पी.ई.आर.सी. द्वारा जारी कास्ट डाटा बुक के अनुसार निर्धारित दरों का अनुपालन न किये जाने के कारण नये निजी नलकूप उपभोक्ताओं से कम्पनियों द्वारा 44.82 लाख रुपये की अल्प वसूली की गयी।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यू.पी.ई.आर.सी.) द्वारा जारी कास्ट डाटा बुक (01 अक्टूबर 2007 से प्रभावी) के अध्याय–5 के अनुसार पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत संभावित निजी नलकूप उपभोक्ताओं से 30,000 रुपये प्रति संयोजन फिक्स लाइन प्रभार वसूल किया जाना था। इस दर को 14 मई 2008 से संशोधित करके 7000 रुपये कर दिया गया था।

लेखा परीक्षा के दौरान (मई से दिसम्बर 2008) यह देखा गया कि इन वितरण कम्पनियों के सात विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी) – ईडीडी औरैया, ईडीडी–प्रथम, कानपुर, ईडीडी–द्वितीय, फैजाबाद, ईडीडी–प्रथम, हरदोई, ईडीडी, बाराबंकी, ईडीडी–प्रथम, मऊ तथा ईडीडी, कौशाम्बी ने अक्टूबर 2007 से 13 मई 2008 तक 190 निजी नलकूप संयोजनों से वसूली योग्य फिक्स लाइन प्रभार 57 लाख रुपये के विरुद्ध 12.18 लाख रुपये वसूल किये। परिणामस्वरूप 44.82 लाख रुपये फिक्स लाइन प्रभार की अल्प वसूली हुई।

कम्पनी को अल्प प्रभारित धनराशि की वसूली और चूक के लिये संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है, जिसके कारण कम्पनियों को 44.82 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण प्रबन्धन व सरकार को मार्च 2009 तथा जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.8 पी.जी.सी.आई.एल. से प्रतिभूति जमा प्राप्त किये बिना बी.पी.एल. संयोजनों को जारी करने की अनुमति दिया जाना।

दो विद्युत वितरण कम्पनियों ने पी.जी.सी.आई.एल. से 4.73 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा प्राप्त किये बिना आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान करने की अनुमति दी, यद्यपि प्रतिभूति जमा हेतु आर.ई.सी. द्वारा सब्सिडी प्रदान की गई थी।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 का प्रस्तर 4.20 उपबन्धित करता है कि सभी उपभोक्ताओं/प्रार्थियों द्वारा दो माह के अनुमानित विद्युत उपभोग के बराबर प्रतिभूति जमा

राशि प्रदान की जायेगी। तद्नुसार, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड* (यू.पी.पी.सी. एल) और दो विद्युत वितरण कम्पनियों (यथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) (डिस्काम) ने घरेलू बत्ती व पंखा उपभोक्ताओं के लिये 300 रुपये प्रति किलोवाट की प्रतिभूति जमा राशि निर्धारित किया।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युत आधार संरचना और घरेलू विद्युतीकरण हेतु शुरू (मार्च 2005) की गयी राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अन्तर्गत विद्युतीकृत कराये गये गाँवों में गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) जीवनयापन करने वाले मकान मालिकों के विद्युत संयोजन बिना किसी प्रभार के दिया जाना था।

संयोजन लागत का पोषण कुटीर ज्योति कार्यक्रम (के.जी.पी.) के मानक के अनुसार रूरल इलेक्ट्रिीफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) द्वारा प्रदान की गयी 100 प्रतिशत पँजीगत सब्सिडी से किया जाना था। के. जी. पी. के अनुसार, 1500 रुपये प्रति संयोजन पँजीगत सब्सिडी के रूप में अनुमन्य थी जो आर. ई. सी. द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को प्रदान की जानी थी। पँजीगत सब्सिडी की 1500 रुपये की इस धनराशि में 300 रुपये प्रतिभूति जमा राशि हेतु शामिल था, जो अन्यथा विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के उपबन्धों के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली योग्य था।

यह पाया गया कि आर. ई. सी., उत्तर प्रदेश शासन, पी. जी. सी. आई. एल. एवं डिस्काम्स के बीच सम्पन्न हुए (जुलाई 2005) चतुष्पक्षीय अनुबन्ध के क्रम में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) ने आठ जिलों (सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर) में बी. पी. एल. परिवारों को विद्युत संयोजन, सहित ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया। कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिये आर. ई. सी. द्वारा डिस्काम्स को सूचित करते हुए सीधे पी.जी.सी.आई.एल. को कोष अवमुक्त किये गये।

पी. जी. सी. आई. एल. ने डिस्काम्स के वितरण तंत्र के अन्तर्गत आने वाले इन जिलों के बी. पी. एल. परिवारों को जनवरी 2009 तक 1,57,595 विद्युत संयोजन अवमुक्त किये। बहरहाल इन उपभोक्ताओं के वास्ते आर ई सी द्वारा 4.73 करोड़ रुपये प्रतिभूति जमा राशि को पी. जी. सी. आई. एल. को यद्यपि उपलब्ध कराये गये फिर भी यह न तो पी. जी. सी. आई. एल. द्वारा डिस्काम्स को दिये गये, न ही डिस्काम्स द्वारा इन पर दावा किया गया।

पी. जी. सी. आई. एल. से प्रतिभूति जमा राशि प्राप्त किये गये बिना विद्युत संयोजनों को जारी करना न केवल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के संहितीय उपबन्धों का उल्लंघन है, बल्कि कम्पनियों की देयता भी उस सीमा तक असुरक्षित रही।

प्रबन्धन ने कहा (मई 2009) कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मार्च 2005 में जारी ज्ञापन के खण्ड 7.5 के अनुसार, कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार बी. पी. एल. परिवारों का विद्युतीकरण 100 प्रतिशत पँजीगत सब्सिडी से वित्तपोषित होगा। अतः आर जी जी वी वाई के अन्तर्गत संयोजन के समय बी पी एल उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा राशि सहित कोई लागत नहीं ली जानी थी। उत्तर इस स्तर तक सही है कि प्रतिभूति जमा, उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जानी थी परन्तु बी पी एल उपभोक्ताओं को संयोजन देने के लिये आर ई सी के माध्यम से भारत सरकार ने 1500 रुपये (संयोजन लागत 1200 रुपये तथा प्रतिभूति जमा 300 रुपये) प्रति संयोजन कार्यकारी संस्था (पी जी सी आई एल) को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करायी थी।

अतः डिस्काम्स को, आर ई सी द्वारा उपभोक्ताओं की ओर से उपलब्ध करायी गयी 300 रुपये प्रति संयोजन प्रतिभूति जमा की राशि पी जी सी आई एल से प्राप्त करनी चाहिए थी।

आर. जी. जी. वी. वाई. के अन्तर्गत पी. जी. सी. आई. एल. द्वारा जारी किये गये बी. पी. एल. संयोजनों के विरुद्ध प्रतिभूति जमा राशि की वसूली हेतु डिस्काम्स को प्रयास करने चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के उपबन्धों

* यूपीपीसीएल ऊर्जा वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कम्पनी है।

के मानक के अनुसार वांछनीय प्रतिभूति जमा राशि प्राप्त किये बिना कोई संयोजन इस योजना के अन्तर्गत जारी न किये जाये।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2009 में प्रतिवेदित किया गया; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.9 टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण अल्प निर्धारण

टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण निगम को 7.43 करोड़ रुपये की राजस्व हानि वहन करनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभार आदेश (टैरिफ आर्डर) ग्रामीण अनुसूची के अनुसार, आपूर्ति प्राप्त कर रहे दर अनुसूची एलएमवी–1 और एलएमवी–2 के उपभोक्ताओं और ग्रामीण पोषक से आपूर्ति प्राप्त कर रहे लेकिन सुनिश्चित कटौती से मुक्त अन्य उपभोक्ताओं के लिये, अलग दर प्रभार का उपबन्ध करता है। अन्य उपभोक्ताओं के लिये ग्रामीण अनुसूची के अनुसार आपूर्ति प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं की तुलना में दर प्रभार उच्च था। विद्युत वितरण खण्ड (वि वि ख), फतेहाबाद, आगरा के अन्तर्गत उपखण्ड फतेहाबाद और शमसावाद, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आते थे, अतः इस क्षेत्र के उपभोक्ता सुनिश्चित कटौती से मुक्त थे और उच्च दर पर प्रभारण योग्य थे।

लेखा परीक्षा में देखा गया (मई 2009) कि इन उपखण्डों के एलएमवी–1 और एलएमवी–2 के उपभोक्ताओं को, ग्रामीण अनुसूची में वर्णित उपभोक्ताओं के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को लागू उच्च दर के स्थान पर ग्रामीण अनुसूची के दर प्रभार के अनुसार बिल जारी किये गये।

परिणामस्वरूप, ग्रामीण अनुसूची हेतु लागू दरों व ग्रामीण पोषक से आपूर्ति प्राप्त कर रहे सुनिश्चित कटौती से मुक्त उपभोक्ताओं हेतु लागू दरों में अन्तर के कारण, जनवरी 2007 से जून 2009 के दौरान एलएमवी–1 के अन्तर्गत 125800 प्रकरणों और एलएमवी–2 के अन्तर्गत 1551 प्रकरणों में उपभोक्ताओं पर 7.43 करोड़ रुपये का अल्प निर्धारण किया गया।

खण्ड ने अंतरिम उत्तर में तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि इन उपभोक्ताओं को जून 2009 से नगरीय अनुसूची के अन्तर्गत बिल जारी करने के लिय कम्प्यूटर बिलिंग सेवा केन्द्र को इनपुट एडवाइस भेज दिये गये (मई 2009)। उत्तर सन्तोषजनक नहीं हैं क्योंकि जून 2009 तक सही बिलिंग नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन को गलत टैरिफ प्रयोग के कारण हुई हानि की वसूली के लिये सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिये और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता है।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2009); जिनके उत्तर अप्राप्त हैं (नवम्बर 2009)।

4.10 पी टी डब्ल्यू हेतु संयोजनों को अवमुक्त करने से हानि

अनुमन्य सब्सिडी से अधिक संयोजन की लागत की वसूली सुनिश्चित किये बिना 25 के वी परिवर्तक से एकल पी टी डब्ल्यू संयोजन अवमुक्त किये जाने से निगम को 2.44 करोड़ रुपये की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यू पी ई आर सी) ने संभावी उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले व्ययों तथा अन्य प्रभारों को वर्णित करते हुए 01 अक्टूबर 2007 से प्रभावी कास्ट डाटा बुक, अनुमोदित की (अक्टूबर 2007)।

तद्नुसार, 25 केवीए परिवर्तक से प्रति नये निजी नलकूप (पी टी डब्ल्यू) संयोजन के लिये निर्धारित 22,688 रुपये लिये जाने थे। नये पी टी डब्ल्यू उपभोक्ता द्वारा 25 केवीए परिवर्तक से एकल संयोजन का विकल्प दिये जाने पर अधिक धनराशि 68,066 रुपये प्रति संयोजन (25 केवीए उपसंस्थान की लागत) स्थायी प्रभार के रूप में वसूल की जानी थी। इसके अलावा, लाइन के भार व लम्बाई के आधार पर, परिवर्तनीय प्रभार भी पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने थे।

राज्य सरकार ने सामान्य योजना के अनतर्गत प्रति पी टी डब्ल्यू संयोजन के लिये 55000 रुपये उपादान की संस्वीकृति दी (दिसम्बर 2007) और निर्देश दिया कि एक 25 केवीए परिवर्तक से कम से कम दो पी टी डब्ल्यू संयोजन दिये जायेंगे और यदि कोई उपभोक्ता 25 केवीए परिवर्तक से एकल संयोजन का विकल्प देता है तो उपादान धनराशि से आधिक्य, उपभोक्ता को प्रभारित किया जायेगा। तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने जुलाई 2008 में पुनः आदेश निर्गत किया, जिसके द्वारा उपादान धनराशि 55,000 रुपये से बढ़ाकर 68,000 रुपये प्रति संयोजन कर दी, लेकिन 25 केवीए परिवर्तक से एकल संयोजन की स्थिति में उपादान धनराशि के सापेक्ष संयोजन लागत के अतिरेक की उपभोक्ता से वसूली की शर्त वापस ले ली। जुलाई 2008 का सरकारी आदेश, यद्यपि उपादान धनराशि के सापेक्ष संयोजन लागत के अतिरेक को वहन करने के उत्तरदायित्व के प्रति मौन है।

विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम आगरा की लेखा परीक्षा में देखा गया कि खण्ड ने जुलाई 2008 से जनवरी 2009 के दौरान सामान्य योजना के अन्तर्गत 25 केवीए परिवर्तकों से एकल संयोजनों को अवमुक्त करने के लिये 554 पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं से अनुबन्ध किया। ऐसे पी टी डब्ल्यू संयोजनों को अवमुक्त करने की लागत, स्वीकृत आंकलनों के अनुसार 7.03 करोड़ रुपये थी, जो, या तो उपभोक्ताओं से वसूल की जानी थी या सरकार से दावा किया जाना था। खण्ड ने, उपरोक्त सरकारी आदेश के उपबन्धों के अनुसार, उपभोक्ताओं से 0.82 करोड़ रुपये स्थायी व परिवर्तनीय प्रभारों के रूप में और 3.77 करोड़ रुपये उपादान के रूप में वसूल किये। शेष 2.44 करोड़ रुपये के उपादान के सापेक्ष व्ययाधिक्य और उपभोक्ताओं से वसूलित राशि अप्राप्त रहने के कारण निगम को हानि हुई। निगम द्वारा सरकार से इस धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये।

सरकार के संशोधित आदेश को लागू करते समय, प्रबन्धन को, निगम को हानि से बचाने के लिये, पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं को नये संयोजनों को अवमुक्त करने से पहले उपादान के सापेक्ष व्ययाधिक्य की प्रतिपूर्ति/वसूली पर जोर देना चाहिये था।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2009); जिनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2009)।

4.11 अनुबन्ध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को न लेने से हानि

प्राइवेट पार्टी के साथ हुए अनुबन्ध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को छोड़ देने के कारण निगम को 21.52 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

निगम ने आगरा शहर में सर्वेक्षण कार्य और नये उपभोक्ताओं के सूचीकरण, ऊर्जा के लेखा–जोखा तथा हैण्ड हेल्ड कम्प्यूटर्स द्वारा मासिक व द्विमासिक बिलिंग और चेक इत्यादि से राजस्व एकत्र करने के लिये निविदा आमंत्रित की (जुलाई 2009)।

सी.एस. साफ्टवेयर इन्टरप्राइजेस लिमिटेड (सी एस एस ई एल), हैदराबाद द्वारा उद्धृत दरें न्यूनतम पायी गयी, फिर भी सी एस एस ई एल और साई कम्प्यूटर्स (साई) को 60:40 के अनुपात में न्यूनतम दर पर कार्य दिया गया (अक्टूबर 2007)। तद्नुसार, नवम्बर 2007 में साई के साथ विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (वि न वि ख)–प्रथम, चतुर्थ और सप्तम के लिये और विनविख–द्वितीय, तृतीय, पंचम और षष्टम के लिये फरवरी 2008 में सी एस एस ई एल के साथ तीन वर्ष का अनुबन्ध सम्पादित किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि अनुबन्ध पत्र का अनुच्छेद 5.26(2)(ii) वर्णित करता है कि ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण मीटर प्रतिवेदित किये जाने पर, मीटर रीडिंग, बिल उत्सर्जन और वितरण हेतु लागू अनुबन्धित दर (5.88 रुपये प्रति उपभोक्ता) का 50 प्रतिशत की अदायगी ठेकेदार को की जायेगी। यह अनुच्छेद साई के साथ सम्पादित अनुबन्ध में विद्यमान था लेकिन सी एस एस ई एल के साथ हुए अनुबन्ध में छोड़ दिया गया। यद्यपि ठेकेदार ने नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 के दौरान प्रतिवेदित किया कि 651326 उपभोक्ताओं के मीटर दोषपूर्ण है लेकिन दोषपूर्ण मीटर के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत अदायगी विषयक अनुच्छेद छोड़ दिये जाने के कारण उसे 2.94 रुपये के स्थान पर 5.88 रुपये प्रति उपभोक्ता की पूर्ण दर से अदायगी की गई। एतएव, ठेकेदार को 19.15 लाख रुपये की परिहार्य अदायगी की गई।

इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा प्रतिवेदित, दोषपूर्ण मीटर के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत अदायगी की शर्त छोड़ देने से, निगम को 19.15 लाख रुपये पर सेवा कर की 2.37 लाख रुपये की धनराशि शामिल करते हुए, 21.52 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी। निगम को भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2009); जिनके उत्तर अप्राप्त हैं (नवम्बर 2009)।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.12 उपभोक्ता को अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि

कम्पनी ने बिना संरक्षित भार सुविधा की अनुमति प्राप्त किये, निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया, परिणामस्वरूप 62.16 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 का खण्ड 4.27 उपबन्ध करता है कि अनुज्ञप्तिधारी, अपवादात्मक प्रकरणों में, उन उपभोक्ताओं के साथ अनुबन्ध करके, जिन्होंने चौबीस घंटे (24 घंटे) विद्युत उपयोग का विकल्प लिया है, को निम्नलिखित मुख्य शर्तों के साथ, संरक्षित भार प्रदान कर सकता है:–

- नवीनतम दर सूची के अनुसार (टैरिफ आर्डर में) अतिरिक्त प्रभार की वसूली प्रतिमाह नियमित बिल द्वारा की जायेगी।

- संरक्षित भार की सुविधा प्राप्त उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिरोपित निर्धारित विद्युत कटौती के अधीन नहीं होंगे।

- संरक्षित भार केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को स्वीकृत किया जायेगा जिन्हें 11 केवी अथवा इससे ऊपर के स्वतंत्र पोषक के माध्यम से आपूर्ति दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यू पी ई आर सी) द्वारा अनुमोदित दर सूची के उपबन्धों के अनुसार, अनुबन्धित संरक्षित भार पर आधार मांग प्रभारों का 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार, प्रतिमाह प्रभारण योग्य है।

विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी की लेखा परीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2008) कि एक उपभोक्ता (रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) जिसका भार 3600 केवीए था, को अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2008 के दौरान 33 केवी स्वतंत्र पोषक से आपूर्ति की जा रही थी और बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं को लागू दर अनुसूची एचवी–2 के अन्तर्गत देयक निर्गत किये जा रहे थे। खण्ड ने उपभोक्ता पर सामान्य/निर्धारित विद्युत कटौती लागू नहीं की और उसे

अबाधित विद्युत आपूर्ति जारी रखी, यद्यपि उसने संरक्षित भार के लिये न तो आवेदन किया था और न ही उसे संस्वीकृति दी गयी थी। परिणामस्वरूप कम्पनी को 62.16 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार, उपभोक्ता द्वारा बिना संरक्षित भार की स्वीकृति प्राप्त किये, निर्धारित विद्युत कटौती के दौरान उसे अबाधित विद्युत आपूर्ति कर अनुचित लाभ दिया गया।

कम्पनी द्वारा संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही और चूक के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कम्पनी द्वारा अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2008 के दौरान अबाधित विद्युत आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के विरुद्ध उपभोक्ता से अनिवार्य अतिरिक्त प्रभार की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये।

कम्पनी द्वारा एक अन्तः निर्मित तंत्र विकसित किये जाने की भी आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करें कि अबाधित विद्युत आपूर्ति की सुविधा केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिले, जिन्हें संरक्षित भार सुविधा स्वीकृत किया गया हो।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2009); जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

4.13 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

मुख्य अभियन्ता (मु.अ.) द्वारा अनाधिकृत रूप से चोरी के विरुद्ध 36.68 लाख रुपये के निर्धारण को वापस लेकर उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया गया।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 उपबन्धित करता है कि कोई व्यक्ति या उपभोक्ता यदि विद्युत चोरी में लिप्त पाया जाता है तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड या दोनों की सजा दी जायेगी। विद्युत चोरी पकड़े जाने पर अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता तुरंत आपूर्ति रोक देगा और कटौती के चौबीस घंटे के भीतर पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायेगा। अनुज्ञप्तिधारी का निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता को 15 दिन का समय देते हुए कारण बताओ सूचना के साथ अस्थायी निर्धारण देयक देगा। अधिनियम की धारा 154 यह भी उपबन्धित करती है कि धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का केवल राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत में परीक्षण होगा।

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम (खण्ड), बरेली की लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2007) कि खण्ड के अधिशासी अभियन्ता (अ.अ.) की अध्यक्षता में एक दल ने एलायन्स बिल्डर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर, महानगर, बरेली के परिसर में छापा डाला (7 अगस्त 2006) और उपभोक्ता को विद्युत चोरी में लिप्त पाया। उपभोक्ता की आपूति 7 अगस्त 2006 को रोक दी गई लेकिन खण्ड द्वारा इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी कि उपभोक्ता के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया था कि सभी देय प्रभार जमा कर दिये जायेंगे। उपभोक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज न करने के लिये दिया गया आधार अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अनुसार न्यायसंगत नहीं था जो कि उपबन्धन करता है कि जब तक उपभोक्ता शमन शुल्क तुरंत जमा नहीं करता, कटौती के 24 घंटों के भीतर एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता ने 36.68 लाख रुपये, शमन शुल्क 10.88 लाख रुपये शामिल करते हुए, निर्धारित किया और सुनवाई के लिये 15 दिनों का समय देते हुए एक कारण बताओ नोटिस निर्गत किया (7 अगस्त 2006)। उपभोक्ता के प्रतिनिधि ने, जिसके आश्वासन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गयी थी, 5 सितम्बर 2006 को एक प्रत्यावेदन दिया और उस पर आरोपित सभी प्रभारों को जमा करने से इंकार कर दिया। अधिशासी अभियन्ता ने उपभोक्ता के प्रत्यावेदन को इंकार करते हुए अन्ततः उपभोक्ता से निर्धारित धनराशि 36.68 लाख रुपये 7 अक्टूबर 2006 तक जमा करने के लिये कहा, अन्यथा असफल रहने पर एफआईआर दर्ज

करा दी जायेगी (22 सितम्बर 2006)। उपभोक्ता ने फिर भी देयों को जमा नहीं किया। तत्पश्चात, मुख्य अभियन्ता (मु.अ.), बरेली, ने अधिनियम की धारा 135 और 154 के प्रावधानों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता से उपभोक्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की सलाह देने के स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम और विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड को शामिल करते हुए, अनाधिकृत रूप से एक समिति का गठन किया और समिति को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया और मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित दूसरी समिति ने भी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया (20 अप्रैल 2007)। फिर भी, मुख्य अभियन्ता ने उपभोक्ता के प्रतिनिधि और समिति के सदस्यों के साथ वार्तालाप के आधार पर उपभोक्ता के विरुद्ध निर्धारण, इस आधार पर कि चोरी सिद्ध नहीं की जा सकी, वापस ले लिया (मई 2007)। मुख्य अभियन्ता का यह कृत्य गैरकानूनी था क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण किये जाने के बाद अधिनियम की धारा 154 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत को ही प्रकरण सन्दर्भित किया जा सकता है।

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा उपभोक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में असफल रहने और मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रकरण में अनाधिकृत हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को 36.68 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

निगम को उपभोक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज न कराने वाले और निर्धारण वापस लेने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये और उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत चोरी के लिये तुरंत कानूनी कार्यवाही शुरू करना चाहिये।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2009); जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2009)।

4.14 मध्यांचल विद्युत वितरण में डॉ. अम्बेदकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत दोषपूर्ण क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की अप्राप्ति

प्रस्तावना

4.14.1 जनवरी 1991 में उत्तर प्रदेश शासन (शासन) ने ग्राम विकास पहल के रूप में डॉ. अम्बेदकर ग्राम विकास योजना लागू की। योजना के संकल्पित बिन्दुओं में से एक बिन्दु योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण था। योजना को 1995–96, 1997–98 और 2002–03 वर्षों के दौरान लागू किया गया और दिसम्बर 2007 तक पूर्ण करने हेतु पुनः विस्तारित किया गया (सितम्बर 2007)।

शासन ने आगे सितम्बर 2007 में डॉ. अम्बेदकर ग्राम सभा विकास योजना आरम्भ की, जिसे जनवरी 2008 से प्रारम्भ करके मार्च 2012 तक पाँच चरणो में ऊर्जा क्षेत्रक कम्पनियों के माध्यम से राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। योजना के अन्तर्गत, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिचिन्हित ग्राम सभाओं (ग्रा.स.) को विकास हेतु एक इकाई माना गया था और ग्रा. स. को

(i) ग्राम व इसके दलित बस्ती/मजरा (जहाँ ये विद्यमान थे) के आवासीय भाग में वितरण लाइनों को बिछाने,

(ii) सार्वजनिक स्थानों यथा विद्यालयों, पंचायत भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि तक विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने और

(iii) ग्राम सभा के अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों* में कुल घरो के न्यूनतम दस प्रतिशत विद्युतीकरण के उपरान्त संतृप्त माना जाना था।

* राजस्व ग्राम, भू–राजस्व के संग्रहण के उद्देश्य से राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अभिचिन्हित एक क्षेत्र होता है। एक ग्राम सभा में एक या अधिक राजस्व ग्राम हो सकते हैं।

ग्राम विकास पहल का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी पी सी एल) के माध्यम से किया गया था। यू पी पी सी एल द्वारा प्राप्त कोष, विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु चार सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम) यथा; मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एम वि वि नि लि), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (पू वि वि नि लि), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प वि वि नि लि) व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (द वि वि नि लि), को अवमुक्त किया गया था।

योजना के क्रियान्वयन से अर्जित लाभ का निर्धारण करने के लिये मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म वि वि नि लि) के 34 विद्युत वितरण खण्डों (वि वि ख) में से दस विद्युत वितरण खण्डों की एक लेखा परीक्षा मार्च 2009 से अक्टूबर 2009 के दौरान सम्पादित की गई। विद्युत वितरण खण्डों की नमूना जाँच में पाये गये लेखा परीक्षा प्रेक्षण की चर्चा नीचे की गई है:

योजना का वित्तीय फलक

4.14.2 योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन ने, एम वी वी एन एल के 1580 ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान 167.64 करोड़ रुपये अवमुक्त किये–प्रथम चरण के अन्तर्गत 545 ग्राम सभाओं के लिए 66.24 करोड़ रुपये तथा द्वितीय चरण के अन्तर्गत 1035 ग्राम सभाओं के लिए 101.40 करोड़ रुपये। राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये (अगस्त 2008/फरवरी 2009) संतृप्तीकरण प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम चरण (545 सं0) व द्वितीय चरण (1035 सं0) के अन्तर्गत 1580 ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण पर 167.64 करोड़ रुपये व्यय किये गये। एम वी वी एन एल को 1991 की पूर्ववर्ती योजना के अन्तर्गत चयनित 5231 ग्रामों में मरम्मत कार्य तथा अपूर्ण विद्युतीकरण कार्यों को सम्पादित करने के लिए भी 120.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त की गयी (सितम्बर 2007 से नवम्बर 2007)। इस आबंटन के विरुद्ध, जनवरी 2008 तक 94.26 करोड़ रुपये के व्यय प्रतिवेदित किये गये।

लाभार्थी ग्रामों में लक्ष्यों का प्राप्त न होना

4.14.3 लेखा परीक्षा ने योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में असंगतियाँ देखी जिसके परिणामस्वरूप लक्षित समुदायों/ग्रामों को प्रस्तावित लाभ नहीं पहुँच सका।

स्थलीय सर्वेक्षण के बिना ग्रामों के विद्युतीकरण के प्राक्कलन तैयार करना

4.14.4 यू पी पी सी एल ने निर्देशित किया (जून 2007) कि योजना के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले नये और अपूर्ण/छूटे हुए विद्युतीकरण कार्य का सर्वेक्षण, खण्ड से इतर किसी अन्य खण्ड के एक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और लागत प्राक्कलन क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर बनाया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि किसी भी प्रकरण में सर्वेक्षण नहीं किया गया था और दस विद्युत वितरण खण्डों* द्वारा बनाये गये सभी प्राक्कलन अवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थे। ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण कार्य हेतु प्राक्कलन यू पी पी सी एल के ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीयक प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो) द्वारा जारी किए गए आदर्श लागत प्राक्कलन एवं निर्माण नियमावली के अनुसार बनाया जाना था। प्रस्तावित कार्य का बिना सर्वेक्षण किए प्राक्कलन बनाए जाने के परिणामस्वरूप कार्य के प्राक्कलित तथा वास्तविक मूल्य में 9 प्रतिशत से 494 प्रतिशत **(परिशिष्ट–19)** तक बड़े महत्वपूर्ण विचरण हुए।

लेखा परीक्षा ने पाया:

- वि वि ख, रहीमनगर, लखनऊ ने 25.295 किमी एल टी लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक 294 प्री स्ट्रेस्ड सीमेण्ट कंक्रीट पोल, 93 स्टे, 93 अर्थिंग पोल और 93

* वि वि ख–I व II बरेली, वि वि ख–I व II सीतापुर, वि वि ख–I व II हरदोई, वि वि ख–I लखीमपुर, वि वि ख–I उन्नाव, वि वि ख–बहराइच और वि वि ख–रहीमनगर, लखनऊ।

कंक्रीटिंग के सामान्य उपभोग के विरुद्ध क्रमशः 869 प्री स्ट्रेस्ड सीमेण्ट कंक्रीट पोल, 567 स्टे, 328 अर्थिंग पोल 845 कंक्रीटिंग का उपभोग किया। इसके परिणामस्वरूप, 16.75 लाख रुपये की लाइन सामग्रियों का अधिक उपभोग हुआ।

- वि वि ख–प्रथम व द्वितीय, हरदोई द्वारा 48.31 किमी एच टी/एल टी लाइन के निर्माण के लिए वांछित 581 सपोर्ट के मानक के विरुद्ध 917 सपोर्ट (पी सी सी पोल तथा अन्य सामग्री) का उपभोग किये जाने के कारण 13.63 लाख रुपये की लाइन सामग्री का अधिक उपभोग हुआ।

- वि वि ख–प्रथम, लखीमपुर ने 8.34 लाख रुपये मूल्य की लाइन सामग्री (ए सी एस आर वीजल, ए ए ए सी, ए बी सी एकल व तीन फेस) तीन ग्रामों (सैधरी, घोसियाना और मैदना) के विद्युतीकरण के लिए निर्गत व उपभोक्त दर्शाया था। यह अभिलेखीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं था क्योंकि माप पुस्तिकाओं में अभिलेखित (अगस्त 2008 से मार्च 2009 तक) मापन केवल 2.12 लाख रुपये के उपभोग को प्रदर्शित करता था।

शासन को गलत प्रतिवेदन

- प्रथम चरण के अन्तर्गत वि वि ख, बहराइच द्वारा 25 ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण हेतु शासन ने 2007–08 के दौरान यू पी पी सी एल को 6.24 करोड़ रुपये अवमुक्त किये। यू पी पी सी एल ने शासन को सम्पूर्ण राशि को उपरोक्त ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण में उपयोग किया गया, प्रतिवेदित किया (अगस्त 2008) जबकि लेखा परीक्षा द्वारा कार्य पर 3.93 करोड़ रुपये मात्र के व्यय का सत्यापन किया जा सका। अतः कार्य पूर्ण होने सम्बन्धित गलत प्रतिवेदन दिये जाने के कारण, 2.31 करोड़ रुपये शासकीय कोष को कम्पनी द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पास अवरुद्ध रखा गया।

- चार वि वि खण्डों* द्वारा 225 ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण के लिए शासन द्वारा अवमुक्त 30.86 करोड़ रुपये को भी प्रयुक्त हुआ, प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2008/फरवरी 2009)। यह भ्रामक था क्योंकि वस्तुतः 120 ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण हेतु 8.86 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये थे। अतः कम्पनी ने कार्य की भौतिक व वित्तीय प्रगति को गलत प्रतिवेदित करके, 22 करोड़ रुपये के शासकीय कोष को अनाधिकृत रूप से अपने पास अवरुद्ध रखा।

अपूर्ण विद्युत वितरण तंत्र

4.14.5 यू पी पी सी एल ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एच़ वी डी एस) लागू किया (2001) जिसमें एच टी लाइन पर वितरण बाक्सों सहित छोटे परिवर्तकों (10/16 केवीए) की स्थापना के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवा संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यू पी पी सी एल द्वारा जारी कास्ट डाटा बुक में प्रावधानित था कि केबिल द्वारा सेवा संयोजन अधिकतम 40 मीटर की दूरी तक दिया जा सकता था, अतः परिवर्तक और वितरण बाक्स, लाइन से प्रत्येक 80 मीटर की दूरी पर स्थापित किये जाने चाहिए थे।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वि वि ख–प्रथम उन्नाव, बहराइच तथा रहीमनगर, लखनऊ द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण के अन्तर्गत 96 ग्रामों/मजरों में 8.73 करोड़ रुपये की लागत से 39.70 किमी एच टी लाइन का निर्माण किया गया। इस लम्बाई हेतु वाँछित 1753 परिवर्तकों के विरुद्ध केवल 438 परिवर्तक स्थापित किये गये। लेखा परीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि 8.73 करोड़ रुपये व्यय **(परिशिष्ट–20)** किये जाने के बावजूद परिवर्तकों की अल्प स्थापना से इन ग्रामों के संनिवासी को उनकी विद्युत की उचित भार तक उनकी पहुँच से वंचित

* वि वि ख–I व II सीतापुर, वि वि ख–I व II हरदोई

रखा। यह भी आशंका की जाती है कि परिवर्तकों की अल्प स्थापना के कारण अतिभारिता होने की वजह से समूची प्रणाली पर कुप्रभाव पड़ेगा।

योजना के उद्देश्य की पूर्ति न होना

4.14.6 लेखा परीक्षा ने इन वितरण लाइनों के निर्माण के बाद वास्तविक रूप से अवमुक्त नए संयोजनों का विश्लेषण किया। इससे उद्भूत तथ्य निम्न हैं:

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें संयोजन अवमुक्त किए गए	ग्रामों की संख्या जिनमें कोई संयोजन अवमुक्त नहीं किया गया	ग्रामों की संख्या जिनमें 10 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया
1.	वि वि ख–I एवं II बरेली	170	91	79	40
2.	वि वि ख–I एवं II हरदोई	139	105	34	26
3.	वि वि ख–I लखीमपुर	56	28	28	26
4.	वि वि ख–I उन्नाव	61	13	48	13
5.	वि वि ख बहराइच	86	31	55	25
	योग	**512**	**268**	**244**	**130**

प्रत्येक विद्युतीकृत ग्राम के कम से कम 10 प्रतिशत परिवारों को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराना था। उद्देश्य पूर्णतयः अप्राप्त रहा। सात वि वि खण्डों (वि वि ख–प्रथम व द्वितीय, सीतापुर एवं वि वि ख–रहीमनगर के आंकड़े उपलब्ध नहीं है) द्वारा 2007–08 और 2008–09 के दौरान विद्युतीकृत 512 ग्रामों/मजरों में से आश्चर्यजनक रूप से 244 ग्रामों/मजरों (ग्रामों का 48 प्रतिशत) में कोई संयोजन नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, 130 ग्रामों/मजरों (कुल ग्रामों का 26 प्रतिशत एवं उन ग्रामों का 49 प्रतिशत जहां संयोजन अवमुक्त किए गए) में यद्यपि संयोजन तो दिये गये फिर भी ये, परिवारों के न्यूनतम 10 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे थे। यह पहल के उद्देश्य की प्राप्ति में विफलता को दर्शाता है। लेखा परीक्षा का यह निष्कर्ष है कि 167.64 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से 81.47 करोड़ रुपये का व्यय लक्ष्यित सामाजिक लाभ को प्राप्त करने में विफल रहा तथा बहुमूल्य लोक संसाधन दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं किए गए। प्रकरण को प्रबन्धन और शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2009); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2009)।

लेखा परीक्षा यह संस्तुति करता है कि प्रबन्धन पहल को कर्मिष्ठता से नियोजित करे और लक्ष्यित लाभ को पहुंचाने के लिए नियोजित पहलुओं के तारतम्य में कार्य करें।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.15 अतिरिक्त माँग के लिये, माँग प्रभारों/अर्थदण्ड का अनारोपण

अनुबन्धित माँग से अधिक माँग के लिये नियमानुसार अर्थदण्ड/माँग प्रभारों के अनारोपण के कारण निगम को 1.16 करोड़ रुपये की हानि हुई

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी पी सी एल) द्वारा निर्गत, क्रमशः 13 अगस्त 2007 और 27 अप्रैल 2008 से प्रभावी, दर सूची के सामान्य उपबन्धों का प्रस्तर 8 (ii) और प्रस्तर 7(ii) उपभोक्ता पर अनुबन्धित भार से अधिक माँग के उपयोग हेतु अर्थदण्ड आरोपित करने का उपबन्ध करता है। इसके अनुसार यदि किसी माह में ट्राई वेक्टर मीटर/टाइम आफ डे मीटर (टीवीएम/टीओडी*)/डिमाण्ड रिकार्डिंग मीटर वाले उपभोक्ता द्वारा की गयी

* टीवीएम = ट्राईवेक्टर मीटर सक्रिय ऊर्जा, प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा एवं प्रत्यक्ष ऊर्जा को माप सकता है यथा के डब्ल्यू, केवीए एवं केवीएआरएच ।
टीओडी = टाईम आफ डे मीटर माँग, समय एवं प्रयुक्त ऊर्जा का अभिलेखन करता है।

माँग अनुबन्धित भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो माँग प्रभार वसूली के अलावा, मीटर द्वारा रिकार्ड किये गये ऐसे अधिकतम माँग हेतु अनुबन्धित माँग से अधिक माँग के प्रभार के रूप में सामान्य दर आरोपित की जायेगी। फिर भी, यदि माँग अनुबन्धित माँग के 10 प्रतिशत से ज्यादा हो तो मीटर द्वारा इंगित अधिकतम माँग पर, माँग प्रभार के अलावा, ऐसी अधिक माँग पर सामान्य दर को दो गुना आरोपित किया जायेगा। विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, मिर्जापुर की लेखा परीक्षा में देखा गया (फरवरी 2009) कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, मिर्जापुर के अनुबन्धित भार 5000 केवीए का दर सूची एचवी–2 के अन्तर्गत बिल किया गया था जबकि मार्च 2008 से दिसम्बर 2008 तक और फरवरी 2009 के दौरान, 5846 केवीए से 10,369 केवीए के बीच, की वास्तविक अभिलेखित माँग, अनुबन्धित माँग के 10 प्रतिशत से निरन्तर अधिक रही।

अधीक्षण अभियन्ता (अ.अ.) ने निर्देश दिये (अगस्त 2008) कि उपभोक्ता से अनुबन्धित माँग 5000 केवीए से अधिक प्रयुक्त मॉग की वसूली कर ली जायेगी।

खण्ड में अधीक्षण अभियन्ता के आदेशों के बावजूद, वास्तविक अभिलेखित माँग के स्थान पर, 5000 केवीए के अनुबन्धित माँग के अनुसार माँग प्रभारों को आरोपित किया और उपभोक्ता द्वारा उपभोग किये गये अधिक माँग के लिये अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, फलस्वरूप निगम को मार्च 2008 से दिसम्बर 2008 तथा फरवरी 2009 के दौरान 1.16 करोड़ रुपये की हानि हुई। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड ने उपभोक्ता को 81.88 लाख रुपये का बिल जारी किया (जून 2009) जिसकी वसूली अभी तक प्रतीक्षित थी (जुलाई 2009)। निगम को गलत बिलिंग व अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशों का पालन न करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी चाहिये। निगम को ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2009); जिनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2009)।

4.16 निगम के मुख्यालय खाते में धन का हस्तान्तरण न करने से ब्याज की हानि

पँजीगत प्राप्ति खाता (चालू खाता) की सम्पूर्ण शेष धनराशि का मुख्यालय हस्तान्तरण न किये जाने के परिणामस्वरूप 23.02 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.पी.सी.एल.) द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार, जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भी लागू था, खण्डीय कार्यालयों द्वारा सिस्टम लोडिंग प्रभारों, प्रतिभूतियों, सेवा संयोजनों और जमा कार्यों के लिये प्राप्त की गयी सभी धनराशियों को कम्पनी के मुख्यालय में माह में दो बार जमा किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2008) कि विद्युत वितरण खण्ड, कौशाम्बी एक बैंक खाता (चालू खाता) पँजीगत प्राप्ति खाता के नाम से संचालित कर रहा था, जिसमें सिस्टम लोडिंग प्रभारों और जमा कार्य आदि से सम्बन्धित प्राप्त धन जमा किये जा रहे थे। यद्यपि इस बैंक खाते में जमा धन जनवरी 2008 से नवम्बर 2008 के दौरान माह में दो बार कम्पनी के मुख्यालय को प्रेषित किया जा रहा था, लेकिन सम्पूर्ण धनराशि प्रेषित नहीं की गई थी और बैंक खाते में 2.79 करोड़ रुपये से 3.34 करोड़ रुपये तक की भारी धनराशि शेष थी।

इसके अतिरिक्त देखा गया कि निगम ने अपनी निधियों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से धन उधार लिया। यदि खण्डीय अधिकारी द्वारा मुख्यालय खाते में सम्पूर्ण धनराशि का हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जाता, तो उधार ली गयी धनराशि को 2.79 करोड़ रुपये तक कम किया जा सकता था (जनवरी 2008 से नवम्बर 2008 की अवधि में बैंक खाते में अप्रेषित न्यूनतम शेष)। इसके परिणामस्वरूप आर ई सी द्वारा उधार ली गयी निधि पर नौ प्रतिशत की दर से प्रभार करने के कारण 23.02

लाख रुपये ब्याज की परिहार्य अदायगी की गई। उत्तर में प्रबन्धन ने प्राप्त धन, प्रेषित धन और जनवरी 2008 से नवम्बर 2008 तक बैंक शेष की तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत किया है जबकि लेखा परीक्षा ने बैंक खाते में अप्रेषित पड़ी हुई कुल धनराशि पर टिप्पणी किया है (पूर्व की अवधि की राशि को समाहित करते हुये) जैसा कि उक्त अवधि के बैंक विवरण में प्रदर्शित है।

निगम को निश्चित धनराशि रोकने और एक निश्चित तिथि के अन्दर शेष आधिक्य धनराशि को मुख्यालय भेजने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशों द्वारा सरल व उपयोगी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को भी इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सुदृढ़ करना चाहिए।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2009); जिनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2009)।

4.17 दर सूची के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण

सम्बन्धित दर सूची एचवी–2/एचवी–1 के बजाय दर सूची एलएमवी–4 में प्रभारण के कारण उपभोक्ताओं पर अल्प प्रभारण किया गया फलस्वरूप कम्पनी को 11.83 लाख रुपये की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यू.पी.ई.आर.सी.) द्वारा अनुमोदित, 13 अगस्त 2007 से प्रभावी, दर आदेश के सामान्य उपबन्धों का खण्ड–5, उपबन्ध करता है कि 75 के डब्ल्यू भार से ऊपर (एलएमवी–1 उपभोक्ताओं को छोड़कर) और 11 केवी या ज्यादा वोल्टेज की आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी उपभोक्ताओं को नवम्बर 2007 से दर सूची लागू होने की तिथि से तीन माह पश्चात्, दर सूची एचवी–2 के अन्तर्गत देयक निर्गत किये जायेंगे। तत्पश्चात्, यू पी ई आर सी द्वारा अनुमोदित दर आदेश (27 अप्रैल 2008 से प्रभावी) में 75 के डब्ल्यू से ज्यादा और 11 केवी या ज्यादा आपूर्ति प्राप्त कर रहे उन गैर औद्योगिक वृहद भार उपभोक्ताओं के लिये एक अलग दर सूची एच वी–1 को सम्मिलित किया गया।

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, वाराणसी की लेखा परीक्षा में देखा गया कि दो उपभोक्ताओं (i) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी एल डब्ल्यू) प्रशासनिक भवन (1500 के डब्ल्यू भार) और (ii) इंडियन वेजीटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान) (212.5 के डब्ल्यू भार) क्रमशः 33 के वी और 11 के वी आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे, पर 13 अगस्त 2007 से 26 अप्रैल 2008 तक लागू दर सूची एच वी–2 के स्थान पर दर सूची एलएमवी–4(ए) और तत्पश्चात् 27 अप्रैल 2008 से अप्रैल 2009 तक एच वी–1 के अन्तर्गत देयक निर्गत किये गये। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2007 से अप्रैल 2009 की अवधि में इन उपभोक्ताओं को 11.83 लाख रुपये का कम देयक का निर्धारण हुआ।

मुख्य अभियन्ता ने उत्तर दिया (जून 2009) कि एच वी–2 के अन्तर्गत बिलिंग के लिये दोनों उपभोक्ताओं के परिसरों में टाइम ऑफ डे (टी ओ डी) मीटर लगा दिये गये हैं (मई 2009) और तीन माह के विद्युत उपभोग के आधार पर निर्धारण कर लिया जायेगा और वसूली कर ली जायेगी। तथ्य यह है कि निर्धारित तिथि (नवम्बर 2007) से 17 माह पश्चात् टी ओ डी मीटर लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, खण्ड द्वारा अभी तक निर्धारण नहीं कराया गया है। निगम को टी ओ डी मीटर स्थापित करने में देरी करने वाले और दर सूची का गलत प्रयोग करने वाले उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिये।

इस प्रकार, दर सूची के गलत प्रयोग के कारण उपभोक्ताओं को उपरोक्त अवधि के दौरान 11.83 लाख रुपये के कम देयक का निर्धारण हुआ।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2009); जिनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2009)।

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

4.18 बाण्ड पर स्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण हानि

निगम द्वारा बाण्ड धारकों को देय/क्रेडिट किये गये ब्याज पर (टी.डी.एस.) की कटौती करने व उसको जमा करने में विफलता के कारण 4.13 करोड़ रुपये की हानि हुई

निगम द्वारा अपनी कोष आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समय–समय पर बाण्ड जारी कर कोष इकट्ठा किया गया। बाण्ड के नियम एवं शर्तों के अनुसार छमाही ब्याज देय था तथा उस पर लागू दर से स्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी थी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति पर ब्याज के रूप में आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में ब्याज को क्रेडिट के समय या भुगतान के समय जो भी पहले हो, देय ब्याज राशि पर आयकर की कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त धारा 201 (I ए) में यह प्रावधान है कि यदि ब्याज देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आयकर की कटौती नहीं करता है या कटौती करने के पश्चात अधिनियम के अनुसार आयकर जमा नहीं करता है तो वह ऐसे आयकर की राशि पर कटौती तिथि से आयकर जमा की वास्तविक तिथि तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

लेखा परीक्षा में यह देखा (सितम्बर 2008) गया कि निगम द्वारा जारी बाण्डों पर वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के ब्याज का भुगतान अथवा क्रेडिट करते समय उक्त अवधि के लिए 2.95 करोड़ रुपये की स्रोत पर आयकर की कटौती भुगतान किये गये/क्रेडिट किये गये ब्याज से निगम नहीं कर सका था। आयकर विभाग ने मई 2007 में माँग सूचना जारी करने के बाद ब्याज पर स्रोत पर आयकर कटौती और आयकर विभाग ने जमा करने में चूक के लिए कर के मद में 2.92 करोड़ रुपये एवं 1.21 करोड़ रुपये ब्याज के मद में वसूल लिये। अपने स्रोत से आयकर एवं देय ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था यदि निगम द्वारा बाण्ड धारकों को ब्याज का भुगतान/क्रेडिट देते समय आयकर की कटौती की जाती और उसे आयकर विभाग में जमा किया जाता।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि वर्ष 2002–03 में स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस), निगम को सरकार मानते हुये, ग्रामीण और कोआपरेटिव बैंक से इस आधार पर नहीं की गयी थी कि ये कोआपरेटिव बैंक आयकर अधिनियम की धारा 80पी के अधीन छूट के हकदार थे। प्रबन्धन ने पुनः कहा कि अदत्त ब्याज हेतु प्रावधान केवल पुस्तकीय प्रविष्टि थी अतः ऐसे अदत्त ब्याज हेतु प्रावधान पर स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) की आवश्यकता नही अनुभूत की गयी थी।

प्रबन्धन का यह दृष्टिकोण कि ब्याज हेतु प्रावधान करने समय, स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) नही की जानी चाहिए स्वीकार्य नही है क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 194 अ (1) स्पष्टतः उपबन्धित करती है कि प्रतिभूति पर देय ब्याज के प्रावधान और ब्याज के वास्तविक भुगतान, जो पहले हो, पर स्रोत पर आयकर की कटौती की जायेगी।

निगम को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जो बाण्ड धारकों को ब्याज देने के समय स्रोत पर आयकर कटौती न करने के लिए जिम्मेदार थे।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को प्रतिवेदित (जून 2009) है; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2009)।

4.19 भूखण्ड निरस्त होने के कारण हानि

निर्धारित अवधि में भवन का निर्माण न करने के कारण; निगम को 52.10 लाख रुपये की क्षति हुई, इसके अलावा अवरुद्ध कोष पर 66.98 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई

निगम ने अपने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (नोएडा) से 1995 वर्गमीटर का भूखण्ड 79.80 लाख रुपये (अधिमूल्य लागत) पर क्रय (जून 1995) किया। पट्टा विलेख 3 फरवरी 1997 को निष्पादित किया गया तथा भूखण्ड का कब्जा 22 फरवरी 1997 को लिया गया।

पट्टा विलेख के नियम एवं शर्तों के अनुसार, निगम द्वारा कब्जा लेने के दो वर्ष अथवा विस्तारित अवधि, यदि कोई हो तो, के अन्दर भवन का निर्माण तथा उसे संचालन में लाना था। निर्धारित अथवा विस्तारित अवधि में भवन–निर्माण में विफल होने पर, नोएडा द्वारा भूखण्ड का निरस्तीकरण किया जा सकता था।

निगम ने भवन निर्माण के लिए एक वास्तुविद् (स्पेस डिजाइन एण्ड एसोसिएट्स) को नियुक्त (दिसम्बर 1996) किया। वास्तुविद् द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत 4.20 करोड़ रुपये आँकी गयी जिसे तत्पश्चात् संशोधित कर 5.30 करोड़ रुपये कर दिया साथ ही साथ अपनी फीस इत्यादि भी बढ़ा दी, जिससे निगम सहमत नहीं था। इसी बीच भूखण्ड पर अतिक्रमण की जानकारी हुई (मई 2002), जिसे मई 2004 में ही खाली कराया जा सका। तत्पश्चात् इस प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई। भवन निर्माण न करने के कारण नोएडा ने निगम को कारण बताओ नोटिस जारी (जुलाई 2006) करने के उपरान्त भूखण्ड को अक्टूबर 2006 में निरस्त कर दिया।

निगम ने दिसम्बर 2007 में 31.12 लाख रुपये विस्तारण शुल्क तथा 18.67 लाख रुपये रीस्टोरेशन प्रभार जमा करने के बाद अपना भूखण्ड इस शर्त के साथ वापस प्राप्त कर लिया कि भवन निर्माण एक वर्ष के अन्दर करा लिया जाएगा, जिसमें विफल होने पर भूखण्ड निरस्त कर दिया जाएगा। निगम एक बार फिर, खराब वित्तीय स्थिति होने के कारण, उक्त भूखण्ड पर विस्तारित अवधि में भवन निर्माण कराने में विफल रहा। अतः नोएडा ने भूखण्ड को अंतिम रूप से फरवरी 2009 में निरस्त कर दिया तथा निगम द्वारा जमा किये गये भूमि मूल्य से 0.90 लाख रुपये घटाने के पश्चात् 78.90 लाख रुपये वापस कर दिए।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि निगम द्वारा भूखण्ड लेने का निर्णय, परियोजना लागत तथा उसकी लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का आकंलन किये बिना लिया गया था। निगम ने उन बातों का बिना हल ढूँढे दोबारा भूखण्ड वापस लिया (दिसम्बर 2007) जो कि प्रस्तावित परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के नियोजन में निगम की विफलता को दर्शाता है।

अतः भूमि लेने से पूर्व वित्तीय संसाधनों के नियोजन में प्रबन्धन की विफलता के कारण भूमि का आवंटन निरस्त हुआ तथा नोएडा को समय विस्तारण शुल्क एवं रीस्टोरेशन प्रभार के मद में भुगतान करने से 52.10 लाख रुपये का नुकसान हुआ जिसमें 2.31 लाख रुपये का वास्तुविद् शुल्क के रूप में किया गया भुगतान सम्मिलित है।

निगम को जनवरी 2009 तक अवरुद्ध रहे 79.80 लाख रुपये पर 6.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से 66.98 लाख रुपये के ब्याज की भी हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2008) कि वास्तुविद् से विवाद एवं भूखण्ड पर अतिक्रमण जैसी विभिन्न परिस्थितियों के कारण भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका। निगम द्वारा भवन का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये कारण गौण हैं। परियोजना को न कर पाने का मुख्य कारण आवश्यक कोषों की अनुपलब्धता थी, जिसकी वजह से नोएडा द्वारा अंतिम रूप से भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया और निगम को क्षति हुई। निगम को

अधिक लागत वाली परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व आवश्यक कोष एवं संसाधनों का उचित नियोजन एवं निर्धारण करने की जरूरत है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2009) किया गया था; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

4.20 सावधि जमा पर उच्च दर से ब्याज के भुगतान के कारण हानि

निदेशक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जमा धन पर उच्च दर से ब्याज देने के कारण निगम को 22.25 लाख रुपये की हानि हुई।

निगम, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 8(i) के अन्तर्गत जन सामान्य से जमा स्वीकार करता है। तद्नुसार, निगम के निदेशक मण्डल (नि.मं.) ने 8 नवम्बर 2002 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया (एस.बी.आई.) द्वारा दिए जा रहे ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक दर पर जन सामान्य से जमा धन स्वीकार किया जाएगा। जमा धन पर ब्याज दर को एस.बी.आई. द्वारा दिए जा रहे दर के तारतम्य में परिवर्तित किया जाना था।

लेखा परीक्षा में यह देखा (सितम्बर 2008) गया कि निगम ने मई 2003 से फरवरी 2004 के दौरान जन सामान्य से 3.58 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि 36 से 60 माह के लिये स्वीकार किया। इन सावधि जमा राशियों पर नौ प्रतिशत वार्षिक का ब्याज दर दिया गया जबकि एस.बी.आई. द्वारा अपनी सावधि जमा पर संबंधित अवधि में 6.25 प्रतिशत वार्षिक दिया गया।

निगम ने मई 2003 से फरवरी 2004 के दौरान स्वीकार किए गए 3.58 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से सितम्बर 2008 तक 1.16 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया। निदेशक मण्डल के निर्देशों के अनुरूप निगम को 7.25 (एस.बी. आई. की दर से एक प्रतिशत अधिक) प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अधिक पर सावधि जमा स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

अतः प्रबन्धन द्वारा एस.बी.आई. द्वारा दिये जा रहे ब्याज दर के तारतम्य में ब्याज दर निर्धारित न किए जाने के कारण निगम को सावधि जमा पर 1.75 प्रतिशत वार्षिक (9 प्रतिशत – 7.25 प्रतिशत) अधिक दर से ब्याज देने के कारण 22.25 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2009) कि ऊँची दर पर सावधि जमा स्वीकार करते समय यह व्यवहारिक नहीं समझा गया कि प्रत्येक स्तर पर ब्याज दरों को एस.बी.आई. से मिलाया जाय। फिर भी, प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि न तो निदेशक मण्डल से उक्त बदलाव का अनुमोदन लिया गया और न ही उन्हें इससे अवगत कराया गया तथा इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए गए हैं। यह तथ्य फिर भी कायम रह जाता है कि निदेशक मण्डल के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण निगम को हुई हानि की भरपाई नहीं हो सकी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2009) है; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

4.21 ट्रंक सीवर लाईन के निर्माण पर अनावश्यक अतिरिक्त व्यय

सीवेज ट्रीटमेन्ट संयंत्र (एस.टी.पी.) के स्थान में अनावश्यक बदलाव के कारण परिषद को 57.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी मझोला आवास योजना, भाग–4, फेज–II, मुरादाबाद के लिए 84.52 लाख रुपये की लागत पर ट्रंक सीवर लाइन (टी.एस.एल.) निर्माण

करने का निर्णय (मार्च 2006) लिया। टी.एस.एल. के निर्माण कार्य के कुछ भाग को मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, मेरठ को दो अनुबन्ध पत्रों के माध्यम से 42.62 लाख रुपये में प्रदान (जुलाई 2006) किया गया। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सीवर लाइनों के साथ सेक्टर 7बी में एक सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र (एस.टी.पी.) का निर्माण भी प्रस्तावित था।

तत्पश्चात् सितम्बर 2006 में सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र का स्थान योजना के सेक्टर 7बी से बदल कर सेक्टर 9ए कर दिया गया और तद्नुसार ट्रंक सीवर लाइन की डिजाइन में भी बदलाव कर दिया गया। एस.टी.पी. के स्थान में बदलाव के कारण कार्य की अनुमानित लागत 84.52 लाख रुपये से बढ़कर (मई 2007) 142.48 लाख रुपये हो गयी जिसके कारण 57.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। शेष कार्य पुनः उसी ठेकेदार को 42.62 लाख रुपये पर पूर्व में दिये गये कार्य के अतिरिक्त 93.49 लाख रुपये में प्रदान (जुलाई 2009) किया गया। यद्यपि अतिरिक्त कार्य का मूल्य पूर्व के कार्य के 200 प्रतिशत से अधिक था, प्रबन्धन ने पुनः टेण्डर करने के बजाय शेष कार्य उसी ठेकेदार को प्रदान कर दिया गया तथा परिषद को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर कार्य कराने से वंचित किया। परिषद द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन पर मार्च 2008 तक 96.62 लाख रुपये व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा में यह देखा (जून 2008) गया कि एस.टी.पी. के स्थान में बदलाव प्रस्तावित करते समय परियोजना प्रतिवेदन में बदलाव का कोई न्यायसंगत उल्लेख नहीं किया गया था तथा 57.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करने के पूर्व लागत–लाभ विश्लेषण भी नहीं किया गया था यह इस तथ्य को इंगित करता है कि एस.टी.पी. का स्थान बदलने का निर्णय मनमाने ढंग से लिया गया जिसमे 57.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

इकाई ने अन्तरिम उत्तर में कहा (सितम्बर 2008) कि एस.टी.पी. का स्थान सेक्टर 7बी से बदलकर सेक्टर 9ए में इसलिए किया गया क्योंकि एस.टी.पी. योजना के मध्य में स्थित था जिससे सम्पत्तियों का विक्रय प्रभावित हो सकता था और एक अन्य प्रस्तावित योजना (मझोला आवास योजना भाग–4, फेज–II विस्तार) की सीवर लाइने एस.टी.पी. से न्यूनतम लम्बाई पर जुड़ जायेंगी तथा सीवेज का निस्तारण नदी में किया जाएगा जो कि एस.टी.पी. के परिवर्तित स्थल से नजदीक है।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के विस्तार के कार्यान्वयन के उपरान्त नए स्थान पर एस.टी.पी. योजना के मध्य में आ जाएगा इसके अतिरिक्त एस.टी.पी. के स्थान परिवर्तन से पूर्व, परिषद ने लागत–लाभ विश्लेषण नहीं किया था जिससे कि एस.टी. पी. के नए स्थान की लागत–प्रभाविता को सुनिश्चित किया जा सकता। अतः प्रबन्धन द्वारा एस.टी.पी. को नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए दिया गया औचित्य, उत्तर–चिंतन है।

प्रबन्धन को आंतरिक नियंत्रण तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी औचित्य एवं वित्तीय प्रभाव सुनिश्चित किए जाने के बाद ही योजना में कोई बदलाव किया जाए।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2009) है; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

उत्तर प्रदेश जल निगम

4.22 ठेकेदार को अनुचित लाभ

कम्पनी ने ठेकेदार को उसके द्वारा कराये गये कार्यों के मूल्य से अधिक का भुगतान करके अनुचित लाभ पहुँचाया। परिणामस्वरूप 14.98 लाख रुपये की वसूली नहीं हो पायी।

उत्तर प्रदेश शासन ने लखनऊ में गोमती नदी पर स्थित निशातगंज सेतु के दोनों ओर नक्काशीदार द्वार के निर्माण का कार्य स्वीकृत (मार्च 2006) किया एवं इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) को कार्यकारी संस्था के रूप में नामित किया। निगम ने इस कार्य को 690 लाख रुपये में एकमुश्त आधार पर मेसर्स ए0एन0ई0एम0 इंजीनियर्स (ठेकेदार) को

दे दिया (जुलाई 2006)। निर्धारित शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को जमानत राशि के रूप में अनुबन्ध राशि का 10 प्रतिशत, पाँच प्रतिशत के समतुल्य बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रस्तुत करनी थी। जमानत राशि का शेष पाँच प्रतिशत ठेकेदार के रनिंग बिलों से काटा जाना था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को अनुबन्ध राशि का 20 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया जाना था।

निगम की इकाई संख्या 13 (कांस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज) के लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ठेकेदार से जमानत राशि के रूप में 34.50 लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति सितम्बर 2006 में प्राप्त की गई थी जो सितम्बर 2009 तक मान्य थी। सितम्बर से नवम्बर 2006 के दौरान अवमुक्त किये गये 138 लाख रुपये के मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध 138 लाख रुपये की एक और बैंक प्रत्याभूति (मार्च 2007 तक मान्य) भी प्राप्त किया गया था। इसी दौरान, माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पी आई एल) दायर हो गई कि आवश्यक कार्य पद्धति एवं सुरक्षा उपाय निर्धारित किये बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश पारित किया (11 दिसम्बर 2006) तथा निर्देश दिया कि विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही द्वार का निर्माण किया जा सकता है। अतः दिसम्बर 2006 में कार्य रोक दिया गया परन्तु तब तक ठेकेदार द्वारा 154.22 लाख रुपये का कार्य किया जा चुका था।

न्यायालय के कार्य रोकने के आदेश को नजर अंदाज करते हुए निगम ने 16 दिसम्बर 2006 को 69 लाख रुपये का भुगतान पुनः अवमुक्त कर दिया। इससे यह परिलक्षित होता है कि ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया जिससे 52.78 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर निगम ने ठेकेदार के द्वारा किए गए अन्य कार्यों के विरुद्ध लम्बित देयकों में से 3.30 लाख रुपये वसूल लिये तथा उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी 34.50 लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति का भी नकदीकरण करा लिया। 14.98 लाख रुपये की शेष राशि की वसूली सम्भव नहीं है क्योंकि निगम ने सभी उपलब्ध स्रोत खंगाल लिए हैं। अतः, उच्च न्यायालय द्वारा कार्य रोकने के आदेश के बावजूद ठेकेदार को भुगतान अवमुक्त कर अनुचित लाभ दिया गया जिससे 14.98 लाख रुपये की वसूली नहीं हो पायी।

इस प्रकार के प्रसंगों की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कम्पनी को उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जो न्यायालय के आदेश के बावजूद भुगतान अवमुक्त करने के लिए दोषी थे।

प्रबन्धन ने यह स्वीकार किया (मई 2009) कि ठेकेदार के विरुद्ध 14.98 लाख रुपये का बकाया है तथा यह कहा कि देयों की वसूली के लिए याचिका शीघ्र दायर की जाएगी।

प्रकरण शासन को (मार्च 2009) किया गया; उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2009)।

सामान्य

4.23 धन की वसूली के अवसर की अनदेखी

26 सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रकरण पर लेखा परीक्षा टिप्पणी जारी होने के बाद राशि वसूल करने के अवसर को नहीं भुनाया गया। परिणामतः 431.52 करोड़ रुपये की वसूली संदिग्ध रही।

2003–04 तक की अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) के अनिस्तारित प्रस्तरों की समीक्षा से यह परिलक्षित होता है कि 26 सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के 321 प्रस्तर 431.52 करोड़ रुपये की वसूली से सम्बन्धित थे। स्थाई निर्देशों के अनुसार इन उपक्रमों को लेखा परीक्षा के निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर उपचारात्मक कार्यवाही करनी थी। बहरहाल, प्रकरण को उनकी तर्कसंगत समाप्ति तक पहुँचाने यथा सम्बन्धित पार्टियों से राशि वसूल करने की प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। परिणामतः इन उपक्रमों ने

राशि वसूल करने के अवसरों को खो दिया जो कि उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करता।

सार्वजनिक उपक्रम–वार प्रस्तर एवं वसूली योग्य राशि नीचे दी गई है। प्रस्तरों की सूची **परिशिष्ट–21** में दी गई है।

क्रम संख्या	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	प्रस्तरों की संख्या	वसूली के लिए राशि (करोड़ रुपये में)
1.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	54	15.81
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	40	22.29
3.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	34	48.60
4.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	55	24.46
5.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	01	10.07
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	01	3.40
7.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	02	0.71
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	01	0.03
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	07	5.85
10.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	01	0.09
11.	उत्तर प्रदेश वन निगम	06	1.07
12.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	05	3.01
13.	उत्तर प्रदेश स्टेट एक्स्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	03	0.99
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	02	0.34
15.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	01	0.55
16.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	03	0.08
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	19	5.81
18.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	03	24.26
19.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	01	0.07
20.	अपलीज फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड	03	0.69
21.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	19	127.87
22.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	23	44.43
23.	उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	01	2.13
24.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	19	14.44
25.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	10	2.94
26.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	07	71.53
	योग	**321**	**431.52**

प्रस्तर मुख्यतः प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी/फर्म/क्लाईन्ट से वसूली न करने से सम्बन्धित हैं।

उपरोक्त प्रकरण सम्बन्धित उपक्रम प्राधिकारियों द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता की ओर इंगित करते हैं। लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ एवं उस पर लेखा परीक्षा द्वारा बारम्बार अनुश्रवण जिसके माध्यम से उपक्रम प्रबन्धनों एवं प्रशासनिक/वित्तीय विभाग को समय–समय पर लम्बित प्रस्तरों की सूचना दिये जाने के बावजूद, इन प्रकरणों पर ऐच्छिक परिणाम नहीं प्राप्त हो सके।

सार्वजनिक उपक्रमों को राशि वसूली के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध रूप में पूर्ण करना चाहिए।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को प्रतिवेदित (अगस्त 2009) है; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2009)।

4.24 लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर उपचारात्मक कार्यवाही न करना

41 सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के 1572 प्रस्तरों पर उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई या प्रकरण को तर्कसंगत समाप्ति तक नहीं पहुँचाया गया जिसके परिणामस्वरूप कार्यशैली को सुधारने के अवसरों का लाभ नहीं मिल सका।

2003–04 तक की अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में 41 सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित 1572 प्रस्तर बकाया थे जो उपक्रमों की कार्यशैली में कमियों को इंगित करता है। स्थाई निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा परीक्षा से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर उपचारात्मक कार्यवाही करनी थी। तथापि, प्रकरण को तर्कसंगत समाप्ति यथा इन कमियों को सही करने के लिए प्रभावी उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। परिणामतः इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपनी कार्यशैली सुधारने के अवसर खो दिए गए।

उपक्रम–वार प्रस्तर के विवरण नीचे दिए गए है। प्रस्तरों की सूची **परिशिष्ट–22** में दी गई है।

क्रम संख्या	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	प्रस्तरों की सख्या
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	19
2.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	24
3.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	22
4.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	34
5.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	75
6.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	126
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	10
8.	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशियेलिटीस लिमिटेड	02
9.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	01
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	09
11.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	04
12.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	01
13.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	06
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	03
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	13
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	01
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	55
18.	श्रीटान इण्डिया लिमिटेड	03

क्रम संख्या	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	प्रस्तरों की सख्या
19.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	04
20.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	15
21.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	03
22.	उत्तर प्रदेश वन निगम	124
23.	उत्तर प्रदेश फूड एण्ड इन्सेसियल कमोडिटीज़ कारपोरेशन लिमिटेड	02
24.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम	59
25.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	01
26.	उत्तर प्रदेश शिड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	02
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट एक्स्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	09
28.	उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	05
29.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	01
30.	दि इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	02
31.	अपलीज फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड	07
32.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	02
33.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	101
34.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	164
35.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	16
36.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रिज कारपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड	59
37.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	115
38.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	04
39.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	23
40.	उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	02
41.	उत्तर प्रदेश जल निगम	444
	योग	**1572**

प्रस्तर मुख्यतः कोषों के अवरोधन, क्लाइन्ट से प्राप्त धन से अधिक व्यय, ऋण की अनियमित स्वीकृति, स्थल के गलत चयन और कर्मचारियों द्वारा कोषों के गबन इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

उपर्युक्त प्रकरण सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट कमियों को समाप्त करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने में विफलता की ओर इंगित करते हैं। लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ एवं उस पर लेखा परीक्षा द्वारा बारम्बार अनुश्रवण जिसमें उपक्रम प्रबन्धनों एवं प्रशासनिक/वित्तीय विभाग को समय–समय पर लम्बित प्रस्तरों की सूचना दिये जाने के बावजूद, इन प्रकरणों पर ऐच्छिक परिणाम नहीं प्राप्त हो सके।

सार्वजनिक उपक्रमों को इन प्रस्तरों पर उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना चाहिए।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को प्रतिवेदित (अगस्त 2009) है; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2009)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

4.25 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये खातों एवं प्रारम्भिक निरीक्षण में शुरू हुई जाँच प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उचित व समय से प्राप्त उत्तर को प्रकाश में लायें।

वर्ष 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 तथा 2007–08 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः जुलाई 2005, मार्च 2006, मई 2007, फरवरी 2008 और फरवरी 2009 में रखे गये थे। 25 विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित 167 प्रस्तरों/समीक्षाओं को वर्ष 2003–04 से 2007–08 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया। 120 प्रस्तरों/समीक्षाओं के उत्तर 30 सितम्बर 2009 तक शासन से नहीं प्राप्त हुये जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कुल प्रस्तर/समीक्षाऐं	सम्बन्धित विभागों की संख्या	प्रस्तर/समीक्षाओं की संख्या जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुये
2003–04	30	10	21
2004–05	31	10	14
2005–06	38	13	31
2006–07	35	8	31
2007–08	33	8	23
योग	**167**		**120**

विभागवार विश्लेषण **परिशिष्ट–23** में दिया गया है। मुख्यतः ऊर्जा विभाग उत्तर न भेजने के लिए उत्तरदायी है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.26 वर्ष 1998–99 से 2007–08 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में 321 प्रस्तर तथा 47 समीक्षायें शामिल की गई थी; इनमें से 30 सितम्बर 2009 तक 130 प्रस्तर तथा 20 समीक्षाओं पर कोपू ने चर्चा की। 1978–79 से 2002–03 वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 91 प्रस्तरों तथा 20 समीक्षाओं के सम्बन्ध में कोपू ने संस्तुतियाँ की थीं।

कोपू की संस्तुतियों पर विभागों के उत्तर/अनुगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (नवम्बर 2009)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सतत् अनियमितताओं पर की गयी कार्यवाही

4.27 कोपू द्वारा सतत् प्रकृति की अनियमितताओं की चर्चा में सुविधा एवं सहायता के दृष्टिकोण से, सम्बन्धित लेखा परीक्षित संगठन द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने का एक प्रयास किया गया। सरकारी कम्पनियों के परिणाम **परिशिष्ट–24** में और सांविधिक निगमों के परिणाम **परिशिष्ट–25** में दिये गये हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

4.28 लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित न हुये लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों तथा सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से, छः सप्ताह के

भीतर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। मार्च 2009 तक 68 सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि 4973 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 17429 प्रस्तर, सितम्बर 2009 के अन्त तक, अनिस्तारित रहे; इनमें से 2683 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित 8223 प्रस्तर पाँच वर्ष से अधिक समय से अनुत्तरित रहे। 30 सितम्बर 2009 के अन्त तक, विभाग वार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विश्लेषण **परिशिष्ट–26** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक उपक्रमों पर ड्राफ्ट प्रस्तर एवं समीक्षाएँ प्रमुख सचिव, वित्त और प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियाँ छः सप्ताह के अन्दर अपेक्षा करते हुये भेजी जाती है। मार्च से सितम्बर 2009 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 25 ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं तीन ड्राफ्ट समीक्षाओं में से 23 ड्राफ्ट प्रस्तरों और सभी तीन ड्राफ्ट समीक्षाओं के उत्तर शासन से अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2009), जिसका विवरण **परिशिष्ट–27** में दिया गया है।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में है, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं तथा कोपू की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं दे पाये हैं, (ब) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही, और (स) लेखा परीक्षा आपत्तियों के उत्तर देने की प्रक्रिया को नवीनीकृत कर दिया गया है।

(रीमा प्रकाश)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट–1

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2009 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं श्रम शक्ति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 1.3 में संदर्भित)

{स्तम्भ 5(अ) से 6 (द) के आकँड़े करोड़ रुपये में हैं }

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
अ.	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.15	-	0.10	0.25	-	-	-	-	-	26
2	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.51	-	0.14	0.65	-	-	-	-	-	11
3	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	15.02.2002	1.25	-	0.67	1.92	-	-	-	-	-	
4	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	1.50	-	-	1.50	-	-	--	-	-	76
5	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य उत्पादन	27.10.1979	1.07	-	-	1.07	-	-	-	-	-	231
6	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26.05.1976	5.40	1.00	-	6.40	-	-	-	-	-	858
7	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	40.00	-	-	40.00	5.00	-	-	5.00	0.13:1 (0.13:1)	1250
	क्षेत्रवार योग			**49.88**	**1.00**	**0.91**	**51.79**	**5.00**	**-**	**-**	**5.00**	**0.10:1 (0.13:1)**	**2452**
	वित्तपोषण												
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	110.58	-	25.00	135.58	17.50	-	312.22	329.72	2.43:1 (2.43:1)	298
9	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़	17.11.1984	30.00	-	-	30.00	7.52	-	82.68	90.20	3.01:1 (3.01:1)	-
10	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.04.1991	12.91	-	-	12.91	3.20	-	42.85	46.05	3.57:1 (3.57:1)	15
11	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	समाज कल्याण	25.03.1975	107.00	-	90.12	197.12	-	-	76.05	76.05	0.39:1 (0.41:1)	487
12	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1961	24.08	-	-	24.08	1.98	-	-	1.98	0.08:1 (0.08:1)	654
	क्षेत्रवार योग			**284.57**	**-**	**115.12**	**399.69**	**30.20**	**-**	**513.80**	**544.00**	**1.36:1**	**1454**
	आधारभूत संरचना												
13	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	-	160
14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	01.05.1975	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	3629
15	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	25.06.1976	0.15	-	-	0.15	-	-	0.38	0.38	2.52:1 (-)	607

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
16	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	09.01.1973	15.00	-	-	15.00	6.15	-	11.68	17.83	1.19:1 (1.89:1)	6550
	क्षेत्रवार योग			**19.15**	**-**	**-**	**19.15**	**6.15**	**-**	**12.06**	**18.21**	**0.95:1**	**10946**
	विनिर्माण												
17	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (619–बी कम्पनी)		27.08.1971	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	440
18	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	18.04.1975	-	-	81.38	81.38	4.00	-	0.32	4.32	0.05:1 (0.80:1)	525
19	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	30.05.1986	-	-	8.95	8.95	-	-	138.77	138.77	15.51:1 (5.90:1)	651
20	नन्दगंज–सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	18.04.1975	-	-	34.04	34.04	-	-	37.00	37.00	1.09:1 (1.09:1)	-
21	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	10.02.1979	-	-	7.22	7.22	-	-	2.63	2.63	0.36:1 (0.36:1)	14
22	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	27.04.1976	-	-	0.76	0.76	0.28	1.35	0.40	2.03	2.67:1 (1.61:1)	75
23	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	18.10.1974	-	-	57.93	57.93	-	-	9.70	9.70	0.17:1 (0.17:1)	-
24	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	10.04.1977	-	-	4.07	4.07	-	-	2.85	2.85	0.70:1 (0.77:1)	30
25	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	स्वास्थ्य	-	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	-	333
26	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	20.03.1974	88.47	-	-	88.47	83.53	-	-	83.53	0.94:1 (0.89:1)	44
27	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	16.05.2002	553.03	-	327.00	880.03	-	-	-	-	- -	NA
28	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	लघु उद्योग	01.06.1958	5.96	-	-	5.96	6.32	-	3.92	10.24	1.72:1 (1.72:1)	NA
29	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	09.01.1973	36.44	10.63	-	47.07	103.02	-	5.00	108.02	2.29:1 (2.23:1)	384
30	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	5.74	-	-	5.74	1.91	-	-	1.91	0.33:1 (0.33:1)	2
31	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	20.08.1976	93.24	-	-	93.24	45.64	-	-	45.64	0.49:1 (0.49:1)	2389
32	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	26.03.1971	1103.72	-	-	1103.72	60.00	-	-	60.00	0.05:1 (2.26:1)	5721

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
33	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	20.08.1974	53.67	-	-	53.67	27.16	-	20.77	47.93	0.89:1 (0.49:1)	1238
	क्षेत्रवार योग			**1941.37**	**10.63**	**523.35**	**2475.35**	**331.86**	**1.35**	**221.36**	**554.57**	**0.22:1**	**11846**
	ऊर्जा												
34	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	1.05.2003	-	-	1995.87	1995.87	-	-	545.88	545.88	0.27:1 (2.00:1)	
35	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	21.07.1999	-	-	177.99	177.99	-	-	308.59	308.59	1.73:1 (2.34:1)	2257
36	मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	-	-	1626.98	1626.98	-	-	520.86	520.86	0.32:1 (1.01:1)	9337
37	पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	-	-	1978.70	1978.70	-	-	968.27	968.27	0.49:1` (1.36:1)	8233
38	प्रयाग राज पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	12.02.2007	-	-	0.05	0.05	-	-	79.95	79.95	1599:1	-
39	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	-	-	2670.35	2670.35	-	-	390.81	390.81	0.15:1 (5.90:1)	10430
40	संगम पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	13.02.2007	-	-	0.05	0.05	-	-	69.85	69.85	1397:1	-
41	सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	14.02.2007	-	-	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-
42	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	16.02.2008	-	-	0.16	0.16	-	-	-	-	-	-
43	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	11.04.2000	-	-	0.05	0.05	-	-	0.06	0.06	1.20:1	-
44	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	427.24	-	-	427.24	64.65	-	-	64.65	0.15:1 (0.36:1)	672
45	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	23670.03	-	-	23670.03	-	-	1644.77	1644.77	0.07:1 (0.08:1)	8345
46	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	4714.81	-	-	4714.81	219.09	-	4036.48	4255.57	0.9:1 (0.94:1)	9050
	क्षेत्रवार योग			**28812.08**	**-**	**8450.27**	**37262.35**	**283.74**	**-**	**8565.52**	**8849.26**	**0.24:1**	**48324**
	सेवा												
47	अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
48	अध्यावसाई परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
49	अवध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
50	बीथपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
51	ब्रज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
52	ब्रज परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
53	बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
54	गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
55	गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
56	ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
57	हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
58	हिण्डन पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
59	मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
60	पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
61	पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
62	संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
63	सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
64	शाहजहॉपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
65	सिद्धार्थ परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
66	ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
67	ताज विरासत परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
68	त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
69	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	15.03.1977	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
70	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	20.01.1996	6.34	0.90	-	7.24	7.44	-	-	7.44	1.03:1 (1.03:1)	142
71	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद	22.10.1974	5.50	-	-	5.50	13.47	-	-	13.47	2.45:1 (2.45:1)	860
72	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	18.75	-	-	18.75	0.44	-	-	0.44	0.02:1 (0.002:1)	623
	क्षेत्रवार योग			**31.59**	**0.90**	**1.10**	**33.59**	**21.35**	**-**	**-**	**21.35**	**0.64:1**	**1731**
	विविध												
73	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला कल्याण	17.03.1988	4.71	0.48	-	5.19	-	-	-	-	-	23
74	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	23.05.1989	0.43	-	-	0.43	-	-	-	-	-	107
75	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	वक्फ एवं अल्पसंख्यक	27.04.1987	7.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	22
	क्षेत्रवार योग			**12.14**	**0.48**	**-**	**12.62**	**-**	**-**	**-**	**-**		**152**
	योग–अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			**31150.78**	**13.01**	**9090.75**	**40254.54**	**678.30**	**1.35**	**9312.75**	**9992.39**	**0.25:1**	**76905**

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
ब	**कार्यरत सांविधिक निगम**												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	19.03.1958	7.79	5.58	-	13.37	-	-	20.19	20.19	1.51:1 (2.25:1)	1617
	क्षेत्रवार योग			**7.79**	**5.58**	-	**13.37**	-	-	**20.19**	**20.19**	**1.51:1 (2.25:1)**	**1617**
	वित्तपोषण												
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	114.51	-	64.78	179.29	139.69	-	692.46	832.15	4.64:1 **(5.06:1)**	738
	क्षेत्रवार योग			**114.51**	-	**64.78**	**179.29**	**139.69**	-	**692.46**	**832.15**	4.64:1 **(5.06:1)**	**738**
	आधारभूत संरचना												
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	उत्तर प्रदेश जल निगम	शहरी विकास	6.06.1975	-	-	-	-	98.68	-	-	98.68	-	18353
	क्षेत्रवार योग			-	-	-	-	**98.68**	-	-	**98.68**	-	**18353**
	सेवा												
5	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	309.11	60.01	-	369.12	9.40	-	237.05	246.45	0.67:1 (0.47:1)	35687
6	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	खाद्य एवं रसद	05.05.1965	-	-	-	-	8.09	-	-	8.09	-	1452
	क्षेत्रवार योग			**309.11**	**60.01**	-	**369.12**	**17.49**	-	**237.05**	**254.54**	**0.69:1**	**37139**
	विविध												
7	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	-	-	-	-	-	-	17.50	17.50	-	2858
	क्षेत्रवार योग			-	-	-	-	-	-	**17.50**	**17.50**	-	**2858**
	योग–ब (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)			**431.41**	**65.59**	**64.78**	**561.78**	**255.86**	-	**967.20**	**1223.06**	**2.18**	**60705**
	योग (अ+ब)			**31582.19**	**78.60**	**9155.53**	**40816.32**	**934.16**	**1.35**	**10279.94**	**11215.45**	**0.27:1**	**137610**
स	**अकार्यरत कम्पनियॉ**												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड (619–बी कम्पनी)	मत्स्य एवं पशुधन	-	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-
2	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.23	-	0.08	0.31	1.69	-		1.69	5.45:1 (5.46:1)	19
3	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.38	-	0.33	0.71	6.55	-	-	6.55	9.23:1 (9.17:1)	-
4	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	05.03.1975	2.10	0.63	-	2.73	0.71	-	-	0.71	0.26:1 (0.26:1)	-
5	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	07.12.1974	1.66	1.28	-	2.94	1.1			1.10	0.37:1 (0.37:1)	31
6	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	06.04.1977	6.41	-	0.64	7.05	1.22	-	-	1.22	0.17:1 (0.17:1)	330
	क्षेत्रवार योग			**10.78**	**1.91**	**1.29**	**13.98**	**11.27**	-	-	**11.27**	**0.81:1**	**380**

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
	वित्तपोषण												
7	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक))	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	05.01.1988	-	-	1.06	1.06	-	-	4.15	4.15	3.92:1 (3.92:1)	-
8	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	0.78	-	0.66	1.44	-	-	-	-	-	52
	क्षेत्रवार योग			**0.78**	**-**	**1.72**	**2.50**	**-**	**-**	**4.15**	**4.15**	**1.66:1**	**52**
	आधारभूत संरचना												
9	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	19.03.1972	68.28	-	-	68.28	124.77	-	-	124.77	1.83:1 (1.83:1)	-
10	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	23.03.1974	59.43	-	-	59.43	18.24	-	1.50	19.74	0.33:1 (0.33:1)	-
11	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	05.12.1985	-	-	0.08	0.08	-	-	0.84	0.84	10.50:1 (11.11:1)	-
	क्षेत्रवार योग			**127.71**	**-**	**0.08**	**127.79**	**143.01**	**-**	**2.34**	**145.35**	**1.14:1**	**-**
	विनिर्माण												
12	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	औद्योगिक विकास	28.12.1972	5.63	-	1.87	7.50	0.38	-	-	0.38	0.05:1 (0.05:1)	-
13	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	14.06.1976	-	-	3.76	3.76	-	-	-	-	-	-
14	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड	औद्योगिक विकास	12.04.1985	-	-	46.24	46.24	-	-	138.85	138.85	3.00:1 (3.00:1)	-
15	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (619–बी कम्पनी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	26.05.1976	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-
17	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	13.09.1976	-	-	0.02	0.02	2.09	-	-	2.09	104.50:1	-
18	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	31.03.1978	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
19	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड (619–बी कम्पनी)		-	-	-	1.90	1.90	-	-	-	-	-	-
20	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	औद्योगिक विकास	22.02.1974	0.19	-	0.03	0.22	5.33	-	-	5.33	24.23:1 (24.21:1)	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
21	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी	23.05.1977	-	-	0.03	0.03	-	-	0.03	0.03	1:1 (1.09:1)	-
22	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	18.6.1972	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
23	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	23.04.1979	-	-	6.59	6.59	11.02	-	-	11.02	1.67:1 (1.67:1)	-
24	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	1.01.1975	0.09	-	1.93	2.02	5.55	-	11.49	17.04	8.44:1 (8.43:1)	259
25	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	28.6.1972	-	-	0.02	0.02	-	-	0.03	0.03	1.5:1 (1.84:1)	-
26	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	5.28	0.10	-	5.38	1.94	-	-	1.94	0.36:1 (0.36:1)	-
27	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	02.12.1969	204.11	-	-	204.11	95.31	-	-	95.31	0.47:1 (0.47:1)	-
28	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	05.12.1975	0.16	-	0.26	0.42	-	-	-	-	-	74
29	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.01.1976	-	-	1.83	1.83	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग			**215.46**	**0.10**	**64.61**	**280.17**	**121.62**	**-**	**150.40**	**272.02**	**0.98:1**	**333**
	सेवा क्षेत्र												
30	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1.00	-	-	1.00	0.05	-	-	0.05	0.05:1 (0.05:1)	-
31	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	0.67	-	-	0.67	0.66	-	-	0.66	0.99:1 (0.98:1)	-
32	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1.25	-	-	1.25	-	-	-	-	-	-
33	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1986-87	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का वर्ष एवं महीना	प्रदत्त पूँजी$				2008–09 की समाप्ति पर बकाया ऋण*				2008–09 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष)	श्रम शक्ति (31–03–2009 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
34	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1976-77	0.46	-	-	0.46	-	-	-	-	-	-
35	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	0.94	-	0.32	1.26	0.88	-	-	0.88	0.70:1 (0.70:1)	-
36	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	0.70	-	-	0.70	0.86	-	-	0.86	1.23:1 (1.23:1)	-
37	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1.00	-	-	1.00	0.30	-	-	0.30	0.3:1 -	-
38	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1978	0.25	-	-	0.25	0.65	-	-	0.65	2.58:1 (2.58:1)	-
39	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	2.08.1975	0.45	-	-	0.45	1.25	-	-	1.25	2.78:1 (2.78:1)	-
40	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1971	1.23	-	-	1.23	0.05	-	0.01	0.06	0.05:1 (0.05:1)	-
41	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	टैक्स एवं संस्थागत वित्त	10.09.1975	8.18	-	-	8.18	3.01	-	-	3.01	0.37:1 (0.30:1)	-
42	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1971	1.30	-	-	1.30	0.35	-	-	0.35	0.27:1 (0.27:1)	-
43	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	0.70	-	-	0.70	0.30	-	-	.30	0.43:1 (0.43:1)	-
	क्षेत्रवार योग			**18.13**	**-**	**0.34**	**18.47**	**8.36**	**-**	**0.01**	**8.37**	**0.45:1**	**-**
	योग–स (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत कम्पनियॉ)			**372.85**	**2.01**	**68.03**	**442.89**	**284.26**	**-**	**156.90**	**441.16**	**0.99:1**	**765**
	महायोग (अ+ब+स)			**31955.04**	**80.61**	**9223.56**	**41259.21**	**1218.42**	**1.35**	**10436.84**	**11656.61**	**0.28:1**	**138375**

नोट:

उपर्युक्त में क्रम संख्या अ–17, स–1, 15 एवं 19 पर अंकित धारा 619–बी की कम्पनी सम्मिलित है।

$ प्रदत्त अशपूँजी में अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित हैं।

*** 2008–09 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।**

क्रम संख्या अ–47 से 68 पर अंकित कम्पनियॉ उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनियॉ है।

परिशिष्ट–2

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 1.6 में संदर्भित)

{स्तम्भ 5(अ) से 6 (द) के आकॅड़े करोड़ रुपये में हैं}

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अ.	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**													
	कृषि एवं समवर्गीय													
1	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10	(-)0.10	-	-	(-)0.10	0.24	आईएल 0.10	0.24	(-)0.65	2.36	(-)0.10	-
2	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10	0.69	-	-	0.69	0.90	-	0.64	0.41	1.10	0.69	62.73
3	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2008-09	8.70	1.17	0.34	7.19	105.48	-	1.92	20.39	24.56	8.36	34.04
4	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2006-07	2008-09	0.12	-	-	0.12	11.60	-	1.50	0.12	8.44	0.12	1.42
5	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1999-00	2008-09	0.59	-	0.20	0.39	4.57	डीपी 0.81	1.07	(-)1.72	3.65	0.39	10.68
6	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	2008-09	14.57	-	0.14	14.43	376.21	डीपी 0.17	6.40	3.30	9.50	14.43	151.89
7	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	2005-09	2008-09	6.70	3.68	0.10	2.92	368.04	डीपी 0.27	40.00	(-)58.22	49.15	6.60	13.43
	क्षेत्रवार योग			**31.27**	**4.85**	**0.78**	**25.64**	**867.04**	**-**	**51.77**	**(-)36.37**	**98.76**	**30.49**	**30.87**
	वित्तपोषण													
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	2007-08	2008-09	68.52	16.82	19.27	32.43	57.81	डीपी 13.91	135.57	(-)396.29	429.74	49.25	11.46
9	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2008-09	(-)0.08	-	0.01	(-)0.09	0.21	-	4.23	(-)0.12	16.16	(-)0.09	-
10	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2008-09	2.23	1.37	0.18	0.68	2.28	-	8.10	3.15	45.19	2.05	4.54
11	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2004-05	2009-10	2.96	2.08	0.08	0.80	12.26	डीपी 23.04	81.89	19.55	233.18	2.88	1.24
12	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	2009-10	82.30	0.11	3.16	79.03	105.89	डीपी 4.57	24.07	-	146.63	79.14	53.97
	क्षेत्रवार योग			**155.93**	**20.38**	**22.70**	**112.85**	**178.45**		**253.86**	**(-)373.71**	**870.90**	**133.23**	**15.30**
	आधारभूत संरचना													
13	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09	1.04	-	0.18	0.86	42.32	डीपी 2.90	3.00	11.49	14.31	0.86	6.01
14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2007-08	2009-10	83.48	-	3.07	80.41	1518.14	डीपी 3.37	1.00	137.72	149.89	80.41	53.65

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09	3.76	-	0.45	3.31	239.52	-	0.15	14.43	20.28	3.31	16.32
16	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	2009-10	19.96	1.41	4.10	14.45	432.80	-	10.00	17.01	53.20	15.86	29.81
	क्षेत्रवार योग			**108.24**	**1.41**	**7.80**	**99.03**	**2232.78**	**-**	**14.15**	**180.65**	**237.68**	**100.44**	**42.26**
	विनिर्माण													
17	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (619–बी कम्पनी)	2008-09	2009-10	0.89	0.10	0.39	0.40	21.12	-	2.00	0.86	3.70	0.50	13.51
18	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2007-08	2008-09	(-)8.70	0.81	0.27	(-)9.78	21.18	आईएल 6.34	36.18	(-)87.88	4.20	(-)8.97	-
19	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2006-07	2008-09	(-)6.00	7.60	0.11	(-)13.71	12.26	-	8.95	(-)113.04	(-)5.84	(-)6.11	-
20	नन्दगंज–सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2007-08	2009-10	(-)4.96	13.22	0.14	(-)18.32	18.22	-	34.04	(-)224.39	(-)107.66	(-)5.10	-
21	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2008-09	2009-10	2.15	-	0.44	1.71	30.05	डीपी 3.01	7.22	(-) 0.49	9.49	1.71	18.02
22	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95	2008-09	(-)0.17	0.40	0.03	(-)0.60	0.05	-	0.76	(-)5.12	(-)0.45	(-)0.20	-
23	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	1997-98	(-)1.99	28.06	2.07	(-)32.12	97.15	-	53.16	(-)196.93	52.06	(-)4.06	-
24	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2008-09	2008-09	0.91	0.08	0.08	0.75	11.35	0.83	4.07	(-)5.81	3.74	0.83	22.19
25	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2007-08	2008-09	(-)8.20	0.13	0.22	(-)8.55	3.71	-	1.10	(-1)5.20	(-)6.10	(-)8.42	-
26	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	2009-10	0.63	0.18	0.04	0.41	32.10	-	87.66	(-) 1.02	90.07	0.59	0.66
27	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2006-07	2008-09	(-)51.59	5.93	0.40	(-)57.92	36.62	आईएल 2.45	8.44	(-)88.68	(-)87.42	(-)51.99	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	2001-02	2009-10	(-)0.99	1.53	0.08	(-)2.60	19.38	-	5.96	(-)13.68	6.44	(-)1.07	-
29	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	2009-10	(-)7.30	1.38	0.48	(-)9.16	42.44	-	22.84	(-)38.14	75.30	(-)7.78	-
30	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2000-01	2002-03	0.42	0.05	0.11	0.26	3.60	-	573.94	(-)6.85	4.81	0.31	6.44
31	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2006-07	2008-09	(-)7.16	0.12	1.82	(-)9.10	103.16	-	93.24	(-)133.38	42.95	(-)8.98	-
32	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	2007-08	(-)41.70	17.84	5.42	(-)64.96	461.36	आईएल 0.27	93.96	(-)432.08	793.04	(-)47.12	-
33	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2007-08	2008-09	0.42	6.84	0.36	(-)6.78	39.27	आईएल 4.91	31.90	(-)128.85	(-)18.82	0.06	-
	क्षेत्रवार योग			**(-)133.34**	**84.27**	**12.46**	**(-)230.07**	**953.02**	**-**	**1065.42**	**(-)1490.68**	**859.51**	**(-)145.80**	**-**
	ऊर्जा													
34	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2005-06	2008-09	(-)738.83	37.73	115.64	(-)892.20	1751.25	डीएल 477.95	346.24	(-)1594.58	45.42	(-)854.47	-
35	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2004-05	2009-10	(-)253.53	9.78	10.96	(-)274.27	451.24	डीएल 76.33	60.00	(-)790.22	(-) 407.98	(-)264.49	-
36	मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2005-06	2008-09	(-)351.04	82.40	112.44	(-)545.88	1644.26	डीएल 344.22	155.48	(-)979.03	939.26	(-)463.48	-
37	पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2005-06	2008-09	(-)360.65	76.40	184.77	(-)621.82	3005.12	डीएल 593.10	540.05	(-)1175.44	814.62	(-)545.42	-
38	प्रयाग राज पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये												
39	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2005-06	2008-09	(-)383.84	78.29	144.62	(-)606.75	2184.91	डीएल 366.74	165.41	(-)1092.22	1019.08	(-)528.46	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	संगम पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2007-08	2008-09	(-)0.02	-	-	(-)0.02	(-)	-	0.05	(-)0.14	(-)0.03	(-)0.02	-
44	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2006-07	2008-09	(-)38.64	22.63	11.61	(-)72.88	95.35	आईएल 17.95	415.08	(-)261.62	424.80	(-)50.25	-
45	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	2008-09	81.32	380.24	206.50	(-)505.42	11587.25	आईएल 810.89	470.74	(-)7169.89	(-)710.43	(-)125.18	-
46	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2007-08	2009-10	487.89	169.81	395.18	(-)77.10	3835.78	-	3651.80	(-)161.68	8222.49	92.71	1.13
	क्षेत्रवार योग			**(-)1557.34**	**857.28**	**1181.72**	**(-)3596.34**	**24555.16**	**-**	**5804.85**	**(-)13224.82**	**10347.23**	**(-)2739.06**	**-**
	सेवा													
47	अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	अध्यावसाई परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	अवध पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	बीथपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	ब्रज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	ब्रज परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	हिण्डन पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	शाहजहॉपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	सिद्धार्थ परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	ताज विरासत परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड	लेखे अन्तमीकृत नही किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	2008-09	0.29	-	0.05	0.24	3.99	डीपी 2.13	1.00	2.62	3.62	0.24	6.63
70	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2003-04	2009-10	0.16	0.02	0.07	0.07	6.86	-	7.24	(-)21.85	0.98	0.09	9.18
71	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1997-98	2009-10	0.13	2.65	0.18	(-)2.70	304.51	आईएल 1.07	5.00	(-)34.16	100.55	(-)0.05	-
72	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	2009-10	2.18	0.01	0.87	1.30	15.56	-	15.12	(-)16.37	4.74	1.31	27.64
	क्षेत्रवार योग			**2.76**	**2.68**	**1.17**	**(-)1.09**	**330.62**	**-**	**28.36**	**(-)69.76**	**109.89**	**1.59**	**1.45**

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	विविध													
73	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10	0.17	-	0.06	0.11	0.68	डीपी 0.64	5.19	(-)0.70	6.84	0.11	1.61
74	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2006-07	2008-09	6.16	-	0.06	6.10	66.48	डीपी 1.06	0.43	25.15	25.70	6.10	23.74
75	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1998-99	2007-08	0.01	-	0.01	-*	0.28	आईएल l 0.002	3.50	0.02	2.11	-	-
	क्षेत्रवार योग			**6.34**	**-**	**0.13**	**6.21**	**67.44**	**-**	**9.12**	**24.47**	**34.65**	**6.21**	**17.92**
	योग–अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			**(-)1386.14**	**970.87**	**1226.76**	**(-)3583.77**	**29184.50**	**-**	**7227.53**	**(-)14990.22**	**12767.41**	**(-)2612.90**	-
ब	**कार्यरत सांविधिक निगम**													
	कृषि एवं समवर्गीय													
1	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2007-08	2008-09	47.26	2.61	4.50	40.15	125.01	डीपी 0.77	11.16	(-)	260.64	42.76	16..41
	क्षेत्रवार योग			**47.26**	**2.61**	**4.50**	**40.15**	**125.01**	**-**	**11.16**	**(-)**	**260.64**	**42.76**	**16.41**
	वित्तपोषण													
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007-08	2008-09	(-)112.26	2.41	0.34	(-)115.01	21.51	आईएल 0.68	179.28	**(-)962.70**	1115.64	(-)112.60	-
	क्षेत्रवार योग			**(-)112.26**	**2.41**	**0.34**	**(-)115.01**	**21.51**	**-**	**179.28**	**(-)962.70**	**1115.64**	**(-)112.60**	-
	आधारभूत संरचना													
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2007-08	2008-09	180.47	-	1.89	178.58	418.26	-	-	2155.38	654.91	178.58	27.27
4	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007-08	2009-10	17.23	16.32	0.30	0.61	307.41	-	-	(-)135.56	5536.20	16.93	0.31
	क्षेत्रवार योग			**197.70**	**16.32**	**2.19**	**179.19**	**725.67**	**-**	**-**	**2019.82**	**6191.11**	**195.51**	**3.16**
	सेवा													
5	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	2009-10	173.58	17.79	115.08	40.71	1198.16	डीपी 3.13	359.12	(-)811.76	-224.63	40.88	-
6	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	2005-06	2009-10	(-)0.38	0.66	0.06	(-)1.10	62.38	-	-	6.24	(-)2.58	(-)0.44	-
	क्षेत्रवार योग			**173.20**	**18.45**	**115.14**	**39.61**	**1260.54**	**-**	**359.12**	**(-)805.52**	**(-)227.21**	**40.44**	**-**
	विविध													
7	उत्तर प्रदेश वन निगम	1998-99	1999-2000	30.16	-	0.86	29.30	162.84	-	-	352.45	357.56	29.30	8.20
	क्षेत्रवार योग			**30.16**	**-**	**0.86**	**29.30**	**162.84**	**-**	**-**	**352.45**	**357.56**	**29.30**	**8.20**
	योग–ब (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)			336.06	39.79	123.03	173.24	2295..57	-	549.56	604.05	7697.74	213.03	2.77
	योग (अ+ब)			**(-)1050.08**	**1010.66**	**1349.79**	**(-)3410.53**	**31480.07**	**-**	**7777.09**	**(-)14386.17**	**20465.15**	**(-)2399.87**	**-**

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
स	**अकार्यरत कम्पनियॉं**													
	कृषि एवं समवर्गीय													
1	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड (619–बी कम्पनी)	1994-95	-	0.02	-	0.01	.01	0.96	-	0.24	(-)	-	0.01	-
2	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03 (01-07-03 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2004-05	(-)0.14	0.04	-	(-)0.18	0.04	-	0.31	(-)0.55	1.53	(-)0.14	-
3	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07 (01-07-03 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2008-09	0.06	1.10	0.01	(-)1.05	0.11	-	0.71	(-)8.01	3.31	0.05	1.51
4	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2003-04	2006-07	0.28	0.14	-	0.14	0.39	-	2.73	(-)8.26	183.83	0.28	0.15
5	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	2003-04	2008-09	(-)0.13	0.20	-	(-)0.33	0.14	आईएल 0.49	0.50	(-)2.58	(-)0.34	(-)0.13	-
6	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1984-85	1994-95	(-)0.51	0.15	0.01	(-)0.67	0.27	-	1.90	(-)2.55	80.72	(-)0.52	-
	क्षेत्रवार योग			**(-)0.42**	**1.63**	**0.03**	**(-)2.08**	**1.91**	**-**	**6.39**	**(-)21.95**	**269.05**	**(-)0.45**	**-**
	वित्तपोषण													
7	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक))	1997-98	1998-99	0.37	0.54	0.23	(-)0.40	1.29	-	1.05	(-)0.40	5.34	0.14	2.62
8	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1992-93	2007-08	0.08	-	-	0.08	0.28	-	1.37	(-)0.14	138.65	0.08	0.06
	क्षेत्रवार योग			**0.45**	**0.54**	**0.23**	**(-)0.32**	**1.57**	**-**	**2.42**	**(-)0.54**	**143.99**	**0.22**	**0.15**
	आधारभूत संरचना													
9	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	1996-97	(-)20.07	24.84	2.84	(-)47.75	113.01	-	68.28	(-)425.99	(-)239.80	(-)22.91	-
10	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	2008-09	(-)1.87	-	0.06	(-)1.93	0.60	आईएल 0.06	59.43	(-)79.02	0.03	(-)1.93	-
11	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 (28-11-02 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	(-)0.11	0.01		(-)0.12	-	-	-	(-)0.11	0.01	(-)0.11	-
	क्षेत्रवार योग			**(-)22.05**	**24.85**	**2.90**	**(-)49.80**	**113.61**	**-**	**127.71**	**(-)505.12**	**(-)239.76**	**(-)24.95**	**-**

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	विनिर्माण													
12	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1991-92	1995-96	0.37	0.26	-	0.11	6.31	-	7.5	(-)	11.14	0.37	3.32
13	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95 (20-02-96 से परिसमापन के अन्तर्गत)		0.85	2.51	-	(-)1.66	0.27	-	3.76	(-)11.95	(-)0.49	0.85	-
14	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98 (01-04-02 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2002-03	-	-	-	-	(-)	-	46.24	(-)	83.87	कम्पनी निर्माण के समय से परिसमापन के अन्तर्गत	-
15	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (619–बी कम्पनी)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-
16	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95	2008-09	0.01	0.08	0.01	(-)0.08	(-)	-	0.03	(-)1.24	(-)0.11	-	-
17	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1996-97	2008-09	(-)0.04	0.26	0.01	(-)0.31	0.08	-	0.02	(-)1.04	1.06	(-)0.05	-
18	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	10-06-96 से परिसमापन के अन्तर्गत	-	-	-	-	-	0.05	-	--	-	-	-	-
19	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड (619–बी कम्पनी)	1978-79	-	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-
20	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	2006-07	2008-09	(-)0.13	0.10	0.08	(-)0.31	0.08	-	0.22	(-)31.22	(-)25.53	(-)0.21	-
21	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1979-80 (10-06-96 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1983-84	(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.03	(-)0.03	0.02	(-)0.01	-
22	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76 (19-04-96 से परिसमापन के अन्तर्गत)		(-)0.01	0.01	-	(-)0.02	-	-	0.05	(-)	0.12	(-)0.01	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93 (19-02-94 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	(-)0.15	5.67	0.36	(-)6.18	2.26	-	6.58	(-)35.32	(-)18.45	(-)0.51	-
24	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02	2005-06	(-)0.26	0.02	0.01	(-)0.29	0.16	-	1.93	(-)38.75	0.35	(-)0.27	-
25	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1974-75 (11/93 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1984-85	(-)0.01	-		(-)0.01	0.04	-	0.01	0.01	(-)0.34	(-)0.01	-
26	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1997-98	2007-08	2.52	0.12	0.01	2.39	0.53	-	5.38	(-)6.04	3.59	2.51	69.92
27	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2008-09	2009-10	(-)0.02	6.68	0.47	(-)7.17	0.05	-	160.79	(-)450.91	(-)118.68	(-)0.49	-
28	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1991-92	2008-09	(-)0.04	0.01	0.01	(-)0.06	1.28	डीएल 0.73	0.26	(-)0.39	0.29	(-)0.05	-
29	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93 (09-01-96 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	2.10	4.27	-	(-)2.17	1.38	-	1.83	(-)9.96	(-)4.06	2.10	-
	क्षेत्रवार योग			**5.18**	**19.99**	**0.96**	**(-)15.77**	**13.39**	**-**	**234.63**	**(-)586.84**	**(-)67.57**	**4.22**	**-**
	सेवा क्षेत्र													
30	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2007-08	(-)0.08	-	0.01	(-)0.09	3.91	-	1.00	(-)0.35	0.92	(-)0.09	-
31	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1992-93	(-)0.03	0.01	0.07	(-)0.11	2.74	-	0.55	(-)0.11	0.99	(-)0.10	-
32	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.7.87 से 31.3.89	2006-07	(-)0.36	0.20	0.11	(-)0.67	5.82	-	1.00	(-)1.52	3.85	(-)0.47	-
33	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1986-87	1993-94	-	-	-	-	(-)	-	0.02	(-)0.01	0.04	-	-

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ/हानि				आवर्त	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	1976-77 (1976-77 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-	-	-	-	(-)	-	0.46	(-)	0.46	-	-
35	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1986-87	2007-08	(-)0.08	0.04	0.03	(-)0.15	1.60	-	1.26	(-)1.33	0.83	(-)0.11	-
36	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	1992-93	0.54	-	0.53	0.01	1.70	-	0.50	1.49	0.61	0.01	1.64
37	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2009-10	(-)0.02	-	-	(-)0.02	0.01	-	1.00	(-)1.41	0.09	(-)0.02	-
38	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1990-91	2007-08	(-)0.19	-	0.01	(-)0.20	1.07	-	0.25	(-)0.59	0.31	(-)0.20	-
39	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1990-91	(-)0.04	-	-	(-)0.04	0.01	-	0.25	-	0.70	(-)0.04	-
40	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1997-98	2007-08	0.28	-	-	0.28	0.37	-	1.23	(-)1.20	0.08	0.28	-
41	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2004-05	2008-09	(-)0.08	0.40	0.02	(-)0.50	0.06	आईएल 0.139	8.18	(-)13.05	(-)2.40	(-)0.10	-
42	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1994-95	(-)0.11	-	0.03	(-)0.14	1.30	-	1.15	(-)1.08	0.19	(-)0.14	-
43	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1993-94	(-)0.02	-	0.01	(-)0.03	1.47	-	0.70	(-)0.26	0.88	(-)1.01	-
	क्षेत्रवार योग			**(-)0.19**	**0.65**	**0.82**	**(-)1.66**	**20.06**	-	**17.55**	**(-)19.42**	**7.55**	**(-)1.01**	-
	योग–स (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत कम्पनियाँ)			**(-)17.03**	**47.66**	**4.94**	**(-)69.63**	**150.54**	-	**(-)388.70**	**(-)1133.87**	**113.26**	**(-)21.97**	-
	महायोग (अ+ब+स)			**(-)1067.11**	**1058.32**	**1354.73**	**(-)3480.16**	**31630.61**	-	**8165.79**	**(-)15520.04**	**20578.41**	**(-)2421.84**	-

नोट:

क्रम संख्या 47 से 68 पर अंकित कम्पनियॉ उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनियॉ है।

\# लेखा परीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखा परीक्षक एवं सीएजी के लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है।

@ वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहॉ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (पुनर्वित्त सहित) के आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान के रूप में आगणित कि जाती है, नियोजित पूँजी, निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

$ नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का आगणन लाभ हानि खाते में दर्शाये गये भारित लाभ एवं ब्याज को जोड़कर किया जाता है।
आईएल हानि में बढ़त को दर्शाता है, डीएल हानि में कमी का दर्शाता है,आईपी लाभ में बढ़त को दर्शाता है एवं डीपीं लाभ में कमी को दर्शाता है।

* क्रम संख्याा अ–75 पर अंकित कम्पनी ने 16000.00 रुपये लाभ अर्जित किये हैं, आकॅडें को पूर्णांक करने के कारण शून्य दिखाया गया हैं।

परिशिष्ट–3

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान एवं उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियॉं, देयों की माफी, अपलिखित ऋण और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2009 की समाप्ति पर प्रतिबद्ध प्रत्याभूतियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 1.4 में संदर्भित)

{स्तम्भ 3(अ) से 6 (द) के आकॅड़े करोड़ रुपये में हैं}

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		अंशपूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्ति	प्रतिबद्धता@	अपलिखित ऋण	अंशपूँजी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/दण्ड ब्याज माफी	योग
1	2	(3अ)	(3ब)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	5(अ)	5(ब)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
अ.	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	-	-	-	3.10	-	3.10	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग				**3.10**		**3.10**						
	वित्तपोषण												
2	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	8.16	-	-	91.97	-	91.97	-	-	-	-	-	-
3	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	2.20	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**8.16**	-	**2.20**	**91.97**	-	**94.17**	-	-	-	-	-	-
	विनिर्माण												
4	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	17.45	-	17.45	-	-	-	45.20	-	45.20
5	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	9.19	9.19	-	-	-	-	-	-
6	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	0.55	-	0.55	-	-	-	-	-	-
7	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	-	60.00	-	359.12	-	359.12	-	130.27	-	164.10	-	164.10
9	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**-**	**63.35**	**-**	**377.12**	**9.19**	**386.31**	**-**	**130.27**	**-**	**209.30**	**-**	**209.30**
	ऊर्जा												
10	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1615.19	-	-	187.01	-	187.01	20321.66	10174.42	-	-	-	-
12	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	778.00	-	-	-	-	-	414.16	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**2395.19**	**-**	**-**	**187.01**	**-**	**187.01**	**20735.82**	**10174.42**	**-**	**-**	**-**	**-**

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		अंशपूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्ति	प्रतिबद्धता@	अपलिखित ऋण	अंशपूँजी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/दण्ड ब्याज माफी	योग
1	2	(3अ)	(3ब)	4(अ)	5(ब)	4(स)	4(द)	5(अ)	5(ब)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
	सेवा												
13	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	0.65	-	0.65	-	-	-	-	-	-
14	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**1.73**	**-**	**-**	**0.65**	**-**	**0.65**	-	-	-	-	-	-
	योग–अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	**2405.08**	**63.35**	**2.20**	**659.85**	**9.19**	**671.24**	**20735.82**	**10304.69**	**-**	**209.30**	**-**	**209.30**
ब.	**कार्यरत सांविधिक निगम**												
	वित्तपोषण												
1	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	27.18	-	-	-	-	-	216.10	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	-	**27.18**	-	-	-	-	-	**216.10**	-	-	-	-
	आधारभूत संरचना												
2	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	438.68	-	438.68	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	**438.68**	**-**	**438.68**	-	-	-	-	-	-
	सेवा												
3	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	**3.00**	-	-	-	-
	योग–ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	-	**27.18**	-	**438.68**	-	**438.68**	-	**219.10**	-	-	-	-
	योग (अ+ब)	**2405.08**	**90.53**	**2.20**	**1098.53**	**9.19**	**1109.92**	**20735.82**	**10523.79**	**-**	**209.30**	**-**	**209.30**
स	**अकार्यरत कम्पनियॉं**												
	विनिर्माण												
1	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	1.93	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	**1.93**	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र												
2	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	**0.09**	-	-	-	-
	योग–स (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत कम्पनियॉं)	-	-	-	-	-	-	-	**2.02**	-	-	-	-
	महायोग (अ+ब+स)	**2405.08**	**90.53**	**2.20**	**1098.53**	**9.19**	**1109.92**	**20735.82**	**10525.81**	**-**	**209.30**	**-**	**209.30**

@ आकँड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते हैं।

परिशिष्ट–4

कार्यरत सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों, जिनके लेखे अन्तमीकृत नहीं किये गये हैं, में सरकार द्वारा अंशपूँजी, ऋण, अनुदान/उपदान के रूप मे किये गए निवेश को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 1.13 में संदर्भित)

(राशिः करोड़ रुपये में)

क्रम सं0	कम्पनी एवं निगम के नाम	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में किया गया निवेश जिन वर्षों के लेखे अन्तमीकृत के लिए बकाया हैं।			
				अंशपूँजी	ऋण	अनुदान	उपदान
1	2	3	4	5	6	7	8
	अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ						
1.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2006-07	1.50	-	-	3.10	-
2.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2004-05	81.89	29.10	-	2.79	385.08
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	24.07	-	-	-	7.25
4.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1994-95	4.23	8.48	19.40	1.50	0.27
5.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	2001-02	5.96		5.35	-	-
6.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95	0.76		0.58	-	-
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	22.84		100.50	16.00	12.19
8.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	87.66	-	-	0.55	-
9.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	53.16	4.77	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2007-08	31.90		2.60	-	-
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	93.96		179.48	359.12	-
12.	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2007-08	36.18	-	-	17.45	-
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2007-08	3651.80	778.00	-	-	-
14.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2006-07	415.08	3.00	-	-	-
15.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	470.74	1615.20	-	187.00	-
16.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1997-98	5.00	-	1.11	-	-
17.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2003-04	7.24	-	-	1.25	-
18.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टमस कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	1.00	-	-	0.65	-
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	15.12	1.73	-	-	-
20.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1998-99	3.50	3.50	-	-	-
	योग–अ		**5013.59**	**2443.78**	**309.02**	**589.41**	**404.79**
	ब. कार्यरत सांविधिक निगम						
1.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007-08	179.28	27.18	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007-08	-	-	-	438.68	-
3.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	2005-06	-	-	-	-	1.30
	योग ब		179.28	27.18	-	438.68	1.30
	कुल योग (अ+ब)		**5192.87**	**2470.96**	**309.02**	**1028.09**	**406.09**

परिशिष्ट–5
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 1.6 में संदर्भित)

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
अ. देयतायें			
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	312.13	359.13	359.13
ऋणः			
सरकार केन्द्र राज्य	3.47	3.47	3.47
अन्य	208.29	183.60	165.47
निधियॉ	1.28	18.69	33.17
व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	735.42	854.13	811.02
उत्तर प्रदेश एवम् उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम पुर्नगठन समायोजन लेखा	26.41	26.41	26.41
योग अ	**1287.00**	**1445.43**	**1398.67**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	838.31	918.81	974.42
घटायाः ह्रास	485.89	503.41	596.84
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	352.42	415.40	377.58
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	6.24	7.76	8.06
निवेश	2.01	2.53	0.52
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	157.99	167.89	200.75
संचित हानियॉ	768.34	851.85	811.76
योग ब	**1287.00**	**1445..43**	**1398.67**
स. नियोजित पूँजी*	**(-) 218.77**	**(-) 263.08**	**(-)224.63**

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	179.28	179.28	179.28
अंश आवेदन राशि	-	-	-
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	19.88	19.75	19.62
ऋण	-	-	
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	558.73	479.42	382.07
(ii) स्थायी जमा	3.96	2.11	1.38
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	408.06	387.56	387.56
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
(v) अंश पूँजी के बदले ऋण	-	-	-
(अ) राज्य सरकार	30.00	58.56	124.51
(ब) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	-	0.48	0.60
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	7.56	16.49	11.69

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को इंगित करती है।

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	403.06	314.95	426.45
योग अ	**1610.53**	**1458.60**	**1533.16**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	49.95	20.63	46.50
निवेश	30.20	15.19	15.19
ऋण एवं अग्रिम	595.16	535.78	483.24
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	13.23	13.10	13.14
अन्य परिसम्पत्तियाँ	14.20	26.21	12.39
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	907.79	847.69	962.70
योग ब	**1610.53**	**1458.60**	**1533.16**
स. नियोजित पूँजी[1]	**1207.59**	**1155.52**	**1115.64**

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी[2]	13.37	13.37	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	179.12	197.33	217.24
उपदान	-	-	-
ऋणः	-	-	-
सरकारी	-	-	-
अन्य	55.45	39.87	30.03
व्यापारिक देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	58.19	64.62	56.54
योग अ	**306.13**	**315.19**	**317.18**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	281.01	287.85	289.23
घटायाः ह्रास	63.31	68.25	72.54
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	217.70	219.60	216.69
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	(-)1.58	(-)1.81	(-)2.02
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	90.01	97.40	102.51
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	**306.13**	**315.19**	**317.18**
नियोजित पूँजी[3]	**247.94**	**250.57**	**260.64**

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ. देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग अ	**368.03**	**434.18**	**507.15**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	-
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	**368.03**	**434.18**	**507.15**
स. नियोजित पूँजी[3]	**292.04**	**327.89**	**357.56**

[1] नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (उसे छोड़कर जो विशेष रुप से पोषित तथा बाह्य निवेशों से समर्थित हो), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुनः वित्त–पोषण सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

[2] 2.21 करोड़ रुपये की आवंटनाधीन अंश पूँजी सहित।

[3] नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को इंगित करती है।

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
अ. देयतायें			
परिषद कोष	1783.29	2054.23	2155.38
आधिक्य	-	-	-
ऋण	-	-	-
जमा	142.07	143.49	139.14
अबिक्रीत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु संचय	-	-	-
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	1270.54	1675.83	2338.57
देयताओं पर परिसम्पत्तियों का आधिक्य	-	-	-
योग अ	**3195.90**	**3873.55**	**4633.09**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
(i) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	12.25	19.59	34.90
(ii) निवेश	1065.75	1389.82	1639.61
(iii) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	2117.90	2464.14	2958.58
योग ब	**3195.90**	**3873.55**	**4633.09**
स. नियोजित पूँजी*	**859.61**	**807.90**	**654.91**

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
अ– देयतायें			
ऋण			
ऋण कोषः			
(i) एलआईसी से	10.18	-	-
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार से	337.45	392.90	393.14
(iii) बैंक से	-	-	-
सरकार से अनुदान	4540.92	5001.47	5416.22
जमा	-	-	
चालू देयताएँ			
अप्रयुक्त सामग्री पर सेन्टेज	37.99	51.11	57.86
अन्य देयताएँ	3036.31	3473.87	3724.37
(i) जमा (परियोजना हेतु प्राप्त धनराशि)	1666.03	2004.50	2403.86
(ii) ग्रेज्यूटी हेतु प्राविधान	1.24	7.74	6.5
एलएसजीइडी से जल निगम को स्थानान्तरित परियोजना	9.45	9.45	9.5
योग – अ	**9639.57**	**10941.04**	**12011.45**
ब– परिसम्पत्तियॉ			
सकल अचल परिसम्पत्तियॉ	25.38	25.55	25.65
घटाया – ह्रास	9.46	9.79	9.77
निबल अचल परिसम्पत्तियॉ	15.92	15.76	15.88
निवेश	--	--	--
पीएफ में निवेश	171.53	162.43	144.48
परियोजनाः			
(i) सामग्री	301.28	390.54	469.92
(ii) कार्य प्रगति पर	3903.78	4574.52	5098.39
(iii) पूरे किये गये ग्रामीण जल परियोजना – यूपी जल निगम द्वारा संचालित	760.92	756.77	774.46
(iv) एलएसजीईडी से जल निगम को स्थानान्तरित ग्रामीण जल परियोजना की लागत	9.08	9.08	9.08
चालू परिसम्पित्तयॉ	3564.61	4080.03	4613.00
ऋण एवं अग्रिम	756.31	810.24	750.67
घाटा	156.14	141.67	135.57
योग – ब	**9639.57**	**10941.04**	**12011.45**
स– नियोजित पूँजी*	**4562.50**	**5098.38**	**5536.22**

* नियोजित पूँजी, निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगति कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को निरूपित करती हैं।

परिशिष्ट–6
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 1.6 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
परिचालनगत			
(अ) राजस्व	981.57	1104.16	1198.66
(ब) व्यय	987.85	1082.03	1182.24
(स) आधिक्य(+)/कमी(–)	(-)6.28	22.13	16.42
अपरिचालनगत			
(अ) राजस्व	37.11	37.01	42.08
(ब) व्यय	17.06	19.11	17.79
(स) आधिक्य(+)/कमी(–)	20.05	17.90	24.29
योग			
(अ) राजस्व	1018.68	1141.17	1240.74
(ब) व्यय	1004.91	1101.14	1200.03
(स) शुद्व लाभ(+)/हानि(–)	13.77	40.03	40.71
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	17.06	19.11	17.79
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	30.83	59.14	58.50

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	58.63	37.19	21.51
(ब) अन्य आय	4.36	3.71	1.68
(स) ब्याज का प्रावधान वापस लाये गये	-	54.26	-
(द) एनपीए प्रावधान वापस लाए गए	30.40	30.33	-
योग 1	**93.39**	**125.49**	**23.19**
2. व्यय			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	63.33	42.13	2.41
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	-	-	114.53
(स) अन्य व्यय	28.21	23.26	21.25
योग 2	**91.94**	**65.39**	**138.19**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–) (1-2)	1.85	60.10	(-)115.01
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि*	-	-	-
6 लाभांश दत्त/देय	-	-	-
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	65.18	102.23	(-) 112.60
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	5.40	8.85	-

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	132.99	122.94	125.91
(ब) अन्य आय	1.18	2.38	3.45
योग 1	**134.17**	**125.32**	**129.36**
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	30.24	46.42	37.79

* यह, विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, लाभांश के लिए उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
(ब) ब्याज	5.28	2.91	2.61
(स) अन्य व्यय	64.88	41.16	48.81
योग 2	**100.40**	**90.49**	**89.21**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	33.77	34.83	40.15
4. विनियोजनः			
(i) आयकर का भुगतान	4.95	7.15	12.42
(ii) कर का प्रावधानः			
(अ) आयकर	7.60	2.80	
(ब) लाभांश कर	0.21	0.26	0.28
(iii) कर के बाद लाभ (लाभांश के लिए उपलब्ध राशि)	21.01	24.62	27.45
(iv) वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश	1.51	1.51	1.67
(v) अन्य विनियोजन	19.50	23.11	25.78
5. तुलन पत्र में स्थानान्तरित लाभ[1]	--	-	-
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ[2]	39.05	37.74	42.76
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.51	15.06	16.41

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	**276.15**	**262.73**	**345.94**
2. व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	**231.51**	**226.93**	**316.64**
शुद्व लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	305.74	273.39	276.79
(ब) अन्य आय	246.94	299.54	252.55
योग 1	**552.68**	**572.93**	**529.34**
2. व्यय			
(अ) विक्रीत सम्पत्ति का मूल्य	253.97	208.03	239.41
(ब) स्थापना	60.10	65.61	76.74
(स) ब्याज	-	-	-
(द) अन्य व्यय	27.12	28.35	34.61
योग 2	**341.19**	**301.99**	**350.76**
3. आय का व्यय पर आधिक्य	211.49	270.94	178.58
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	211.49	270.94	178.58
5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	24.60	33.54	27.27

[1] वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में क्रमशः 506.00 रुपये, 295.00 रुपये एवं 714.00 रुपये का लाभ तुलन पत्र में हस्तान्तिरत किया किया है।

[2] नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, कर से पहले लाभ/हानि एवं ब्याज के योग के बराबर है।

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
1. आय			
सेन्टेज	66.05	97.24	97.97
सर्वे एवं परियोजना शुल्क	1.15	0.56	0.28
जल निगम द्वारा संचालित योजना पर ग्राहक से प्राप्ति	16.45	23.78	23.09
अन्य आय	6.08	8.95	6.41
वित्तीय क्रियाकलापों से आय	21.71	30.24	34.42
राजस्व अनुदानः			
(i) रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से	93.82	72.98	102.27
(ii) एचआरडी के लिए सरकार से	-	-	
सी एण्ड डी एस की आय	28.92	33.81	41.49
नलकूप विंग की आय	1.68	1.44	1.47
ब्याज	-	---	-
अनुदान	-	-	-
अन्य	-	-	-
योग –1	**235.86**	**269.00**	**307.40**
2. व्यय			
स्थापना प्रभार/परिचालन व्यय	151.34	169.12	187.50
रख–रखाव पर व्यय	47.81	62.20	78.82
ब्याज	18.46	15.64	16.32
अन्य व्यय	-	-	-
ह्रास	0.39	0.33	0.30
सी एण्ड डीएस का व्यय	16.80	20.72	22.72
नलकूप विंग का व्यय	1.03	0.95	1.14
जल संस्थान को अनुदान	-	-	-
सिचांई को अनुदान	-	-	-
योग – 2	**235.83**	**268.96**	**306.80**
कमी(–)/आधिक्य(+)	**0.03**	**0.04**	**0.60**
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	**18.49**	**15.68**	**16.92**

परिशिष्ट–7

आरएण्डएम के लिये योजनाकृत इकाईयाँ, आरएण्डएम कार्य के प्रारम्भ होने एवं पूर्ण होने की तिथि एवं कार्य पर किये गये व्यय को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.1 एंव 2.1.3 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	आरएण्डएम के लिए नियोजित परियोजना का नाम	क्षमता (एमडब्ल्यू)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति की तिथि	कार्य आरम्भ होने की वास्तविक तिथि	पीएफसी द्वारा स्वीकृत ऋण	आंतरिक स्रोत/सरकार से प्राप्त राशि	किया गया व्यय (मार्च 2009 तक)	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
आरएण्डएम गतिविधियॉं									
1.	ओबरा 'ए' टीपीएस (इकाई संख्या 6)	100	52.47	7.04.2005	21.12.2005	42.00	10.47	49.99	मार्च 2008 में पूर्ण
2.	पनकी टीपीएस इकाई संख्या 3 एवं 4	220	31.43	10.03.2000	29.08.2000	15.71	15.72	29.89	दिसम्बर 2006 में पूर्ण
3.	हरदुआगंज इकाई संख्या 5 एवं 7	165	55.34	15.01.2001	20.5.2005	38.73	16.61	55.34	जनवरी 2006 एवं मई 2008 में पूर्ण
4.	पारीछा इकाई संख्या 1 एवं 2	220	32.80	17.07.2000	01.05.2002	16.40	16.40	36.45	मार्च 2006 में पूर्ण
5.	पारीछा इकाई संख्या 1 एवं 2	220	8.02	17.07.2000	01.05.2002	2.37	5.65	8.20	जून 2006 में पूर्ण
6.	अनपारा 'ए' इकाई संख्या 1,2, एवं 3	630	68.96	20.09.2005	16.05.2006	55.17	13.79	38.43	सितम्बर 2009 तक पूर्ण होने के लिये निर्धारित
जीर्णोद्धार									
1.	ओबरा 'ए' (5 ×50 एमडब्ल्यू)	250	479.50	22.09..2000	21.07.2003	335.60	143.90	186.36	कार्य प्रगति में
2.	ओबरा 'बी' (5 ×200 एमडब्ल्यू)	1000	1635.00	15.01.2001	20..06.2006	1308.00	327.00	687.31	कार्य प्रगति में
	योग		**2363.52**			**1813.98**	**549.54**	**1090.93**	

परिशिष्ट–8

वार्षिक रख रखाव के सूची का पालन न करने के विवरण को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.11 एंव 2.1.18 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	टीपीएस का नाम	इकाई संख्या	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
			देय	पूर्ण	देय	पूर्ण	देय	पूर्ण	देय	पूर्ण	देय	पूर्ण
1.	अनपारा 'ए'	1	04/2004	--	04/04	08/05	08/06	--	08/06	04/08	--	--
2.		2	10/ 2003	11/04	11/05	3/06	04/07	--	04/07	--	04/07	12/08
3.		3	10/ 2004	09/04	10/05	--	10/05	03/07	03/08	03/08	--	--
4.	ओबरा 'ए'	1	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन
5.		2	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन
6.		3	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	हटा दिया गया	हटा दिया गया
7.		4	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	हटा दिया गया	हटा दिया गया
8.		5	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	जीर्णोद्धार के अधीन	हटा दिया गया	हटा दिया गया
9.		6	09/04	12/04	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	03/08	--	--
10		7	--	--	--	08/05	09/06	03/07	--	--	04/08	--
11		8	--	11/04	12/05	--	12/05	--	12/05	--	12/05	07/08
12	ओबरा 'बी'	9	--	--	05/05	--	05/05	03/07	--	--	04/08	जीर्णोद्धार के अधीन
13		10	04/03	09/04	09/05	--	09/05	09/06	10/07	01/08	01/09	--
14		11	12/03	02/05	02/06	--	02/06	--	02/06	--	02/06	--
15		12	10/03	--	10/03	--	10/03	--	10/03	--	10/03	09/08
16		13	12/02	--	12/02	10/05	10/06	12/06	01/08	--	01/08	--
17	हरदुआगंज	3	11/00	03/05	03/06	--	03/06	--	03/06	11/07	11/08	--
18		5	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	आरएण्डएम के अधीन	--	05/08
19		7	08/04	--	08/04	01/06	02/07	--	02/07	12/07	01/09	10/08
20	पनकी	3	08/04	--	08/04	--	08/04	05/06	06/07	--	06/07	10/08
21		4	08/03	12/04	12/05	--	12/05	--	12/05	10/07	09/08	--
22	पारीछा	1	01/04	--	01/04	01/06	02/07	--	02/07	02/08	02/09	--
23		2	01/05	--	01/05	--	01/05	--	01/05	12/07	01/09	--

परिशिष्ट–9

अधिक आक्जीलरी उपभोग को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 2.1.18 में सन्दर्भित)

परियोजना का नाम	उत्पादन (एमयू)	डीपीआर के अनुसार आक्जीलरी उपभोग के मानक (प्रतिशत में)	यूपीईआरसी के अनुसार आक्जीलरी उपभोग के मानक (प्रतिशत में)	वास्तविक आक्जीलरी उपभोग (प्रतिशत में)	अधिक उपभोग (प्रतिशत में)	यूनिट का अधिक उपभोग (एमयू) (2×6)	ऊर्जा की विक्रय की दर (रुपये/केडब्ल्यूएच में)	राशि (करोड़ रुपये में) (7×8)	टीपीएस–वार योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओबरा 'ए'									
2008-09	544.683	--	11	13.63	2.63	14.325	2.13	3.05	3.05
पनकी									
2006-07	929.198	13	--	13.47	0.47	4.37	2.39	1.04	1.80
2007-08	1066.606	13	--	13.30	0.30	3.20	2.36	0.76	
2008-09	1346.799	13	--	12.53	--	--	--	--	
हरदुआगंज									
2006-07	751.962	--	11.50	14.41	2.91	21.88	3.04	6.65	29.82
2007-08	751.575	--	11	14.82	3.82	28.71	2.96	8.50	
2008-09	806.130	--	11.50	16.05	4.55	36.68	4.00	14.67	
पारीछा									
2006-07	1135.971	10	--	16.38	6.38	72.474	2.33	16.89	52.58
2007-08	667.666	10	--	18.47	8.47	56.551	2.62	14.82	
2008-09	1005.284	10	--	16.53	6.53	65.645	3.18	20.87	
अनपारा 'ए'									
2006-07	4247.815	--	8.0	10.14	2.14	90.90	1.34	12.18	35.08
2007-08	4048.907	--	8.0	10.44	2.44	98.79	1.31	12.94	
2008-09	4582.548	--	8.5	10.01	1.51	69.196	1.44	9.96	

परिशिष्ट–10

ऊष्मा के अधिक उपभोग को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर 2.1.19 में सन्दर्भित)

परियोजना का नाम	ऊष्मा दर के मानक (कैकेल/केडब्ल्यूएच) (यूपीईआरसी के अनुसार)	कुल ऊष्मा का उपभोग (कैकेल/केडब्ल्यूएच)	ऊष्मा का अधिक उपभोग (कैकेल/केडब्ल्यूएच)	उत्पादन (एमयू)	कुल अधिक ऊष्मा का उपभोग (एमकेल) (4×5)	कोयले की औसत कैलोरोफिक (कैकेल) मूल्य	कोयले के रूप में ऊष्मा का अधिक उपभोग (एमटी में) (5/6)	कोयले की औसत लागत (रुपये/एमटी)	ऊष्मा के अधिक उपभोग का कुल मूल्य (करोड़ रुपये में)	टीपीएस–वार योग (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ओबरा 'ए'										
2008-09	3000	3249	249	544.683	135626	3252	41705	1389	5.79	5.79
पनकी										
2006-07	3000	3458	458	929.198	425572	3658	116340	1836	21.36	74.30
2007-08	2950	3493	543	1066.606	579167	3775	153422	2122	32.56	
2008-09	3100	3353	253	1346.799	340740	3817	89269	2283	20.38	
हरदुआगंज										
2006-07	3350	3484	134	751.962	100763	3414	29515	2105	6.21	46.36
2007-08	3300	4055	755	751.575	567439	3970	142932	2479	35.43	
2008-09	3450	3534	84	806.130	67715	3391	19969	2364	4.72	
पारीछा										
2006-07	3250	3890	640	1135.971	727021	4247	171185	2083	35.66	51.74
2007-08	3100	3377	277	667.666	184943	3624	51033	2121	10.83	
2008-09	3100	3181	81	1005.284	81428	3387	24041	2182	5.25	
अनपारा 'ए'										
2006-07	2500	2795	295	4247.815	1253105	3100	404227	888	35.90	36.98
2007-08	2500	2367	--	4048.907	--	3309	--	--	--	
2008-09	2500	2507	7	4582.548	32078	3298	9727	1110	1.08	

परिशिष्ट–11

तेल का अधिक उपभोग

(प्रस्तर 2.1.20 में सन्दर्भित)

परियोजना का नाम	उत्पादन (एमयू)	तेल के उपभोग का मानक (एमएल/केडब्ल्यूएच) (डीपीआर के अनुसार)	तेल के उपभोग का मानक (एमएल/केडब्ल्यूएच) (यूपीईआरसी के अनुसार)	वास्तविक तेल का उपभोग (एमएल/केडब्ल्यूएच)	तेल का अधिक उपभोग (एमएल/केडब्ल्यूएच)	तेल का अधिक उपभोग (किली) (2×6)	तेल की औसत लागत (रुपये/किली)	तेल की अधिक उपभोग की राशि (करोड़ रुपये में)	टीपीएस–वार योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओबरा 'ए'									
2008-09	544.683	--	4	7.27	3.27	1781.11	34171	6.09	6.09
पनकी									
2006-07	929.198	8	--	3.79	--	--	28944	--	--
2007-08	1066.606	8	--	3.48	--	--	30016	--	
2008-09	1346.799	8	--	2.20	--	--	47528	--	
हरदुआगंज									
2006-07	751.962	--	5	7.25	2.25	1691.92	23082	3.91	34.42
2007-08	751.575	--	4.5	8.53	4.03	3028.84	23135	7.01	
2008-09	806.130	--	4.5	12.95	8.45	6811.79	34494	23.50	
पारीछा									
2006-07	1135.971	10	--	6.91	--	--	21378	--	9.73
2007-08	667.666	10	--	11.78	1.78	1188.45	25689	3.05	
2008-09	1005.284	10	--	11.90	1.90	1910.04	34976	6.68	
अनपारा 'ए'									
2006-07	4247.815	--	2	0.91	--	--	--	--	--
2007-08	4048.907	--	2	0.99	--	--	--	--	
2008-09	4582.548	--	2	0.98	--	--	--	--	

परिशिष्ट–12

कोयले के अधिक उपभोग को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.21 में सन्दर्भित)

परियोजना का नाम	उत्पादन (एमयू)	कोयले के उपभोग के मानक (किग्रा/केडब्ल्यूएच) (डीपीआर के अनुसार)	कोयले के उपभोग का मानक (किग्रा/केडब्ल्यूएच) (यूपीईआरसी के अनुसार)	कोयले का वास्तविक उपभोग (किग्रा/केडब्ल्यूएच)	कोयले का अधिक उपभोग (किग्रा/केडब्ल्यूएच)	कोयले का अधिक उपभोग (एमटी)	कोयले की औसत लागत (रुपये/एमटी)	कोयले की अधिक उपभोग का मूल्य (करोड़ रुपये में)	टीपीएस–वार योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओबरा 'ए'									
2008-09	544.683	--	0.89	0.96	0.07	38128	1389	5.30	5.30
पनकी									
2006-07	929.198	0.84	--	0.94	0.10	92920	1836	17.06	43.58
2007-08	1066.606	0.84	--	0.93	0.09	95995	2122	20.37	
2008-09	1346.799	0.84	--	0.86	0.02	26936	2283	6.15	
हरदुआगंज									
2006-07	751.962	--	0.97	1.00	0.03	22559	2105	4.75	38.88
2007-08	751.575	--	0.96	1.00	0.04	30063	2479	7.45	
2008-09	806.130	--	0.87	1.01	0.14	11285	2364	26.68	
पारीछा									
2006-07	1135.971	0.85	--	0.90	0.05	56799	2083	11.83	36.46
2007-08	667.666	0.85	--	0.90	0.05	33383	2121	7.08	
2008-09	1005.284	0.85	--	0.93	0.08	80423	2182	17.55	
अनपारा 'ए'									
2006-07	4247.815	--	0.91	0.79	--	--	--	--	10.17
2007-08	4048.907	--	0.91	0.77	--	--	--	--	
2008-09	4582.548	--	0.75	0.77	0.02	9165	1110	10.17	

परिशिष्ट–13

लक्षित पीएलएफ के अप्राप्ति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.22 में सन्दर्भित)

परियोजना का नाम	पीएलएफ की प्राप्ति (प्रतिशत में)	मानक (डीपीआर के अनुसार) (प्रतिशत में)	मानक (यूपीईआरसी के अनुसार) (प्रतिशत में)	कमी (प्रतिशत में)	उत्पादन	पीएलएफ की कम प्राप्ति के कारण उत्पादन की हानि (एमयू)	विक्रय दर (रुपये/केडब्ल्यूएच)	हानि (करोड़ रुपये में)	टीपीएस–वार योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओबरा 'ए'									
2008-09	66.15	--	65	--	544.683	--	2.13	--	--
पनकी									
2006-07	50.51	55	--	4.49	929.198	82.599	2.39	19.74	19.74
2007-08	57.82	55	--	--	1066.606	--	2.36	--	
2008-09	73.21	55	--	--	1346.799	--	2.97	--	
हरदुआगंज									
2006-07	23.79	--	28	4.21	751.962	133.07	3.04	40.45	108.27
2007-08	31.11	--	40	8.89	751.575	214.77	2.96	63.57	
2008-09	39.48	--	40	0.52	806.130	10.62	4.00	4.25	
पारीछा									
2006-07	58.94	60	--	1.06	1135.971	20.43	2.33	4.76	181.66
2007-08	34.55	60	--	25.45	667.666	491.811	2.62	128.85	
2008-09	52.16	60	--	7.84	1005.284	151.101	3.18	48.05	
अनपारा 'ए'									
2006-07	76.97	--	75	--	4247.815	--	1.34	--	49.51
2007-08	73.17	--	80	6.83	4048.907	377.942	1.31	49.51	
2008-09	83.04	--	80	--	4582.548	--	1.44	--	

परिशिष्ट–14

उत्पादन के लागत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.23 में सन्दर्भित)

परियोजना का नाम	उत्पादन की वास्तविक लागत	डीपीआर के अनुसार उत्पादन की लागत	यूपीईआरसी के अनुसार उत्पादन की लागत	उत्पादन की अधिक लागत	उत्पादन (एमयू)	उत्पादन की अधिक लागत की राशि (करोड़ रुपये में)	टीपीएस–वार योग
1	2	3	4	5	6	7	8
ओबरा 'ए'							
2008-09	3.63	--	1.66	1.97	544.683	107.30	107.30
पनकी							
2006-07	3.30	1.97	1.91	1.33	929.198	123.58	426.16
2007-08	3.38	1.97	1.91	1.41	1066.606	150.39	
2008-09	3.10	1.97	2.09	1.13	1346.799	152.19	
हरदुआगंज							
2006-07	4.20	--	2.28	1.92	751.962	144.38	560.90
2007-08	4.64	--	2.23	2.41	751.575	181.13	
2008-09	5.25	--	2.33	2.92	806.130	235.39	
पारीछा							
2006-07	3.18	2.04	1.31	1.14	1135.971	129.50	496.09
2007-08	4.70	2.04	1.25	2.66	667.666	177.60	
2008-09	3.92	2.04	2.25	1.88	1005.284	188.99	
अनपारा 'ए'							
2006-07	1.33	--	0.89	0.44	4247.815	186.90	559.35
2007-08	1.21	--	0.89	0.32	4048.907	129.57	
2008-09	1.42	--	0.89	0.53	4582.548	242.88	

परिशिष्ट–15

डाटा बैंक में दोहरे एवं काल्पनिक ऑकड़ो को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.16 में सन्दर्भित)

खण्ड का नाम	विश्लेषण का माह	कुल उपभोक्ता	कुल सक्रिय उपभोक्ता	दोहरे बुक/एससी नम्बर	काल्पनिक मीटर	दोहरे मीटर		
						संख्या	जगह	विस्तार
विनविख–I, आगरा	दिसम्बर 2008	44,480	42,575	105	1,958	3,713	8091	2-6
विनविख–II, आगरा	नवम्बर 2008	41,573	38,810	292	2417	1722	3574	2-6
विनविख–III, आगरा	दिसम्बर 2008	39,762	37,288	18	2554	26	2168	2-11
विनविख–IV, आगरा	दिसम्बर 2008	28,358	28,089	8	937	492	1073	2-5
विनविख–V, आगरा	दिसम्बर 2008	28,161	26,854	102	1877	710	1744	2-9
विनविख–VII, आगरा	दिसम्बर 2008	35,085	34,953	367	4138	1993	5305	2-12
विनविख–I, मथुरा	नवम्बर 2008	54,329	41471	शून्य	3129	1300	3314	2-13
विनविख–III, अलीगढ़	मार्च 2009	45,678	42,804	शून्य	2854	3135	6506	2-8
योग		**317,426**	**292,844**		**19,864**	**13,091**	**31775**	

परिशिष्ट–16

डाटाबेस एवं वाणिज्यिक विवरणी में अन्तर को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.41 मे सन्दर्भित)

खण्ड/श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या		माह के लिए निर्धारण (लाख रुपये में)	
	डाटाबेस	वाणिज्यिक विवरणी	डाटाबेस	वाणिज्यिक विवरणी
विनविख–I, आगरा				
एलएमवी–1	21374	21655	226.65	105.97
एलएमवी–2	17920	18195	265.54	108.97
एलएमवी–4	36	80	1.67	15.61
एलएमवी–6	302	297	23.88	23.78
विनविख–II, आगरा				
एलएमवी–1	28735	29057	261.17	उपलब्ध नहीं
एलएमवी–2	9861	10020	122.75	उपलब्ध नहीं
एलएमवी–4	228	229	5.95	उपलब्ध नहीं
एलएमवी–6	581		38.35	उपलब्ध नहीं
विनविख–III, आगरा				
एलएमवी–1	32125	33303	140.99	98.23
एलएमवी–2	5159	7076	52.30	62.52
एलएमवी–4	62	75	2.17	7.88
एलएमवी–5	38	8	0.20	0.21
एलएमवी–6	2246	1615	180.06	154.06
विनविख–IV, आगरा				
एलएमवी–1	23466	24395	125.87	162.10
एलएमवी–2	3646	3790	59.45	176.37
एलएमवी–4	88	95	3.48	12.50
विनविख–V, आगरा				
एलएमवी–1	21890	22459	175.72	118.53
एलएमवी–2	4963	4964	57.85	48.27
एलएमवी–4	166	216	4.76	9.47
एलएमवी–6	322	393	32.33	25.31
विनविख–VII, आगरा				
एलएमवी–1	27790	29107	400.17	82.60
एलएमवी–2	4689	5148	119.89	117.03
एलएमवी–6	212	271	15.73	16.23
विनविख–I, मथुरा				
एलएमवी–1	34271	41523	177.91	282.62
एलएमवी–2	7291	9258	70.48	66.97
एलएमवी–4	112	98	3.99	25.17
एलएमवी–6	1033	1057	65.44	47.87
विनविख–III, अलीगढ़				
एलएमवी–1	36727	34408	162.91	137.00
एलएमवी–2	5273	5189	36.61	23.40
एलएमवी–4	118	316	4.58	1.40
एलएमवी–5	30	31	0.75	1.00
एलएमवी–6	2765	2772	98.67	97.00
योग	**293519**	**307100**	**2938.70**	**2028.07**

परिशिष्ट–17

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के संचालन निष्पादन को दर्शाता विवरण
(प्रस्तर 3.7 मे सन्दर्भित)

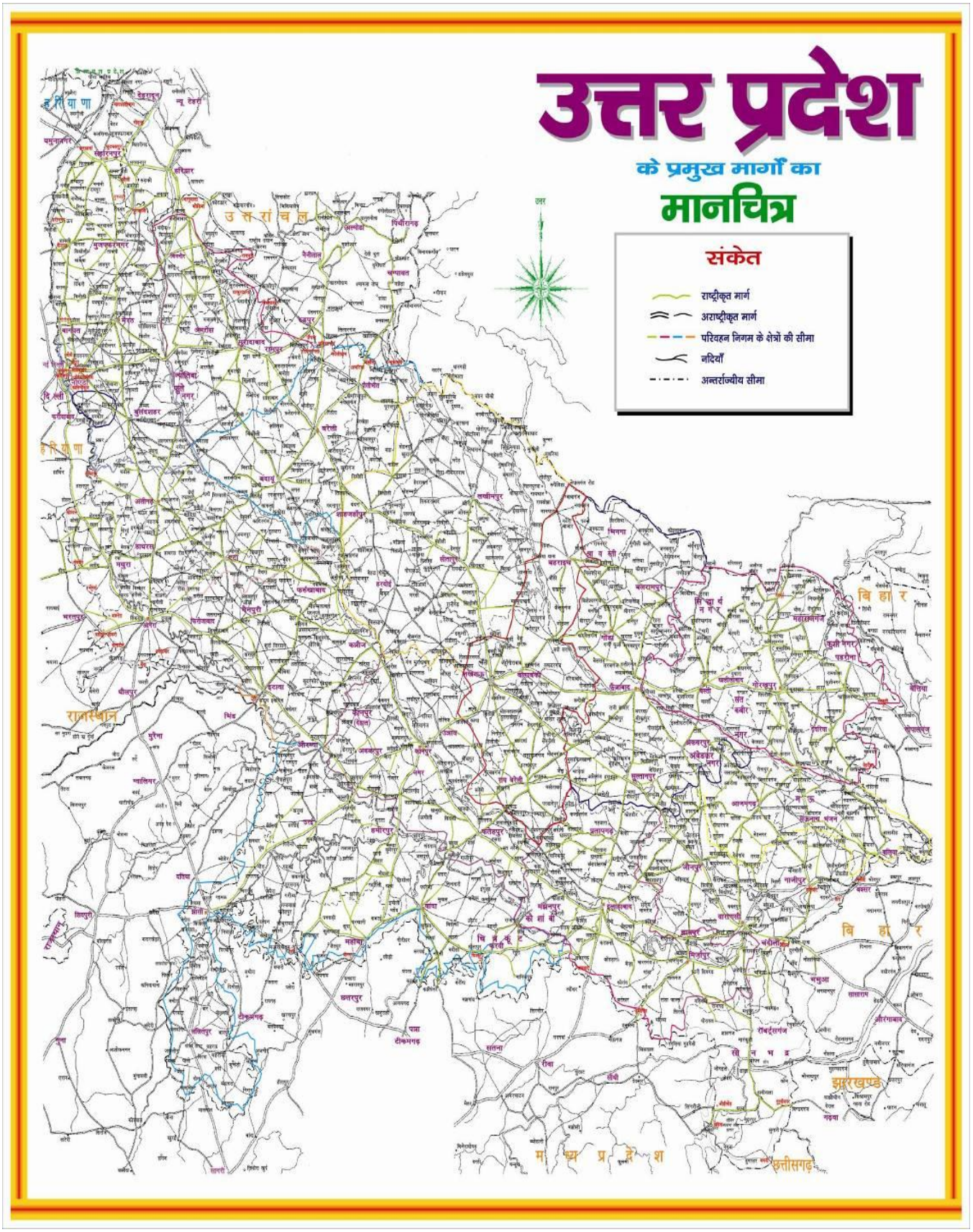
(करोड़ रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अन्तिम)
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या	5673	6031	6418	6660	6831
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	5406	5785	6165	6323	6471
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत	95	96	96	95	95
कर्मचारियों की संख्या	36398	37339	35687	35314	35198
कर्मचारी वाहन अनुपात	6.23	5.99	5.44	5.30	5.15
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या	1859	2118	2222	2246	2450
मार्ग किलोमीटर (लाख में)	4.23	4.83	4.95	4.87	5.75
परिचालित किलोमीटर (लाख में)					
सकल	7463.56	8228.30	8738.71	9231.94	उपलब्ध नहीं
प्रभावी	7223.56	7954.30	8477.71	9012.94	9411.53
मृत	240.00	274.00	261.00	219.00	उपलब्ध नहीं
सकल किलोमीटर से मृत किलोमीटर का प्रतिशत	3.22	3.33	2.99	2.37	उपलब्ध नहीं
औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	307	315	321	330	332
प्रति किमी औसत राजस्व (रुपये)	12.07	12.81	13.46	13.77	15.02
प्रति किमी औसत व्यय (रुपये)	12.02	12.63	12.99	13.31	14.91
प्रति किलोमीटर हानि(–)/लाभ(+) (रुपये)	0.05	0.18	0.47	0.46	0.11
परिचालित डिपो की संख्या	99	107	107	107	107
खराब होने की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर पर	0.14	0.08	0.06	0.06	उपलब्ध नहीं
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.14	0.13	0.13	0.12	उपलब्ध नहीं
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	2336.16	2457.06	2634.28	2881.45	3032.25
धारित अनुपात (भार गुणांक)	62	59	62	64	64
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर डीजल तेल	5.03	5.16	5.33	5.31	5.32

परिशिष्ट–18

राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों को दर्शाता मानचित्र

(प्रस्तर 3.8 मे सन्दर्भित)



परिशिष्ट–19

कार्य के प्राक्कलन एवं वास्तविक मूल्य के बीच के अन्तर को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.14.4 मे सन्दर्भित)

खण्ड का नाम	वर्ष	प्राक्कलन से किये गये कार्य में अन्तर	
		प्राक्कलनों की संख्या	अन्तर का विस्तार (प्रतिशत)
विविख–I, रहीमनगर, लखनऊ	2007-08	10	59 से 274
	2008-09	35	36 से 339
विविख–I, लखीमपुर	2007-08	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
	2008-09	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
विविख–I, उन्नाव	2007-08	34	53 से 228
	2008-09	51	29 से 143
विविख, बहराइच	2007-08	35	50 से 117
	2008-09	54	47 से 192
विविख–I एवं II, सीतापुर	2007-08	80	69 से 328
	2008-09	139	09 से 295
विविख–I एवं II, हरदोई	2007-08	28	80 से 292
	2008-09	42	89 से 294
विविख–I एवं II, बरेली	2007-08	53	28 से 194
	2008-09	135	52 से 494

परिशिष्ट–20
परिवर्तको की कम स्थापना
(प्रस्तर 4.14.5 मे सन्दर्भित)

खण्ड का नाम	वर्ष	ग्रामों/गावों की संख्या	लाइन की लम्बाई (विस्तार किमी में)	आवश्यक परिवर्तक की संख्या (विस्तार)	स्थापित परिवर्तको की संख्या (विस्तार)	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
विविख–I, उन्नाव	2007-08	16	0.130 से 2.082 (26.237 किमी)	2 से 26 (328 सं0)	1 से 7 (48 सं0)	143.88
	2008-09	12	0.210 से 1.56 (11.057 किमी)	3 से 20 (138 सं0)	1 से 3 (30 सं0)	61.83
विविख, बहराइच	2007-08	30	0.5 से 2.81 (47.147 किमी)	7 से 35 (596 सं0)	1 से 12 (206 सं0)	391.15
	2008-09	33	0.157 से 4.72 (49.188 किमी)	2 से 59 (615 सं0)	1 से 8 (143 सं0)	236.67
विविख, रहीमनगर, लखनऊ	2008-09	5	0.76 से 1.693 (6.073 किमी)	10 से 21 (76 सं0)	1 से 4 (11 सं0)	39.01
	योग	**96**	**139.70 किमी**	**1753 सं0**	**438 सं0**	**872.54**

परिशिष्ट–21

निरीक्षण प्रतिवेदनो के उन अनिस्तारित प्रस्तरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र जिनमे धनराशि की वसूली के अवसर की अवहेलना की गयी

(प्रस्तर 4.23 मे सन्दर्भित)

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईडीडी, जगदीशपुर	10/95-12/96	नन्दी पम्प कैनाल पर कम वोल्टेज पर आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रभार का अनारोपण	3.25	उत्तर प्रतीक्षित।
		कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत राजस्व की वसूली न होना और बिलिंग न होना	16.02	उत्तर प्रतीक्षित।
	04/98 - 05/99	एचएएल, कोरवा, गोरीगंज के विरुद्ध कम मूल्यांकन	332.78	उत्तर प्रतीक्षित।
		रूगंटा स्टील के विरुद्ध दर अनुसूची का गलत प्रयोग	21.66	उत्तर प्रतीक्षित।
		रूगंटा स्टील से बे प्रभारो की वसूली न होना	17.50	उत्तर प्रतीक्षित।
		न्यूनतम उपभोग गारण्टी के गलत संगणन से अल्प बिलिंग	11.78	उत्तर प्रतीक्षित।
		मालविका स्टील के प्रकरण में दर सूची का गलत प्रयोग	5.51	उत्तर प्रतीक्षित।
	6/99 – 5/2000	राजस्व का अल्प प्रभारण	27.91	उत्तर प्रतीक्षित।
		टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण राजस्व का अल्प निर्धारण (मेसर्स मालविका स्टील प्लांट)	26.25	उत्तर प्रतीक्षित।
		मलविका स्टील्स से बे चार्जेस की वसूली न होना	17.13	उत्तर प्रतीक्षित।
		कम वोल्टेज की स्थिति में राजस्व का अल्प निर्धारण	6.29	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/01 – 2/02	अतिरिक्त अधिभार का अनारोपण	53.40	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीसी, गोण्डा	4/92 - 3/94	अवर अभियनताओं के विरुद्ध विविध अग्रिमों की वसूली न होना	3.68	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/98 – 6/99	रेलवे पर विद्युत कर का अनारोपण	13.21	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/2000 – 7/01	टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण	7.55	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, बाराबंकी	10/94 – 9/95	पशुपति एलॉज से न्यूनतम उपभोग गारण्टी का अल्प प्रभारण	12.59	उत्तर प्रतीक्षित।
	10/95 – 2/96	विद्युत प्रभारों का अल्प निर्धारण	26.14	उत्तर प्रतीक्षित।
	3/96 – 12/97	पोटेंशियल ट्रान्सफार्मर की मीटरिंग क्षति के कारण अल्प प्रभारण	15.91	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/99 – 3/2000	टैरिफ का गलत प्रयोग	43.21	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/2000- 3/01	गणेश स्टील्स के विरुद्ध अल्प निर्धारण	30.68	उत्तर प्रतीक्षित।
	7/02 – 6/03	निरन्तर प्रक्रिया के अधीन बिलिंग न करने से उपभोक्ता के प्रति अनुचित पक्षपात	11.15	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–I, बरेली	4/02 – 3/03	टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	1.79	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्थाई प्रभारों की अल्प बिलिंग	1.34	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/03 – 12/03	टैरिफ के गलत विभाजन से अल्प बिलिंग	1.03	उत्तर प्रतीक्षित।
		केवीएएच संम्भाग के द्विविभाजन न करने से अल्प निर्धारण	4.14	उत्तर प्रतीक्षित।
		अतिरिक्त भार के लिये अर्थदण्ड न लगाना	7.05	उत्तर प्रतीक्षित।
		माँग प्रभारों का अल्प निर्धारण	1.51	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडब्ल्यूसी, बरेली	4/98-3/2000	श्री आर.एस. श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता के विरुद्ध लेखांकित विविध अग्रिम की वसूली न होना	33.76	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, बरेली	1/02 – 11/02	मेसर्स सुशील उर्फ गोल्डी होन्डा के विरुद्ध अल्प निर्धारण से हानि	8.11	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, बदाँयू	4/01 – 3/02	रोकड़ तिजोरी से धन की चोरी	3.11	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, हरदोई	4/2000 – 3/01	विद्युत बिलों के भुगतान को अनियमित रूप से रोकना	55.50	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/01 – 3/02	अतिरिक्त अधिभार का अनारोपण	77.97	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/02 – 2/03	विद्युत चोरी के विरुद्ध अनिर्धारण	41.18	उत्तर प्रतीक्षित।
		अतिरिक्त भार के विरुद्ध अनिर्धारण	2.90	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईडीडी–I, रायबरेली	8/01 – 10/02	पीक आवर उल्लंघन हेतु अर्थदण्ड न लगाये जाने से हानि	177.77	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, खुर्रमनगर, लखनऊ	6/98 – 5/99	एसजीपीजीआई की अल्प बिलिंग	78.25	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स लखनऊ एलायस से वसूली न होना	28.82	उत्तर प्रतीक्षित।
		दीनदयाल संस्थान के विरुद्ध विद्युत प्रभारों का अल्प निर्धारण	1.37	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, लखीमपुर	4/93 – 3/94	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड की अल्प बिलिंग	4.13	उत्तर प्रतीक्षित।
	11/01 – 10/03	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड के खराब मीटर के विरुद्ध बिल जारी न करना	16.16	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी, चौक, लखनऊ	7/99 – 6/2000	विद्युत कर का अल्प प्रभारण	5.51	उत्तर प्रतीक्षित।
		अधिभार की बिलिंग तथा वसूली न होना	61.17	उत्तर प्रतीक्षित।
		विलम्ब भुगतान प्रभार का अनारोपाण	4.83	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी, गोमतीनगर, लखनऊ	3/97-6/98	टैरिफ के गलत उपयोग से अल्प निर्धारण	23.54	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, सीतापुर	4/02 – 5/03	न्यूनतम उपभोग गारण्टी का अल्प प्रभारण	7.82	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी, हुसैनगंज, लखनऊ	5/97 – 4/98	सिस्टम लोडिंग प्रभारों की वसूली न होना	13.34	उत्तर प्रतीक्षित।
	6/2000 – 3/01	टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	71.91	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, उन्नान	9/2000-12/01	स्वतंत्र पोषक से आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता पर प्रभारण न करना	16.77	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, रायबरेली	04/00-03/01	अधिभार के अनारोपण से हानि	20.24	उत्तर प्रतीक्षित।
	11/02-10/03	पीक आवर के दौरान उपभोक्ता के विरूद्ध अल्प बिलिंग	1.89	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी, ऐशबाग, लखनऊ	06/99-03/00	टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	6.37	उत्तर प्रतीक्षित।
	04/00-06/01	टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प निर्धारण	22.37	उत्तर प्रतीक्षित।
		टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण मेसर्स सिंघल पेंट्स के विरूद्ध अल्प बिलिंग	0.78	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी, अलीगंज, लखनऊ	9/99-06/00	टैरिफ का गलत प्रयोग–अल्प प्रभारण	75.25	उत्तर प्रतीक्षित।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईयूडीडी–I, वाराणसी	1/2000-11/2000	स्वतंत्र पोषक से आपूर्ति प्राप्त कर रहे उपभोक्ता पर अतिरिक्त प्रभार का अनारोपण	30.75	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–II, वाराणसी	1/96 – 2/97	अतिरिक्त प्रभार का अनारोपण	4.80	उत्तर प्रतीक्षित।
		टैरिफ का गलत प्रयोग	3.02	उत्तर प्रतीक्षित।
		खराब मीटर के कारण राजस्व का अल्प निर्धारण	1.88	उत्तर प्रतीक्षित।
		क्म टैरिफ के प्रभारण से राजस्व की हानि	1.01	उत्तर प्रतीक्षित।
		गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कारण राजस्व का अल्प प्रभारण	12.85	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–IV, वाराणसी	9/96 – 9/97	गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर के प्रयोग से राजस्व की अल्प बिलिंग	7.74	उत्तर प्रतीक्षित।
		टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	21.83	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, गाजीपुर	4/93 – 3/94	खराब मीटरों के न बदलने से अल्प निर्धारण	11.20	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/94 – 3/95	चोरी के प्रकरण में अल्प निर्धारण	1.35	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/98 – 2/99	टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प निर्धारण	69.12	उत्तर प्रतीक्षित।
	3/99 – 6/2000	संशोधित टैरिफ के प्रयोग न करने के कारण अल्प निर्धारण	5.91	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/02 – 3/03	रेलवे ट्रैक्शन जमनिया पर राजस्व का अल्प निर्धारण	43.01	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, जौनपुर	9/99-7/00	उपभोक्ता के प्रति अनुचित पक्षपात	24.69	उत्तर प्रतीक्षित।
	7/2000 – 4/02	एम आर आई रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पीक आवर पेनाल्टीज की वसूली न होने से हानि	70.88	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, बलिया	7/99-6/00	सहकारी कोल्ड स्टोरेज के प्रति अनुचित पक्षपात से वसूली का संदिग्ध होना	14.91	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल के विरूद्ध अल्प बिलिंग	4.69	उत्तर प्रतीक्षित।
		कोल्ड स्टोरेज के प्रति अनुचित पक्षपात से देयो की वसूली न होना	16.31	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईडीडी–II, आजमगढ़	11/99–7/00	स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं पर राजस्व का अल्प प्रभारण	18.55	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, भदौही	2/02 – 3/03	मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गलत प्रयोग	6.67	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, कौशाम्बी	7/02 – 7/04	टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	5.33	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, फतेहपुर	4/94-3/95	टैरिफ के गलत प्रयोग से पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं की अल्प बिलिंग	8.31	उत्तर प्रतीक्षित।
	9/95 – 3/96	टैरिफ के गलत प्रयोग से पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं की अल्प प्रभारण	13.46	उत्तर प्रतीक्षित।
	6/97 – 7/98	गलत निर्धारण के कारण अल्प प्रभारण	10.74	उत्तर प्रतीक्षित।
		उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करना	17.13	उत्तर प्रतीक्षित।
	8/98 – 7/99	फरनान्स उपभोक्ताओं की अल्प बिलिंग	807.90	उत्तर प्रतीक्षित।
	8/99 – 4/2000	टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण	5.85	उत्तर प्रतीक्षित।
	5/2000 – 6/01	मेसर्स शारदा स्टील्स के विरूद्ध गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर के प्रयोग के कारण मॉग प्रभारों, विद्युत प्रभारों एवं अतिरिक्त प्रभारों का अल्प प्रभारण	73.56	उत्तर प्रतीक्षित।
	7/01-6/02	स्थायी प्रभारों का अनारोपण	10.00	उत्तर प्रतीक्षित।
	7/02-3/03	टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण अल्प बिलिंग से हानि	25.50	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, इलाहाबाद	10/97 – 9/98	बिल योग्य मॉग का अल्प प्रभारण	48.60	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–II, गोरखपुर	8/03 - 3/04	अननुमोदित लोड फैक्टर रिबेट प्रदान करना	116.17	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्वतंत्र पोषक अधिभार की वसूली न होना	26.09	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, महाराजगंज	1/02 – 1/03	राजस्व का अल्प निर्धारण (शंट कैपासिटर अधिभार)	612.63	उत्तर प्रतीक्षित।
	5/99 - 4/2000	उपभोक्ताओं पर पीक आवर अर्थदण्ड की बिलिंग न करना	7.60	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, बस्ती	4/96 - 8/96	टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प निर्धारण	12.25	उत्तर प्रतीक्षित।
	9/97 – 9/98	बलरामपुर चीनी मिल्स बबना की अल्प बिलिंग	1.46	उत्तर प्रतीक्षित।
	7/99 – 6/2000	बस्ती शूगर फैक्ट्री, बस्ती के विरूद्ध टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	6.89	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–I, गोरखपुर	7/2000–8/02	राजस्व का अल्प प्रभारण	8.24	उत्तर प्रतीक्षित।
	10/02 – 5/03	पीक आवर अर्थदण्ड का अनारोपण	40.12	उत्तर प्रतीक्षित।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईयूडीडी–IV, आगरा	09/2002 - 08/2003	उपभोकताओं से सिस्टम लोडिंग प्रभारों के अनारोपण से हानि	17.96	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, अलीगढ़	01/2003 - 12/2003	विद्युत चोरी के प्रकरण में राजस्व की वसूली न होना	16.75	उत्तर प्रतीक्षित।
		उपभोक्ताओं पर सिस्टम लोडिंग प्रभारों के अनारोपण से हानि	41.15	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–IV, आगरा	9/2002 - 08/2003	नये उपभोक्ताओं से क्षतिपूर्ति की अल्प वसूली	57.42	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, बॉदा	1/2003 – 12/2003	परेनहट स्टील लिमिटेड के बकाया देयों की वसूली हेतु धारा–3 एवं धारा–5 के तहत नोटिस निर्गत न करना	1923.18	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, ललितपुर	9/1999 – 8/2000	मेसर्स एटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध वसूली का संदिग्ध होना	7.37	उत्तर प्रतीक्षित।
		टैरिफ के गलत प्रयोग से राजस्व की हानि	28.30	उत्तर प्रतीक्षित।
	09/2000 – 01/2002	अल्प बिलिंग	74.34	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, एटा	4/2000 – 03/2001	उपभोक्ताओं के बकायो के अनियमित समायोजन के कारण वसूली न होना	8.51	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, उरई	4/2001 से 03/2002	अनियमित छूट	210.15	उत्तर प्रतीक्षित।
	01/1994 – 02/1995	विद्युत के गलत निर्धारण क कारण, राजस्व का अल्प प्रभारण	5.72	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, इटावा	10/1993 – 9/1994	ईंधन एवं स्थापना प्रभारों का अल्प आरोपण	15.89	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, झाँसी	4/2003 – 3/2004	मेसर्स बंसल की गलत बिलिंग से हानि	4.24	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईडीडी, उरई (जालौन)	4/2003 – 3/2004	अननुमन्य लोड फैक्टर रिबेट के कारण हानि	2.42	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/2002 – 3/2003	टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प बिलिंग	152.88	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/2001 – 3/2002	पीक/प्रतिबन्धित आवर अधिभार के अप्रभारण से हानि	447.22	उत्तर प्रतीक्षित।
		रिअल सीमेन्ट एण्उ कम्पनी के विरुद्ध अल्प निर्धारण	15.29	उत्तर प्रतीक्षित।
		विजय इस्पात लि0 के विरुद्ध सीधे विद्युत आपूर्ति हेतु अल्प निर्धारण	4.21	उत्तर प्रतीक्षित।
	2/2000 – 3/2001	क्षमता सत्यापन में उपभोक्ता के प्रति पक्षपात से हानि	525.67	उत्तर प्रतीक्षित।
	7/1999 – 1/2000	उपभोक्ताा को अनियमित रूप से विकास छूट प्रदान करना	509.46	उत्तर प्रतीक्षित।
	9/1998 – 6/1999	अल्प निर्धारण द्वारा उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान करना	127.37	उत्तर प्रतीक्षित।
		चोरी के प्रकरणों मे अल्प निर्धारण से हानि	219.79	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स बुन्देलखण्ड अलॉय प्रा0 लि0 को अनुचित लाभ प्रदान करना	40.22	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स दक्ष स्टील लि0 के विरुद्ध अल्प निर्धारण से हानि	12.38	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स बुन्देलख्ण्ड अलॉय प्रा0 लि0 के विद्युत भार मे अनियमित कमी से हानि	11.88	उत्तर प्रतीक्षित।
		चालू खाते में वृहद शेष के कारण ब्याज की हानि	27.28	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, झाँसी	4/1997 – 2/1998	मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध राजस्व का अल्प प्रभारण	5.94	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, हमीरपुर	7/1998 – 6/1999	एचवी–1 उपभोक्ताओं के विरुद्ध अल्प निर्धारण से हानि	12.03	उत्तर प्रतीक्षित।
	10/1995 से 6/1997	गतकालिक प्रभाव से विद्युत प्रभार मे कटौती से उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाना	42.73	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, इटावा	4/1998 – 3/1999	उपभोक्ताओं के विरुद्ध विद्युत शुल्क के अनारोपण से परिषद को हानि	228.41	उत्तर प्रतीक्षित।
		अस्थाई संयोजनो हेतु सेतु निर्माण इकाई, इटावा के विद्युत प्रभारों की वसूली न होने से परिषद को हानि	3.18	उत्तर प्रतीक्षित।
	10/1993 – 9/1994	विलम्ब भुगतान अधिभार का अनारोपण	43.23	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, अलीगढ़	1/2003 – 12/2003	उपभोक्ता से प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि की वसूली न होना	1.31	उत्तर प्रतीक्षित।
		राजस्व की वसूली का संदिग्ध होना	15.66	उत्तर प्रतीक्षित।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईडीडी, बागपत	8/1998 – 1/2000	मेसर्स बागपत शूगर मिल्स के विरुद्ध विलम्ब भुगतान अधिभार की वसूली न होना तथा एमसीजी की बिलिंग न होना	17.21	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, मुजफ्फरनगर	9/2000 – 3/2002	मेसर्स प्रेम स्टील लि0 एवं तायल स्टील लिमिटेड से स्वतंत्र पोषक अधिभार की वसूली न होना	110.94	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, मोदीनगर	10/2000 – 7/2002	मेसर्स मोदी पैन लिमिटेड से स्वतंत्र पोषक अधिभार की वसूली न होना	140.39	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, नोयडा	2/1999 – 1/2000	मेसर्स एनपीपीसीएल को विद्युत शुल्क का भुगतान न होना	557.01	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, सहारनपुर	11/2002 – 11/2003	मेसर्स इण्डियन टोबैको कम्पनी प्रा0 लिमिटेड. सहारनपुर के विरुद्ध विशालकाय बकाया देयो की वसूली न होना	152.00	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, नजीबाबाद	4/2001 – 3/2002	एचवी–2 उपभोक्ताओं मे देयो की वसूली की न होना	21.13	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, बुलन्दशहर	10/2002 – 9/2003	मेसर्स मोहन डेरी एवं कोल्ड स्टोरेज से राजस्व की वसूली न होना	135.00	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, बुलन्दशहर	1/1999 – 12/1999	प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि की वसूली न होना	4.20	उत्तर प्रतीक्षित।
		राजस्व का अल्प निर्धारण	3.46	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	1/2001 – 12/2001	छापा वाले प्रकरणों में राजस्व का अनिर्धारण एवं वसूली न होना	8.07	उत्तर प्रतीक्षित।
	2/2003 – 12/2003	मेसर्स प्रिमेस विनाइल प्लोरिंग्स लि0 के विरुद्ध वसूली अयोग्य देय राशि	127.53	उत्तर प्रतीक्षित।
		मल्टीफ्लाइंग फैक्टर (एमएफ) के गलत प्रयोग से उपभोक्ताा को अनुचित लाभ	43.71	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, खुर्जा		पीक आवर उल्लंघन हेतु अर्थदण्ड की अल्प वसूली	0.60	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–I, गाजियाबाद	12/1993 – 2/1994	राजस्व का अल्प निर्धारण	0.08	उत्तर प्रतीक्षित।
		टैरिफ के गलत प्रयोग से राजस्व की हानि	1.40	उत्तर प्रतीक्षित।
	6/1995 – 10/1996	उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पक्षपात से राजस्व की हानि	21.79	उत्तर प्रतीक्षित।
		टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	16.87	उत्तर प्रतीक्षित।
	11/1996 – 1/1998	उपभोक्ताओं के विरुद्ध अल्प बिलिंग	151.56	उत्तर प्रतीक्षित।
		बे एवं लाइन प्रभारो की वसूली न होना	154.40	उत्तर प्रतीक्षित।
	10/1999 – 6/2000	उपभोक्ता के प्रति अनुचित पक्षपात से हानि	8.83	उत्तर प्रतीक्षित।
		पीक आवर अर्थदण्ड की वसूली न होने से हानि	6.75	उत्तर प्रतीक्षित।
	6/2003 – 3/2004	राजस्व का निर्धारण न होना	6.23	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी, हापुड़	3/2000 – 3/2001	मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं की सतत बिलिंग के सापेक्ष असतत टैरिफ के तहत बिलिंग करना	45.58	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी, मोदीनगर	9/1998 – 10/1999	गलत टैरिफ सूची के कारण राजस्व की हानि	24.81	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/1993 – 3/1994	एल एफ उपभोक्ताओं से सिस्टम लोडिंग प्रभारो की अल्प वसूली	1.27	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–II, नोयडा	2/2000 – 8/2000	उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत प्रभारो की अल्प बिलिंग	45.43	उत्तर प्रतीक्षित।
	2/1999 – 1/2000	अतिक्ति प्रभार हेतु प्रभारण न करना	6.29	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/1998 – 1/1999	मेसर्स न्यूलक्स टोल्स की अल्प बिलिंग	5.39	उत्तर प्रतीक्षित।
	प्रारम्भ से 3/1998	सिस्टम लोडिंग प्रभारों की अल्प बिलिंग	5.98	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–III, मेरठ	10/1998 – 9/1999	विद्युत ऊर्जा का अल्प निर्धारण	26.32	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–II, मुजफ्फरनगर	10/2002 – 3/2004	राज्य नलकूपो पर विद्युत शुल्क का आरोपण न किया जाना	36.88	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/1994 – 6/1996	उपभोक्ताओं से (33 केवी) बे–प्रभारों की वसूली न होना	17.13	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–I, नोयडा	4/1990 – 3/1991	टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प निर्धारण	22.50	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/1993 – 3/1994	मेसर्स जनरल कामर्स लिमिटेड के विरुद्ध अल्प निर्धारण	1.22	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, शामली	10/1997 – 10/1998	विद्युत शुल्क का अनारोपण	25.57	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, रामपुर	10/2000 – 9/2001	राज्य नलकूपो पर शंट कैपासिटर प्रभार एवं विद्युत प्रभारों का अल्प आरोपण	10.63	उत्तर प्रतीक्षित।
	12/1998 – 11/1999	अल्प निर्धारण से परिषद को राजस्व की हानि	2.00	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, बुलन्दशहर	10/2001 – 9/2002	विद्युत चोरी के विरुद्ध वसूली न होना	51.41	उत्तर प्रतीक्षित।
	1/1999 – 12/1999	टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	75.22	उत्तर प्रतीक्षित।
		संशोधित ठैरिफ के प्रयोग न करने से राजस्व की हानि	6.09	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईडीडी–I, मुरादाबाद	4/1998 – 5/1999	मेसर्स लाहिया ब्रदर्स (प्रा0) लि0 पर टैरिफ का गलत प्रयोग	6.82	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, बड़ौत, मेरठ	4/1999 – 3/2000	मेसर्स झाल जाप रबर (प्रा0) लि0 बड़ौत के दोषपूर्ण मीटर रीडिंग के कारण अल्प बिलिंग	5.37	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/1998 – 3/1999	पीटीडब्ल्यू/एसटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विद्युत शुल्क का अनारोपण	36.77	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी, गजरौला	10/2002 – 7/2003	उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पक्षपात से बकायो का संचित होना	73.00	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–II, मुरादाबाद	5/2002 – 2/2003	विद्युत चोरी एवं विलम्ब भुगतान अधिभार के विरुद्ध वसूली न होना	1.59	उत्तर प्रतीक्षित।
		विद्युत चोरी के प्रकरण में राजस्व का अल्प निर्धारण	2.02	उत्तर प्रतीक्षित।
		रेलवे कालोनी, मुरादाबाद के लोको संयोजन संख्या 91766 के विरुद्ध अल्प बिलिंग	1.20	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–III, बुलन्दशहर	1/1997 – 12/1997	संदिग्ध वसूली एवं अधिभार की हानि	34.93	उत्तर प्रतीक्षित।
ईयूडीडी–II, मेरठ	6/1998 – 6/1999	11 केवी स्वतंत्र पोषक से संयोजित पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं पर टैरिफ के गलत प्रयोग से हानि	80.15	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, बुलन्दशहर	10/2002 – 9/2003	स्थायी प्रभारो, विद्युत प्रभारो एवं अन्य विविध प्रभारो का अनारोपण	18.15	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, मेरठ	5/2001 – 7/2002	पीक आवर उल्लंघन हेतु उपभोक्ताओं से अर्थदण्ड की वसूली न होना	26.40	उत्तर प्रतीक्षित।
	5/2000 – 4/2001	11 केवी टाउन पोषक से आपूर्ति प्राप्त कर रहे पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओ के विरुद्ध अल्प निर्धारण और मीटर खराब होना	14.59	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–II, रामपुर	10/2000 – 9/2001	विद्युत प्रभार एवं शंट कैपासिटर प्रभार का अल्प आरोपण	10.64	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, शामली	10/1997 – 9/1998	विद्युत शुल्क का अनारोपण	25.57	उत्तर प्रतीक्षित।
ईडीडी–I, सहारनपुर	1/2003 – 12/2003	बड़े विद्युत उपभोक्ताओ को अनियमित रूप से रिबेट प्रदान करने एवं राजस्व के अल्प निर्धारण से हानि	9.78	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)				
विद्युत पारेषण खण्ड, फैजाबाद	1/2000 – 10/2001	कार्य पूर्ण होने में विलम्ब से अर्थदण्ड की अल्प वसूली	1007.00	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	10/98-3/2000	मृत/सेवाच्युत कर्मचारियो के विरुद्ध अधिक बकाया वसूली	340.20	वसूली खराब है, प्रस्तर जारी रहेगा।
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड				
पिकप, लखनऊ	9/92-3/94	पिकप भवन के स्थान/क्षेत्र का उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विक्रय – बकाया देय	18.91	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
पिकप, लखनऊ	1/99-12/2000	भवन मूल्य/अनुरक्षण शुल्क एवं सम्पत्ति कर की वसूली न करना/कम करना	52.02	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	1/96-3/98	पटौदिया सिन्टेक्स लिमिटेड से देयों का वसूल नही किया जाना एवं ब्याज की परिणामी हानि	2.79	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, गोमती नगर, लखनऊ	01/01 से 10/01	मेसर्स सुबोध प्रसाद गुरूदयाल प्रसाद को अग्रिम के रूप मे दिये गये 268.02 लाख रुपये की संदिग्ध वसूली	268.02	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	04/92 से 03/94	उधार पर शीरा की बिक्री की राशि 70.76 लाख रुपये का अवरुद्ध होना एवं उस पर 85.94 लाख रुपये ब्याज की परिणामी हानि	70.76	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, शाहगंज	4/97 से 3/98	चीनी की कम प्राप्ति के कारण हानि	192.39	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, सिसवा बाजार, महाराजगंज	7/99 से 6/2000	पार्टियों से बगास के मूल्य 17.06 लाख रुपये की वसूली न करना	17.06	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ; वसूली अपेक्षित	13.31	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
	10/2001 से 6/2002	उधार पर बेचे गये बगास की राशि न वसूलना	12.00	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, जरबल रोड, बहराइज	7/92 से 6/93	ठेकेदार को दिये गये अनियमित अग्रिमों की संदिग्ध वसूली	11.66	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
अपट्रान इण्डिया लिमिटेड				
अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	1/95 – 12/95	अग्रिमो की वसूली न करने से हानि	9.29	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश वन निगम				
डीएलएम, इलाहाबाद	प्रारम्भ से 3/2000	इकाई अधिकारियों को दी गयी कार्य अग्रिम की वसूली/समायोजन न होना	3.44	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		डीएलएम, कवी से वसूली न होना	0.77	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखीमपुर खीरी (मध्य)	4/99 – 3/2004	6.95 लाख रुपये की वसूली न होना	6.95	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		खूँटा की आपूर्ति के विरुद्ध वसूली न होना	1.17	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
डीएलएम, लखीमपुर खीरी	4/98 – 3/99	काष्ठ के आबंटन के लिये दिये गये अग्रिम की वसूल न की गयी राशि	3.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ	10/96 – 11/97	उधार पर काष्ठ के विक्रय के विरुद्ध लेखा परीक्षा की तिथि तक 15–16 वर्षों की बकाया उधारी	91.47	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम (यूपीएसईडब्ल्यूसी)				
यूपीएसईडब्लयूसी, लखनऊ	4/98-3/00	डिपो/केन्टीन के कर्मचारियों के विरुद्ध वृहत बकाया	85.82	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
यूपीएसईडब्लयूसी, वाराणसी	3/97-4/98	वसूली योग्य वृहत बकाया राशि (अ) कैन्टीन के कर्मचारियों से (ब) स्टाफ से	134.55	––तदैव––
यूपीएसईडब्लयूसी, आगरा	प्रारम्भ से 9/98	स्टाफ के विरुद्ध बकाया वसूलियाँ	79.99	––तदैव––
यूपीएसईडब्लयूसी, इलाहाबाद	4/98-3/99	आपूर्तिकर्ताओं से बैंक कमीशन की वसूली न करना	0.12	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	नकदी का शंकित गबन	0.05	––तदैव––
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	4/98-3/99	देयों की वसूली न होना	37.10	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	01/01-12/01	(अ) विदेशी दौरे के लिए दैनिक भत्ते का अधिक भुगतान (ब) वसूल न किये गये अग्रिम	18.62	––तदैव––
––तदैव––	01/02-9/02	निगम के मुम्बई स्थित शोरूम से वसूली न होने योग्य राशि	42.86	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड				
	4/91-4/92	चर्म वस्तु उत्पादन सहकारी समिति के विरुद्ध वसूली न होना	7.30	प्रबन्धक ने झूठे पते तथा उसकी प्रमाणिक्ता के निर्धारण के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारण नही किया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कम्पनी का दूसरों के विरुद्ध वृहत बकाया देय	26.35	जैसा कि उत्तर में स्वीकार किया गया है कि वसूली नहीं हुई है, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	11/96-9/99	ग्राम पंचायत संस्था एवं पंचायत से ऋण की वसूली न होना	55.31	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लिमिटेड देवरिया	4/95-3/97	निगम की कार के किराया की वसूली न होना	3.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लिमिटेड देवरिया	4/97-3/99	जिला प्रशासन से कार के किराया की वसूली न होना	3.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लिमिटेड देवरिया	4/99-3/2000	भवन के किराये की वसूली न होना	2.38	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड				
बीसीयू, इलाहाबाद (01-02)	04/00 से 12/00	सिचांई विभाग से वसूली न किये जाने के कारण निधि का अवरुद्ध हो जाना	25.95	उत्तर प्रतीक्षित।
		सिचांई विभाग से वसूली न किये जाने के कारण निधि का अवरुद्ध हो जाना	42.87	उत्तर प्रतीक्षित।
		ग्राहक से प्राप्त निधि से अधिक का व्यय	28.16	उत्तर प्रतीक्षित।
		बिक्रीकर विभाग को गलत भुगतान जिसकी वसूली लम्बित है	3.33	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू इकाई–II, इलाहाबाद (93-94)	8/90 से 3/92	कार्य पूर्ण होने के बाद बकाया भुगतान का अवरुद्ध होना	45.82	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, बरेली (99-00)	4/98 से 3/99	निधि का अवरुद्ध होना एवं उस पर ब्याज का नुकसान; वसूली लम्बित	12.98	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, बरेली (97-98)	8/96 से 3/98	कार्य पूर्ण होने के पश्चात निधि का अवरुद्ध होना एवं उसकी वसूली न होना	136.63	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू V, आईटीओ, नई दिल्ली (96-97)	4/95 से 9/96	कार्य पूर्ण हाने के बाद भी लम्बित वसूली	2.98	उत्तर प्रतीक्षित।
		कार्य पूर्ण हाने के बाद भी लम्बित वसूली	14.92	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, इटावा (01-02)	1/98 से 12/00	जमा की गयी राशि से अधिक खर्च की, सिंचाई विभाग से वसूली न होना एवं इस पर ब्याज की हानि	34.40	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, हरिद्वार (01-02)	4/99 से 11/00	डोईवाला के सांग ब्रिज के निमार्ण में निधि का अवरुद्ध हो जाना	86.50	उत्तर प्रतीक्षित।
		कुम्भ मेला में अस्थायी पुल के गिराने से निधि का अवरुद्ध होना	25.17	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्रतिभूति राशि की वापसी न होना	6.23	उत्तर प्रतीक्षित।
		किये गये खर्च की वसूली न होने से अवरुद्ध धन	4.60	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, हरिद्वार (96-97)	4/95 से 3/96	सैन्य कार्य, ऋषिकेश से परिवर्तक की कीमत की वसूली न किया जाना	1.04	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू-IV, कानपुर (95-96)	4/94 से 10/95	तुर्रा नाला पुल के निर्माण पर अवसूलित अधिक खर्च	46.21	उत्तर प्रतीक्षित।
		अनुमोदित कीमत से अधिक खर्च की वसूली न होना	17.00	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, फैजाबाद (98-99)	4/93 से 3/98	अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पीडब्ल्यूडी, बहराइच से व्यापार कर की वसूली न किया जाना	6.80	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू–I, वाराणसी (00-01)	7/98 से 12/99	निक्षेप कार्यों पर अधिक खर्च की वसूली न किया जाना	39.47	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	12/94-09-96	छः गन्ना विकास समितियों को दिये गये अग्रिम ऋण पर ब्याज की हानि और अवरुद्ध धन	324.06	उत्तर में कहा गया कि 105.22 लाख रुपये (ब्याज सहित) समिति से वसूल कर लिये गये है।
	4/00-3/01	समितियों से ऋण, ब्याज और हैण्डलिंग प्रभार की वसूली न होना	926.98	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/01-06/03	ऋण की संदिग्ध वसूली तथा ब्याज की हानि	1175.34	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड				
	4/02-03/03	नकदी का दुर्विनियोजन	6.91	उत्तर मे कहा गया कि कोई कार्यवाही नही की गई है, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
अपलीज फाइन्शियल सर्विसेस लिमिटेड				
अपलीज फाइन्शियल सर्विसेस लिमिटेड	11/99-9/00	ब्लाक हायर पर्चेज के अन्तर्गत मै0 सत्यम ओटोमोबाइल्स से संदिग्ध वसूली	25.19	उत्तर प्रतीक्षित।
		मै0 श्रीराम एजेन्सी से संदिग्ध वसूली	13.79	उत्तर प्रतीक्षित।
	09/00-07/01	कम्पनी के अनाधिकृत अधिकारी द्वारा कर्जदार को अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने से ब्याज एवं ऋण का वसूली योग्य न होना	29.84	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद				
ईएमओ, मथुरा	प्रारम्भ से 03/99	28.92 लाख रुपये की वसूली न होना	28.92	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–37, गोरखपुर	87/88 से 92/93	प्राधिकरण से 92.04 लाख रुपये की वसूली न होना	92.04	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ इन्दिरानगर, लखनऊ	98/99 से 99/00	नकदी की वसूली न होना	307.96	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–5, मेरठ	1999/2000 से 2000/01	विभागीय प्राप्ति जमा नहीं की गयी।	3.46	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, हरदोई	92/93 से 99/00	आबंटी से बकाये की वसूली न किया जाना	108.00	उत्तर प्रतीक्षित।
सचिव, गुह एवं शहरी विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	1999/00 से 03/04	संगठित विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को दिये गये ऋण की वसूली न होना	5274.64	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, इलाहाबाद	1998/99 से 2002/03	किश्तों/मूल्यों की वसूली न होना	110.10	उत्तर प्रतीक्षित।
मुख्यालय, लखनऊ	2003/04	विकास प्रभार की वसूली न किये जाने से हानि	2449.00	उत्तर प्रतीक्षित।
मुख्यालय, लखनऊ	99/00 से 01/02	विकास प्रभार वसूल नहीं किये गये	1435.35	उत्तर प्रतीक्षित।
मुख्यालय, लखनऊ	87/88 से 92/93	बकाया अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी की वसूली नहीं की गयी और राजस्व की हानि	1463.51	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–33, बुलन्दशहर	01/02 से 03/04	आबंटियों से बकाये की वसूली नहीं की गयी	930.00	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–33, अलीगढ़	03/04	छुट्टियों के नकदीकरण की अनियमित अदायगी, वसूली नहीं गयी	18.54	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, कमलानगर	99/00 से 03/04	छुट्टियों के नकदीकरण की अनियमित अदायगी, वसूली नहीं गयी	207.00	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, कमलानगर	93/94 से 98/99	बकाये की वसूली नहीं की गयी	46.31	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, विकास नगर	98/99	सम्पत्ति की वसूली नहीं की गयी	219.67	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	85/86 से 86/87	सम्पत्ति के विक्रय मूल्य की वसूली नही की गयी	34.11	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––		पट्टे व जल प्रभार की वसूली नहीं की गयी	5.49	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	85/86	बेची गयी सम्पत्तियों के किश्तों की वसूली नहीं की गयी (बिक्रीत)	23.04	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, सीतापुर	97/98	आबंटियों से 30.35 लाख रुपये की वसूली न होना	30.35	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर				
यूपीएफसी मुख्यालय, कानपुर	4/99-3/2000	अप्रचलित तकनीक वाले परियोजना की ऋण अवमुक्ति से हानि	263.64	उत्तर प्रतीक्षित।
		बकाये की वसूली न होने से हानि	200.98	उत्तर प्रतीक्षित।
		ऋण की वसूली न होने से हानि	59.43	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएफसी मुख्यालय, कानपुर	4/2000-12/01	ऋण आवेदन प्रक्रिया में प्रबन्धन की विफलता	87.29	उत्तर प्रतीक्षित।
		निजी कम्पनी को कार्यशील पूँजी आवधिक ऋण की अवमुक्ति में अनुचित लाभ	22.68	उत्तर प्रतीक्षित।
		एक परिवार को कार्यशील पूँजी आवधिक ऋण की अवमुक्ति में अनुचित लाभ	556.88	उत्तर प्रतीक्षित।
		परियोजना के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के बकाये की वसूली न होना	144.24	उत्तर प्रतीक्षित।
		ऋण का अनियमित संवितरण	77.86	उत्तर प्रतीक्षित।
		गलत मूल्यांकन के कारण हानि व कार्यवाही का अपर्याप्त अुनसरण	68.87	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्रबन्धन की हानि के कारण बकाये की वसूली न होना	818.77	उत्तर प्रतीक्षित।
		गलत मूल्यांकन के कारण बकाये की वसूली न होना और सम्पार्श्विक प्रतिभूति की अनियमित स्वीकृति	43.42	उत्तर प्रतीक्षित।
		वसूली कार्यवाही में देरी के कारण	305.51	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		बकाये की वसूली न होना	103.40	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएफसी मुख्यालय, कानपुर	01/02-10/02	समपार्श्विक प्रतिभूति के फर्जी दस्तावेज पर ऋण संवितरण के कारण हानि	151.76	उत्तर प्रतीक्षित।
		कृष्णा कोल्ड रोल्ड सेक्सन इकाई के समता अंश में निवेश के कारण हानि	47.54	उत्तर प्रतीक्षित।
		अननुमन्य केन्द्रीय निवेश उपादान के विरुद्ध सेतु ऋण की वसूली न होने से हानि	21.11	उत्तर प्रतीक्षित।
		निदेशकों के पतों का सत्यापान न करने से बकाये की वसूली में प्रबन्धन की विफलता	365.63	उत्तर प्रतीक्षित।
		इकाई हानि हेतु समय से आरसी निर्गत करने और भौतिक कब्जा न लेने में प्रबन्धन की विफलता	105.60	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएफसी मुख्यालय, कानपुर	11/02-03/04	इकाई के भौतिक कब्जा लेने में देरी के कारण हानि	220.71	उत्तर प्रतीक्षित।
		अपर्याप्त प्रतिभूति के कारण हानि	183.32	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्रतिभूति के गलत मूल्यांकन के कारण हानि	177.27	उत्तर प्रतीक्षित।
		कारपोरेशन के कार्यवाही न करने से हानि	38.00	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर पद्रेश राज्य भण्डारण निगम				
		संग्रह हानि की वसूली न होना	213.00	2.13 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिये प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड				
मुख्यालय	4/90 से 3/92	पाँच वर्षों से अधिक, प्रतिनियुक्ति भत्तों का अनाधिकृत भुगतान	22.86	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई III लखनऊ	8/89 से 7/91	अपट्रान भवन, लखनऊ के लिये किये गये कार्य के विरुद्ध खर्च की वसूली न होना	73.59	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई VII लखनऊ	4/94 से 3/98	लहरपुर सीतापुर में शारदा नहर के लाइनिंग कार्य में ग्राहक द्वारा कटौती के कारण धन का अवरुद्ध होना	108.44	उत्तर प्रतीक्षित।
हास्पिटल कार्य, आजमगढ़	11/2000 से 8/2002	भूतपूर्व कर्मचारी से संदिग्ध वसूली	15.81	उत्तर प्रतीक्षित।
सुल्तानपुर	11/98 से 12/2000	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से निर्माण की कीमत की वसूली न होना	44.77	उत्तर प्रतीक्षित।
मेरठ	11/98 से 10/2002	कृषि विश्वविद्यालय के कार्य पर खर्च की, जो कि रोक दिया गया, शासन से वसूली नहीं की जा सकी	69.15	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई VI लखनऊ	4/98 से 3/99	सामग्री का दुर्विनियोजन/कमी	4.6	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई, लखनऊ	04/94 से 3/97	मंडी परिषद से दावों का निस्तारण (वसूली) न होना	252.5	उत्तर प्रतीक्षित।
		सीमेन्ट की कमी और सीमेन्ट का अधिक प्रयोग	96.84	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 4, इटावा	7/96 से 12/97	स्वीकृति लागत से अधिक खर्च – अवसूलित धनराशि	43.34	उत्तर प्रतीक्षित।
शाहजहाँनपुर	12/93 से 3/97	अनाधिकृत कटौती और ग्राहक द्वारा बढ़ी लागत के दावों को अवमुक्त न कराना	9.03	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 21, लखनऊ	4/98 से 9/2000	अवरुद्ध निधि और आईआईएम लखनऊ से अनिस्तारित दावों की वसूली न होने के कारण ब्याज की हानि	98.97	उत्तर प्रतीक्षित।
आजमगढ इकाई	10/98 से 9/2000	दोषपूर्ण कार्य के कारण अधिक खर्च और बीसवीं वाहिनी पीएसी, एनआर भवन, आजमगढ़ के निर्माण पर स्वीकृत रूपरेखा (ले आउट) से व्ययावर्तन और इसके कारण वसूली न होना।	22.68	उत्तर प्रतीक्षित।
		इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, चुनार को आबंटन पत्र न दिये जाने से सीमेन्ट की आपूर्ति न करना	1.74	उत्तर प्रतीक्षित।
हास्पिटल इकाई, वाराणसी	4/97 से 3/99	बहुमंजिली इमारत पीसीएफ प्लाजा के विरुद्ध धन की वसूली न होना	25.61	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 19, लोहिया हास्पिटल, लखनऊ	4/98 से 7/2000	कन्सलटेन्सी चार्जेस की अधिक अदायगी	5.28	उत्तर प्रतीक्षित।
		अधिक व्यय	8.23	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीआरएनएन, फैजाबाद	4/93 से 3/94	नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भवन निर्माण के सम्बन्ध में पूर्ण बिल को स्वीकार न करने के फलस्वरूप निधि की वसूली न होना	526.03	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	एआईआर की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
यूपीआरएनएन, मऊ	12/89 से 3/92	ग्राहक की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य कराने से नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली से कम वसूली	14.48	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड				
	1/84 से 3/85	आयात खण्ड एवं कोल खण्ड द्वारा पार्टियो को वृहद अदायगी, लेकिन समायोजन/वसूली नहीं की गयी।	124.33	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/95 से 12/95	निगम कर्मचारी से गृह निर्माण अग्रिम की वसूली न होना	11.38	उत्तर प्रतीक्षित।
		विपणन सहायतित योजना के अन्तर्गत आरसीसी पाइप के सेवा प्रभार की वसूली न होने से हानि	4.03	उत्तर प्रतीक्षित।
		देहरादून में चूना भट्ठी के निर्माण में सेवा प्रभार की वसूली न होना	1.20	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/98 से 6/99	यूपी एब्सकाट (प्राइवेट) लिमिटेड, फतेहपुर और यूपी प्लांट प्रोटेक्शन अपलायन्सेस, गाजीपुर से शेवर की लागत की वसूली न होना	17.86	उत्तर प्रतीक्षित।
		यूपी एब्सकाट (प्राइवेट) लिमिटेड और यूपी प्लांट प्रोटेक्शन अपलायन्सेस, फतेहपुर से ऋण की वसूली न होना	40.07	उत्तर प्रतीक्षित।
		वेह सेतु, लखनऊ से किराये प्रभार की वसूली न होना	12.50	उत्तर प्रतीक्षित।
		पीके मेटल इनटरनेशनल, मिर्जापुर से बकाये की वसूली न होना	20.37	उत्तर प्रतीक्षित।
	7/99 से 7/01	ठेकेदार (प्रणय सेल्स, कानपुर) से कमी की वसूली न होना	10.67	उत्तर प्रतीक्षित।
	8/01 से 10/02	हानि (कोआर्डिनेटर आरएम इनटरप्राइजेज, इलाहाबाद की ओर से निगम ने 45.06 लाख रुपये सेल को जमा किय (9/2001), जो तत्पश्चात कोआर्डिनेटर को 8 प्रतिशत ब्याज पर माना गया। वसूली के लिये न तो वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये न ही कोई वसूली की गयी) की वसूली न करने से हानि	51.76	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड				
	4/96 से 3/99	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए व पर्सनल मैनेजमेन्ट इत्यादि) के लिये ब्याज रहति ऋण के विरुद्ध वृहद अनिस्तारित बकायें	42.97	भुगतान की चूक होने पर, वसूली भू–राजस्व की तरह की जानी थी।
		आवधिक ऋण योजना के विरुद्ध वृहद संदिग्ध वसूली	1691.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		मार्जिन मनी लेवल के विरुद्ध वृहद संदिग्ध वसूली	670.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्टाफ के विरुद्ध वृहद अनिस्तारित अग्रिम	9.37	उत्तर प्रतीक्षित।
	10/2000 से 9/2001	निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं के विरुद्ध वृहद संदिग्ध वसूली	3327.11	निगम के मैनुअल में ऋण की वसूली हेतु सभी प्रावधान होने के पश्चात भी, उचित अनुवीक्षण के बिना त्रण की वसूली नही हो सकी।
	10/2001 से 10/2002	ब्याज रहित ऋण की संदिग्ध/कम वसूली	417.60	प्रबन्धन के उत्तर के अनुसार वसूली की सम्भावना बहुत कम है परन्तु अभी समाप्त नही हुई है।
		आवधिक ऋण, मार्जिन मनी लोन योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण की संदिग्ध वसूली, क्योंकि लाभार्थी विद्यमान नहीं थे, उनके नाम कोई सम्पत्ति नहीं थी, जमानतदाता की प्रस्थिति शपथ पत्र उपलब्ध नहीं था।	995.00	उत्तर प्रतीक्षित।
योग			**431.52**	

परिशिष्ट–22

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों से सम्बन्धित लेखा परीक्षण प्रेक्षणों पर उपचारात्मक कार्यवाही की कमी का संकेतक विवरण पत्र

(प्रस्तर 4.24 मे सन्दर्भित)

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड				
टीपीएस, हरदुआगंज	10/94-12/95	मेसर्स इलेक्ट्रिम सा. पोलैण्ड द्वारा आपूर्तित नये 15 मे. वा. में अन्तर्निहित दोषों के कारण निष्फल व्यय	464.53	प्रबन्धन द्वारा 50 मे.वा. टरबाइन रोटर में दोषों व क्षतियों के तथ्यों और कारणों का परीक्षण नहीं किया गया।
	7/2000- 5/01	दोषपूर्ण ब्यायलर ट्यूब्स की खरीद के कारण हानि	43.72	क्रेता की तरफ से गुणवत्ता निरीक्षण नहीं किया गया था।
	6/01 – 2/03	आईओसी से एलडीओ की खरीद पर व्यापार कर की परिहार्य अतिरिक्त अदायगी	128.22	प्रबन्धन ने ब्यापार कर की रियायती दर की सुविधा नहीं प्राप्त की।
		उत्तरदायित्व निर्धारण में देरी के कारण खराब निष्पादन के लिये वसूली न होना	71.00	
टीपीएस, पारीछा	4/92 – 7/93	कोयला प्रभार पर अधिभार की अदायगी	287.15	अधिभार अधिरोपण योग्य नहीं था लेकिन तदर्थ भुगतान के कारण अधिभार का भुगतान किया गया।
	8/93-9/94	स्विचयार्ड में 100 एमवीए परिवर्तक मल्टीफायर सिस्टम के स्थापन, परीक्षण एवं प्रारम्भ तथा फायर हाइड्रन्ट सिस्टम के विस्तार पर निष्फल व्यय	6.49	ठेकेदार द्वारा मल्टीफायर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया।
		यात्रा के दौरान कोयले की हानि	871.24	पाँच प्रतिशत की दर से हानि संगणित की गयी थी और भार मशीन के आधार पर वास्तविक मशीन हानि का संगणन करने के बजाय उपभोग किया हुआ दर्शाना
	7/98-9/99	ठेके को अंतिम रूप देने में देरी के कारण हानि	8.34	निविदा को अन्तिम रूप देने में देरी थी।
		डोजर संख्या–3 के मरम्मत एवं रखरखाव पर निष्फल व्यय	7.42	प्रबन्धन ने नये पुनरुद्धारित इंजन क्रय किये जो कार्य नहीं कर सके।
	11/2000-12/2001	2X110 मे.वा. के सी एण्ड आई संयंत्र के नवीनीकरण पर निष्फल व्यय	57.28	ट्रान्सडाटा सिस्टम से मैक्स–100 पर बदलने के कारण
	1/87-3/92	अनुपयोगी कस्चर कोयले के उपयोग में निष्फल व्यय	60.16	विद्युत गृह में उपयोग के लिये कस्चर कोयला ठीक नही था।
	1/02-12/02	उच्च दरो पर एफ ओ/एल डी ओ की खरीद	13.44	आदेश देने में कमी
		मैग्नेटिक पुली के न बदलने के कारण हानि	93.19	प्रस्तावित मैग्नेटिक पुली नही बदली गयी।
	01/03-12/03	रेल भाड़ा का अधिक भुगतान	313.68	रेलवे द्वारा भाड़े का अधिक दावा किया गया, प्रकरण खदानो को प्रतिवेदित नहीं किया गया।
टीपीएस, पनकी	04/94-03/95	श्रमिकों द्वारा भार उतारने एवं क्षति हेतु परिहार्य भुगतान	306.00 17.84	एक शंटर असंचालित रहा और विलम्ब फलित हुआ।
		केन्द्रीय व्यापार कर का अधिक भुगतान	2.55	कोयले पत्थर सहित थे और पत्थर पर व्यापार कर वसूली योग्य है।
	04/97-03/98	रेलवे को विलम्ब प्रभार की परिहार्य अदायगी	113.63	कोयले को उतारने में देरी।
टीपीएस 'ए', ओबरा	11/00-12/01	टरबाइन रोटर के मरम्मत व संस्थापन पर निष्फल व्यय	63.37	मरम्मत की हुई रोटर उपयोग की गई या नहीं, नही मालूम।
	01/02-12/02	सामग्री का दुर्विनियोजन	246.00	व्यवस्थगत कमी हुई है।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईडीडी, जगदीशपुर	4/98-5/99	चेक मीटर का असंस्थापन और परिषद को हानि	25.07	चेक मीटर स्थापित करके पुराने दोषपूर्ण मीटर की शुद्धता नहीं परीक्षित की गई।
	3/02-3/03	मेसर्स एसीसी लिमिटेड को अनुचित लाभ	11.70	निश्चित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना भार को बढ़ाना।
		मेसर्स एसीसी लिमिटेड को अननुमन्य लोड फैक्टर रिबेट करने के कारण हानि	3.08	सीजीएम के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता को लोड फैक्टर रिबेट अनुमन्य नही था जिसने अनुबन्धित से अधिक भार का उपभोग किया था।
ईडीडी–II, फैजाबाद	10/2000-8/01	उपभोक्ता को अनुचित लाभ (एच टी लाइन की लागत का प्रभारण न करना)	12.33	11 केवी और पीक आवर हेतु अधिभार के आरोपित न किये जाने से उपभोक्ता को लाभ प्रदान किया गया।
ईडीडी, बलरामपुर	7/98-6/99	दोषपूर्ण मीटर के प्रकरण में चेक मीटर के संस्थापन न करने से राजस्व की हानि	18.03	चेक मीटर संस्थापित करके बिलिंग को शुद्ध नही किया गया।
ईडब्ल्यूडी, फैजाबाद	1./93-9/94	स्टोर्स का संदेहास्पद दुर्विनियोजन	11.33	लाइन के ध्वस्तीकरण के पश्चात सम्पूर्ण सामग्री का लेखांकन नहीं किया गया था।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईडीडी, गोण्डा	8/01-6/02	कम्पनी के राजस्व का दुर्विनियोजन	3.42	वास्तविक वसूली के स्थान पर एक मुश्त वसूली की जमा
	7/02-6/03	आईटीआई, मनकापुर का पीक आवर वायलेशन के लिये निर्धारण न करना	158.14	पीक आवर वायलेशन के लिये आईटीआई, मनकापुर का निर्धारण नहीं किया गया।
ईडीडी, बाराबंकी	4/99-3/2000	डी एस एम लि0 से ऊर्जा की खरीद	184.93	परिषद से क्रय ऊर्जा का सही लेखाबद्ध नहीं किया जाना
		दोषपूर्ण मीटर के बदलने व चेक मीटर न लगाने के कारण हानि	5.42	दोषपूर्ण मीटर नही बदले गये थे।
	7/02-6/03	जमा योजना के अधीन प्राक्कलन स्वीकृत न किये जाने से हानि	10.72	आरएण्डएम कार्यों के प्राक्कलन अनियमित रूप से स्वीकत किये गये थे।
ईडीडी, पीलीभीत	12/97-10/98	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	6.27	चेक मीटर के अन्तमीकरण का आधार युक्तिसंगत नही था।
ईडीडी–I, शाहजहॉनपुर	1/97 – 11/97	रोकड़ का गबन	1.41	
	8/00-6/02	मशीन के उपभोग न किये जाने के कारण निष्फल व्यय	2.87	पॉच इलेक्ट्रानिक रोकड़ संग्रह मशीने अप्रयुक्त पड़ी रही।
ईडीडी–II, बदाँयू	4/94-3/95	उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	99.43	उपभोक्ता से स्वतंत्र पोषक की पूर्ण लागत की वसूली न करना
विद्युत भण्डार खण्ड, बरेली	1/01-11/02	सामग्री का अनियमित निर्गमन	36.79	प्राक्कलन की स्वीकृति के बिना दी गई सामग्री का विनियमितकरण न करना।
ईडीडी–II, हरदोई	4/00-3/01	राजस्व की अल्प वसूली	14.91	छापे के दौरान ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता का मीटर वास्तविक उपभोग का केवल एक तिहाई अभिलेखन कर रहा था।
ईडीडी, खुर्रमनगर, लखनऊ	6/99-5/00	अनादृत चेको को उपभोक्ता को डेबिट न किया जाना	5.78	अनादृत चेकों को ग्राहकों के खाते में डेबिट नही किया गया था।
	6/01-3/03	परिवर्तकों को उच्च दरों पर परिवहित करना	3.27	अनुमन्य दर, सर्किल दरों से अधिक थी।
ईयूडीडी, हुसैनगंज, लखनऊ	5/97-4/98	देयकों के जारी न किये जाने से विलम्ब भुगतान अधिभार की हानि	74.31	खण्ड के द्वारा मासिक बिलों को जारी नही किया गया था।
		उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान करने से हानि	49.34	बकाये की वसूली के बिना उपभोक्ता को पुनः संयोजन निर्गत किया गया।
विद्युत भण्डार मण्डल, लखनऊ	1/2000 – 3/01	रहतिया का दुर्विनियोजन और विविध अग्रिमों की वसूली न होना	26.63	
ईसीसीडी -I, लखनऊ	10/93 – 8/95	दाण्डिक किराये की वसूली न होना	10.65	
मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ	4/94-1/00	सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनः नियुक्ति पर अनियमित भुगतान	17.32	सरकार की बिना स्वीकृति के सेवानिवृत्त व्यक्यिों को नियुक्त किया गया था।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईयूडीडी–II, वाराणसी	4/98-3/99	पक्षपातपूर्ण निर्धारण द्वारा वाराणसी होटल को अनुचित लाभ प्रदान करना	2.11	बिना किसी कारण के बिलो का संशोधन किया गया था।
ईयूडीडी–III, वाराणसी	12/97-8/98	आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध बकाया अग्रिम	87.45	खण्ड के पास अभिलेख उपलब्ध नही थे।
ईडीडी–II, गाजीपुर	7/00-3/02	देयकों के अनियमित संशोधन से राजस्व की हानि	33.11	बिलों को अनियमित रूप से पुनरीक्षित किया गया था।
	4/02-03/03	जमनिया कोल्ड स्टोरेज को अनुचित लाभ प्रदान करना	25.02	उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत चेकों के अनादृत होने के बावजूद चेक द्वारा भुगतान सुविधा का वापस न लिया जाना।
		मेसर्स के एन स्टील को अनुचित लाभ	44.50	उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत चेकों के अनादृत होने के बावजूद चेक द्वारा भुगतान सुविधा का वापस न लिया जाना।
ईडीडी–I, मऊ	11/02-8/03	वितरण संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना (अनियमित मुक्ति)	31.27	बिना धनराशि जमा किये उपभोक्ता की अपील पर विचार किया गया।
ईडीडी–II, आजमगढ़	12/97-11/98	अविवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन से हानि	34.82	बैंक से उच्च ब्याज दर पर लिये गये ऋण को निष्फल कोष के रूप मे रखने से ब्याज की हानि।
ईडीडी–II, जौनपुर	5/03-7/04	बाध्यकारी मुक्ति से हानि	18.05	बिलो को निर्गमन करने में देरी।
ईडीडी, भदौही	1/98-12/98	रूटीन ग्रेड क्लर्क के कपटपूर्ण व्यवहारों के कारण राजस्व की हानि	31.57	आरजीसी द्वारा उपभोक्ता को अधिक क्रेडिट प्रदान किया गया
ईडीडी, फतेहपुर	4/93-3/94	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	61.08	अनियमित रूप से संयोजनो का जारी किया जाना।
	5/00-6/01	11 के वी (बिना मीटर) से सीधे ऊर्जा की आपूर्ति प्राप्त कर रहे एल एण्ड एफ उपभोक्ताओं का अल्प निर्धारण	250.21	11 केवी टाउन पोषण से सीधे (बिना मीटर) आपूर्ति प्रदान की गयी।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	7/01-6/02	प्रबन्धन की कमियों के कारण राजस्व की हानि	95.99	इकाई को अन्य पक्षकार को बेच दिया गया था। उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित न करने से बकाये मे वृद्धि।
ईडीडी, प्रतापगढ़	12/98-1/2000	गाँवो के पुनः विद्युतीकरण पर अतिरिक्त व्यय	22.45	गाँवों का पुनः विद्युतीकरण किया गया।
		कोष के प्रयोग न करने से ब्याज की हानि	4.88	ऋण की राशि को चालू खाते में निष्फल रखा गया।
	4/93-3/94	अन्य खण्डों को स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं द्वारा स्टॉक सामग्रियो को लेखांकन न किया जाना	31.08	अवर अभियन्ता अन्य खण्डों में स्थानान्तरित किये गये और स्टॉक के लेखांकन हेतु किये गये प्रयास सूचित नही किये गये।
ईएसडी, गोरखपुर	6/99-3/00	परिवहन पर अतिरिक्त व्यय	20.89	कम भार के कंडक्टर हेतु उच्च दर पर आदेश निर्गत करना।
ईडीडी–I, गोरखपुर	8/99-8/00	स्थाई विच्छेदन (पी.डी) हेतु मेसर्स कुन्दन स्टील वर्क्स, गोरखपुर को अनुचित लाभ से हानि।	10.26	पीडी का अनियमित रुप से अन्तिमीकरण किया जाना।
ईडीडी, महाराजगंज	1/02-1/03	उपभोक्ता के प्रति अनुचित पक्षपात से हानि	13.63	उपभोक्ता के विरुद्ध बकाये में से 13. 63 लाख रुपये का अनियमित समायोजन।
ईडीडी, क स्या	10/96-11/97	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	45.78	विद्यमान 33 केवी ट्रंक लाइन के अधीन अध्यक्ष ने 3000 केवीए भार की अनुमति प्रदन की।
	12/97-10/98	भारी ऊर्जा उपभोक्ता को अनुचित लाभ	156.04	विद्यमान 33 केवी लाइन से संयोजन जारी करना और कम भार पर देयक जारी करना।
ईयूसीडी, इलाहाबाद	4/94-6/98	ठेकेदार द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेले में प्रयुक्त सामग्री का वापस न किया जाना	5.05	अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार से कोई प्रतिभूति नही ली गई थी।
ईडीडी–II, गोरखपुर	8/01-7/02	मेसर्स नायक रोलर एण्ड फ्लोर मिल्स को अनुचित लाभ	10.32	पीडी का अन्तिमीकरण नही किया गया था।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईडीसी, हमीरपुर	5/1995 – 8/1998	बुन्देलखण्ड विकास निधि से प्राप्त कोष का अनाधिकृत व्ययावर्तन	21.41	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–IV, आगरा	9/2002 – 8/2003	निजी नलकूप उपभोक्ता से समबन्धित देयको का अनियमित पुनरीक्षण	2.51	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		स्टॉक सामग्री में अनियमितता	45.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		निक्षेप कार्यों के अधीन लाइन निर्माण पर किये गये व्यय की वसूली न होना	11.57	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स जेपी पैलेस, आगरा के देयों में अनियमित माफी के कारण हानि	12.31	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएसडी, कानपुर	5/2001 – 7/2002	आपूर्ति समय को शामिल न करने के कारण परिहार्य व्यय	20.19	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	8/2002 – 6/2003	गारण्टी के अधीन क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को वापस न करना	56.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूटीडी–IV, अलीगढ़	10/2001 – 9/2002	गारण्टी अवधि में इलेक्ट्रानिक मीटरों की क्षति से हानि	4.13	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–I, अलीगढ़	1/2003 – 12/2003	उपभोक्ता को गैर कानूनी लोड फैक्टर रिबेट	1.24	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–II, कानपुर देहात	7/1999 – 3/2001	अत्यधिक ऊर्जा की चोरी के प्रकरण में राजस्व का अल्प निर्धारण	153.45	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		ऊर्जा की चोरी के प्रकरण में राजस्व का अल्प निर्धारण	3.26	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, बाँदा	1/2003 – 12/2003	पूर्ण जमा के बजाय सामान्य योजना के अन्तर्गत पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं को संयोजन जारी करने में अनुचित पक्षपात के कारण व्यय की वसूली न होना	19.09	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		पूर्व के संयोजन पर भारी बकाये की वसूली के बिना अनियमित रूप से औद्योगिक संयोजन जारी करना	19.23	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, शिकोहाबाद	1/1999 – 9/1999	लापरवाही के कारण हानि	107.98	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स प्रसाद स्टील (प्रा0) लिमिटेड को अनुचित लाभ प्रदान करना	22.22	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स बीएम जैन कोल्ड स्टोरेज के निर्धारण की अनियमित माफी	5.33	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		ऊर्जा चोरी के विरुद्ध निर्धारण न किये जाने से हानि	15.21	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, एटा	4/2000 – 3/2001	ऊर्जा की संदेहास्पद चोरी	135.32	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, ललितपुर	2/2002 – 3/2003	छापा जाँच प्रतिवेदन के अनुपालन न किये जाने से राजस्व की हानि	9.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईएसडी (यूपीपीसीएल), आगरा	2/2002 – 4/2003	गारण्टी अवधि के दौरान परिवर्तक का क्षतिग्रस्त होना	267.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		श्री वी.सिंह शर्मा से पीसीसी पोल की लागत की वसूली न करना	4.11	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	5/03 – 04/04	गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए परिवर्तको को फर्म से वापस प्राप्त न करना	200.16	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		संयोजन के विच्छेदन में मेसर्स मनकामेश्वर स्टील प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित सहायता से हानि	14.99	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उपभोक्ता से प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि की अल्प वसूली	10.45	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–I, अलीगढ़	1/2003 – 12/2003	प्रतिबन्धित पीक आवर्स में उपभोग हेतु दण्ड के अतिरिक्त 15 प्रतिशत की दर से प्रभारण न करने से राजस्व की हानि	20.66	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स अलीगढ़ रोलर एवं फ्लोर मिल का अल्प निर्धारण	10.80	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		रेलवे ट्रैक्शन के विरुद्ध राजस्व की वसूली न होना	1189.33	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		न्यूनतम मासिक प्रभार की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि	17.62	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		एकल नलकूप हेतु संयोजन जारी न करने से हानि	1.48	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, बाँदा	1/2002 – 12/2002	अनुबन्ध में संशोधन न करने के कारण भुगतान न होना	7.15	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उपभोक्ता के विरुद्ध अल्प प्रभारण से हानि	22.42	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उपभोक्ता के विरुद्ध देयको का अल्प प्रभारण	7.12	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, मैनपुरी	4/2000 – 3/2001	टैरिफ के गलत उपयोग के कारण निगम को हानि	23.14	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		तृतीय पक्षकार से हानियों हेतु दावा न करना	61.58	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
ईडीडी–I, बुलन्दशहर	1/1999 – 12/1999	कुटीर ज्योति/जनता सेवा संयोजन के बिल न तैयार किये जाने से हानि	9.78	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, खुर्जा	1/2001 – 10/2001	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	64.01	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–II, गाजियाबाद	8/1999 – 3/2000	दाण्डिक राशि की अनियमित राशि	27.65	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–II, गाजियाबाद	8/1999 – 4/2000	पीक आवर प्रतिबन्धन हेतु जिंदल पाइप्स के विरुद्ध अनियमित माफी	9.88	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–II,	8/1998 – 7/1999	उपभोक्ताओं के विरुद्ध पीक आवर्स के उल्लंघन की दशा में देय पेनाल्टी की अनियमित माफी	21.94	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–I, गाजियाबाद	12/1993 – 12/1994	अग्रवाल आइस फैक्ट्री के विरुद्ध बकाये राशि की अनियमित माफी	2.26	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	6/1995 – 10/1996	गैर अनुमन्य समायोजन – गोयल गैस कम्पनी	1.83	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		ऊर्जा हानि का अल्प निर्धारण	584.67	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	2/1998 – 9/1999	33 केवी मोरती उद्योग कुँज लाइन के अधीन चिरंजीव बिहार कालोनी के विद्युतीकरण हेतु मेसर्स अंसल्स को अनुचित लाभ प्रदान दिया गया	55.28	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	7/2000 – 8/2001	पीक आवर प्रतिबन्धन पेनाल्टी की अनियमित कटौती	32.34	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अल्प भार की स्वीकृति के कारण प्रतिभूति राशि एवं सिस्टम लोडिंग प्रभारों का अल्प निर्धारण	36.84	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	6/2003 – 3/2004	अननुमन्य लोड फैक्टर रिबेट	11.91	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	9/2001 – 7/2002	मेसर्स राठी इस्पात लिमिटेड को 4 केवीए का अतिरिक्त भार विमुक्त करने के कारण अनुचित पक्षपात	126.12	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स स्वदेशी पॉलीटेक्स के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र के अधीन धनराशि की वसूली न होने से हानि	73.22	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, मोदीनगर	4/1993 – 3/1994	स्थाई विच्छेदन के सम्बन्ध मे विलम्ब भुगतान अधिभार का आरोपण न करना	154.54	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–II, नोयडा	2/2000 – 8/2000	एमसीडी का अल्प निर्धारण	4.83	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		एमसीडी का अल्प निर्धारण	1.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अनियमित समायोजन	0.75	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/1998 – 1/1999	अनिर्धारण, मीटर के साथ छेड़छाड़	2.63	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	प्रारम्भ से 3/1998	मेसर्स सुप्रीम लिमिटेड को विभाजित बिलिंग	73.41	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स सुप्रीम लिमिटेड पर विलम्ब भुगतान प्रभार का आरोपित न किया जाना	1995.34	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	7/2002 – 3/2003	नोएडा पावर कम्पनी से किये गये अनुबन्ध में इनेबलिंग क्लॉज समाहित न करने के कारण हानि	128.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	9/2001 – 6/2002	मेसर्स एवरेडी के विरुद्ध राजस्व का अनियमित समायोजन	14.82	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		सामग्री का अतिक्ति निर्गमन	6.01	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स सलोरा इन्टरनेशनल के विरुद्ध निर्धारण में अनुचित पक्षपात	26.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उपकेन्द्र की बढ़ी क्षमता के विरुद्ध सामग्री का अधिक निर्गमन एवं उपभोग	14.05	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	9/2000 – 8/2001	पीक आवर के उल्लंघन हेतु देय पेनाल्टी का अल्प निर्धारण	15.61	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अनियमित उच्च वोल्टेज रिबेट के संदेहास्पद प्रकरण	14.88	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीसी, मेरठ	6/1998 – 10/2000	आदेशो के अनुपालन न करने से हानि	5.59	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–III, गाजियाबाद	4/2002 – 2/2003	चेकों का क्रेडिट न किया जाना	5.13	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–III, गाजियाबाद	3/2003 – 2/2004	चोरी वाले प्रकरणों में राजस्व का अल्प निर्धारण	2.51	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएसडी–, गाजियाबाद	7/2002 – 6/2003	उच्च दरों पर केबल बक्सों का क्रय	3.80	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मीटर बक्सों का उच्च दरों पर क्रय	46.80	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–III, मेरठ		प्रबन्धन की खामियों के कारण लाइन सामग्रियों का दुर्विनियोजन		उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–I, शामली	10/1997 – 10/1998	भार मे अनियमित कटौती	2.45	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–II, रामपुर	10/2001 – 11/2002	कन्डक्टरों के दुर्विनियोग के कारण कन्डक्टर प्रतिस्थापन में निष्फल व्यय	2.67	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		भण्डार का दुर्विनियोजन	27.89	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	10/2000 – 9/2001	मेसर्स मन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट लिमिटेड रामपुर को अनुचित लाभ प्रदान करना	5.55	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स चड्ढा पेपर मिल्स लिमिटेड रामपुर के प्रति अनुचित पक्षपात	35.60	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–I, सहारनपुर	10/1998 – 2/2000	परिषद की लागत पर उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करना	5.18	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, बुलन्दशहर	1/1999 – 12/1999	पीक आवर उल्लंघन से निगम को हानि	21.29	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, बड़ौत, मेरठ	4/1995 – 12/1997	व्यर्थ पड़ी हुई 33 केवी लाइन से लाइन सामग्री की अल्प वसूली/हानि	34.14	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/2001 – 3/2002	सहउत्पादक से क्रय की गयी ऊर्जा के भुगतान में 21/2 वर्षों का विलम्ब	26.18	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/2002 – 4/2003	परिहार्य व्यय	11.92	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, गजरौला	5/1998 – 3/1999	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	11.62	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएसडब्ल्यूडी–IV, मेरठ	10/2002 – 12/2003	133/33 केवी उपकेन्द्र, जौला से 33/11 केवी उपकेन्द्र, शालपुर तक 33 केवी लाइन के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय	37.22	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		प्रयुक्त प्राक्कलनों के तैयार न किये जाने के कारण स्टाक सामग्री में अनियमितता	16.62	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सम्बनध में फर्मों के विरुद्ध बकाया अग्रिम	1407.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		गाजियाबाद के 33/11 केवी लाइन उपकेन्द्र एवं 33 केवी लाइन के निर्माण पर व्यायाधिक्य	67.20	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		रघुवन्तपुर (बुलन्दशहर) में कम क्षमता वाले 37.5/11 केवी उपकेन्द्र का निर्माण	32.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/2000 – 11/2001	133 केवी उपकेन्द्र ताजगढ़ से अमरोहा तक की अप्रयोज्य 33 केवी लाइन का ध्वस्तीकरण, सामग्रियो का अल्प लेखांकन	2.28	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, चन्दौसी	2/2000 – 9/2001	मेसर्स जगदीश सीमेन्ट एवं मेसर्स आकांक्षा स्टील स्वतंत्र पोषक उपभोक्ता तक 132/37.5 उपकेन्द्र सम्भल की लाइन प्रयुक्त करने से निगम को हानि	41.31	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईयूडीडी–II, मुरादाबाद	5/2002 – 2/2003	उपभोक्ताओं के बिलों का अनियमित संशोधन – अल्प निर्धारण	11.93	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–I, रामपुर	7/1995 – 11/1996	भार में अनियमित कटौती से उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.50	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूडीडी–II, नोयडा	6/2003 – 3/2004	विभाग की लापरवाही से राजस्व की संदेहास्पद हानि	36.29	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, नजीबाबाद	4/2002 – 3/2003	उच्च दर पर मीटर का क्रय किया जाना	1.62	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, बिजनौर	4/2002 – 3/2004	अननुमन्य लोड फैक्टर रिबेट प्रदान करने से उपभोक्ता को अनुचित लाभ	7.24	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–II, बुलन्दशहर	7/1994 – 8/1995	समय पर कार्यवाही न करने से हानि	366.58	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अनियमित रूप से संयोजन जारी करने में उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान करने के कारण परिषद को हानि	366.58	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–I, मेरठ	5/2000 – 4/2001	डेन्टल मेडिकल कालेज, मेरठ के विरुद्ध टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण वास्तविक विद्युत प्रभारों से अनियमित रूप से मुक्ति तथा अल्प निर्धारण	13.92	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	10/1997 – 10/1998	विद्युत प्रशुल्क की त्रुटिपूर्ण माफी से राजस्व की हानि	15.17	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		सुरक्षात्मक भार जारी करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	2.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–II, रामपुर	10/2000 – 9/2001	मेसर्स मीठा एण्ड लाल प्रोडक्ट लिमिटेड, रामपुर को अनुचित लाभ	5.55	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स चंदेला पेपर मिल्स, रामपुर को अनुचित लाभ	35.60	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	11/2001 – 11/2002	कन्डक्टर के गलत प्रयोग करने के कारण इसके प्रतिस्थापन पर निष्फल व्यय	2.67	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		भण्डार का दुर्विनियोजन	27.89	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	12/02 – 12/03	विच्छेदन में विलम्ब से हानि	12.85	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
महाप्रबन्धक, वितरण, मुरादाबाद	6/1999 – 4/2001	कैपेसिटर के क्षतिग्रस्त होने से हानि	73.08	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–I, शामली	10/1997 – 9/1998	भार हानि में अनियमित कटौती	2.45	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी, गजरौला	5/1998 – 3/1999	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	11.62	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएसडब्लयूडी, मेरठ	10/2002 – 12/2003	जौला से शाहपुर 33/11 केवी लाइन के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय	23.27	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		विश्व बैंक योजना का कार्य कर रही फर्मों के विरुद्ध विविध अग्रिमों का बकाया	1407.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		33/11 उपकेन्द्र, शालीमार पर लाइन निर्माण में व्ययाधिक्य	67.20	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडीडी–I, सहारनपुर	1/2002 – 12/2002	पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं पर अल्प निर्धारण	208.80	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		जान बूझकर, नियमो के उल्लंघन से हानि	12.35	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड				
ईटीडी, मुरादाबाद	4/91-3/92	लापरवाही से हानि	12.94	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	10/01-09/03	विविध अग्रिम की वसूली न होना	8.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	08/00-09/01	132/33 केवी गजरौला की क्षमता अभिवृद्धि से पुरानी सामग्रियो का वापस न किया जाना	1.52	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	04/89-03/90	नियंत्रण केबिल का अधिक निर्गमन	23.78	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
उपमहाप्रबन्धक 400 केवी उपकेन्द्र, डिजाइन सर्किल, लखनऊ	09/99-03/01	गारण्टी अवधि में क्रेन के असफल होने से हानि	8.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
मुख्य अभियन्ता, सिविल डीवीजन, लखनऊ	04/92-04/96	एलडीए से गोमती नगर में भूमि क्रय से कोष का अवरुद्ध रहना और ब्याज की हानि	126.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीडी, शाहजहॉनपुर	01/01-12/03	मूल्य भिन्नता का अनियमित भुगतान	22.12	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
महाप्रबन्धक, पारेषण (डिजाइन), लखनऊ	1/01-12/03	ड्यूटी/पर्यवेक्षण में लापरवाही से हानि	105.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीसी, मुरादाबाद	10/99-5/01	विविध अग्रिमो की वसूली न होना	8.07	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएसपीसी-II, लखनऊ	6/99-5/01	उच्च दर पर कन्डक्टर के क्रय पर परिहार्य व्यय	55.12	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उच्च दर पर ठेका प्रदान करने से हानि	96.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उच्च दर पर ठेका प्रदान करने से हानि	166.65	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		एक्सएलपीई केबिल के क्रय पर परिहार्य व्यय	16.29	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	8/02-7/03	लेसा के उच्चीकरण हेतु क्रय की गयी एक्सएलपीई के प्रयोग न करने के कारण कोष का अवरुद्ध रहना	420.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/93-3/94	एएएसी कन्डक्टर के क्रय पर परिहार्य अतिक्ति व्यय	122.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	6/01-7/02	एल्यूमिनियम/जेडएलपीई पीवीसी केबिल के क्रय पर कच्ची सामग्री के आधार मूल्य के गलत निर्धारण के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	12.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	12/97-5/99	एसीएसआर व्हीजल कन्डक्टर के क्रय में परिहार्य अतिरिक्त व्यय	38.18	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		विलम्बित भुगतान हेतु देय ब्याज के भुगतान का परिहार्य अतिरिक्त व्यय	7.59	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/91-3/92	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना मूल्य भिन्नता का भुगतान	24.75	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स प्रेम केबिल के विरुद्ध बकाये की वसूली न होना	8.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/89-3/91	उच्च दर पर भाड़ा एवं अग्रसारण तथा मार्गस्थ बीमा प्रभार के कारण अतिरिक्त भुगतान	1.10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		पुराने उच्च दर पर एल्युमिनियम कन्डक्टर केबिल का क्रय। दरों की उपयुक्तता पर विचान न करना	1.20	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		विशिष्टता के विरुद्ध एसीएसआर रैबिट कन्डक्टर का उच्च दर पर क्रय	15.98	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		विशिष्टिकरण नं0 वीबीके 217/1987 के विरुद्ध 11 केवी पीआईएलएल केबिल की उच्च दर पर आपूर्ति प्राप्त करना	2.01	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		फेंसिंग पोल के क्रय पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	3.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		निविदा विशिष्टिकरण संख्या वीबीके 234/89 के विरुद्ध अतिरिक्त व्यय का परिहार्य दायित्व	6.51	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		स्टील क्रान की आपूर्ति न होना – उस पर क्रय जोखिम	5.33	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
विद्युत उपकेन्द्र, डिजाइन सर्किल-II, लखनऊ	2/01-12/02	उच्च दर पर परिवर्तकों का क्रय	134.73	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		करेण्ट परिवर्तकों का उच्च दर पर क्रय	12.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीडी-I इलाहाबाद	1/2000-10/01	किये गये कार्य में असामान्य भिन्नता के कारण अतिरिक्त व्यय	1166.15	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स हुण्डई को संदेहास्पद अतिरिक्त भुगतान	5.50	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	7/98 – 1/2000	टावर पार्टस के उपभोग न किये जाने के कारण कोष का अवरुद्ध रहना	20.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अप्रचलित स्क्रैप सामग्री का निस्तारण न करना	46.57	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	12/96-6/98	स्थापन कार्यों पर विक्रय कर का अधिक व्यय	62.10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		132 केवी लालागंज उपकेन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय	53.48	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मूल्य भिन्नता हेतु संदेहास्पद अतिरिक्त भुगतान	49.98	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीडी, आगरा	1/98-12/98	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जैक स्टेप्स प्रदान न किया जाना	7.20	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
400 केवी उपकेन्द्र, डिजाइन सर्किल, लखनऊ	4/94-12/95	डिस्टर्बेन्स रिकार्डर्स का निष्फल क्रय	88.11	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		एनटीपीसी से डिस्टर्बेन्स रिकार्डर्स की लागत की वसूली न होना	11.68	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	3/98-8/99	विलम्ब शुल्क एवं स्थान शुल्क की हानि	24.77	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मार्गस्थ बीमा प्रीमियम का परिहार्य भुगतान	8.28	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अर्थदण्ड की माफी एवं अवरुद्ध धनराशि को अवमुक्त करना	89.91	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
400 केवी उपकेन्द्र, डिजाइन सर्किल -II, लखनऊ	4/89-3/91	नये परिवर्तक की मरम्मत पर परिहार्य व्यय	26.41	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		आइसोलेटर्स के क्रय पर अतिरिक्त व्यय	23.29	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		कंट्रोल केबिल के क्रय में अतिरिक्त व्यय	18.67	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		सर्किट ब्रेकर्स के क्रय पर अतिरिक्त व्यय	19.06	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
उपमहाप्रबन्धक उपकेन्द्र, डिजाइन सर्किल-I, लखनऊ	1/01 – 12/02	निविदा के निस्तारण में विलम्ब से हानि	56.98	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	11/99 – 12/2000	अर्थदण्ड के अनारोपण से हानि	35.14	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		315 एमवीए परिवर्तको के हटाने पर अधिक व्यय	31.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएसपीसी-III, यूपीपीसीएल, लखनऊ	5/01 – 8/02	410 एसपी 55 के 11 मीटर लम्बे स्टील ट्यूबलर पोल के क्रय पर हानि	129.27	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अधोमानक 8.5 मीटर पीसीसी पोल के क्रय पर हानि	43.74	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/93 – 3/94	85 आटो रिक्लोजर्स एसएफ–6 की दोषपूर्ण आपूर्ति	5.88	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	4/92 – 3/93	जीआई. तार (5 एमएम) एवं जीएसएस तार के क्रय पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	13.38	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		आपूर्तिकर्ताओं के प्रति अनुचित पक्षपात – अतिरिक्त व्यय	7.32	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	10/87 - 3/90	न्यूनतम निविदा की अवहेलना पर अतिरिक्त व्यय	25.69	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	3/99 – 4/01	8.5 मीटर पीसीसी पोल के क्रय हेतु उच्च दर पर करार–आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ	216.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		क्रय किये जाने वाले स्टील ट्यूबलर पोल की मात्रा में कटौती के कारण परिहार्य व्यय	14.75	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अल्पभार वाले स्टील ट्यूबलर पोल की आपूर्ति	65.26	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		11 केवी डिस्क इन्सुलेटर का उच्च दर पर क्रय	59.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	2/98 – 2/99	विशिष्टिकरण संख्या ईएसपीसी–II/I/96 के विरुद्ध एलटी पिल्फर रेसिस्टेन्ट मीटरिंग क्यूबिकल्स की आपूर्ति न होना	19.75	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		बैंक गारण्टी का नकदीकरण न किया जाना	14.39	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	1/96 – 3/97	11 केवी आटो रिक्लोजर्स के दोषपूर्ण क्रय के कारण निष्फल व्यय	58.81	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		11 केवी पिन इन्सुलेशन के क्रय न करने के कारण अतिरिक्त व्यय	20.64	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		बैंक गारण्टी के नकदीकरण न किये जाने के कारण हानि	45.20	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/94 – 12/95	बिना आवश्यकता भण्डार सामग्री के क्रय पर परिषद कोष का अवरुद्ध रहना	46.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
सीएमडी, यूपीपीसीएल, लखनऊ	7/02 – 6/03	ऊर्जा मंत्री को अननुमन्य सुविधाऐं प्रदान करने से हानि	--	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		एल्युमिनियम वाउन्ड परिवर्तक के मरम्मत हेतु अनियमित रूप से करार करना	142.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम रायबरेली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अनियमित रूप से संयोजन जारी करने के कारण हानि	15.47	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
एसई, ईटीसी, गाजियाबाद	6/98 – 9/00	पारेषण लाइन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय	7.14	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीडी, शाहजहाँनपुर	7/99 – 8/00	अतिरिक्त अग्रिम भुगतान के कारण आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	34.23	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीडी, मुजफ्फरनगर	10/95 – 8/97	बे–प्रभारों की वसूली न होना	34.78	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अतिरिक्त भूमि का क्रय एवं निष्फल विनियोग	23.61	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
सचिव, यूपीएसईबी, लखनऊ	4/97 – 6/99	गारण्टी हस्तांतरण हेतु शासन के अनुमोदन के अभाव में पीएफसी को गारण्टी शुल्क के भुगतान में अतिरिक्त ब्याज दायित्व के कारण हानि	167.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		400 केवी, श्रीनगर, ऋषिकेश और 400 केवी, श्रीनगर, मुरादाबाद पारेषण लाइन के निर्माण में कोष का अवरुद्ध रहना	247.78	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		कोष अवमुक्त करने में उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान करने से हानि	157.57	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
एसई, 400 केवी, टीडीसी, लखनऊ	01/96 – 12/97	मेसर्स एसएई इण्डिया लिमिटेड से उच्च दर पर अनुबन्ध के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	110.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान करना	230.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
उपमहाप्रबन्धक 400 केवी उपकेन्द्र, डिजाइन सर्किल, लखनऊ	4/01 – 12/02	उच्च दर पर निविदा निस्तारण के कारण हानि	94.43	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		लाइटिंग अरेस्टर्स का उच्च दरों पर क्रय	64.43	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उपकरणों का उच्च दरों पर क्रय	30.13	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/97 – 2/98	कार्य पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	264.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		कार्य मूल्य के गलत संगणन के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय	41.08	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
उपमहाप्रबन्धक 400 केवी उपकेन्द्र, ईसीडी, आगरा	7/00 – 7/02	गारण्टी अवधि के अधीन क्षतिग्रस्त सामग्री की मरम्मत न करने के कारण निष्फल व्यय	56.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/97 – 2/98	ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य पर परिषद द्वारा किये गय व्यय की वसूली न होना	18.33	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीईएलयू, वाराणसी	2/03 – 3/04	बक्षारण–लालगंज लाइन के निर्माण पर व्यर्थ व्यय	43.48	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीडी, बरेली	1/02 – 11/03	220 केवी एलईएलो लाइन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय	33.71	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		अनुरक्षण प्रभारों की वसूली न होना	21.86	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
सचिव, यूपीएसईबी, लखनऊ	1/96 – 6/97	यूपीएसईबी में महँगाई भत्ते का अधिक भुगतान	75.49	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	7/99 – 1/00	शासकीय औद्योगिक नीति एवं विकास छूट के कारण राजस्व की हानि	71621.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	4/95 – 12/95	भेल द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु आदेश के निरस्तीकरण से हानि	1042.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		शक्ति भवन मे परिषद की सामग्री में कमी से हानि	15.83	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/89 – 3/91	बन्द विद्युत गृह के अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रयोग न किये जाने से भारी वित्तीय हानि	315.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
400 केवी उपकेन्द्र, मुरादाबाद	11/01 – 12/03	एनटीपीसी से अनुरक्षण प्रभारों की वसूली न होना	48.44	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		वसूल न किये गये बीमा दावे के कारण हानि	40.41	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		ठेकेदारों के विरुद्ध अग्रिमों की वसूली न होना	38.44	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
मुख्य महाप्रबन्धक, वाणिज्य, यूपीपीसीएल, लखनऊ	4/00 – 7/01	अनियमित रूप से संयोजन के निर्गत करने से हानि	489.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उपभोक्ता के प्रति अनुचित पक्षपात के कारण हानि	1249.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		प्रिंटिंग हेतु पेपर साइज के गलत आंगणन से परिहार्य हानि	12.39	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईटीडी, बदाँयू	4/91 – 3/94	परिषद के भण्डार का गबन–परिषद को हानि	81.50	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		वैगन का लुप्त होना – परिषद के कोष का अवरुद्ध	62.40	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
सचिव, यूपीएसईबी, लखनऊ	10/87 – 3/98	एक वृत्त चित्र फिल्म पर निष्फल व्यय	3.22	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
सीएमडी, यूपीपीसीएल	4/01 – 6/02	बिना रॉक बाटम दरों के विश्लेषण के निविदा का निस्तारण करने और सिस्टम डिजायन हेतु साफ्टवेयर विकास से पूर्व हार्डवेयर एवं पेरिफेरल के क्रय हेतु किए गये अविवेकपूर्ण निर्णय से हानि	111.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		केसा के निजीकरण हेतु मेसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड से दोषपूर्ण अनुबन्ध करने एवं अनुचित नियोजन के कारण निष्फल व्यय	68.35	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स हुण्डई इन्जीनियरिंग साउथ कोरिया और मेसर्स एसएसआई इण्डिया लिमिटेड के देयकों से काटी गयी पेनाल्टी की राशि की वापसी का अनियमित निर्णय	603.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		प्रावधानित शर्त के विरुद्ध मेसर्स सोमानिया स्टील लिमिटेड के प्रति अनुचित पक्षपात से हानि	8040.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		वाहन पर अननुमन्य व्यय	59.73	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु विदेशी कम्पनियों के साथ किये गये अभिनिर्णय से सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन का प्रस्तुत न किया जाना	11.42	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		ऊर्जा चोरी के सम्बन्ध में अभिनिर्धारण न करना	88.03	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		श्री शेर बहादुर सिंह, अवर अभियन्ता के सेवा निवृत्त के सात साल बाद दिये गये विविध अग्रिम की बुकिंग के कारण वसूली का संदेहास्पद होना	8.83	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		संविधान मे स्पष्ट प्रावधान के बावजूद, 10 वर्षों के असाधारण विलम्ब के कारण श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, अवर अभियन्ता को वेतन भत्तों का परिहार्य भुगतान	10.01	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		नियामक आयोग की स्वीकृति प्राप्त किये बिना रेलवे को अतिरिक्त प्रतिभूति की छूट प्रदान करना	58.50	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		जॉच को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप टेलीफोन बिलों के अधिक भुगतान की संदेहास्पद वसूली।	23.68	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	7/02 – 6/03	सण्डीला (हरदोई) के एक उपभोक्ता द्वारा यूपीपीसीएल के कर्मचारियों की मिलीभगत से बिजली की चोरी।	--	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएमडी, शक्ति भवन, लखनऊ	6/99 – 1020/00	अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय का अनियमित समायोजन	19.17	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), यूपीपीसीएल, लखनऊ	2/2000 – 3/01	सह–उत्पादक से क्रय की गयी विद्युत के विक्रय पर हानि	405.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		शुल्क दर के त्रुटिपूर्ण प्रयोग से धन का कम प्रभारण	53.53	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		विशेष शुल्क के विलम्ब से संशोधन के कारण राजस्व की हानि।	689.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मेसर्स समधी स्टील (प्रा0) लिमिटेड को अनुचित लाभ प्रदान करना	22.45	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		माल की कमी के विरुद्ध वसूली न होना	10.13	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईएसपीसी-I, लखनऊ (भण्डार संग्रहक)	3/01 – 3/02	अधिक एल–2 दर पर 250 केवीए परिवर्तकों के क्रय हेतु अनुबन्ध प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय	94.35	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		मरम्मत किये गये परिवर्तकों में भार हानि में पॉच प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा की अग्राहय छूट	3031.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		ताम्बा युक्त परिवर्तकों की अलाभकारी मरम्मत–अतिरिक्त व्यय	16.75	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	4/02 – 3/03	10 एमवीए परिवर्तकों की खरीद में परिहार्य हानि	200.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		उच्च दर पर वितरण परिवर्तकों की खरीद	443.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक), लखनऊ	8/01 – 8/03	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स, इलाहाबाद द्वारा छूट की क्षतिपूर्ति नहीं करने के कारण हानि	66.07	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
आयात, निर्यात एवं भुगतान परिमण्डल, लखनऊ	प्रारम्भ से 3/01	मेसर्स एनटीपीसी द्वारा निर्गत बिजली के बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण जब्त छूट एवं विलम्ब भुगतान अधिभार का लगना।	1039.80	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		एनएचपीसी द्वारा विलम्ब भुगतान अधिभार का लगाया जाना।	14690.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
ईयूसीडी, मझौला	3/00 – 3/02	कार्य का विभाजन करके विभिन्न दरों पर अनुबन्ध प्रदान करना	8.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	7/86-3/88	लापरवाही एवं नियमों का अनुपालन न किए जाने के कारण गबन	64.35	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	4/93-3/94	रसूलाबाद विक्रय केन्द्र में गबन	1.94	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	1/97-12/97	किराया क्रय योजना एवं स्वरोजगार योजना आरएम कार्यालय, कानपुर के रोकड़ियों द्वारा धन का गबन	91.26 11.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	1/99-12/99	खोतार जिला शाहजहाँनपुर के केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान को किये जाने वाले भुगतान के साथ गेहुँ पर कब्जा, डी ई, इलाहाबाद के अन्तर्गत फतेहपुर सेवा केन्द्र पर हेरफेर से चोरी के कारण स्कन्ध की हानि	8.66 0.82	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	1/2000-12/2000	खराब धान के बीजों का विक्रय न किए जाने के कारण हानि	0.50	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	4/95-12/96	ग्रेन बिन्स के विक्रय में हानि	29.46	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	1/2000-12/2000	समाप्त कीटनाशक के बदलने के कारण हानि मृतक कर्मचारियों के विरूद्ध बकाया अवशेष	15.15 23.25	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशिलिटीज लिमिटेड				
	01/01-03/02	मेसर्स कपन फूड स्पेशलटीज लिमिटेड, लखनऊ में विनियोग से हानि 130 लाख रुपये के ऋण पर ब्याज की हानि	197.00 58.50	प्रस्तर जारी रहेगा। प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबबेल कारपोरेशन लिमिटेड, कानुपर, आगरा, वाराणसी एवं बस्ती	4/2000-3/01	संजय गॉधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की जल आपूर्ति हेतु कुओं (वैल) की स्थापना हेतु अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न करने के कारण धनराशि की कटौती के परिणामस्वरूप हानि।	4.75	उत्तर के परिपेक्ष्य में राशि को 4.75 लाख रुपये से पुनरीक्षित कर दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी)				
यूपीएसआईडीसी	4/92-3/94	फर्म को अनुचित लाभ देने के कारण अवरुद्ध धनराशि	301.83	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
यूपीएसआईडीसी, कानपुर	10/95-12/96	मेसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड को अनुचित लाभ प्रतिवेदन के भाग अ एवं भाग ब के जमा करने में असामान्य देरी के कारण निरर्थक व्यय (निवेश करने के औचित्य के सम्बन्ध में) तथा प्रतिवेदन के भाग स एवं द के न जमा करने के कारण भी (हाई–टैक प्लास्टिक प्रोसेसिंग काम्पलेक्स के प्रोडक्ट एवं दीर्घ कालीन योजना की पहचान के लिये) निरर्थक व्यय जिसके कारण योजना को छोड़ दिया गया भूखण्ड के आवंटन में अनुचित लाभ	6.43 2.53 1.92	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
यूपीएसआईडीसी, कानपुर	1/97-3/2000	अंशों की पुनर्खरीद में परिहार्य हानि	64.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
यूपीएसआईडीसी	4/2000-3/01	एक हस्तान्तरिती को अनुचित लाभ नियत नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन एवं वसूली कार्यवाही में असाधारण विलम्ब के कारण हानि डिस्इन्वेस्टमेन्ट कमेटी द्वारा निर्णय करते समय अंशों के बाजार मूल्य का संज्ञान न लेने के कारण मेसर्स श्री एसिड्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के अंशों का निस्तारण	57.65 46.40 20.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
यूपीएसआईडीसी	4/01-12/02	वाइज इण्डस्ट्रियल पार्क लिमिटेड के विरूद्ध बकायों की संदेहास्पद वसूली के कारण हानि	326.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, देवरिया	4/97-3/99	मेसर्स केन डेवलपमेन्ट सोसाइटी बढ़नी (सिद्धार्थनगर) से ऋण एवं ब्याज की संदेहास्पद वसूली।	29.18	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	4/99-3/2000	बकाया ऋणों व अग्रिमों की खराब वसूली	230.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	4/2000-3/01	बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की संदेहास्पद खराब वसूली फण्ड का अनाधिकृत/अनियमित उपभोग एवं उस पर ब्याज की हानि	194.59 28.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	01/01-12/01	आरबीआई द्वारा सिटी कोआपरेटिव बैंक पर किसी भी प्रकार के भुगतान के प्रतिबन्ध के कारण अवरुद्ध निधि	55.14	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप)				
	1/01-12/01	दीर्घाकालीन ऋणों का दुरुपयोग	162.64	वसूली बकाया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ऋण के संदिग्ध वितरण के कारण हानि	1888.10	विधिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अमृत कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ को अनियमित ऋण की स्वीकृति	86.55	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
	01/02-12/02	अयोग्य इकाई को ऋण स्वीकृत करने के कारण हानि	689.43	आरसी प्रक्रिया में है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		गलत मूल्यांकन एवं प्रबन्ध के प्रभार के कारण हानि	582.23	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अयोग्य इकाई को ऋण स्वीकृत करने के कारण बकायों की वसूली न होना	278.53	वसूली बकाया, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	1/96-3/98	यूपी स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन (होल्डिंग कम्पनी) को दिए गये ऋण में 'चूक वाक्य' का प्रावधान न होने के कारण परिहार्य हानि	13.22	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
बाराबंकी	4/93-12/94	बिजली प्रभारो का अधिक भुगतान	25.24	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
कानपुर	4/99-3/00	उपभोक्ताओं से कम उत्पाद शुल्क की वसूली के कारण हानि	24.50	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	4/95-3/96	निधि की अवरुद्धता वाराणसी सिल्क प्रोजेक्ट में बकाया अग्रिम एवं कमियाँ	1.80 1.26	इकाई चल न सकी क्योकि किसी भी बाजार का सर्वेक्षण नही किया गया, प्रस्तर जारी रहेगा। कमी के लिए कोई वसूली नही हुई है, प्रस्तर जारी रहेगा।
	4/97-9/98	अनुबन्ध के उल्लंघन के कारण हानि	596.00	कोई भुगतान अभी तक प्राप्त नही हुआ, प्रस्तर जारी रहेगा।
	10/98-3/2000	जयपुर के गोदाम के निर्माण पर निर्रथक व्यय सिल्क यार्न की खरीद एवं विक्रय से हानि जाँच न की गई हानियाँ मानक से नीचे आपूर्ति स्वीकार करने से हानि	47.26 34.43 13.17 8.66	जसपुर में बने भण्डारगृह के प्रयोग के सन्दर्भ में निगम ने कोई उत्तर नही दिया, प्रस्तर जारी रहेगा। उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है, प्रस्तर जारी रहेगा। जैसा कि हानि अच्छी नही थी, प्रस्तर जारी रहेगा। व्सूली नही हुई, प्रस्तर जारी रहेगा।
	4/2000-3/01	एलआईसी में वार्षिक प्रीमियम जमा करने मे चूक के कारण वीआरएस के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी भुगतान के परिणामस्वरूप हानि स्कंध में कमी की वसूली न होने के कारण हानि कार्यशील पूँजी ऋण का दुरुपयोग	114.50 101.00 450.00	प्रस्तर जारी रहेगा।. कितनी राशि वसूल की गई, सूचित नही किया गया, प्रस्तर जारी रहेगा। प्रस्तर जारी रहेगा।
	01/02-12/02	प्रोजेक्ट पैकिंग स्कीम की विफलता के कारण निरर्थक व्यय यूपी सहकारी उपभोक्ता संघ के विरुद्ध संदेहास्पद बकाया सेवानिवृत्त, मृतक एवं सेवाच्युत कर्मचारियों के विरुद्ध अवसूली योग्य बकाया	222.65 166.79 638.00	प्रोजेक्ट का पूर्ण न होना स्वीकार किया गया है, प्रस्तर जारी रहेगा। देयताये स्पष्ट नही हैं, प्रस्तर जारी रहेगा। वसूली बहुत कम है, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड				
––तदैव––	7/02-6/03	यूपी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल एसोसिएशन, बहादुरगंज इकाई के किराये का अनिवार्य भुगतान	9.00	राशि को 9.00 लाख रुपये से पुनरीक्षित कर दिया गया है, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, गोमती नगर, लखनऊ	10/2002 से 10/2003	कोआपरेटिव बैंको से साख बीमा प्राप्त करने के कारण हानि	1364.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		अल्मोड़ा इकाई में चीनी के असुरक्षित भण्डारण के कारण हानि	83.98	––तदैव––
		पिपराइच मे चीनी के क्षतिग्रस्त होने के कारण हानि	48.29	––तदैव––
	11/2001 से 09/2002	किराये पर चीनी के असुरक्षित भण्डारण के कारण हानि	330.00	––तदैव––
		कापस फीड वाटर रेगुलेटर के क्रय पर परिहार्य व्यय	16.67	––तदैव––
	01/2001 से 10/2001	संदेहास्पद वसूली	148.58	––तदैव––
	02/95 से 03/99	खराब योजना के कारण लागत में वृद्धि	2909.81	––तदैव––
		फ्लाई ऐश एरेस्टर की स्थापना पर अलाभकारी व्यय	19.40	––तदैव––
		जूट के बोरों के परिवहनकर्ताओं को अनुचित लाभ	12.91	––तदैव––
	04/99 से 12/2000	एफसीआई मे निधि की अवरुद्धता	149.51	––तदैव––
	04/94 से 03/95	शासकीय राजस्व की हानि	13.25	––तदैव––
		शीरा के विक्रय मे हानि	2.02	––तदैव––
	04/92 से 03/94	कैश क्रेडिट स्कीम के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	419.41	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, शाहगंज	4/92 से 3/93	बिजली प्रभार का अधिक भुगतान	0.48	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		गोदाम किराए का बकाया	33.09	––तदैव––
		क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत न करना	0.29	––तदैव––
	4/98 से 03/2001	चीनी के अत्याधिक समापन के कारण हानि	74.87	––तदैव––
		चीनी की कम रिकवरी के कारण कम्पनी को हानि	87.25	––तदैव––
	4/2001 से 3/2002	गड्ढो में से कम शीरा रिकवरी के कारण हानि	20.26	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड (रोहनकलाँ), मुजफ्फरनगर	4/97 से 3/98	फ्री सेल शूगर के अवमुक्त आदेशो के कालातीत होने के कारण हानि	19.23	––तदैव––
	4/98 से 3/99	चीनी के खराब रिकवरी के कारण हानि	96.12	––तदैव––
		गीली चीनी के पुनर्उत्पादन के कारण हानि	10.50	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, खड्डा	4/93 से 3/97	परिहार्य हानि	2.84	––तदैव––
	4/97 से 3/98	जाली बैंक गारण्टी के विरुद्ध अग्रिम का भुगतान	1.86	––तदैव––
	4/2001 से 3/2002	स्कंध मे कमी की जाँच न होना	12.53	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, देवरिया	4/95 से 3/97	अलिखित उत्पादन हानि	7.45	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	4/97 से 3/98	ईंधन के रूप में खोई के अधिक उपभोग के कारण हानि	42.25	––तदैव––
	4/99 से 3/2000	ईंधन मे खोई के अधिक उपयोग के कारण हानि	11.35	––तदैव––
		दण्ड प्रभार नहीं लगाने के कारण हानि	4.03	––तदैव––
		प्रक्रियात्मक कमियों के कारण उप–उत्पाद के रूप में चीनी की अधिक हानि	49.71	––तदैव––
		ब्राउन शूगर के स्कंध में हानि	29.18	––तदैव––
		चीनी की खराब रिकवरी के कारण हानि	184.70	––तदैव––
	4/2000 से 3/2001	चीनी के निस्तारण मे असामान्य विलम्ब के कारण निधि की अवरुद्धता	247.21	––तदैव––
		गीली चीनी के पुनर्उत्पादन के कारण हानि	3.99	––तदैव––

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		ब्राउन शूगर के स्कंध मे हानि	58.36	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, बिजनौर	4/99 से 3/2000	विक्रीत शीरे की वसूली न होने के कारण हानि	19.07	––तदैव––
	4/2002 से 02/2003	निगम (मुख्यालय) के अविवेकपूर्ण एवं विलम्ब से लिये गये निर्णय से हानि	21.12	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड पिपराइच (गोरखपुर)	4/99 से 3/2000	आधिक्य भण्डार का का इस्तेमान न करने के परिणामस्वरूप कोष का अवरुद्ध रहना	4.58	––तदैव––
	4/2000 से 3/2001	विद्युत प्रभार का अधिक भुगतान	4.78	––तदैव––
	4/2001 से 3/2002	दण्ड प्रभार भारित न करने के कारण हानि	2.90	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, सिसवा बाजार, महाराजगंज	11/98 से 6/99	संघ द्वारा गन्ना आपूर्ति न करने से चीनी उत्पादन की हानि एवं ऐसे संघो पर दण्ड प्रभार न लगाना	428.76	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	7/2000 से 9/2001	चीनी के अधिक खराब होने के कारण हानि	69.28	––तदैव––
		चीनी के उचित भण्डारण के कारण हानि	11.69	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, बेतालपुर	4/99 से 3/2000	अन्तर लेवी मूल्य की अस्वीकार्य कटौती के कारण हानि	8.65	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, भटनी	4/97 से 3/99	शीरा की हानि	45.89	––तदैव––
	4/99 से 3/2000	परिवहन पर अतिरिक्त व्यय	21.08	––तदैव––
		गन्ना आपूर्ति में चूक के विरुद्ध दण्ड प्रभार न लगाना	2.06	––तदैव––
	4/2001 से 3/2002	शीरा के स्वतः दहन से परिहार्य हानि	17.67	––तदैव––
		चीनी के विक्रय में हानि	42.64	––तदैव––
		बीआईएसएस चीनी मद में हानि	26.29	––तदैव––
		चीनी भण्डार में हानि	5.57	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, चाँदपुर, बिजनौर	10/2001 से 01/2003	फर्मों को अनुचित भुगतान	6.59	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, मोइदीनपुर (मेरठ)	4/2000 से 3/2001	रिशी इण्टरप्राइसेस को अनुचित अधिक भुगतान	8.86	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, जरवरलरोड, बहराइच	7/93 से 8/94	ब्याज का परिहार्य भुगतान	0.82	––तदैव––
	9/94 से 3/95	30 एमटी क्षमता की स्वचालित इलेक्ट्रानिक धर्मकाँटा के क्रय एवं स्थापना मे निष्फल व्यय	7.86	––तदैव––
श्रीटान इण्डिया लिमिटेड				
	4/2001 – 11/2003	विदेशी सहयोग से सिंगल फेज तकनीक पर निष्फल व्यय	124.00	श्रीट्रान इण्डिया अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड की उत्तराधिकारी है, विषय को व्यापार का अधिग्रहण करने के समय लिया जाना चाहिये था, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
		अधोमानक थ्री फेज एसएमपीएस पावर प्लांट के परिणामस्वरूप कोष का अवरुद्ध होना	86.93	उत्तर के परिपेक्ष्य में राशि को 86.93 लाख रुपये से पुनरीक्षित कर दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अप्रचलित भण्डार	53.55	उत्तर में जैसा दर्शाया गया कि 53.55 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अभी भी भण्डार में पड़ी है, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड				
यूपी अपट्रान पापरट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद, गाजियाबाद	10/96 – 03/98	एमसीआर सामग्रियों के विक्रय न होने से कोष का अवरुद्ध होना	16.93	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
	04/2001 – 11/2002	तकनीकि के उच्चीकरण पर अनियमित एवं निष्फल व्यय	140.00	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
		आपूर्ति आदेश के निष्पादन में विलम्ब से हानि	14.87	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
		खराब निष्पादन के कारण हानि एवं कोषों का अवरुद्ध रहना	211.54	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
अपट्रान इण्डिया लिमिटेड				
अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ	04/91 – 03/92	कोषों का अवरुद्ध रहना	102.47	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	04/92 – 03/93	कोषों का अवरुद्ध रहना एवं उस पर ब्याज की हानि	84.75	––तदैव––
		कोषों का अवरुद्ध रहना एवं उस पर ब्याज की हानि	6.53	––तदैव––
		विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय	9.25	––तदैव––
		व्ययाधिक्य – सिमी कन्डक्टर्स लिमिटेड	2.08	––तदैव––
		कमीशन में वृद्धि से अतिरिक्त व्यय	11.26	––तदैव––
		उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब से वसूली न होना	1.99	––तदैव––
		कच्ची सामग्री का लेखांकन न किया जाना	2.84	––तदैव––
		बीमा हानि का अल्प निस्तारण	1.96	––तदैव––
		एक्साइज ड्यूटी के भुगतान न करने के कारण अर्थदण्ड के रूप में परिहार्य व्यय	1.10	––तदैव––
	4/95 – 12/95	प्रबन्धन द्वारा देयों को अपलिखित करने से हानि	103.52	––तदैव––
		रेलवे को सेल्फ टिकट प्रिंटिंग मशीन एवं टिकट स्टेशनरी के विक्रय में हानि	6.20	––तदैव––
		बोकारो स्टील प्लांट (बीएसपी) से अनुबन्ध क्रियान्वयन में हानि	36.79	––तदैव––
		अनुसंधान एवं विकास प्रतिवेदन के अनुचित कार्यान्वयन से हानि	113.54	––तदैव––
		केबिल की हानि	1.00	––तदैव––
उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	1/99 से 3/2000	पुलिस एवं प्रासिक्यूशन विभाग हेतु उच्च दरों पर कम्प्यूटरों का अनियमित क्रय	37.15	उत्तर में कहा कि निविदा की प्रगति में कमी थी, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
		खुली निविदा आमंत्रित किये बिना अनियमित करार से अतिरिक्त व्यय हुआ	17.54	उत्तर में कार्य को निविदा के बजाय ठेके को प्रचलित मूल्य में दिये जाने का कोई कारण नही दिया है, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
	4/2000 – 3/2001	जल परीक्षण शुल्क की शेष राशि का यूपी जल निगम द्वारा भुगतान न करना	13.35	उत्तर में कहा कि अभी तक 13.35 लाख रुपये की वसूली नही की जा सकी है, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश वन निगम				
डीएलएम, नजीबाबाद (बिजनौर)	04/97 – 03/98	अधिकार शुल्क के अधिक जमा करने से कोष का अवरुद्ध रहना	39.64	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		विक्रय कर के विरुद्ध बकाया धनराशि	7.09	––तदैव––
		खैर टिम्बर में हानि	14.37	––तदैव––
डीएसएम, पीलीभीत	04/98 – 03/99	टिम्बर के विक्रय पर हानि	197.85	––तदैव––
		कमियों की वसूली न होना	16.84	––तदैव––
		टिम्बर के निकासी विक्रय पर हानि	11.20	––तदैव––
		अनिस्तारित टिम्बर के कारण कोष का अवरुद्ध रहना	159.63	––तदैव––
		कोष का अवरुद्ध होना तथा ब्याज की हानि	3.43	––तदैव––
		बैंक को क्रेडिट न देने के कारण ब्याज की हानि	0.69	––तदैव––
डीएसएम, गोण्डा	10/96 – 12/99	टिम्बर स्कंध में कमी	8.48	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		मूल्यवान टिम्बर का अननुमन्य प्रयोग	7.88	––तदैव––
		कार्यभार हस्तांतरण के कारण टिम्बर में कमी	3.06	––तदैव––
डीएलएम, पीलीभीत	10/96 – 10/99	अधिकार शुल्क का परिहार्य भुगतान	108.00	––तदैव––
		छापन प्रभारों का गैर अनुमन्य भुगतान	22.44	––तदैव––
	11/99 – 12/2002	छापन प्रभारों का अननुमन्य भुगतान	20.44	––तदैव––
		परिहार्य व्यय	4.72	––तदैव––
क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर	01/2003 – 12/2003	श्री पी.पी. शुक्ला सहायक लेखाकार एवं जे.पी. पटेल एजी–III द्वारा निगम की धनराशि के गबन के कारण हानि	34.99	––तदैव––
क्षेत्रीय प्रबन्धक (दक्षिण), इलाहाबाद	04/97 – 03/98	अधिकार शुल्क के अननुमन्य भुगतान से हानि	49.60	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		अनवर्डिकल बम्बू लाट्स पर अधिकार शुल्क के भुगतान से हानि	16.77	––तदैव––
		अनवर्डिकल बम्बू लाट्स पर अधिकार शुल्क के भुगतान से हानि	9.22	––तदैव––
		अग्नि दुर्घटना से हानि	52.37	––तदैव––
		स्कंध सामग्रियों में कमी से हानि	23.94	––तदैव––
		अनवर्डिकल बघई घास पर अधिकार शुल्क के भुगतान से हानि	2.24	––तदैव––

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		वन विकास योजना पर अनियमित व्यय	31.56	––तदैव––
		वसूली/समायोजन न होने से धनराशि का अवरुद्ध रहना	34.41	––तदैव––
		कोषों का अवरुद्ध रहना	12.42	––तदैव––
	4/98 – 3/99	अवरुद्ध कोष के कारण ब्याज की हानि	2.74	––तदैव––
		व्यापार कर के सम्बन्ध में परिहार्य दायित्व	1.17	––तदैव––
	4/99 – 12/03	जन नीलामी के माध्यम से 'ए' ग्रेड तेंदू पत्तों के विक्रय से हानि	206.00	––तदैव––
		वर्षा प्रभावित तेंदू पत्तियों के उत्पादन से हानि	259.50	––तदैव––
		अनावश्यक गोदाम हेतु भुगतान से हानि	39.39	––तदैव––
		ऋण कोषों का अनियमित व्ययावर्तन	--	––तदैव––
डीएसएम, लखीमपुर खीरी	4/97 – 3/98	टिम्बर के पुराने भण्डारों का निस्तारण न करने से कोषों का अवरुद्ध रहना	24.68	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
	4/98 – 3/99	टिम्बर के विक्रय पर हानि	61.71	––तदैव––
		कोष का अवरुद्ध रहना	39.00	––तदैव––
		बैक द्वारा अल्प क्रेडिट/गलत डेबिट दिया जाना	1.25	––तदैव––
		प्रकाष्ठ की निकासी बिक्री पर हानि	2.70	––तदैव––
डीएलएम, गोण्डा	10/96 – 12/99	लागिंग स्थल से प्रकाष्ठ के ढुलाई में विलम्ब से बिक्री मूल्य की कम प्राप्ति	10.28	––तदैव––
		वानिकी परियोजना को स्वीकृत हुए बिना कार्य कराए जाने पर अनाधिकृत व्यय	10.16	––तदैव––
		वन विभाग द्वारा वृक्षो के छपान एवं स्टैम्पिंग पर अस्वीकार्य व्यय	17.49	––तदैव––
		प्रकाष्ठ उत्पादन में कमी	4.60	––तदैव––
		निवर्तमान उप वन रेंजर श्री बालक राम श्रीवास्तव द्वारा नकदी का गबन	1.03	––तदैव––
	01/2000 – 03/2002	वन विभाग द्वारा वृक्षों के छपान एवं स्टैम्पिंग पर अस्वीकार्य व्यय	18.74	––तदैव––
		सामग्री हानि/विवादित सामग्री	2.31	––तदैव––
डीएसएम, बहराइच	10/96 – 12/99	प्रकाष्ठ की डिस्ट्रेस/क्लियरेन्स बिक्री से आधार मूल्य की हानि	26.40	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		वेतन एवं मजदूरी का अस्वीकार्य भुगतान	0.99	––तदैव––
		आधार मूल्य से कम मूल्य पर प्रकाष्ठ के निस्तारण से हानि	5.57	––तदैव––
डीएलएम, दुग्धी (सोनभ्रद)	4/2001 – 12/2002	उत्पादन मूल्य से कम दर पर तेंदूँ पत्ते की बिक्री से हानि	217.00	––तदैव––
		वर्षा प्रभावित तेंदूँ पत्तों के उत्पादन के कारण हानि	72.29	––तदैव––
		सरकारी नकदी का दुर्विनियोजन/चोरी	1.00	––तदैव––
डीएलएम, बहराइच	10/96 – 12/99	रायल्टी मूल्य से कम पर प्रकाष्ठ की बिक्री से हानि	78.78	––तदैव––
		गिराए गए वृक्षों के परिवहन में देरी के कारण हानि हुई	4.83	––तदैव––
		प्रकाष्ठ चोरी से हानि	2.38	––तदैव––
	01/2000 – 3/2001	प्रकाष्ठ सामग्री की हानि	2.23	––तदैव––
डीएलएम, इटावा	4/98 – 3/2000	कार्य अग्रिमों की न वसूल की गई राशि	1.52	––तदैव––
		प्रकाष्ठ के अनिस्तारण से निधि का अवरुद्ध होना एवं ब्याज की हानि	2.41	––तदैव––
डीएलएम, वाराणसी	4/98 – 3/99	सामग्री की कमी से हानि	43.97	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		अर्द्धनिर्मित उत्पादों का सत्यापन न होने के कारण हानि	17.47	––तदैव––
		प्रकाष्ठ लाट की बिक्री के कारण हानि	3.73	––तदैव––
		वितरकों के विरुद्ध कार्य अग्रिमों के रूप पड़ी राशि का असमायोजन	39.69	––तदैव––
		सामग्री की कमी से हानि	23.77	––तदैव––
		बिक्री की निरन्तर कमी से हानि	14.06	––तदैव––
	4/99 – 3/2002	शीशम प्रकाष्ठ के आयतन के त्रुटिपूर्ण आकंलन से हानि	7.92	––तदैव––
		शीशम प्रकाष्ठ की बिक्री पर हानि	15.46	––तदैव––
		गोदाम में तेंदूँ पत्ते की कम प्राप्ति से हानि	10.19	––तदैव––
डीएलएम, रेनूकूट	4/97 – 3/99	स्टाक से वन सामग्री की कमी की वसूली न किये जाने के कारण हानि	5.57	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		वन विभाग द्वारा दण्ड का लगाया जाना	10.57	––तदैव––
		ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अदेय राशि	7.28	––तदैव––

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		जमा किये गये चेकों का जमा न होना	3.46	––तदैव––
		1.92 लाख रुपये का अपलेखन न किया जाना/ न वसूल किया जाना	1.92	––तदैव––
		डीएफओ, ओबरा और पीडब्ल्यूडी, राबर्टसगंज के विरुद्ध अदेय राशि	4.46	––तदैव––
		सामग्री की कमी के कारण भंडार की हानि	10.76	––तदैव––
		बैंक खाते के धन को बिलम्ब से स्थानान्तरित किये जाने के कारण ब्याज की हानि	2.06	––तदैव––
	1/2000 – 6/2002	प्रकाष्ठ भण्डार की हानि	30.31	––तदैव––
		तेंदूँ पत्ते की बिक्री निरस्त किए जाने से हानि	6.45	––तदैव––
		अधिक रायल्टी का भुगतान	3.94	––तदैव––
		वर्षा प्रभावित तेंदूँ पत्ता की बिक्री से हानि	28.29	––तदैव––
डीएलएम, मिर्जापुर	प्रारम्भ से 12/99	धन के हस्तांतरण में असधारण विलम्ब–ब्याज की हानि	13.91	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		तेंदूँ पत्ता के गोदामों में ले जाने में देरी	6.29	––तदैव––
		बाँसों की बिक्री से हानि	4.36	––तदैव––
		दोषी अधिकारियों से हानि की वसूली न होना	3.62	––तदैव––
		लागत मूल्य से कम दर पर बाँसों की बिक्री के कारण हानि	0.99	––तदैव––
		उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से हानि का वसूल न किया जाना	0.90	––तदैव––
	01/2000 – 6/2002	सफल निविदादाताओं से अनुबन्ध के निष्पादन न किए जाने से हानि	14.03	––तदैव––
		तेंदूँ पत्ता की बिक्री में अनुबन्ध के भंग किए जाने से हानि	2.06	––तदैव––
	7/2002 – 12/2002	वर्षा प्रभावित लाटों की बिक्री से हानि	38.58	––तदैव––
		कार्य अग्रिम का असमायोजन	1.13	––तदैव––
डीएलएम, इलाहाबाद	प्रारम्भ से 3/2000	रायल्टी का अधिक भुगतान	4.91	––तदैव––
		कार्य अग्रिमों का असमायोजन	3.12	––तदैव––
	3/2000 – 6/2001	तेंदूँ पत्ता के भण्डारण हेतु निम्न स्तरीय गोदामों को किराये पर लेने से हानि	12.38	––तदैव––
		श्री एम.के. सिंह उप लागिंग प्रबन्धक द्वारा गबन किए जाने से हानि	4.37	––तदैव––
		वर्षा प्रभावित तेंदूँ पत्ता संग्रहण से हानि	6.15	––तदैव––
	4/2001 – 3/2002	निम्न दर पर तेंदूँ पत्ता की बिक्री से हानि	8.31	––तदैव––
डीएलएम, ललितपुर	4/2001 – 12/2002	तेंदूँ पत्ता की बिक्री से परिहार्य हानि	61.96	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		क्रय लागत से कम मूल्य पर प्रकाष्ठ बक्सा की बिक्री से निगम को हानि (रायल्टी एवं ओवरहेड चार्जेज सहित)	23.14	––तदैव––
क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखीमपुर खीरी	4/97 से 3/98	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा खण्ड में कार्य अग्रिम की मंजूरी पर नियंत्रण कायम न रखना	15.05	––तदैव––
	4/98 – 3/99	ठेकेदार पर लगाये जाने वाले अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाना अनुबन्ध के प्रतिकूल था	0.54	––तदैव––
	4/99 – 3/2004	आधार मूल्य से कम मूल्य पर लाटों के विक्रय से हानि	16.37	––तदैव––
		वन विभाग को अधिक भुगतान किये गये अधिकार शुल्क का समायोजन न करना	11.24	––तदैव––
		संदेहास्पद गबन	1.60	––तदैव––
डीएलएम, लखीमपुर खीरी	4/97 – 3/98	चिन्हनीकरण व्यय का अनावश्यक भुगतान	6.61	––तदैव––
	4/98 – 3/99	राउन्ड टिम्बर की कमी की पूर्ति न होना	13.36	––तदैव––
		चिन्हनीकरण व्यय की प्रतिपूर्ति न होना	12.04	––तदैव––
	4/99 – 3/2002	चिन्हनीकरण कार्यों का अनुचित भुगतान	21.11	––तदैव––
डीएलएम, गोरखपुर	7/97 – 12/2002	टिम्बर के निर्धारित क्वार्टर गर्थ वाल्यूम की अपेक्षा टिम्बर के अल्प उत्पादन से हानि	41.00	––तदैव––
		वन विभाग हेतु छपान प्रभारो का गैर अनुमन्य भुगतान	12.44	––तदैव––
उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ	10/96 – 11/97	ललितपुर तेंदूँ पत्ते के बगीचे में अग्नि के अनिस्तारित दावे से हानि	27.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		अधिकार शुल्क एवं ब्याज प्रभारों का परिहार्य भुगतान	22.20	––तदैव––
		खुदरा माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान	4.03	––तदैव––

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		लागिंग खण्ड, ललितपुर खण्ड से कमी की वसूली न होना	13.35	––तदैव––
		छपान प्रभारों एवं मजदूरी का अनियमित भुगतान	7.18	––तदैव––
	4/2000 – 3/2002	तेंदूँ पत्ता के क्रय में हानि	92.51	––तदैव––
		खेर वुड के विक्रय पर हानि	55.24	––तदैव––
		शीशम की लकड़ी के विक्रय से हानि	300.99	––तदैव––
	4/2002 – 3/2003	पल्प वुड के विलम्बित विक्रय से हानि	--	––तदैव––
		तेंदूँ पत्ता के अनियमित विक्रय से हानि	33.60	––तदैव––
	4/2003 – 3/2004	शीशम का अल्प उत्पादन, हानि	10.78	––तदैव––
		लागत के सापेक्ष कम दर से विक्रय के कारण परिहार्य हानि	40.18	––तदैव––
क्षेत्रीय प्रबन्धक, वन विभाग, लखनऊ	4/97 – 3/98	लखनऊ में क्षेत्र के अनुचित सृजन एवं जारी रखने के परिणामस्वरूप हानि	354.00	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
		टिम्बर की कमी की पूर्ति न होने से हानि	6.27	––तदैव––
	4/2000 – 3/2002	मई 2000 से मार्च 2002 के दौरान खड़े हुए पेड़ों की नीलामी के माध्यम से हुए विक्रय पर परिहार्य हानि	669.29	––तदैव––
		राउन्ड टिम्बर तथा फायर वुड की विशालकाय इनवेन्ट्री	660.20	––तदैव––
	4/2002 – 3/2003	शीशम के अल्प उत्पादन से निगम को हानि	79.03	––तदैव––
		शीशम के अननुमन्य एवं अनाधिकृत विक्रय से हानि	24.01	––तदैव––
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, लखनऊ	11/02-10/03	जनता धोती के विक्रय से परिहार्य हानि	28.05	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
––तदैव––	––तदैव––	रोकड़ एवं भण्डार का दुर्विनियोजन	31.29	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम (यूपीएसईडब्ल्यूसी)				
यूपीएसईडब्ल्यूसी, लखनऊ	4/97-12/98	कैन्टीनों द्वारा शासन को अनाधिकृत रूप से उधार विक्रय	170.98	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
––तदैव––	––तदैव––	क्षतिग्रस्त/अंशतः क्षतिग्रस्त सामग्री के विक्रय न करने से कोषों का अवरुद्ध रहना	21.28	––तदैव––
––तदैव––	4/98-3/00	क्षतिग्रस्त सामानों का एकत्रण और परिणामतः कार्यशील पूँजी पर ब्याज की हानि	83.48	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	असामयोजित अग्रिमों का संचित होना	378.15	––तदैव––
––तदैव––	1/99-9/00	इन्वेन्ट्री/रोकड़ की कमी/दुर्विनियोजन	12.88	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	इन्वेन्ट्री/रोकड़ का दुर्विनियोजन	10.37	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	क्षतिग्रस्त एवं विक्रय अयोग्य सामानों के कारण कोष का अवरुद्ध रहना	11.91	––तदैव––
––तदैव––	4/02-3/03	अतिरिक्त स्टाफ पर अनियमित व्यय	11.78	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, कानपुर	3/97-4/98	ईपीएफ अभिदान के भुगतान न किये जाने से विशालकाय बकाया	190.00	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	शासकीय ऋणों एवं बकाये ब्याज का भुगतान न किया जाना	59.75	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, कानपुर	4/97-3/98	दो पहिया वाहन के आपूर्तिकर्ताओं के प्रति अनुचित पक्षपात	21.72	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	राज्य सरकार के कर्मचारियों को रियायती दरों पर वाहनों के विक्रय की सुविधा का दुरुपयोग	-	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	बिना किसी कार्यभार आबंटन के वेतन एवं भत्तो के भुगतान पर निष्फल व्यय	1.81	
––तदैव––	4/00-3/01	दिये गये अग्रिमों के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामान की आपूर्ति न करना/ऐसे अग्रिमों की वापसी न होना	6.30	––तदैव––
––तदैव––	4/01-6/02	बैंक कमीशन का अनियमित भुगतान	0.89	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, आगरा	प्रारम्भ से 9/98	आटो मोबाइल डीलर्स के प्रति विशालकाय बकाया दायित्व	7.80	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	डिपो से हस्तान्तरित किये गये धन का मुख्यालय खाते से मिलान न करना	429.43	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	प्रेषण स्टाक की अकार्यहीन इन्वेन्ट्री में कोष का अवरुद्ध होना	4.14	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	विक्रय अयोग्य इन्वेन्ट्री	2.92	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	पीएफ अभिदान के जमा न करने से सम्बन्धित दायित्व	2.06	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	अनवाईबेल डिपो	-	बहुत से डिपो हानि में चल रहे हैं।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
––तदैव––	10/98-9/99	(अ) हाथरस डिपो में गबन तथा अन्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं (ब) फिरोजाबाद डिपो में गबन तथा अन्य गम्भीर वित्तीय अनियमतताएं (स) जिन्दल ऑटोमोबाइल को भुगतान न किया जाना (द) सदर तहसील मैनपुरी में स्टाक की कमी	1.85	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	क्षतिग्रस्त सामग्रियों के प्रतिस्थापन न किये जाने से हानि	4.67	––तदैव––
––तदैव––	10/00-8/01	कोष का अवरुद्ध रहना	21.85	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	असमायोजित धनराशि	3.21	––तदैव––
––तदैव––	9/01-6/02	कोषों का अवरुद्ध रहना	4.48	––तदैव––
––तदैव––	4/97-3/98	परिहार्य व्यय	2.26	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	क्षतिग्रस्त एवं विक्रय अयोग्य सामान	5.22	––तदैव––
––तदैव––	4/98-3/99	क्षतिग्रस्त सामानो की वापसी न होना–कोषों का अवरुद्ध रहना	2.75	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	स्टाक का दुर्विनियोजन	0.44	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	कार्टेज का अनियमित भुगतान	0.22	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	एक्साइज ड्यूटी का अनियमित भुगतान	0.18	––तदैव––
––तदैव––	4/99-3/01	कार्टेज का अनियमित भुगतान	1.77	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	क्षतिग्रस्त सामानों का वापस न किया जाना	4.15	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	समानों का संदेहास्पद प्रेषण	0.93	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, मिर्जापुर	4/97-3/99	क्षतिग्रस्त एवं विक्रय अयोग्य डिपो स्टोर्स/आइटम्स	1.39	––तदैव––
––तदैव––	10/00-9/01	कार्टेज का अनियमित भुगतान	1.06	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, चित्रकूट	8/00-10/01	क्षतिग्रस्त एवं विक्रय अयोग्य स्टाक सामग्रियों का प्रतिस्थापन न करना	2.95	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, गोरखपुर	4/96-10/98	स्टाक में क्षतिग्रस्त सामानों के कारण हानि	0.98	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	स्टाक में कमी	0.52	––तदैव––
––तदैव––	11/98-11/99	स्टाक में क्षतिग्रस्त/दोषमुक्त सामानों के कारण हानि	3.50	––तदैव––
––तदैव––	12/99-10/00	स्टाक का दुर्विनियोजन	5.30	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	अज्ञेय बैंक बाकियाँ–कोष का अवरुद्ध होना और अशोध्य ऋण के रूप में सम्भावित हानि	6.30	––तदैव––
––तदैव––	11/00-10/01	कोषो का व्ययावर्तन	23.20	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, मेरठ	4/97-3/98	आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति न लिये जाने से कम्पनी के कोष का अवरुद्ध रहना	1.89	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	क्षतिग्रस्त सामानों से कोषो का अवरुद्ध रहना	1.42	––तदैव––
––तदैव––	7/00-6/01	वाहन खाता से सामान्य खाता में कोषो के व्ययावर्तन से धनराशि का अनुचित प्रयोग	6.03	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, बरेली	4/97-3/98	शासकीय धन का गबन	5.30	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	शासकीय धन का अवरुद्ध रहना	3.47	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, मुरादाबाद	4/97-12/98	डिपो से हस्तान्तरित धनराशि का मुख्यालय खाता से मिलान न किया जाना	-	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	विक्रय–अयोग्य इन्वेन्ट्री से हानि	6.53	––तदैव––
––तदैव––	1/99-12/00	विक्रय की क्षीण होती प्रवृत्ति	-	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, झाँसी	4/98-8/99	मूल्य में संशोधन से हानि	0.40	––तदैव––
-––तदैव––	3/01-2/02	कोषो का व्ययावर्तन	10.16	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, गोण्डा	9/00-8/01	बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार न करने के कारण बैंक ओवरड्राफ्ट	7.02	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, सहारनपुर	प्रारम्भ से 3/99	कोषो का अवरुद्ध रहना	1.97	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, हल्द्वानी	4/97-3/99	क्षतिग्रस्त सामानो का विक्रय न किया जाना	1.92	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, आजमगढ़	प्रारम्भ से 3/99	वनस्पति तेलो में कमी से हानि	2.44	––तदैव––
यूपीएसईडब्ल्यूसी, देहरादून	4/98-3/00	स्टोर एवं रोकड़ का दुर्विनियोजन	1.97	––तदैव––
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड				
––तदैव––	7/97-6/98	प्राप्त धन से अधिक व्यय	19.39	उत्तर के परिपेक्ष्य में राशि को 19.39 लाख रुपये से पुनरीक्षित कर दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड				
––तदैव––	4/95-3/96	प्रयोज्य धनराशि का रखरखाव न करना	2.70	उत्तर में कहा कि 10000.00 रुपये की वसूली की जा चुकी है, पुनरीक्षित राशि 2.70 लाख रुपये के साथ प्रस्तर जारी रहेगा।
––तदैव––	––तदैव––	रोकड़ का गबन	34.56	उत्तर में कहा कि प्रबनधन द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा सकी है, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड				
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	4/97-3/98	व्यावसायिक गतिविधियों में अलाभकारी व्यय	16.81	पीएसयू से उत्तर अप्राप्त।
––तदैव––	––तदैव––	ब्याज की हानि	38.25	––तदैव––
––तदैव––	4/98-3/99	बीकानेर वूलेन मिल्स के प्रति दायित्व	91.03	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	उ0प्र0 ब्रासवेयर कारपोरेशन से सम्बन्धित सामानो में कमी	7.05	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	क्रय प्रक्रिया में ढील दिये जाने से स्टाक इन्वेन्ट्री का संचित होना	12.56	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	कर्मचारियों का विलयन न करना	90.00	––तदैव––
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	4/99-12/00	दुर्विनियोजित कपड़े की लागत की वसूली न होना	11.31	––तदैव––
––तदैव––	––तदैव––	शासकीय धन का अवरुद्ध रहना	16.58	––तदैव––
––तदैव––	1/02-9/02	निम्न गुणवत्ता वाले और क्षतिग्रस्त सामानों का क्रय	15.54	––तदैव––
उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड				
	4/91-4/92	सामग्री का अनियोजित क्रय	10.99	उत्तर में 10.99 लाख रुपये की हानि को स्वीकार किया गया है, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
	––तदैव––	डाई और माउल्ड के क्रय में हानि	4.00	आपत्ति के सापेक्ष में उत्तर उचित नहीं है, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
	––तदैव––	दोषयुक्त फोम का क्रय	1.98	नीलामी के द्वारा वसूल की गई राशि के बारे में उत्तर में नहीं बताया गया है, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
	4/99-3/00	प्रस्ताव के निस्तारण में विलम्ब के कारण हानि। अनुकूल प्रस्ताव केक बावजूद शासन स्तर पर कार्यवाही न करना	7.93	उत्तर मे कहा कि मसौदे पर अभी भी कार्यवाही बाकी है, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
	––तदैव––	उच्च आवृर्ति वाली फ्लो मोल्डिंग मशीन पर अविवेकपूर्ण विनियोजन	55.33	जैसा कि उत्तर में हानि को स्वीकार किया गया, अतः प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड				
––तदैव––	11/96 – 9/99	प्रिंटिंग बिलो के भुगतान हेतु कोषो के अवरुद्ध रहने के कारण ब्याज की हानि	37.53	उत्तर प्रतीक्षित।
दि इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड (आईटीआर)				
आईटीआर	4/99-10/00	विक्रय पर छूट की हानि	19.99	उत्तर प्रतीक्षित।
आईटीआर	8/94-6/95	अनुचित भण्डारण से हानि	3.25	उत्तर प्रतीक्षित।
अपलीज फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड				
अपलीज फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड	1/94-3/96	किराया क्रय पद्धति के अधीन विक्रीत टीवी/ऑडियो के विरुद्ध संग्रहीत धनराशि को जमा न करने/सामान वापस न किये जाने के कारण, कोष का गबन	0.93	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/96-10/99	राज्य सरकार के कर्मचारियों के देयो की वसूली न होने के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	30.13	उत्तर प्रतीक्षित।
		देयों की वसूली न होने से हानि	38.15	उत्तर प्रतीक्षित।
		ब्याज की आय से वंचित रहना तथा अर्थ दण्ड की वसूली न होना	3.09	उत्तर प्रतीक्षित।
	11/99-8/00	ब्याज की हानि	4.14	उत्तर प्रतीक्षित।
	9/00-07/01	प्रबन्धन द्वारा अनियमित तरीके से वित्तीयन के कारण, कम्पनी के धन का गबन	14.72	उत्तर प्रतीक्षित।
		कम्पनी के धन का गबन	0.38	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड –तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड)				
––तदैव––	10/96-11/97	सिविल निर्माण कार्यो पर हानि	1.79	उत्तर प्रतीक्षित।
	12/97-12/98	अनियंत्रित उधारो के कारण कोष का अवरुद्ध रहना	503.41	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड (बीसीयू)				
बीसीयू, इलाहाबाद (99-00)	04/95 से 03/98	स्टोर सामग्री में कमी	2.10	वसूली नही हुई, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, इलाहाबाद (99-00)	04/98-06/99	अनुमोदित प्राक्कलनो से अधिक व्यय के कारण इकाई को हानि	330.71	पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति तक प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
बीसीयू, इलाहाबाद (00-01)	07/99-03/00	बोल्डर्स के अनियमित प्रयोग के कारण कोष का अवरुद्ध रहना	24.26	भुगतान अभी भी वसूल नही हुआ है, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, इलाहाबाद (01-02)	4/00 से 12/00	अतिरिक्त विभागीय श्रमिकों को निष्फल मजदूरी का भुगतान	17.31	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू-II, इलाहाबाद (93-94)	8/90 से 3/92	काम बन्द होने के कारण, कार्य की बढ़ी हुई लागत तथा निष्फल मजदूरी भुगतान	494.28	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू (मैकेनिक) इकाई-II, इलाहाबाद (01-02)	4/98 से 10/00	सरप्लस स्पेअर पार्टस के संचित होने से कोषो का अवरुद्ध रहना	5.47	सम्पत्ति अभी भी अनुप्रयुक्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, बरेली (95-96)	4/93 से 3/95	भाखड़ा एण्ड बैगुल रेलवे पुल के प्राक्कलन में सेन्टेज, आयकर एवं विक्रय कर शामिल न करने से हानि	35.83	सार्थक उत्तर नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, बरेली (96-97)	4/95 से 7/96	निगम द्वारा स्टील वापस न करने के कारण, रेलवे द्वारा कोषो को अवरुद्ध रखना	14.10	लेखा परीक्षा में सत्यापित होने तक प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, बरेली (99-00)	4/98 से 3/99	उच्चदर पर सेन्टेज का अविवेकपूर्ण भुगतान	4.88	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू –IV जनकपुरी, नई दिल्ली (00-01)	1/99 से 10/01	नजफगढ़ सड़क पर 'ए' ग्रेड सेपरेटर के लागत प्रत्ययों के प्रतिशत का गलत निर्धारण से हानि	30.45	मूल्य वृद्धि के बिल का दावा नही किया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनुबन्ध के प्रावधानो के अनुसार, उच्च ग्रेड वाली सीमेन्ट के प्रयोग न किये जाने से हानि	4.20	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, शाहदरा, नई दिल्ली (96-97)	प्रारम्भ से 3/95	उप ठेकेदार से कार्टेज शुल्क की वसूली न होने (अनुबन्ध में प्रावधान न होने के कारण)से हानि	3.31	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सिंगूर नदी, इटावा पर पुल निर्माण कार्य के मनोनुकूल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई तथा प्रयोक्ताओं को होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा	82.00	प्रस्तर तब तक जारी रहेगा जब तक प्रबन्धन द्वारा ऐसी स्थितियों से बचने हेतु की जाने वाली कार्यवाही से सूचित नही किया जाता, प्रस्तर तब तक जारी रहेगा।
बीसीयू, गाजियाबाद (02-03)	8/01 से 5/02	छिजारी पुल के निलम्बित कार्य पर ब्याज की हानि	55.32	ब्याज की वसूली के लिए कोई औचित्य नही दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, गाजियाबाद (01-02)	5/00 से 7/01	12.5 प्रतिशत के बजाय 4.4 प्रतिशत के कम सेन्टेज पर कार्य के अनधिकृत स्वीकृति से हानि	27.07	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		नोएडा द्वारा प्रदान किये गये धन के सापेक्ष लोहिया नाला के चार लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय	7.22	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, हरिद्वार (95-96)	4/91 से 3/95	बाणगंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के निर्माण के कार्य के बन्द होने पर मजूदरो को अन्य कार्य पर न लगाने के कारण हानि	18.20	पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सीमेन्ट निगम के बजाय आपूर्तिकर्ताओं से सीमेन्ट क्रय से हानि	0.31	उत्तर न्यायसंगत नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्वीकृत लागत से अधिक बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये व्यय (106.23 + 20.04 + 7.82)	134.09	मुख्यालय की स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		रुड़की में नये सालिड स्लैब ब्रिज के निर्माण पर हानि	17.27	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		रुड़की में नये प्रीस्ट्रेस्ड गर्डर ब्रिज के निर्माण पर हानि	1.83	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कोषो के उपयोग न करने से ब्याज की हानि	7.37	निधि का प्रबन्ध नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अतिरिक्त परिव्ययों के कारण हानि	94.07	स्टाफ का उचित उपयोग सुनिश्चित नही किया, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, हरिद्वार (99-00)	4/98 से 3/99	सेन्टेज के अल्प आरोपण से हानि	30.05	उचित प्रमाण नही दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		प्राप्त कोषो से अधिक व्यय	351.43	उचित प्रमाण नही दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अस्थायी पुलो के ध्वस्तीकरण मे विलम्ब से स्टोर्स की हानि	18.85	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कुम्भ मेला के दौरान अस्थाई पुलो के निर्माण कार्य पर क्लाइन्ट द्वारा अनियमित रूप से धनराशि की कटौती	11.64	उत्तर न्यायसंगत नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्टील स्क्रैप का उच्च लागत के नये स्टील में परिवर्तन से हानि	1.15	वास्तविक स्थिति नही दी, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, हरिद्वार (99-00)	4/96 से 6/98	एमओयू मे मूल्य वृद्धि वाक्यांश और अन्य उपबन्धों का प्रावधान न करने से हानि	85.04	उत्तर न्यायसंगत नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		एमओयू में बिना किसी प्रावधान के सड़क निर्माण में बिटुमिन के अधिक उपभोग से हानि	9.48	ग्राहक के द्वारा अधिक व्यय स्वीकार्य नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पुलों के निर्माण पर व्ययाधिक्य	6.95	उत्तर न्यायसंगत नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अस्थायी पुलों के ध्वस्तीकरण के पश्चात स्टोर्स की अल्प वापसी के कारण हानि	19.24	निधि के अभी तक आबंटन न होने के कारण प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनुबन्ध के अधीन, अनुमन्य लागत से अधिक व्यय से हानि	33.15	पुनरीक्षित प्राक्कलन के स्वीकृत होने तक प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
बीसीयू, कानपुर इकाई-I, झकरकट्टी (98-99)	11/96 से 8/98	श्रम पर व्यय से हानि	36.43	पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		नून ब्रिज, चन्दौर की नींव में अधिक कंक्रीट लगाने पर अनियमित व्यय के कारण हानि	15.21	पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, कानपुर, झकरकट्टी (96-97)	4/95 से 10/96	बेतवा पुल के निर्माण पर श्रम एवं अन्य विविध मदों पर अतिरिक्त व्यय	42.15	स्वीकृति अभी बाकी है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पूर्ण निर्मित कार्यो को हस्तगत न करने के कारण कोषो का अवरुद्ध रहना	1233.08	स्वीकृति अभी बाकी है, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, कानपुर, झकरकट्टी (01-02)	7/00 से 4/01	स्टील स्क्रैप को कम दरों पर बेचने एवं उच्च दरों पर स्टील क्रय पर हानि	0.81	उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, कानपुर, झकरकट्टी (00-01)	8/99 से 6/00	अप्रयुक्त इन्वेन्ट्री के दुर्विनियोजन से हानि	43.01	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		एनएच–2 के कुछ कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि के भुगतान न करने से हानि जिसके विरुद्ध कोई भी सम्बन्धित अभिलेख/प्रपत्र जैसे अनुबन्ध, कार्य की वास्तविक लागत, स्वीकृति –पत्र आदि उपलब्ध नही थे	12.01	वसूली बाकी, प्रस्तर जारी रहेगा।
		गहरानाला, अनारा–नारायनी सड़क पर पुल निर्माण पर स्वीकृत लागत से अधिक व्यय के कारण कोष का अवरुद्ध रहना	28.71	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, मुम्बई (01-02)	6/96 से 3/00	ब्याज युक्त प्रतिभूतियों, क्लाइन्ट द्वारा काटी गयी प्रतिभूति राशि को जमा न करने से ब्याज की आवर्ती हानि	1.96	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
		क्लाइन्ट से किये गये अनुबन्ध में 'विलम्ब की दशा में ब्याज' का प्रावधान न होने से बिलम्बित भुगतान पर ब्याज की हानि	9.80	इकाई की तरफ से कोई कार्यन्वयन नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		साइट आफिस, लेबर कालोनी तथा गोदाम इत्यादि के विरुद्ध किराये की अधिक कटौती	1.14	दस्तावेज समर्थन में नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, मुम्बई (97-98)	प्रारम्भ से 12/96	दोषपूर्ण अनुबन्ध के कारण, मूल्य वृद्धि स्वीकार करने के कारण ग्रिट क्रय में व्ययाधिक्य	11.33	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सहनीय क्षमता से अधिक भार वाले स्टील को स्वीकार करने के कारण हानि	3.47	पुनरीक्षित मूल्य 3.47 लाख रुपये के साथ प्रस्तर जारी रहेगा।
		उपरिगामी पुल के निर्माण मे सीमेन्ट का अधिक उपभोग	16.80	साक्ष्य समर्थन में नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, मेरठ (98-99)	प्रारम्भ से 3/98	कृष्णा नदी पर पुल निर्माण पर स्वीकृत लागत के सापेक्ष अधिक व्यय	14.58	पुनरीक्षित मूल्य 14.58 लाख रुपये के साथ प्रस्तर जारी रहेगा।
		हिन्डन पूरा महादेव नदी पर उपरिगामी पुल के निर्माण पर सामग्री का अधिक उपभोग	8.59	स्टील का अधिक निर्गत, प्रस्तर जारी रहेगा।
		तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य करना एवं स्वीकृति से अधिक व्यय	79.72	तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध मे ब्यौरा उपलब्ध नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ग्रिट के मूल्य से छीजन की कटौती न करने के कारण स्टोन ग्रिड के क्रय पर अधिक व्यय	1.32	प्रावधान का अनुसरण नही किया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		प्राक्कलित लागत के सापेक्ष अधिक व्यय से कोष का अवरुद्ध रहना और परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	46.00	ब्यौरा उपलब्ध नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, बलिया (00-01)	8/99 से 9/00	बार्ज की लागत से भी अधिक किराये पर रेलवे से बार्ज लेने के कारण परिहार्य व्यय	18.37	लिखित स्वीकृति उपलब्ध नहीं, प्रस्तर जारी रहेगा।
		संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन के बिना दहताल सेतु निर्माण पर व्यायाधिक्य	79.26	पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति तक प्रस्तर जारी रहेगा।
		कार्य पूर्ण न होने के कारण, व्यर्थ व्यय	1.56	उचित प्रमाण नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, बलिया (99-00)	7/94 से 3/98	एसईबी, बलिया द्वारा विद्युत खम्भे के स्थान परिवर्तन पर व्यर्थ व्यय	9.23	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू-I, वाराणसी (98-99)	प्रारम्भ से 7/98	उपभोग योग्य भण्डार पर व्ययाधिक्य	18.93	उचित प्रमाण नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू-I, वाराणसी (00-01)	7/98 से 12/99	नासिक से चडवाक सेतु, वाराणसी तक ट्रसेस के परिवहन पर निष्फल व्यय	2.60	उचित प्रमाण नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पुल के उद्घाटन समारोह पर परिहार्य व्यय	14.26	अनुष्ठान व्यय ग्राहक को सहन करना था, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू-I, वाराणसी (01-02)	10/99 से 8/2000	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना पहुँच मार्ग के निर्माण पर मिट्टी के कार्य पर अतिरिक्त व्यय	8.44	प्रमाणिक साक्ष्य नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		केराकट सेतु निर्माण मे उपभोग्य स्टोर्स का अधिक उपभोग	10.77	कोई समर्थित साक्ष्य नही दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेकिक नाला सेतु के निर्माण पर प्राप्त धन से अधिक व्यय से कोषो का अवरुद्ध रहना	36.00	अधिक व्यय का कोई कारण नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		केराकट सेतु के निर्माण पर व्ययाधिक्य	142.15	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
बीसीयू-II, वाराणसी (00-01)	प्रारम्भ से 3/99	कार्य का अनियमित सम्पादन	1316.43	पुनरीक्षित स्वीकृति अभी बाकी है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		उच्च दरों पर मिट्टी का कार्य प्रदान करने के कारण हानि	5.62	प्रस्तर की आपत्ति के विरुद्ध उत्तर मौन है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सामग्री के अनियमित क्रय से हानि	1.55	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
		उच्च दर पर कार्टेज के भुगतान से हानि	1.16	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
		आपूर्तिकर्ता को अधिक अननुमोदित भुगतान से हानि	0.29	उत्तर न्यायसंगत नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू-II, वाराणसी (01-02)	4/99 से 6/2000	प्राप्त धन के सापेक्ष व्ययाधिक्य	103.81	पुनरीक्षित मूल्य 103.81 लाख रुपये के साथ प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, आगरा (मथुरा इकाई में विलय) (99-00)	प्रारम्भ से 9/98	कास्ट ओवररन तथा डिजायन हेतु अननुमन्य अतिरिक्त व्यय	161.40	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, मथुरा (01-02)	4/99 से 10/2000	लम्बित/निरस्त दावे	184.86	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्टाम्प शुल्क की वापसी न होना	4.14	उत्तर प्रतीक्षित।
		निगम के कोषो का अवरुद्ध रहना	6.96	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू, कानपुर (विद्युत) (98-99)	4/91 से 3/92	निष्फल वयय हेतु भुगतान	2.51	उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, गोण्डा (01-02)	7/99 से 12/2000	कार्य पर प्राक्कलित लागत से अधिक व्यय	6.22	पुनरीक्षित प्राक्क्लन की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, जम्मू (99-00)	प्रारम्भ से 3/98	दरो में भिन्नता के कारण, क्लाइन्ट द्वारा रोकी गयी धनराशि से हानि	31.90	उत्तर प्रतीक्षित।
		उचित नियंत्रण के अभाव में अनुबन्धित श्रम पर व्ययाधिक्य	535.46	उत्तर प्रतीक्षित।
		बिना किसी आधार के रनिंग बिल से धनराशि की कटौती में हानि	9.23	उत्तर प्रतीक्षित।
		लखीमपुर–धरोहरा सेतु के निर्माण पर, श्रम, बालू कंक्रीट तथा संरचनात्मक स्टील पर प्राक्कलन के सापेक्ष व्ययाधिक्य	13.66	अधिक व्यय का कोई कारण नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		आरओबी, हरदोई के निर्माण पर अधिक श्रम लागत आधिक्य	64.96	अधिक व्यय का कोई कारण नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		भूकम्प पीड़ितों को आवासीय कुटिया प्रदान करने हेतु कारा कुटी (हट्स) के निर्माण पर व्ययाधिकय	3.26	प्रमाणिक दस्तावेज नहीं, प्रस्तर जारी रहेगा।
		आरओबी, गोमती नगर के निर्माण में प्रीस्ट्रेस्ड सामग्री पर व्ययाधिक्य	6.31	अधिक व्यय का कोई कारण नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सेतु के दोनो तरफ सर्विस रोड के निर्माण पर व्ययाधिक्य	11.96	अधिक व्यय के लिए कोई औचित्य नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सिंकिंग वेल्स के दोषपूर्ण सर्वेक्षण के कारण गोमती सेतु के निर्माण में कंक्रीटिंग पर अधिक व्यय	2.83	अधिक व्यय के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नही किया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अधिक नियोजन के कारण श्रमिकों पर अधिक खर्च	25.21	अधिक मजूदूरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई औचित्य नही दिया गया, प्रस्तर जारी रहेगा।
		विभिन्न सेतुओं के निर्माण पर स्वीकृत आकंलन से अधिक व्यय	78.74	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू-I, ऐशबाग, लखनऊ (01-02)	11/98 से 5/00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना स्वीकृति के अतिक्ति कंक्रीट कार्य पर अधिक खर्च	19.17	उत्तर प्रतीक्षित।
बीसीयू-II, लखनऊ (98-99)	10/96 से 8/98	निष्फल कार्यशाला के स्टाफ की मजदूरी की अदायगी पर परिहार्य अदायगी	13.35	उत्तर स्वीकार्य नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अधिक स्टाफ पर निष्फल व्यय	29.71	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कार्य समाप्ति के पश्चात श्रमिकों को दूसरें कार्यों पर नियोजित न करने से श्रमिकों पर निष्फल व्यय	69.95	व्ययों की वसूली अभी भी बाकी, प्रस्तर जारी रहेगा।
		संशोधित आंकलन का अनुमोदन प्राप्त किये बिना सेतु कार्य कराने के फलस्वरूप कार्य अपूर्ण रोकने के कारण निष्फल व्यय	57.96	पुनरीक्षित स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू मैकेनिकल इकाई, लखनऊ (03-04)	10/00 से 11/03	ट्रांजिट मिक्सर की मरम्मत पर अनियमित और बिना संस्वीकृति व्यय	1.51	मुख्यालय की स्वीकृति प्रतीक्षित है, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू मैकेनिकल इकाई, लखनऊ (01-02)	4/99 से 9/00	अधिक इन्वेन्ट्री से निगम निधि का अवरुद्ध होना	39.69	कोई साक्ष्य साथ में नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		केन्द्रीय/राज्य सरकार को देय उत्पाद शुल्क की बिना किसी कागजी प्रमाण के आपूर्तिकर्ता को अधिक अदायगी	1.79	कोई साक्ष्य साथ में नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		केन्द्रीय/राज्य सरकार को देय उत्पाद शुल्क की बिना किसी कागजी प्रमाण के आपूर्तिकर्ता को अधिक अदायगी	2.34	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
बीसीयू मैकेनिकल इकाई, लखनऊ (97-98)	4/92 से 8/97	यूपीआरएनएन से क्रेन के किराया प्रभार की वसूली न होना	10.90	किराया मूल्य की वसूली अभी भी बाकी है, प्रस्तर जारी रहेगा।.
		अन्य एजेन्सी से गाड़ियों की मरम्मत के कारण परिहार्य व्यय	3.33	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, लखनऊ (99-00)	4/97 से 3/99	बिना वित्तीय प्रभार की वसूली किये अपने निधि से व्यय के फलस्वरूप ब्याज की हानि	217.29	उत्तर प्रतीक्षित।
		विदेशी बैंक से धन की निकासी/व्ययावर्तन न करने से हानि	83.19	संशोधित राशि 83.19 लाख रुपये के साथ प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, सहारनपुर (98-99)	10/96 से 9/98	संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया खर्च, संशोधित आंकलन अनुमोदित होने तक वसूली लम्बित	26.26	पुनरीक्षित प्राक्कलन अभी तक स्वीकृत नही हुआ है, प्रस्तर जारी रहेगा।
बीसीयू, गोरखपुर (99-00)	1/98 से 3/99	बिलों से व्यापार कर की अनियमित कटौती के कारण धन का अवरुद्ध होना	107.61	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड				
पीएसी इकाई, अलीगढ़	प्रारम्भ से 5/78	दो बैरकों के निर्माण पर प्राप्त धन से अधिक व्यय	2.65	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई II हरिद्वार	1/2001 से 3/2002	सत्रह जूडिशियल कमरे और बाउन्ड्री वाल के कार्य में हानि	83.64	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 4 इटावा	10/94 से 3/97	निजी आर्किटेन्ट को परिहार्य अदायगी	48	उत्तर प्रतीक्षित।
		ग्राहक से प्राप्त निक्षेपों से अधिक व्यय	89.29	उत्तर प्रतीक्षित।
		सैफई में तरणताल के निर्माण पर धनावरोध	94.68	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 16 लखनऊ	4/93 से 10/94	स्टील का अधिक उपभोग	9.62	उत्तर प्रतीक्षित।
बस्ती	4/99 से 9/2000	भण्डार में घपला व गबन	13.73	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 17 विद्युत, लखनऊ	4/92 से 1/94	भूमि विकास बैंक, लखनऊ के कार्य में ठेकेदार को केबिल्स का अधिक निर्गमन	3.33	उत्तर प्रतीक्षित।
		भूमि विकास बैंक, लखनऊ के कार्य में आवश्यकता से अधिक सामग्री का निर्गमन	0.33	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 17 विद्युत, लखनऊ	4/97 से 3/98	आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीद	16.00	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई VII लखनऊ	4/94 से 3/98	विभिन्न कार्यों जैसे वन विभाग कालोनी, आईआईटी, लखनऊ इत्यादि में प्राप्त धन से अधिक व्यय	68.45	उत्तर प्रतीक्षित।
		कार्यों के परिव्ययों पर अधिक खर्च	14.82	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्पोटर्स कालेज कार्य को समाहित दरों में देने से परिवहन पर व्यापार कर की परिहार्य अदायगी	0.25	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई अतरौली, कोर्ट काम्पलेक्स, अलीगढ़	प्रारम्भ से 6/98	गर्वमेन्ट डिग्री कालेज कार्य पर शासकीय धन का दुर्विनियोग व अधिक आकंलन	36.36	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई II इलाहाबाद	1/95 से 3/97	विभिन्न कार्यों पर स्वीकृत आकंलनों से अधिक व्यय	78.92	उत्तर प्रतीक्षित।
		परिव्ययों पर स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय	80.92	उत्तर प्रतीक्षित।
		सामग्री के कार्टेज पर अधिक व्यय	0.21	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई II इलाहाबाद	4/97 से 3/98	कार्यों के निष्पादन में बिना धन प्राप्त अधिक क्रय	28.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		बिना निधि प्राप्त किये व स्वीकृत आकंलनों के कार्य का निष्पादन	19.37	उत्तर प्रतीक्षित।
		विभिन्न कार्यों के परिव्यय पर अधिक व्यय	21.55	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई II इलाहाबाद	4/98 से 3/99	कार्यों पर प्राप्त धन से अधिक व्यय	24.87	उत्तर प्रतीक्षित।
		पीआरडब्ल्यू व स्टाफ के विरुद्ध बकाया कार्य अग्रिम	13.47	उत्तर प्रतीक्षित।
		परिव्ययों पर अधिक व्यय	37.30	उत्तर प्रतीक्षित।
		पूर्ण कार्यों के बैंक खाते बंद न करने से अवरुद्ध धन	20.03	उत्तर प्रतीक्षित।
		अधिक भण्डार के कारण अवरुद्ध धन	1.90	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई आजमगढ़	1/88 से 12/90	ग्राहकों से बकाये की कम वसूली	2.77	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		सीमेन्ट की अधिक खपत	1.51	उत्तर प्रतीक्षित।
		व्यापार कर की परिहार्य अदायगी	0.15	उत्तर प्रतीक्षित।
		दोषपूर्ण परिवर्तक की खरीद	2.15	उत्तर प्रतीक्षित।
		सामग्री की चोरी व कमी	0.55	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई आजमगढ़	5/91 से 3/94	खाली सीमेन्ट थैलों की कम प्राप्ति	0.80	उत्तर प्रतीक्षित।
		व्यापार कर की अधिक अदायगी	0.59	उत्तर प्रतीक्षित।
		सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय	2.57	उत्तर प्रतीक्षित।
हास्पिटल कार्य, आजमगढ़	7/97 से 9/98	जिलाधिकारी निवास, तहसील कार्य मऊ के लिये बिना धन प्राप्त किये निक्षेप कार्य से धन का अवरुद्ध होना	157.72	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई आजमगढ़	11/2000 से 8/2002	पुलिस विभाग के अनावासीय भवन के निर्माण पर परिहार्य व्यय	20.15	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई सुल्तानपुर	1/98 से 12/2000	मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र का निर्माण	18.59	उत्तर प्रतीक्षित।
		सीएचसी, मुसाफिरखाना के निर्माण पर अधिक व्यय	68.59	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई सुल्तानपुर	3/90 से 3/92	सामग्री की कमी	2.80	उत्तर प्रतीक्षित।
		विकास भवन, प्रतापगढ़ के छत के प्लास्टर पर निष्फल व्यय	0.89	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई सुल्तानपुर	4/92 से 3/94	स्टोन ग्रिट और बालू की अनाधिकृत क्रय	4.22	उत्तर प्रतीक्षित।
केबिल फैक्टरी, इलाहाबाद	प्रारम्भ से 3/94	कार्य निष्पादन में देरी के कारण विलम्बित क्षति से अधिक व्यय	16.72	उत्तर प्रतीक्षित।
		बिना स्वीकृति कार्यों के निष्पादन से दावों की हानि	19.18	उत्तर प्रतीक्षित।
		निर्धारित छीजन की कटौती न करने से ग्रिट आपूर्तिकर्ताओं को अधिक अदायगी	1.75	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 2 लखनऊ	1/92 से 10/93	लखनऊ विश्वविद्यालय के सड़क व नाली निर्माण के लिये उपलब्ध मिट्टी के स्थान पर आवश्यकता से अधिक मिट्टी क्रय की गयी	2.27	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्टील का संदिग्ध दुर्विनियोजन		उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई आगरा	10/99 से 12/2000	व्यय स्वीकृति लागत तक सीमित रखने विषयक प्रावधान के प्रतिकूल निगम ने अतिरिक्त व्यय किया	101.26	उत्तर प्रतीक्षित।
		पीआरडब्ल्यू के अग्रिमों का समायोजन न होना	3.95	उत्तर प्रतीक्षित।
एलएमयू, लखनऊ	प्रारम्भ से 9/2002	यूपीएसईबी से यंत्र व संयंत्र के लीज किराये की वसूली न होना	99.87	उत्तर प्रतीक्षित।
मेरठ	3/92 से 10/98	विकास भवन के निर्माण पर ग्राहक द्वारा धनराशि अस्वीकार करने से हानि	21.33	उत्तर प्रतीक्षित।
		निधि का व्ययावर्तन	71.07	उत्तर प्रतीक्षित।
		परिव्यय पर अधिक व्यय	49.69	उत्तर प्रतीक्षित।
मेरठ	11/98 से 10/02	कृषि विश्वविद्यालय में वीसी निवास पर उपरिव्यय की निर्धारित सीमा से अधिक खर्च	129.66	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 9 लखनऊ	4/90 से 5/95	इंस्टीट्यूट आफ इंजीरियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी लखनऊ में विशिष्टीकरण से कम सीवर लाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय	17.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		आईईटी लखनऊ के विभिन्न कार्यों में स्टील की अधिक खपत	11.89	उत्तर प्रतीक्षित।
सिविल कोर्ट, इलाहाबाद	4/98 से 3/2000	हाईकोर्ट, इलाहाबाद के सम्बन्ध में स्वीकृति सीमा से अधिक व्यय	17.05	उत्तर प्रतीक्षित।
		सिविल कोर्ट कार्य में परिव्यय पर मानक से अधिक व्यय	53.26	उत्तर प्रतीक्षित।
		पीआरडब्ल्यू के खिलाफ बकाया कार्य अग्रिम	12.70	उत्तर प्रतीक्षित।
		गिट्टी की खरीद में अनियमितता	0.13	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई VI लखनऊ	4/94 से 12/97	उ.प्र. लोक सेवा आयोग, अलीगंज में स्वीकृत लागत से अधिक व्यय	5.65	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 3 कानपुर	11/98 से 2/03	चन्द्रशेखर आजाद कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय के ओवरहैड टैंक के निर्माण में अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत उपठेकेदारी की गयी	6.79	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
इकाई 10 (बापू भवन), लखनऊ	4/98 से 10 /99	इमरजेन्सी काम्पलेक्स, मेडिकल कालेज के निर्माण में प्राप्त धन से अधिक व्यय किया गया	55.84	उत्तर प्रतीक्षित।
		चीनी निगम द्वारा बिल्ड धनराशि की कटौती से हानि	4.57	उत्तर प्रतीक्षित।
		अम्बेडकर हाल के नवीनीकरण पर अधिक व्यय	5.08	उत्तर प्रतीक्षित।
हास्पिटल इकाई, वाराणसी	4/99 से 6/2000	निष्फल व्यय	21.33	उत्तर प्रतीक्षित।
		ग्राहक की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिक व्यय	88.20	उत्तर प्रतीक्षित।
अम्बेदकर नगर इकाई	प्रारम्भ से 11/2000	मणि पर्वत के निर्माण में अनाधिकृत व अपूर्ण निर्माण से निष्फल व्यय	60.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		सक्षम प्राधिकारी के बिना स्वीकृति अधिक विशिष्टीकण का आवेदन	3.88	उत्तर प्रतीक्षित।
		सीलिंग के प्लस्टर पर परिहार्य व्यय	1.08	उत्तर प्रतीक्षित।
		आवासीय भवन में अधिक विशिष्टीकरण का आवेदन	1.08	उत्तर प्रतीक्षित।
		कार्यहीन व्यय और परिणामतः हानि	12.98	उत्तर प्रतीक्षित।
		निधि का अनाधिकृत व्ययावर्तन	11.25	उत्तर प्रतीक्षित।
		भंडार का अप्रबंधपूर्ण क्रय व अविवेकपूर्ण स्थानान्तरण	2.61	उत्तर प्रतीक्षित।
		निष्फल व्यय	2.66	उत्तर प्रतीक्षित।
		अतिशय रूप से बढ़े मूल्य पर मोरंग की खरीद	0.70	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 4, इटावा	4/97 से 2/99	अपूर्ण पीएचसी व धनावरोध	51.41	उत्तर प्रतीक्षित।
		वन विभाग का अपूर्ण वीवीआईपी निरीक्षण भवन	1.22	उत्तर प्रतीक्षित।
		इन्वेन्ट्री का अनौचित्यपूर्ण एकत्रीकरण	15.38	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई VII लखनऊ	4/98 से 3/99	निर्माण कार्य में संदिग्ध व्यय	12.44	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई II लखनऊ	4/94 से 3/97	किसान मण्डी भवन कार्य में गलत मापन से फलित हानि	26.44	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स गर्ग बिल्डर्स, अलीगंज, लखनऊ द्वारा किसान मण्डी भवन में किया गया ग्रिट फिनिशिंग कार्य	10.28	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 4, इटावा	7/96 से 12/97	चौकीदारों को निष्प्रयोज्य भुगतान से फलित लागत वृद्धि	5.36	उत्तर प्रतीक्षित।
		अम्बेदकर चिकित्सालय के निर्माण में निधि का व्ययावर्तन	61.69	उत्तर प्रतीक्षित।
		समयाधिक्य से फलित लागत वृद्धि	82.32	उत्तर प्रतीक्षित।
		धनावरोध से फलित ब्याज – हानि	12.28	उत्तर प्रतीक्षित।
रोहिल्ला, फर्रुखाबाद	प्रारम्भ से 3/92	कार्यशाला तथा रसोई–सह–भोजन कक्ष का अनाधिकृत निर्माण	6.16	उत्तर प्रतीक्षित।
		ईंटों की मिथ्या खपत	0.55	उत्तर प्रतीक्षित।
मुख्यालय, लखनऊ	4/87 से 3/90	स्वीकृत व्यय पर व्ययाधिक्य	26.62	उत्तर प्रतीक्षित।
		राजस्व विभाग की आरएण्डएनआर बिल्डिंग के निर्माण पर व्ययाधिक्य	44.78	उत्तर प्रतीक्षित।
		ग्राहक पर लम्बित देयता	1161.06	उत्तर प्रतीक्षित।
मध्य क्षेत्र, लखनऊ	7/90 से 3/94	वित्तीय सीमा के बाहर कार्यादेशों का दिया जाना	101.97	उत्तर प्रतीक्षित।
वीडीए इकाई वाराणसी	प्रारम्भ से 3/93	हरितिरथ वाणिज्यिक काम्पलेक्स –अवसूलित (लिक्विडेटेड) हानि	1.68	उत्तर प्रतीक्षित।
		मूल उत्पादक से भिन्न (व्यक्ति) इकाई से स्टील का क्रय	7.81	उत्तर प्रतीक्षित।
रामपुर	4/79 से 2/81	उपस्कर तथा सामग्री का आधिक्य	2.00	उत्तर प्रतीक्षित।
60 बेड्ड ईएसआई हास्पिटल, वाराणसी	11/84 से 6/90	निम्न स्तरीय सामग्री के उपयोग से फलित हानि	2.03	उत्तर प्रतीक्षित।
		जल शुल्क के मद में परिहार्य व्यय	1.80	उत्तर प्रतीक्षित।
सिद्धार्थनगर	4/98 से 9/2000	स्वीकृत लागत पर अति–व्यय	44.97	उत्तर प्रतीक्षित।
		निधि का व्ययावर्तन	135.81	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 3 लखनऊ	1/2001 से 5/02	अस्वीकृत वस्तुओं पर व्यय से परिणामी अतिव्यय	5.46	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
इकाई 19 लखनऊ	8/2000 से 5/2002	राममनोहर लोहिया अस्पताल पर 1.5 प्रतिशत स्वीकृति के सापेक्ष 2.2. प्रतिशत की दर से परामर्श शुल्क का अतिरिक्त भुगतान	7.67	उत्तर प्रतीक्षित।
		सेन्टेज चार्जेज की अनियमित कटौती से फलित हानि	13.78	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 23 लखनऊ	3/96 से 3/98	निधि का व्ययावर्तन	6.75	उत्तर प्रतीक्षित।
		आपूर्तिकर्ता को अनियमित लाभ	--	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्राक्कलन का उच्च आगणन तथा कार्याव्यवन में विलम्ब	--	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 21 लखनऊ	4/98 से 9/2000	ग्राहको द्वारा प्राक्कलन लागत से बाहर बिलों की अ–स्वीकृति से फलित हानि (बीआरए यूनिवर्सिटी फेज–I)	48.42	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 13 लखनऊ	1/88 से 12/91	अतिरिक्त स्टाफ पर परिहार्य व्यय	1.21	उत्तर प्रतीक्षित।
		उप अभियन्ता के स्थानान्तरण पर सामग्री का वापस न किया जाना	0.76	उत्तर प्रतीक्षित।
स्ट्रक्चलर इकाई, उँचाहार	10/96 से 10/98	पीआरडब्लयू को अग्रिम भुगतान पर लम्बित समायोजन	4.24	उत्तर प्रतीक्षित।
		एचएससीएल द्वारा अवरुद्ध भुगतान	10.27	उत्तर प्रतीक्षित।
फैजाबाद	4/94 से 3/97	निर्धारित मानक (0.5 प्रतिशत) के सापेक्ष वर्क चार्ज स्टाफ को अतिव्यय से फलित डिग्री कालेज, आलापुर, बलरामपुर पर व्ययाधिक्य	22.50	उत्तर प्रतीक्षित।
		डिपाजिट कार्य से अन्य कार्यों पर निधि का अनियमित व्ययावर्तन	67.82	उत्तर प्रतीक्षित।
		सीमेन्ट के अ–निस्तारण से फलित धनावरोध	0.57	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई XV इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ	1/98 से 2/99	आईईटी लखनऊ के एप्लाईड साईन्स ह्यूमेनिटीज व पुस्तकालय ब्लाक निर्माण कार्य में उच्च स्तरीय कार्य निष्पादन से फलित अनियमित अति व्यय	9.71	उत्तर प्रतीक्षित।
फैजाबाद	4/97 से 8/98	फैजाबाद शापिंग काम्प्लेक्स के अवरुद्ध कार्य पर अनियमित व्यय	11.03	उत्तर प्रतीक्षित।
पर्यटक स्वागत केन्द्र, अयोध्या, फैजाबाद	8/82 से 3/85	टीआरसी से टूरिस्ट काम्प्लेक्स तथा अन्य साईटों से टीआरसी साईट पर उतरी हुई सामग्री के वहन पर निष्फल व्यय	0.20	उत्तर प्रतीक्षित।
		उच्च दर पर बाजार से स्टील क्रय से फलित अति व्यय	0.30	उत्तर प्रतीक्षित।
फैजाबाद	4/93 से 3/94	अवध यूनिवर्सिटी कार्य पर कम्पनी द्वारा वहन किया गया अतिव्यय	6.82	उत्तर प्रतीक्षित।
मुजफ्फरनगर मेरठ	3/91 से 2/92	पाईलिंग कार्य पर मेसर्स काम्पेक्ट को अनियमित भुगतान	1.28	उत्तर प्रतीक्षित।
		जिला विकास कार्यालय भवन, मुजफ्फरनगर के अकार्यान्वित कार्य पर अनियमित भुगतान	2.09	उत्तर प्रतीक्षित।
		महीन व मोटी बालू की अनाधिकृत खपत के फलित अतिव्यय	0.63	उत्तर प्रतीक्षित।
गाजियाबाद	4/94 से 9/96	मानक के सापेक्ष सामग्री की अति खपत	1.54	उत्तर प्रतीक्षित।
गाजियाबाद	10/97 से 6/98	प्राप्त निधि के सापेक्ष अतिव्यय	36.42	उत्तर प्रतीक्षित।
विद्युत इकाई, कानपुर	10/98 से 9/2000	ग्रामीण विद्युतीकरण के पूर्णीकृत कार्य का यूपीएसईबी को अ–हस्तान्तरण	78.11	उत्तर प्रतीक्षित।
आगरा	7/98 से 9/99	कुल उत्पाद के 5.2 प्रतिशत मानक के सापेक्ष उपरिव्यय पर अतिव्यय	62.20	उत्तर प्रतीक्षित।
		मुख्यालय से प्राप्त निधि के सापेक्ष 31.38 लाख रुपये का अनियमित अतिव्यय	31.38	उत्तर प्रतीक्षित।
		पीआरडब्ल्यू को अनियमित अग्रिम	2.25	उत्तर प्रतीक्षित।
		बिक्रीकर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज देयता से फलित हानि	0.98	उत्तर प्रतीक्षित।
एटा कार्य, आगरा	प्रारम्भ से 6/98	लम्बित अग्रिम	14.21	उत्तर प्रतीक्षित।
राउरकेला इकाई कोलकाता सहित	प्रारम्भ से 3/97	समयावधि न बढ़ने के कारण ग्राहक द्वारा अवरुद्ध धनराशि	24.24	उत्तर प्रतीक्षित।
		सामग्री की अति खपत	1.66	उत्तर प्रतीक्षित।
होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ	4/99 से 3/2000	(मन्त्री आवास) कालोनी निर्माण पर अतिव्यय	4.02	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		न्यून–प्राक्कलन स्वीकृति के सापेक्ष कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय से फलित धनावरोध	24.31	उत्तर प्रतीक्षित।
		शारदा फीडर कैनाल, सीतापुर के लाईनिंग कार्य में त्रुटिपूर्ण व नष्ट हुए कार्य पर किया गया अतिव्यय	10.25	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई -6 लखनऊ	4/89 से 7/91	अपट्रान भवन कार्य पर कृत व्यय की अ–वसूली	73.59	उत्तर प्रतीक्षित।
डीबीटी इकाई, दिल्ली	प्रारम्भ से 3/94	एक ठेकेदार को पक्षपात पूर्ण अनियमित भुगतान से फलित परिहार्य हानि	5.48	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्टील व सीमेन्ट की अति खपत से फलित हानि	12.44	उत्तर प्रतीक्षित।
		जेएनयू काम्पलेक्स मे हास्टल भवन निर्माण सम्बन्धी अन्तिम बिल न प्रस्तुत करने से फलित हानि	36.17	उत्तर प्रतीक्षित।
		ग्राहक द्वारा अवरुद्ध व आंशिक भुगतान से फलित हानि	33.97	उत्तर प्रतीक्षित।
		भूमि खनन कार्य में अतिव्यय से फलित हानि	2.95	उत्तर प्रतीक्षित।
बुलन्दशहर	4/98 से 11/02	खुर्जा (बुलन्दशहर) मुख्य भवन निर्माण कार्य में ग्राहक द्वारा प्रदत्त निधि से अतिव्यय के फलस्वरूप जनित हानि	62.12	उत्तर प्रतीक्षित।
फैजाबाद	9/98 से 11/99	मणि पर्वत, अयोध्या में अनधिकृत सौन्दर्यीकरण तथा सुदृढ़ता कार्य से फलित निष्फल व्यय	56.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		कार्य लागत भुगतान प्राप्त किये बिना डिपाजिट कार्य के कार्यान्वयन से फलित हानि	21.95	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई पाता, इटावा	प्रारम्भ से 3/98	अव्यवहारिक दरों से जनित अतिव्यय	13.50	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्राप्त निधि के सापेक्ष अतिव्यय	271.90	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई पाता, इटावा	4/98 से 12/2000	ठेकेदार को अनुचित लाभ	1.77	उत्तर प्रतीक्षित।
		यूपीपीडब्ल्यूडी को पूर्णीकृत ड्रेन सह निरीक्षण पथ हस्तान्तरित न किया जाना	463.63	उत्तर प्रतीक्षित।
		भूमि सुधार निगम द्वारा व्यय का न्यून–समायोजन	7.79	उत्तर प्रतीक्षित।
		कार्य बिना अतिरिक्त स्टाफ को वेतन तथा पारिश्रमिक का भुगतान	25.20	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई III, इटावा	प्रारम्भ से 3/97	एचडीपीई पाईप के क्रय पर अतिव्यय	4.09	उत्तर प्रतीक्षित।
वेयरहाउसिंग इकाई लखीमपुर, तिकोनिया	11/77 से 8/79	भण्डारण निर्माण व अन्य कार्य	0.83	उत्तर प्रतीक्षित।
सरजू सहकारी शूगर फैक्टरी इकाई, लखीमपुर	8/78 से 7/79	इकाई की अबीमित जीप लखनऊ में चोरी गई	0.44	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्रपत्र III-डी के अ–निर्गमन से फलित क्रय कर का परिहार्य भुगतान	0.25	उत्तर प्रतीक्षित।
		लेखे का मिलान न किया जाना	0.29	उत्तर प्रतीक्षित।
		कार्य के पूर्व ही सीमेन्ट का अति–क्रय	0.66	उत्तर प्रतीक्षित।
हास्पिटल इकाई, वाराणसी	4/97 से 3/99	ग्राहकों से प्राप्त निधि के सापेक्ष अतिव्यय	110.98	उत्तर प्रतीक्षित।
		सकल उत्पाद के निर्धारित 5.2 प्रतिशत मानक के सापेक्ष उपरिव्यय पर अतिव्यय	110.24	उत्तर प्रतीक्षित।
		निगम को अलाभकारी कार्य से हानि	164.93	उत्तर प्रतीक्षित।
		अपूर्ण कार्य व मानक से बिलगाव के चलते ग्राहक द्वारा बिल से धनराशि की कटौती	3.13	उत्तर प्रतीक्षित।
वाराणसी	7/92 से 3/97	नलकूप विफलता से जनित अतिव्यय	3.15	उत्तर प्रतीक्षित।
		ग्राहकों से प्राप्त निधि के सापेक्ष व्ययाधिक्य	131.39	उत्तर प्रतीक्षित।
		वसूली न किये गये लागत पर ब्याज की हानि	38.01	उत्तर प्रतीक्षित।
इकाई 19 एसजीपीजीआई, लखनऊ	प्रारम्भ से 11/97	सकल उत्पाद के निर्धारित 5.2 प्रतिशत मानक के सापेक्ष उपरिव्यय पर अतिव्यय	46.78	उत्तर प्रतीक्षित।
		ग्राहको से प्राप्त निधि के सापेक्ष व्ययाधिक्य	229.04	उत्तर प्रतीक्षित।
		अवांछित वस्तुओ के क्रय से जनित धनावरोध	13.47	उत्तर प्रतीक्षित।
		बिक्री कर का परिहार्य भुगतान	0.29	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम				
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	4/96 से 3/99	दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान (निर्धारित समयावधि में ऋण प्रत्याहरण न करने के कारण निगम पर एनएएसपीएन, दिल्ली के पक्ष में दण्डात्मक ब्याज की देयता थी)	262.82	उत्तर प्रतीक्षित।
		राष्ट्रीय एएसवीईवीएन को निर्धारित समयावधि में ऋण पुर्नभुगतान में विफलता के कारण लीक्वीडेटेड क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान (कम्पनी पर लीक्वीडेटेड क्षतिपूर्ति के भुगतान की देयता थी)	20.10	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	4/99 से 9/2000	मार्जिन मनी ऋण का गबन (गाजियाबाद तथा मऊ जनपदों के लाभार्थियों को उनकी पहिचान तथा संस्थापनोपरान्त इकाईयों के सत्यापन किये बिना मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत करने से जनित अनियमितता)	11.25	उत्तर प्रतीक्षित।
		माननीय मन्त्री तथा अल्पसंख्यक निदेशालय के अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर व्यय के सापेक्ष अनियमित भुगतान	20.22	उत्तर प्रतीक्षित।
		'ब्याज रहित ऋण योजना' में अनियमित भुगतान से फलित ऋण व ब्याज की हानि	26.49	उत्तर प्रतीक्षित।
		मैसर्स एलाइड इण्टरप्राइजेज, नोएडा का भवन व भूमि क्रय के कारण जल संस्थान व यूपीएसईबी पर परिहार्य भुगतान देयता	6.98	बिना उपयुक्त जॉच के जमीन का क्रय किया गया था।
		सांविधिक ऋण योजना के अकार्यान्वयन से जनित ऋण का अपव्यय	1094.89	उत्तर प्रतीक्षित।
		लाभार्थी से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को बैंको में जमा न करने/विलम्बित जमा करना धन का दुरुपयोग दर्शाता हैं और ब्याज की हानि	5.88	उत्तर प्रतीक्षित।
		निगम ने प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज के निर्माण पर निष्फल व्यय किया क्योंकि इसके निर्माण से अब तक इसका प्रयोग नहीं किया गया (1997–98)	9.21	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	10/2000 से 9/2001	नेशनल माइनारिटी डेवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध बकाये के किश्तों पर चक्रवृद्धि ब्याज की परिहार्य अदायगी	37.15	निगम के द्वारा देयों के भुगतान की देरी के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया था, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	10/2001 से 10/2002	अनुसूची के अनुसार एनएमडीएफसी के ऋण की किश्तों को वापस न करने के कारण ब्याज की परिहार्य अदायगी	35.03	निगम के उत्तर के अनुसार स्टाफ की कमी के कारण ऋणों की वसूली पर ध्यान नही दिया जा सका तथा किश्तों का भुगतान नही किया जा सका। प्रस्तर जारी रहेगा।
		किश्तों को देर से जमा करने के कारण छूट की सुविधा प्राप्त न होने से परिहार्य हानि	36.47	निगम के उत्तर के अनुसार स्टाफ की कमी के कारण ऋणों की वसूली पर ध्यान नही दिया जा सका तथा किश्तों का भुगतान नही किया जा सका। प्रस्तर जारी रहेगा।
		निश्चित तिथि पर किश्तों की अदायगी न करने/अंशतः अदायगी से विलम्बित क्षति के कारण हानि और नौ महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर निधि का उपयोग न करने से दण्डात्मक ब्याज	359.92	प्रबन्धन ने कहा कि दण्ड ब्याज की माफी एवं हानि को समाप्त करने की कार्यवाही जारी है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		धन का संदिग्ध गबन (स्टाफ द्वारा प्राप्त धन बैंक में जमा नही किया गया)	0.78	उत्तर प्रतीक्षित।
		अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करके प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट को अदायगी	435.20	उत्तर प्रतीक्षित।
		सामान्य वित्तीय नियम का अनुसरण न करने से प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट को अधिक दर की अदायगी	7.80	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर (यूपीएसआईसी)				
यूपीएसआईसी कानपुर	1/84 से 3/85	निगम ने अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त की और पीएलए में नही रखा	26.16	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	5/87 से 3/90	सिरका साइडिंग से वाराणसी कैन्ट के लिये आरक्षित कोयले के गायब होने सम्बन्धी रेलवे दावों का निस्तारण न होना	0.14	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	4/90 से 3/91	बीएचईएल, हरिद्वार में सहायक सम्पत्ति के विकास में हानि	45.86	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स कोल इण्डिया लिमिटेड से क्रय मात्रा 25763.20 एमटी स्टेम कोयला के स्थान पर कम्पनी को केवल 22176.95 एमटी प्राप्त हुए	22.44	उत्तर प्रतीक्षित।
		गाजियाबाद मैटेरियल विभाग के ठेकेदार को अधिक दर पर अदायगी	-	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		संजय पैलेस, आगरा के कामर्शियल काम्प्लैक्स के निर्माण में देरी के कारण 19.65 लाख रुपये का धनावरोध	-	उत्तर प्रतीक्षित।
		कोयले की कमी के कारण झाँसी कोल डिपो में हानि और बिना कार्य निष्फल व्यय	19.65	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्टीम कोल के लदान पर रेलवे भाड़े का अधिक भुगतान	1.26	उत्तर प्रतीक्षित।
		कोयला आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को अननुमन्य भुगतान	1.29	उत्तर प्रतीक्षित।
		आरएम डिपो आगरा के सुरक्षागार्डों को अनधिकृत भुगतान	4.98	उत्तर प्रतीक्षित।
		डी ग्रेड कोयले की कमी	0.50	उत्तर प्रतीक्षित।
		कोयला डस्ट/स्टोन का निस्तारण न होना	14.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		आयात सहायता योजना के अन्तर्गत मेसर्स भारतीया प्लास्टिक उद्योग, गाजियाबाद से वसूली न होना	2.28	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	4/95 से 12/95	पाँच सहायक कम्पनियों में विनियोग/ऋण से हानि	27.62	उत्तर प्रतीक्षित।
		वीर खाण्डसारी उद्योग मुजफ्फरनगर को किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत दिये गये अग्रिम	14.68	उत्तर प्रतीक्षित।
		सेल से धनराशि वापस न प्राप्त होने से ब्याज की हानि	13.01	उत्तर प्रतीक्षित।
		नकद साख खाता से ऋण के पुनर्भुगतान के कारण परिहार्य हानि	19.68	उत्तर प्रतीक्षित।
		एचसीएल के प्रेषण एजेन्सी कार्य में हानि	2.88	उत्तर प्रतीक्षित।
		एचबीटीआई कानपुर से जमाकार्यों के विरुद्ध प्राप्त कोषों की निगरानी न करने से हानि	2.60	उत्तर प्रतीक्षित।
		कोषों के दुरुपयोग के कारण निविदत्त दरों में वृद्धि हेतु परिहार्य भुगतान किया गया	2.83	उत्तर प्रतीक्षित।
		खुर्जा डिपो में कोयले की कमी	4.04	उत्तर प्रतीक्षित।
		कोयला ठेकेदार (आशा कोल ट्रेडिंग कारपोरेशन) को अनुचित लाभ	0.55	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	4/94 से 3/95	बड़े औद्योगिक क्षेत्र इटावा (चरण–I) के मिट्टी कार्य पर अतिरिक्त व्यय	1.62	उत्तर प्रतीक्षित।
		खराब एवं अधोमानक गुणवत्ता वाले कोयले के विक्रय में हानि	10.10	उत्तर प्रतीक्षित।
		अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार बिना अग्रिम प्राप्त किये ही मेसर्स बाला जी इन्टरप्राइजेज, फिरोजाबाद को कोयले के विक्रय से हानि	4.43	उत्तर प्रतीक्षित।
		ब्याज की हानि को वसूली विषयक प्रावधान समाहित न करने से, ब्याज की हानि	7.12	उत्तर प्रतीक्षित।
		सामग्री डिपो कानपुर में क्रय मूल्य से कम पर स्टील के विक्रय से हानि	11.57	उत्तर प्रतीक्षित।
		किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत सरकार से प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु नकद साख खाता से कोष आहरित करने के कारण ब्याज भार	736.64	उत्तर प्रतीक्षित।
		जीडीए से कौशाम्बी अर्पामेन्ट में अतिथि गृह क्रय करने पर निष्फल व्यय	13.69	उत्तर प्रतीक्षित।
		अन्य 169 फर्मों से वार्ता किये बिना मेसर्स लोहिया ब्रदर्स, मुरादाबाद को जले हुए ताँबा का विक्रय	2.68	उत्तर प्रतीक्षित।
		विद्यमान बाजार दर से कम पर जले हुए ताँबा के विक्रय द्वारा मेसर्स लोहिया ब्रदर्स मुरादाबाद के प्रति अनधिकृत पक्षपात	5.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		मेसर्स बर्लिंगटन होटल, मेसर्स बाबा फीड्स, मेसर्स नेशनल आइॅसक्रीम कम्पनी, खागा के ऋण प्रकरणों की मानिटरिंग न करने के कारण हानि	0.96	उत्तर प्रतीक्षित।
		विविध प्रकरण	7.59	उत्तर प्रतीक्षित।
		चिनहट पॉट्रीज के यंत्र–संयंत्र की बिक्री न होने से हानि	4.61	उत्तर प्रतीक्षित।
		सामग्री डिपो, नैनी द्वारा अधोमानकित स्टील की आपूर्ति से हानि	3.55	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	4/96 से 12/96	डीलरो से बिना किसी प्रतिबद्धित माँग के स्टेनलेस स्टील डिनर सेट्स के क्रय से धन का अवरुद्ध होना तथा ब्याज की हानि	8.82	उत्तर प्रतीक्षित।
		आवश्यकता से अधिक शेत जैम प्लेट्स के क्रय से कोषो का अवरुद्ध होना	16.32	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
यूपीएसआईसी कानपुर	1/97 से 3/98	टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेस, लखनऊ द्वारा तैयार किये गये विविधीकरण प्लान के क्रियान्वयन न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय	7.40	उत्तर प्रतीक्षित।
		हैण्डलिंग अभिकर्ता के प्रति अनुचित पक्षपात से हानि	6.39	उत्तर प्रतीक्षित।
		हैण्डलिंग ठेकेदार से अनुबन्ध सम्पादित न करने के कारण कोष का अवरुद्ध रहना और ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति धनराशि जमा न करने से कम्पनी को हानि	31.93	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	4/98 से 6/99	बढ़े हुए निष्पादन के साथ, आयरन एण्ड स्टील के विक्रय में वृद्धि हेतु लागू प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वित न करने के कारण न केवल व्यवसाय की हानि हुई अपितु अल्प निष्पादन के बावजूद प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना पड़ा।	175.20	उत्तर प्रतीक्षित।
		कम्पनी के दबाव में आने से महत्वपूर्ण औद्योगिक भूखण्ड संख्या 960, नोएडा के समर्पण से हानि	129.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्रणय सेल्स (हेण्डलिंग ठेकेदार, आगरा) से बे–ब्रिज की स्थापना में विफलता के कारण हुई क्षति की कटौती न करने से हानि	5.91	उत्तर प्रतीक्षित।
		हैण्डलिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रित न करने से हानि	31.93	उत्तर प्रतीक्षित।
		लेखाओं का अन्तमीकृत न किया जाना		उत्तर प्रतीक्षित।
		कोयले के कम उठान से हानि	685.50	उत्तर प्रतीक्षित।
		पॉलीमर उत्पादों के विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति न होना	13.20	उत्तर प्रतीक्षित।
		स्टील की लागत की वसूली न करने के आरोप से जिम्मेदार अधिकारी को मुक्त करने से हानि	31.93	उत्तर प्रतीक्षित।
		कोष हैण्डलिंग ठेकेदार को स्वीकृत मार्जिन के विक्रय में भिन्नता से हानि	9.12	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	7/99 से 7/2001	निजी डम्प संचालकों पर अपूर्ण नियंत्रण एवं कम्पनी हितो की सुरक्षा में विफलता से भण्डार में वृहद क्षति	378.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		डम्प संचालकों पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित न करने के कारण स्टील डम्पस, इलाहाबाद, आगरा कानपुर और गाजियाबाद में स्टील की भारी कमी	-	उत्तर प्रतीक्षित।
		कन्साइनमेन्ट एजेन्सी आगरा में बे–ब्रिज की स्थापना न करने के कारण सेल द्वारा 15 प्रतिशत की दर से पारिश्रमिक की कटौती के कारण हानि	21.07	उत्तर प्रतीक्षित।
		मूलधन एवं साधारण ब्याज की धनराशि की गलत तरीके से माफी	7.95	उत्तर प्रतीक्षित।
		ब्याज मुक्त साख सुविधा के विरुद्ध, बाजार में बिना माँग के स्टील का परिहार्य क्रय	16.72	उत्तर प्रतीक्षित।
		इन्वेन्ट्री के विशालकाय अवरोधन से सेल की साख सीमा के विरुद्ध ब्याज	27.13	उत्तर प्रतीक्षित।
यूपीएसआईसी कानपुर	8/01 से 11/02	समन्वयकों द्वारा कोयला का उठान न करने से हानि (समन्वयकों द्वारा पर्याप्त बैंक गारण्टी/कोल इण्डिया के पक्ष में एलसी प्रस्तुत न करने में विफलता से एमपीक्यू की तुलना में कोयले का कम आबंटन के परिणामस्वरूप कम मात्रा का उठान होने से निगम को वित्तीय हानि)	28.83	उत्तर प्रतीक्षित।
		आर्डिनेन्स फैक्ट्री से स्क्रैप का उठान न होने के कारण हानि	3.37	उत्तर प्रतीक्षित।
		लौह एवं इस्पात के उधार विक्रय के विरुद्ध बकाया अधिदेय, सेल को निर्गत चेकों के निस्तारण हेतु उचित ध्यान न देना तथा समन्वयकों द्वारा दिये गये चेकों के अनादरण से बकाया अधिदेय राशि तथा उस पर ब्याज की हानि	313.20	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद				
ईएमओ, मथुरा	प्रारम्भ से 03/99	सम्पत्तियों का आबंटन न होना	46.10	प्रस्तर पुनर्मूल्यांकित मूल्य 46.10 लाख रुपये के साथ जारी रहेगा।
ईएमओ, हंसपुरम, कानपुर	2002-03	धन का अवरोध	4376.37	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	2003-04	धन का अवरोध	4411.00	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–2, लखनऊ	1989-90	बिना विस्तृत आकंलन व्यय और मिट्टी के कार्टेज पर अनौचित्यपूर्ण व्यय वापसी के दावेमें प्रयास न किया जाना	208.16 3.92	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
सीडी–18, कानपुर	1986-87	स्टैम्प ड्यूटी की कम वसूली	0.58	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–23, बरेली	1985-86	भूमि अध्यापति अधिकारी से कम वसूली	4.20	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–15, लखनऊ	1986/87 से 92/93	नीलगिरी कामर्शियल और कार्यालय काम्पलैक्स में हानि	85.76	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–2, लखनऊ	1986-87	ठेकेदार से स्टैम्प ड्यूटी की वसूली न होने के कारण माह 3/87 तक शासन को हानि	3.13	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–14, फर्रुखाबाद	प्रारम्भ से 97/98	अधिक अदायगी	10.91	उत्तर प्रतीक्षित।
		शासकीय धन की हानि	24.36	उत्तर प्रतीक्षित।
		धनावरोध	28.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		ब्याज की परिहार्य अदायगी	15.79	उत्तर प्रतीक्षित।
		प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय	91.15	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सम्पत्ति के अतिक्रमण के कारण हानि	324.55	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	2002-03	अनियमित वित्तीय लाभ प्रदान करने से हानि	376.93	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–19, कानपुर	1989/90 से 92/93	परिहार्य व्यय	9.28	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, राजबरेली	1997-98	धनावरोध	107.41	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–2, लखनऊ	1999-00 से 2002-03	भूराजस्व पर परिहार्य व्यय निर्माण पर निष्फल व्यय	117.27 51.45	उत्तर प्रतीक्षित। उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	1990-91 से 95	वित्तीय स्थिति से विचलन	0.36	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, इन्दिरानगर, लखनऊ	2001/02 से 2002-03	धनावरोध योजना के अन्तर्गत प्लाट की कीमतों का समायोजन न करना	214.75 52.87	उत्तर प्रतीक्षित। उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	1998/99 से 99-00	निष्फल व्यय	87.25	प्रस्तर जारी रहेगा।
––तदैव––	2000-01 से 2003-04	भूखण्डों की बिक्री न होने से धन की हानि	105.00	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–24, रामपुर	2002-03 से 2003-04	धन का अनुपयोग	221.39	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	04/93 से 03/98	रूद्रपुर योजना में जलापूर्ति पर निष्फल व्यय	18.96	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	1985-86	धनावरोध	89.29	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–7, मेरठ	2001-02 से 2002-03	अतिक्रमित भूमि को कब्जे में न लेने से हानि भूमि क्षतिपूर्ति का अधिक भुगतान	477.96 831.24	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	99-00 से 2000-01	दायित्व सृजन के कारण हानि और ब्याज की अदायगी न करना	774.15	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	93-94 से 97-98	चिकित्सा क्षतिपूर्ति की अनियमित अदायगी	4.00	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–5, मेरठ	98/99	52 पुरानी दुकानों पर निष्फल व्यय	10.40	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	87/88	निरीक्षण कार्यक्रमों का अनुपालन न करना बान्ड रजिस्टर के रखरखाव में अनियमितता उपयोग निधि का सार तैयार नहीं किया गया	-	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, हरदोई	2000/01 से 2003/04	निर्माण से पूर्व माँग का अद्यतन न रखना और लागत वृद्धि के कारण 20 व्यावसायिक दुकानों का कब्जा न होना	76.23	उत्तर प्रतीक्षित।
		भूमि व भवन की बिक्री न होने से धनावरोध	169.17	उत्तर प्रतीक्षित।
		धनावरोध	136.00	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–6, गाजियाबाद	99/2000 से 2003/04	165 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य व अतिरिक्त अदायगी से ठेकेदार को अनुचित लाभ धनावरोध	93.00 663.00	उत्तर प्रतीक्षित। उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–16, गाजियाबाद	98/99	सैम्पवेल का अधोमानक निर्माण और निष्फल व्यय	4.55	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–31, लखनऊ	2003/04	भूमि के अपर्याप्त अधिग्रहण के कारण 26.41 लाख रुपये के ट्रंक सीवर लाइन के कार्य में बाधा और अपूर्ण कार्य पर अतिरिक्त व्यय	3.06	कार्य अभी भी अपूर्ण, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–25, मुरादाबाद	86/87	परिहार्य व्यय	4.77	प्रस्तर जारी रहेगा।
		19 नग मकानों के निर्माण में अवरुद्ध धन	2.43	प्रस्तर जारी रहेगा।
––तदैव––	1999/2002	परिहार्य व्यय	33.57	प्रस्तर जारी रहेगा।
ईएमओ, गाजियाबाद	93/94 से 98/99	भवन/भूखण्डों की बिक्री न होने से निष्फल व्यय	4340.46	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईएमओ, कल्याणपुर, कानपुर	99/2000 से 2002/03	दीर्घावधि तक असमायोजित सम्पत्ति धनावरोध	1266.46 355.02	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–14, फर्रुखाबाद	89/90 से 97/98	निर्माण की लागत का अवरुद्ध होना	552.31	उत्तर प्रतीक्षित।
पीएम, सीडी–3, अम्बेदकर नगर	2002/03 से 2003/04	संशोधित आकंलन की स्वीकृत का लम्बित रहना और अनुमोदित ड्राईंग व डिजाइन बदलने के कारण आकंलनो में वृद्धि	293.93	उत्तर प्रतीक्षित।
		निधियों का विचलन	16.24	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	1996-97 से 2001-02	कचेहरी के निर्माण में देरी और ड्राईंग व डिजाइन बदनले से खम्भों के निर्माण में व्यर्थ व्यय	27.62	तकनीकी स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है, प्रस्तर जारी रहेगा।
सचिव, गृह एवं शहरी योजना, लखनऊ	1999/2000 से 2003/04	उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया निधि का अवरुद्ध होना	569.96 4191.00	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, गोरखपुर	1999/2000 से 2001/02	विकास नगर योजना के अन्तर्गत भवन/भूखण्डों के समायोजन न होने से धनावरोध	811.48	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	1987/88 से 1992/93	सम्पत्तियों का आबंटन नहीं किया गया	155.18	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	1987/88 से 1988/89	मकानों का अनधिकृत कब्जा भवन व भूखण्डों का आबंटन न होने से परिषदीय पूँजी का अवरोध	60.00 96.11	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	1984/85 से 1986/87	वैकल्पिक नलकूपों पर निष्क्रिय निवेश	12.01	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, इलाहाबाद	1998/99 से 2002/03	असमायोजित सम्पत्तियों से निधियों का अवरुद्ध होना	467.26	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–28, आगरा	2000/01 से 2001/02	संस्वीकृत निधि से अधिक व्यय	8.02	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–22, गाजियाबाद	1999/2000 से 2002/03	व्यय के पश्चात भी अपेक्षित 65 प्रतिशत के स्थान पर 41.97 प्रतिशत उद्देश्य की प्राप्ति	343.64	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–12, लखनऊ	1999/2000 से 2003/04	वृन्दावन योजना संख्या–1 के अन्तर्गत सड़क निर्माण में त्रुटिपूर्ण करार	35.19	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूपीएवीपी, मुख्यालय	2003/04	विधायक निवास, लखनऊ के निर्माण में हानि	302.11	उत्तर प्रतीक्षित।
		अलोकप्रिय भवनों के समायोजन न होने से धनावरोध	1299.64	उत्तर प्रतीक्षित।
		वैम्बे में आदेशों व निर्देशों के विरुद्ध अपने स्वामित्व वाली भूमि के प्रयोग से हानि	556.87	प्रस्तर जारी रहेगा।
		विभिन्न योजनान्तर्गत 699.16 हेक्टेअर भूमि के अतिक्रमण से हानि	1552.14	प्रस्तर जारी रहेगा।
		धन का दुरुपयोग व हानि	28.23	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	95/96 से 98/99	निष्फल व्यय	29.09	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	99/00 से 01/02	सम्पत्तियों के असमायोजित रहने के कारण धनावरोध	36324.00	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	87/88 से 92/93	धनावरोध	179.98	उत्तर प्रतीक्षित।
		गलत/मिथ्या धन वापसी	8.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		असमायोजित सम्पत्तियाँ	25630.36	उत्तर प्रतीक्षित।
		परिहार्य व्यय	20.93	प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–23, बरेली	87/88 से 92/93			
––तदैव––	98/99	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में अनियमित अदायगी	5.33	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–10, गाजियाबाद	87/88 से 92/93	ठेकेदार को अधिक अदायगी	3.24	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	99/2000 से 01/02	ठेकेदार द्वारा कम कीमत के स्टैम्प प्रयोग से हानि	15.95	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–21, कानपुर	98/99	बिना माँग भवन निर्माण पर व्यय	318.98	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	93/94 से 97/98	धनावरोध निष्फल व्यय	227.36 22.45	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	99/2000 से 02/03	अस्पताल भवन के अपूर्ण निर्माण पर व्यय	950.00	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
सीडी–15, लखनऊ	02/03	वृन्दावन योजना–2 के अन्तर्गत 53.54 एकड़ भूमि असमायोजित रही कालिन्दी वन पार्क के निर्माण पर अनौचित्यपूर्ण व्यय	208.81 161.27	उत्तर प्रतीक्षित। उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–30, आगरा	99/2000 से 03/04	विवादित/अतिक्रमित भूमि पर व्यर्थ व्यय	27.16	प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–8, मेरठ	97/98	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर अनियमित अदायगी	8.23	प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–4, लखनऊ	98/99 से 01/02	असमायोजित सम्पत्तियाँ	201.00	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–13, लखनऊ	03/04	भूमि पर गैरकानूनी कब्जा	6957.98	प्रस्तर जारी रहेगा।
		गैरकानूनी कब्जे के कारण धनावरोध	107.10	प्रयास जारी है, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय और भवन निर्माण में अनियमित व्यय	348.76	पॉलिसी, आपत्ति योग्य, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–33, बुलन्दशहर	01/02 से 03/04	धनावरोध	183.31	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–29, आगरा	93/94 से 97/98	निष्फल व्यय और चौदहवीं हडको परियोजना के अन्तर्गत 65 अल्प आय वर्ग के भवनों का अपूर्ण कार्य गैरकानूनी कब्जा और 17.69 एकड़ भूमि पर निर्माण	5.81 813.74	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	98/99	दुकानों के निर्माण पर व्यय से धनावरोध	23.80	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–17, कल्याणपुर, कानपुर	97/98	अपूर्ण कार्य पर वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय	0.78	उत्तर प्रतीक्षित।
		अधिग्रहित भूमि पर कब्जा न लेने से धनावरोध	91.72	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडी–20, कानुपर	85/86 से 86/87	अवर अभियन्ता क विरुद्ध भण्डार सामग्री की कमी आवासीय इकाईयों के कब्जा न होने से अवरोध	3.87 88.36	उत्तर प्रतीक्षित।
सीडी–18, कानुपर	03/04	परिषद की भूमि पर गैरकानूनी निर्माण से हानि सीओडी निकासी के समानान्तर ट्रंक सीवर लाइन के अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय सम्पत्तियों के समायोजन न हाने से धनावरोध	83.34 776.62 1604.00	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	99/00 से 03/04	वित्तीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पत्तियों और प्रशासन द्वारा अनुमोदित सम्पत्तियों के संख्याओं में सामान्य अन्तर के कारण प्रस्तावित क्षेत्र के अनुपयोग से हानि समय से क्षतिपूर्ति न देने से ब्याज की देयता 12 से 19 वर्षों तक निर्मित सम्पत्तियों को आबंटित न करने से धनावरोध धन का अवरुद्ध होना कानपुर में सड़क निर्माण, खण्ड–5 के निर्माण में अनियमित व्यय	0 93.20 69.42 127.25 13.45	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	98/99	निष्फल व्यय भवनों के समायोजन न होने से धनावरोध	63.89 212.93	उत्तर प्रतीक्षित।
––तदैव––	95/96 से 97/98	अतिरिक्त व्यय भार एवं भूमि अधिग्रहण में हानि भवनों के समायोजन न होने से धनावरोध अनुपयोग सामग्री	430.45 127.25 23.58	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, कमलानगर, आगरा	99/00 से 03/04	सम्पत्तियों के समायोजन न होने से हानि	11.20	प्रस्तर पुनर्मुल्यांकित 11.20 लाख रुपये के साथ जारी रहेगा।
--––तदैव––	93/94 से 98/99	अनाबंटित सम्पत्ति	138.02	उत्तर प्रतीक्षित।
ईएमओ, विकास नगर, लखनऊ	85/86 से 86/87	1810 नग सम्पत्तियों का आबंटन न किया जाना	0	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम				
––तदैव––	4/1998-3/1999	संवितरण पूर्व स्थिति का अनुपालन न करने से हानि और वसूली कार्यवाही में देरी	75.00	उत्तर प्रतीक्षित।
		बिना बैंकर्स की नियुक्ति एसएलआर बान्ड्स के निर्गमन पर क्रय दर की अदायगी	78.63	उत्तर प्रतीक्षित।
	4/1999-3/2000	निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करने हानि	23.28	उत्तर प्रतीक्षित।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
	11/2002-3/2004	धन के अनियमित निवेश से हानि	800.00	उत्तर प्रतीक्षित।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम				
बिल्डिंग डिवीजन (पूर्व)	01/1993-03/1994	सीमेन्ट क्रय पर असमायोजित धनराशि	21.52	उत्तर अप्राप्त।
	02/2002-6/2005	धनावरोध से ब्याज की हानि	11.96	उत्तर अप्राप्त।
		आईडीबीटी, लखनऊ के निर्माण में अनियमितताएं	-	उत्तर अप्राप्त।
जीएम (एमएमटी) स्टोर, लखनऊ	4/1995-3/1997	बाहरी निर्माणकर्ता से बस बॉडी निर्माण कराने से व्यापार कर की अधिक अदायगी	2.25	उत्तर अप्राप्त।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ	7/2003-9/2005	डीजल की अत्यधिक कमी	6.75	प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार की, प्रस्तर जारी रहेगा।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर	4/2002-3/2004	क्षेत्रीय कार्यशाला से एक लाख किमी के बाद रखरखाव से बसों की अवमुक्ति न करने से हानि	61.29	उत्तर अमान्य है, प्रस्तर जारी रहेगा
क्षेत्रीय प्रबन्धक, झाँसी	4/2001-3/2002	परिहार्य हानि	22.57	उत्तर अप्राप्त।
		विन्डो बुकिंग सेल का गबन	0.81	उत्तर अप्राप्त।
	4/2002-6/2003	बढ़े यात्री कर की वसूली न होना	22.72	उत्तर अप्राप्त।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, मुरादाबाद	4/2003-12/2004	क्षेत्रीय कार्यशाला में बसों के रखरखाव बंद होने से हानि	4.69	उत्तर अप्राप्त।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा	10/2003-6/2004	केन्द्रीय व्यापार कर प्राधिकारी से पंजीकरण न होने के कारण अतिरिक्त व्यय	12.27	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अन्तर्राज्जीय बसों के आवागमन रद्द होने से हानि	35.65	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी, लखनऊ	7/2003-6/2004	शासकीय गारन्टी फीस की अधिक अदायगी	85.77	उत्तर अप्राप्त।
		ब्याज का परिहार्य व्यय	56.25	उत्तर अप्राप्त।
		चेसिस के खरीद पर अधिक अदायगी	11.65	उत्तर अप्राप्त।
		आईओसी से हाई स्पीड डीजल के क्रय पर परिहार्य व्यय	51.21	उत्तर अप्राप्त।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, गाजियाबाद	10/2001-12/2002	केन्द्रीय व्यापार कर प्राधिकारी से पंजीकरण न होने से अतिरिक्त व्यय	8.88	पलिसी में बदलाव होना चाहिए, प्रस्तर जारी रहेगा।
		डीजल की असमान्य कमी	8.14	असाधारण कमी की जॉच होनी चाहिए, प्रस्तर जारी रहेगा।
		केन्द्रीय व्यापार कर प्राधिकारी से पंजीकरण न होने से अतिरिक्त व्यय	2.06	उत्तर सन्तोषजनक नही, प्रस्तर जारी रहेगा।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर	4/2001-3/2002	क्षेत्रीय कार्यशाला में बसों के रखरखाव बंद होने से हानि	36.20	उत्तर अप्राप्त।
	4/2002-3/2003	ईपीएफ अंशदान को देरी से जमा करने से ब्याज/शमन शुल्क पर परिहार्य व्यय	18.00	उत्तर अप्राप्त।
		पथ कर की वापसी न होने से हानि	11.69	आरसी को समय से समर्पित करना चाहिए था। प्रस्तर जारी रहेगा।
डीजीएम (मध्य), लखनऊ	4/2000-3/2001	निजी बस संचालकों का अनियमित अवकाश स्वीकृत करने के कारण हानि	33.90	उत्तर अप्राप्त।
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम				
	11/2002-10/2003	इरादतगंज हवाई यात्रा पर गेहूँ भण्डारण में हानि	105.62	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		गेहूँ के भण्डारण में हानि	118.92	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश जल निगम				
ईई, सीडी, राबर्टसगंज, सोनभद्र	1998-01	धन के व्ययावर्तन से कार्य अपूर्ण होना	77.30	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, I, सीडी रायबरेली	2000-01	गत पॉच वर्षों में जाया पेयजल योजना का लाभ सार्वजनिक रूप से न प्राप्त करना	81.02	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अस्थायी अग्रिम का मिलान न करना	124.02	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीडीएण्डएस, इलाहाबाद	2000-01	तय समय में कार्य का पूर्ण न होने से धनावरोध	186.47	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
सीडीएण्डएस, इकाई 38, सोनभद्र	2000-01	अपूर्ण कार्य पर अलाभकारी एवं अनियमित व्यय	56.10	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी मऊ	2000-01	अपूर्ण योजना के कारण अवरुद्ध धन	30.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी III इन्दिरा नगर, लखनऊ	2000-01	अलाभकारी व्यय	12.27	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी I, गाजियाबाद	1997-98 से 1998-99	अस्वीकृत पद के विरुद्ध अनियमित व्यय	20.17	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी झाँसी	1998-99 से 1999-2000	अनावश्यक व्यय	250.24	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		जल कर से प्राप्त रुपये की हानि	1784.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी II ब्रान्च, मुरादाबाद	1999-2000	तय समय तक परियोजना के अपूर्ण रहने के कारण हानि	24.41	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनावश्यक व्यय	25.10	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी II इलाहाबाद	1999-2000	हैण्डपम्प्स का निर्माण सड़क के किनारे में करने से बकाया हानि	75.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी VIII वाराणसी	1999-2000	केन्द्रीय सरकारी योजना पर सेंटेज का अनियमित भार	73.49	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी, बदाँयू	2001-02	अनु.जाति/जनजाति योजना के अधीन हैण्डपम्प्स पर अधिक व्यय	31.72	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई मण्डल II लखनऊ	1996-97 से 1999-2000	पेयजल परियोजनाओं पर अपूर्ण अलाभकारी व्यय	142.45	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईइ 10 ब्रान्च, गोरखपुर	1998-99 से 1999-2000	अलाभकारी व्यय	10.05	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बोसगॉव जल आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब	56.77	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी, हमीरपुर	2000-01	अपूर्ण योजना के कारण अवरुद्ध निधि	37.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेयजल योजना पर अतिरिक्त व्यय और योजनाओं पर किया गया व्यय ग्रामीणों हेतु अलाभकारी सिद्ध हुआ	178.78	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी, सिद्धार्थनगर	2000-01	अनुमन्य सेंटेज से अधिक व्यय	42.40	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, जल यांत्रिक शाखा, मेरठ	2000-01	हैण्डपम्प का स्थानान्तरण न किया जाना एवं हैण्डपम्प पर अनुरक्षण व्यय	25.38	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद	1998-1999	शंकरगढ़ क्षेत्र में पुनर्संरचित पेयजल योजना हेतु स्वीकृत व्यय की धनराशि प्राप्त न होने के कारण, कोषों का अवरुद्ध रहना।	97.74	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक वर्ल्ड बैंक इकाई, झाँसी	1997-98	ब्याज देयताओं के भुगतान में विलम्ब से ब्याज का परिहार्य भुगतान	16.58	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ठेकेदार द्वारा कराये गये काम में कमी पाये जाने के कारण हानि	144.08	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेयजल योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृति का अनियमित निवेश	589.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		मूल्य भिन्नता (समायोजन) धनराशि का अनियमित भुगतान	314.48	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण खण्ड, (ईएण्डएम), यूपीजेएन, बरेली	1998-99	धनराशियों के अनियमित समायोजन से विभिन्न योजनाओं पर अधिक भुगतान	92.89	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई,I डिवीजीन, निम्माण शाखा, रायबरेली	1998-99	आवर्धित ग्रामीण पेयजल योजना की धनराशि को वेतनमद में नियोजित करना	159.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निर्माण खण्ड–चतुर्थ के प्रथम में विलयन के पश्चात, निर्माण खण्ड–चतुर्थ की बकाया सामग्री का निर्माण खण्ड–प्रथम के स्टोर लेजर में लेखांकन न करना	110.67	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सेंटेज का अनियमित प्रभारण	251.72	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		हैण्डपम्पों की स्थापना पर अनियमित व्यय	15.45	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		विस्तृत प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति के बिना हैण्डपम्पों की स्थापना पर अनियमित व्यय	509.32	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
इकाई 29, कानपुर	1998-99	स्वीकृत लागत से अधिक निविदा कार्यों/व्यय के कारण हानि	17.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, (ई/एम), बरेली	1996-97	विभिन्न योजनाओं पर निष्फल व्यय	20.26	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक I, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, यूपीजेएन, गाजियाबाद	1997-98	शौचालयों के निर्माण पर व्ययाधिक्य एवं कोषों का अवरुद्ध रहना	13.60	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण निधियों का अवरुद्ध होना	897.88	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
इकाई 23, यूपीजेएन, आगरा	1998-99	निधि का अवरुद्ध	67.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई निर्माण डिवीजन, यूपीजेएन, हमीरपुर	1998-99	प्राक्कलन से अधिक व्यय	40.27	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईई, यूपीजेएन, इलाहाबाद	1996-97	माघ मेला में अनियमित कार्य के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ	87.32	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, जीपीसी इकाई, सुल्तानपुर	1995-1997	स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय एवं दोषपूर्ण निर्माण	6.08	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, इकाई-I, यूपीजेएन, लखनऊ	1996-97	वेतन शीर्ष से निधि का व्ययावर्तन	20.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण शाखा, यूपीजेएन, भदौही	1996-97	हैण्डपम्पों के स्थापन पर वेतन मद में अदृश्य व्यय और पाइप लाइन तथा सीवेज की मरम्मत पर अनियमित व्यय	41.03	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई निर्माण डिवीजन, यूपीजेएन, रामपुर	1998-99	अधोमानक पाइपों के प्रयोग करने से हैण्डपम्पों पर निष्फल व्यय	48.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूपीजेएन, लखनऊ	1996-97	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पीएलए धनराशि का अवरुद्ध रहना	662.28	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		रहतिया अनुपभोग	15366.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
वर्ल्ड बैंक इकाई, यूपीजेएन, झाँसी	1996-97	बिना आमंत्रित निविदाओं के वाटर मीटर की अनियमित आपूर्ति	2.76	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, यूपीजेएन, बारांबकी	1997-98	सिरौली गौसपुर पेयजल योजना में निष्फल व्यय	10.92	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, यूपीजेएन, आगरा	1994-95	ठेकेदार के पक्ष में अधिक भुगतान	1.13	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक (ई/एम), सीएण्डडीएस, लखनऊ	1993-97	फर्जी प्रमाणकों के माध्यम से बकेवर ट्यूबवेल हेतु अनियमित भुगतान	2.70	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, यूपीजेएन, आगरा	1995-96	अनुत्पादित योजना पर बकाया व्यय से निधि का अवरुद्ध	21.54	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई निर्माण डिवीजन, यूपीजेएन, सोनभद्र	1995-96	न्यूनतम पेयजल वांछित योजना पर निष्फल व्यय	26.63	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस, इकाई 38, यूपीजेएन, सोनभद्र	2001-2004	अन्य योजनाओं से अप्राधिकृत निधि का अवरुद्ध होना	29.28	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनुबन्धित मूल्य के सापेक्ष अधिक व्यय से हानि	133.33	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई निर्माण डिवीजन, यूपीजेएन, जौनपुर	2000-2003	अनुमोदित प्राक्कलन के बिना अनुरक्षण पर व्यय	254.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निर्धारित नियमों के अनुरूप जीपीएफ धनराशि के विनियोजन में विफलता	86.48	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई निर्माण डिवीजन, यूपीजेएन, जौनपुर	2003-04	कतिपय कार्यों पर प्रभारण न किये जाने वाले सेंटेज की धनराशि का अनुचित प्रभारण एवं संकलन	21.97	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनुरक्षण कार्यों पर वेतन एवं भत्तों को अनुचित रूप से भारित करना	101.33	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेयजल योजनाओं का पूर्ण न होना	109.35	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय	11.34	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, 11 डिवीजन, यूपीजेएन, मुरादाबाद	2001-2004	पॉच वर्षों के बाद भी वाटर टेस्टिंग लैब का प्रारम्भ न किये जाने से कोषों का अवरुद्ध रहना	69.34	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन-I, रायबरेली	2001-2003	अपूर्ण कार्य पर अधिक व्यय	87.36	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	59.64	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई-I शाखा, मेरठ	2002-2004	भारत सरकार से बिना कोई स्वीकृति/प्राधिकार के सेंटेज का प्रभारण करना	55.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस–7, मेरठ	2001-2003	मोबलाइजेशन/पीआरडब्ल्यू अग्रिम का समायोजन न होना एवं उस पर ब्याज की हानि	183.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	488.64	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस इकाई–50, बाराबंकी	1998-2001	निधि का व्ययावर्तन	37.79	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस इकाई–50, बाराबंकी	2001-2004	निधि के व्ययावर्तन एवं अनियमित अतिरिक्त व्यय के कारण कार्य में विलम्ब	103.39	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, मेन्टेनेन्स डिवीजन, आगरा	2002-03	आय पर आधिक्य व्यय	27.91	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		आय पर आधिक्य व्यय	102.03	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		उत्तरदायित्वों का निस्तारण	636.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बाढ़ राहत योजना का पूर्ति न करना	117.28	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस–25, अलीगढ़	2000-2002	वर्ष 2001–02 में आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भारी रकमों का असमायोजन	216.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		वित्तीय अनुमोदन के बिना बड़ी धनराशि का व्ययाधिक्य	305.26	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधियों की उपलब्धता के बिना अत्यधिक व्यय	1887.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध पेशगियों का असमायोजन	3298.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		दायित्वों का निस्तारण न होना	6692.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, अलीगढ़	2001-2002	संवितरण अधिकारी के विरुद्ध अस्थायी गबन/असमायोजित अग्रिम	8.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ठेकेदार के प्रति अनुचित पक्षपात के बावजूद कार्य पूर्ण न होना	15.49	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस–25, अलीगढ़	2002-2004	अतरौली प्रेक्षागृह के निर्माण पर निष्फल व्यय	40.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, ललितपुर	2003-04	स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनियमित व्ययाधिक्य	85.67	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सरकार से बिना स्वीकृत, किये गये व्यय	63.61	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, गोण्डा	2002-2004	त्वरित कार्यक्रम की धनराशि के व्ययावर्तन से उद्देश्य की पूर्ति न होना। 356 हैण्डपम्पों के स्थापन पर निष्फल व्यय	74.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस–39, गोण्डज्ञ	2000-2003	निधियों का अवरोधन एवं अपूर्ण निर्माण	339.89	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधि का व्ययावर्तन	17.33	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
मुख्यालय, यूपीजेएन	2002-03	भारत सरकार द्वारा पूर्ण निर्धारित मानकों के उल्लंघन के कारण अधिक हैण्डपम्पों के स्थापन पर परिहार्य व्यय	38404.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		यू पी डेस्को के माध्यम से कम्प्यूटर क्रय करने के कारण 26.86 लाख रुपये के सेन्टेज मद पर परिहार्य व्यय	564.11	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निविदत्त कार्यों पर स्वीकृत लागत से अधिक व्यय, मोबलाइजेशन अग्रिम का समायोजन न होना	314.86	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निविदत्त कार्यों का पूर्ण न किया जाना और प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्ययाधिक्य	128.28	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के अनुरक्षण पर अनियमित भारी/अधिक व्यय	1841.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सचल अग्रिम का निस्तारण	103.26	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेयजल की गुणवत्ता जॉच पर अनियमित व्यय	50.56	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		त्वरित वाटर सप्लाई के अधीन योजनाओं का अपूर्ण रहना	19684.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्वीकृत पदो के विरुद्ध अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर व्ययाधिक्य	298.71	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अविवेक/असावधानी के कारण सरकारी निधि की हानि	23.29	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
मुख्यालय, यूपीजेएन	2002-03	अस्थायी गबन	100.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदुषण नियंत्रण इकाई, लखनऊ–3	2000-2004	स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्ययाधिक्य तथा विशालकाय व्यय के बावजूद, प्रोजेक्ट का अपूर्ण रहना	341.63	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्ययाधिक्य	16.95	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदुषण नियंत्रण इकाई, वाराणसी	2002-2004	भूमि क्रय के सम्बन्ध में अनुपयुक्त कार्यवाही के कारण धनराशि का अवरुद्ध रहना	424.50	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, इकाई–II, लखनऊ	2001-2003	अनियमित व्यय	55.97	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, ड्रिन्किंग वाटर–II, लखनऊ	2002-2003	वित्तीय स्वीकृति के बिना कार्यों पर व्यय	364.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अपूर्ण कार्यों पर सामग्रियों का अधिक उपभोग	17.54	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		आपूर्तिकर्ता को दिये गये अग्रिम एवं विविध अग्रिम का असमायोजन	84.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्वीकृत लागत की तुलना में पेय जल योजना पर अधिक व्यय	172.66	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईई, निर्माण डिवीजन, इकाई–I, बस्ती	2002-2004	भूमि विवाद व धन अवरुद्ध होने के कारण स्वीकृति का अवैध होना	70.97	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		जल पम्प के रखरखाव पर अनियमित व्यय और पेय जल योजना पर व्ययाधिक्य	52.49	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, इकाई–II, कानपुर	2001-2003	ग्राम सराह पेय जल योजना पर निष्फल व्यय	256.30	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधि का व्ययावर्तन	363.50	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेय जल योजना के बिना तालाब उपरिव्यय का निर्माण	111.31	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, कानपुर	1997-2003	आरक्षित हैण्डपम्पों के निर्माण पर अनियमित व्यय	248.39	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
महा प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर	2003-04	दोषपूर्ण डिजाइन के कारण सीवेज पम्पिंग स्टेशन के गिरने से हानि	111.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कानपुर साउथ वाटर सप्लाई सर्विस का असफल होना	1640.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		परिहार्य व्यय और एक वर्ष के बाद भी योजना का अपूर्ण रहना	915.64	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधि का व्ययावर्तन	1591.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, कन्नौज	1998-2000	क्षिहरामन वाटर योजना पर निष्फल व्यय	18.58	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, मुजफ्फरनगर	2000-2002	पूर्ण किये गये कार्यों के अनुरक्षण पर परिहार्य व्यय तथा पूर्ण योजनाओं को ग्राम सभा को हस्तान्तरित न करना	97.21	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, इकाई–5, बलरामपुर	1997-2002	कार्य का पूर्ण न होना एवं प्राक्कलन की स्वीकृति प्रतीक्षित रहना	128.87	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण अस्थायी डिवीजन–I, बस्ती	2001-02	गत 12 वर्षों से स्टोर्स की कमी जारी रहने से हानि की सम्भावना	89.21	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		हस्तपुस्तिका तथा एम डी के आदेशों का उल्लंघन करके हैण्डपम्पों के स्थापन पर अनियमित व्यय	169.11	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सीडी (ई/एम), मिर्जापुर	2000-2001	लेखों का बन्द न किया जाना एवं निक्षेप कार्य पर व्ययाधिक्य	26.01	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, इकाई–36, झाँसी	1999-2000	बरूआ सागर स्थल पर पर्यटन विकास पर निष्फल व्यय	13.37	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधि का व्ययावर्तन	13.56	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, इलाहाबाद	2000-2001	ठेकेदारों से लक्ष्य से कम, जल संयोजन राशि की वसूली	39.80	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, जीपीसीयू, मिर्जापुर	2000-2001	निधि का व्ययावर्तन	281.07	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, भदोही	2000-2001	बकाया उत्तरदायित्व	173.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, मेन्टेनेन्स डिवीजन, जौनपुर	1999-2000	अनुरक्षण पर अधिक एवं अनियमित व्यय	3.42	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पम्पों के स्थापन पर स्वीकृत लागत से अधिक व्यय	65.78	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन–II, आगरा	1999-2000	17 पेय जल योजनाओं के प्रगतिशील कार्य पर निष्फल व्यय	39.80	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, जौनपुर	1999-2000	परिहार्य व्यय एवं निर्धारित समय पर योजना का पूर्ण न होना	13.85	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, मुजफ्फरनगर	2000-2001	पेय जल योजना पर अनियमित व्यय	111.55	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		हैण्डपम्पों के संचालन पर औचित्यहीन व्यय	23.22	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस–29, कानपुर	2000-2001	परिहार्य व्यय	14.22	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
मुख्यालय, यूपीजेएन, लखनऊ	2000-2001	डच सहायितत योजना में निधियों का अवरुद्ध होना	2065.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निष्फल व्यय	13.50	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सरकारी एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना पुनरीक्षित अनियमित व्यय	256.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		स्थायी जमा लेखा में निधियों का अवरुद्ध होना	173.04	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अन्य योजनाओं में निधियों का अवरुद्ध होना	927.61	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस–28, नोयडा	2000-2002	विवादित योजना पर निष्फल व्यय	125.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई,4 ब्रान्च, लखनऊ	2000-2001	ऐसबाग वाटर कार्य पुनर्वास पर निष्फल व्यय	52.85	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस–4, लखनऊ	2000-2001	अपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों पर निधियों का निष्फल अवरोधन	181.86	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, हरदोई	1998-2000	पाली पेय जल योजना पर निष्फल व्यय	12.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		केन्द्र सहायितत योजनाओं पर अनुचित रूप से सेंटेज की कटौती	23.88	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, कौशाम्बी	2000-2001	निधियों का व्ययावर्तन	84.24	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधियों का व्ययावर्तन	132.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस–49, उन्नाव	1997-2001	अपूर्ण योजनाओं में निधियों का अवरुद्ध	45.82	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, फिरोजाबाद	2000-2001	विशालकाय व्यय के बावजूद योजनाओं का लाभ उपलब्ध न होना	34.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस–15, महोबा	1999-2000	मिशीनरी कालोनी, ललितपुर पर निष्फल व्यय	137.81	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ग्रेटर नोयडा इकाई	1998-2001	अपूर्ण सीवेज प्रणालियों में निधियों का अवरुद्ध होना	608.86	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, शाहजहाँनपुर	1997-2000	निष्फल व्यय	109.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		व्ययाधिक्य	111.73	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन–II, लखनऊ	1999-2000	व्ययाधिक्य	105.06	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय	0.99	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
जीपीसीयू, मिर्जापुर	1999-2000	डिपाजिट कार्य हेतु प्राप्त धन का कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी पर व्ययावर्तन	18.55	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		भण्डारों में अधिक सामग्रियॉ	28.09	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
मुख्यालय, यूपीजेएन, लखनऊ	1998-1999	परिहार्य व्यय	47.76	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अधोमानक पाइपों की आपूर्ति	255.49	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पी एल ए में न्यूनता	25.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधियों का अवरुद्ध	172.54	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्ययाधिक्य	835.03	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय	7.60	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय	2.83	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पी एल ए का अनियमित रख रखाव	43.83	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस–28, लखनऊ	1999-2000	निर्माण से पूर्व मिट्टी की जॉच न कराना तथा परिहार्य व्यय	17.66	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, हमीरपुर	1999-2000	न्यूनतम आवश्यकता के अधीन योजना पर अनियमित व्यय	82.24	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन (ई/एम), बरेली	1999-2000	अपूर्ण शाहजहॉपुर वाटर सप्लाई स्कीम पर निष्फल व्यय	15.69	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
महापालिका शाखा, लखनऊ	1998-2000	बिना कोई निर्माण कार्य के निष्फल व्यय	222.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन IX सहारनपुर	1999-2000	योजना का पूर्ण न होना और कार्य के विलम्ब से राज्य सरकार से विदेशी मुद्रा से वंचित रहना	84.41	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		मानकों की अवहेलना करके हैण्डपम्प स्थापन में कोषों का व्ययावर्तन	51.86	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कपटपूर्ण समायोजन		उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
निर्माण डिवीजन, अमरोहा	1998-2000	7 वर्षों में भी गजरौला पेय जल योजना का पूर्ण न होना और कोषों का अवरुद्ध रहना	10.15	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन (ई/एम), गोरखपुर	1999-2000	बाढ़ एवं सहायता संचालन पर परिहार्य व्यय	140.94	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-II लखनऊ	1999-2000	निराला नगर पेय जल पुनर्संगठित योजना पर व्ययाधिक्य	48.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस, कानपुर	1999-2000	स्वास्थ्य विभाग के अपूर्ण कार्यों के कारण निधियों का अवरुद्ध होना	136.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अपूर्ण कार्यों में निधियों का अवरुद्ध होना	106.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधियों का व्ययावर्तन	146.64	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस–3, आजमगढ़	1999-2000	सरकारी विभाग पर अधिक लाभ का भारण	16.43	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		साढ़े तीन वर्षों के लिये निधियों का अवरुद्ध होना	33.06	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस इकाई–7, गाजियाबाद	1999-2000	संविदा के प्रावधानो पर बिना विचार किये कार्य का निष्पादन	23.06	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूपीजेएन, मुख्यालय	1997-98	एल आई सी से किये गये काम के भुगतान में विफलता के कारण चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान	111.72	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पी वी सी पाइपों की खरीद पर अधिक व्यय	117.78	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पी एल ए में रखने से निधियों का अनुपभोज्य	725.86	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनौचित्यपूर्ण खर्च और कोषों का प्रयोग न करना	30.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
जीपीसीयू, मिर्जापुर	1998-99	सुलभ इन्टरनेशनल सोसायटी, वाराणसी को अनियमित भुगतान तथा अर्थदण्ड का अनारोपण	10.31	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, सीतापुर	1998-99	पेय जल योजना पर निष्फल व्यय	42.58	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस इकाई–36, झाँसी	1998-99	अनियमित व्यय	19.93	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		प्राप्त धन से अधिक व्यय	39.34	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई–I, लखनऊ	1998-99	निष्फल व्यय	491.42	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
एसई, सर्किल VIII, मुरादाबाद	1997-98	लैब एवं निरीक्षण भवन के निर्माण में असफलता के कारण निधियों का अवरुद्ध होना	13.50	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन–2, लखनऊ	1998-99	केन्द्र सहायतित योजना पर सेन्टेज की अनियमित कटौती	62.32	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		भण्डारों/सामग्रियों का जमा शेषों का असमायोजन	16.95	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, फिरोजाबाद	1998-99	परिहार्य व्यय	12.19	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
II निर्माण शाख (ई/एम), वाराणसी	1997-98	केन्द्रीय प्रायोजक योजना पर सेन्टेज शुल्क का प्रभारण	28.88	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
जीपीसीयू, नैनी, इलाहाबाद	1996-97	भूमि अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय	18.17	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, चन्दौली	1997-98	निधियों का व्ययावर्तन	27.81	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, बलिया	1997-98	निष्फल व्यय	17.98	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निष्फल व्यय	34.12	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, जौनपुर	1998-99	दायित्वो का सृजन	5.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		जौनपुर सीवेज योजना पर निष्फल व्यय	29.87	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, इलाहाबाद	1997-98	शंकरगढ़ वाटर स्कीम पर निष्फल व्यय	20.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		व्ययाधिक्य	15.16	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		दायित्वो का सृजन	132.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
सीएण्डडीएस इकाई–15, महोबा	1997-98	शासकीय विभाग से अनियमित रूप से सेन्टेज प्रभार करना	19.04	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, फतेहपुर	1997-98	स्वीकृत पेय जल योजनाएं लाभकारी नहीं रही	153.59	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन–2, इलाहाबाद	1998-99	स्टाफ से बकाया राशि की वसूली न होना	18.82	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		जे.ई. से टी आई/पी आई की वसूली न होना	0.94	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस इकाई–7, मेरठ	1998-99	राजस्व की हानि	23.57	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अधिशसी अभियन्ता, आगरा	1998-99	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निष्फल व्यय	10.41	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न करना तथा बिना निविदा के कार्य आवंटित करना एवं एक लाख रुपये की अग्रदाय राशि का समायोजन न होना	159.90	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
महाप्रबन्धक, सीपीडीएस, इकाई–6, लखनऊ	1997-98	परिहार्य व्यय	176.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण व्ययाधिक्य	216.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अधिशसी अभियन्ता, प्रतापगढ़	1997-98	पिटुरा ग्राम ''ग्रुप पेय जल योजना'' पर निष्फल व्यय	42.50	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अधिशसी अभियन्ता, कौशाम्बी, इलाहाबाद	1996-97	हैण्डपम्पों की संस्थापना में व्ययाधिक्य	38.94	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, इकाई–24, गाजीपुर	1996-97	भवन निर्माण में व्ययाधिक्य	39.24	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अधिशसी अभियन्ता I ब्रान्च, रायबरेली	1998-99	निधियों का व्ययावर्तन	159.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बकाया सामग्री का लेखांकन न करना	110.67	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बिना प्राधिकार के सेन्टेज का प्रभारण	251.72	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय	15.45	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बिना योजना के हैण्डपम्पों की रूपरेखा पर अनियमित व्यय		उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अधिशसी अभियन्ता, निर्माण, बरेली	1998-99	गलत समायोजन के कारण व्ययाधिक्य	92.89	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई 2 प्रोजेक्ट, गाजियाबाद	1998-99	अधिक स्टाफ पर प्रतिवर्ष व्ययाधिक्य	40.60	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अधिशसी अभियन्ता, निर्माण, इलाहाबाद	1998-99	शंकरगढ़ पेय जल योजना में निधियों का अवरुद्ध होना	97.70	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई 2 निर्माण डिवीजन, प्रतापगढ़	1998-99	सांगीपुर विकास खण्ड पर निष्फल व्यय	29.83	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, 4 ब्रान्च, लखनऊ	1997-98	अनियमित व्यय	15.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अधिक स्टाफ पर व्यय करना	44.79	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदुषण नियंत्रण इकाई, सहारनपुर	1998-99	स्थान की अनुपलब्धता के कारण निधि का अवरुद्ध होना	1195.98	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनुपयुक्त निवेश	46.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
वर्ल्ड बैंक इकाई, साँसी	1995-96	बिना सम्पादन के अनियमित अदायगी	3.66	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, 6 ब्रान्च, बरेली	1997-98	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के लगाने पर अनधिकृत व्यय	69.07	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, III ब्रान्च, कानपुर	1997-98	निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय	47.65	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, II यमुना प्रदुषण नियंत्रण इकाई, गाजियाबाद	1997-98	कोषों का अवरुद्ध रहना और बिना प्राधिकार के ठेकेदार को अग्रिम प्रदान करना	10.93	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, इकाई 23, सीएण्डडी, आगरा	1998-99	निधि का व्ययावर्तन	67.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अपूर्ण कार्यों पर अनियमित व्यय	289.39	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदुषण नियंत्रण इकाई, गाजियाबाद	1997-98	रेलवे क्रॉसिंग के निर्माण पर व्ययाधिक्य	129.38	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अधिशसी अभियन्ता, निर्माण, बरेली	1996-97	निष्फल व्यय	20.26	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, निर्माण, कानपुर	1997-98	वृहद अनुमोदित व्यय पर आधिक्य व्यय	52.30	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
		प्रबन्धन एवं व्यवसाय प्रशासन बिल्डिंग पर अनियमित व्यय	66.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
अस्थयी निर्माण डिवीजन, हरबंसपुर, आजमगढ़	1998-99	सम्बन्धित योजनाओं/एजेन्सियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना प्राक्कलन तैयार करना एवं प्राक्कलन तथा निर्माण लागत में अन्तर होना	151.37	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूपीजेएन, गोरखपुर	1999-2000	280.55 लाख रुपये की जी पी एफ की धनराशि के विनियोग न करने से ब्याज की हानि	33.67	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
मैकेनिकल डिवीजन, बसन्तपुर, गोरखपुर	1998-99	स्थानान्तरण योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों को मजदूरी एवं वेतन भुगतान पर परिहार्य व्यय	36.14	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
मेन्टेनेन्स डिवीजन, संजय पैलेस, आगरा	1999-2000	हैण्डपम्पों के अनुरक्षण पर अनियमित व्यय	160.64	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, कौशाम्बी, इलाहाबाद	1999-2000	निधियों का व्ययावर्तन	121.05	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		हैण्डपम्पों के अनुरक्षण पर अनियमित व्यय	79.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूपीजेएन, अम्बेदकरनगर, जौनपुर	1996-97 से 1998-99	भूमि विवाद के कारण निधियों का अवरुद्ध होना	74.26	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
4 ब्रान्च, लखनऊ	1998-99	शाखा में स्टाफ का कपटपूर्ण समायोजन	150.97	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, संजय पैलेस, आगरा	1998-99	राजीव गॉधी पेय जल योजना के अधीन अनियमित व्यय	7.74	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूनीसेफ, रार्बट्सगंज, सोनभद्र	1998-99	बोरिंग पर परिहार्य व्यय	154.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
सीएण्डडीएस, अलीगढ़	1998-99	लेखे तैयार न करने के कारण सम्भावित हानि	26.37	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनौचित्य प्राक्कलन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण पर अनियमित व्यय	56.40	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		धरमीधर सरोवर के सौन्दर्यीकरण पर कोषों के व्ययावर्तन द्वारा निष्फल व्यय	33.74	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूपीजेएन, मऊ	1996-97 से 1997-98	समय से कार्य पूर्ण न होने पर लागत में वृद्धि	41.39	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कमियों के पुनर्प्रभारण के कारण खण्डीय आधिक्य में कमी से योजना लागत में वृद्धि	29.08	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, लखनऊ	1998-99	स्वीकृत पद के सापेक्ष अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन तथा कोषों का व्ययावर्तन	54.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूपीजेएन, गोरखपुर	1997-98	अपूर्ण योजना पर व्यय	164.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बाढ़ रूकावट पर निष्फल व्यय	32.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, फैजाबाद	1996-97 से 1997-98	अनियमित व्यय के लेखांकन के द्वारा काल्पनिक आय का सृजन	1.43	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		केन्द्र सरकार सहायित योजना पर अनियमित रूप से सेन्टेज भारित करना	1.65	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई II निर्माण डिवीजन, आगरा	1998-99	ट्यूबवेल के प्राक्कलन के सापेक्ष निष्फल व्यय	10.42	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, देवरिया	1998-99	अपूर्ण निर्माण में निधियों का अवरुद्ध	56.73	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निर्माण में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि	77.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		भटनी पेय जल योजना का अपूर्ण निर्माण के कारण निष्फल व्यय	18.40	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		समय पर कार्य का समापन न होने के कारण लागत में वृद्धि	54.84	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेय जल योजना में अपूर्ण निर्माण के कारण निष्फल व्यय	19.54	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बिना प्राक्कलन की स्वीकृति के अनियमित व्यय करने के बावजूद योजना का पूर्ण न होना	41.14	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई I, गाजियाबाद	1998-99	आहरण एवं व्ययावर्तन शीर्ष में अनियमित अदायगी	47.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्थल में परिवर्तन से लागत में वृद्धि	77.30	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, कौशाम्बी, इलाहाबाद	1998-99	अनधिकृत, अनियमित और अस्वीकार्य व्यय को भारित करना	32.45	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, प्रतापगढ़	1998-99	निधियों पर निष्फल व्यय	23.35	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		शासनादेश की अवहेलना करते हुए अनियमित स्वीकृति	35.49	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
III डिजाईन इकाई, लखनऊ	1998-99	अनुबन्ध के आधार पर पेय जल नमूनों के एकत्रण एवं रसायनिक परीक्षण में किये गये कार्य से हानि	26.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, मिर्जापुर	1997-98	अधोमानक निर्माण के कारण हानि	15.66	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक इकाई 24, निर्माण एण्ड डिजाईन सर्विसेज, वाराणसी	1997-98	बाहरी दीवार का अधोमानक निर्माण के कारण निष्फल व्यय	56.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सुल्तानपुर	1997-98	आय का कल्पित समायोजन	177.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		हैण्डपम्पों की संस्थापना के सम्बन्ध में सेन्टेज का अनियमित प्रभारण	23.38	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		हैण्डपम्पों की स्थापना पर प्राक्कलन के अपूर्ण निर्माण के कारण हानि	45.99	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई III डिवीजन, कानपुर	1996-97	गोमती पेय जल योजना पर निष्फल व्यय	53.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		विवादित भूमि पर नलकूपों के अपूर्ण निर्माण के कारण हानि	8.54	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, महाराजगंज	1996-97	ओवरहैड टैंक के निर्माण पर परिहार्य व्यय	8.75	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई 6, यूपीजेएन, बरेली	1996-97	धैरा टाण्डर पेय जल योजना पर निष्फल व्यय	32.54	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बलिया	1996-97	लेखाओं पर टिप्पणी	0.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई मैकेनिकल डिवीजन, मेरठ	1995-96 से 1996-97	सेन्टेज पर अनियमित प्रभारण	10.02	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, यूनीसेपफ परियोजना इकाई, राबर्ट्सगंज	2001/02 से 2003/04	हैण्डपम्पों के स्थापन में शासकीय मानकों का अनुपालन न करने से 18.07 लाख रुपये की हानि	18.07	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
महापबन्धक, जीपीसीयू, मिर्जापुर	2002-03	अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण 38.50 लाख रुपये का निष्फल व्यय एवं 96.29 लाख रुपये का कोष का अवरुद्ध रहना	134.78	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
––तदैव––	2005-06	अपूर्ण कार्य के बावजूद ठेकेदार को भुगतान	41.51	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, सरसिटी डिवीजन, मिर्जापुर	2002-03 से 2003-04	भारत सरकार के निर्धारित मानको का पालन न करने के कारण 1459 लाख रुपये का अधिक व्यय	1459.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		पेयजल की योजना बंद होने के बावजूद कार्य भारित कर्मचारी पर 208 लाख रुपये का निष्फल व्यय	208.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, ज्ञानपुर, भदौही	2003/04	'त्वरित पेयजल योजना सुरियावां' पर अनियमित व्यय	75.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बान्ड के चयन में ठेकेदार के प्रति अनुचित पक्षपात तथा व्यय किये गये धन से ग्रामीण क्षेत्रो को लाभ न पहुँचाना	34.50	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		संदिग्ध/अनियमित व्यय	48.08	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईई, निर्माण डिवीजन, सुल्तानपुर	2000/01 से 2001/02	202.93 लाख रुपये का व्यय करने के बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना	202.93	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		डेबिट शीर्ष 142.83 लाख रुपये एवं क्रेडिट शीर्ष 68.94 लाख रुपये का समायोजन न होना	211.77	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ग्राहक से निर्माण पर आधिक्य व्यय का वसूली न होना	130.81	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		983 लाख रुपये का समायोजन न होना तथा स्टोर लेजर की 639.53 लाख रुपये की धनराशि असमायोजित रहना	1622.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएमयू–47 सीएण्डडीएस, सुल्तानपुर	2001-02 से 2003-04	172.30 लाख रुपये का निष्फल व्यय	172.30	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई एसीयू, सुल्तानपुर	2003-04	केन्द्र प्रायोजित योजना के अपूर्ण रहने से निष्फल व्यय	151.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधि के विचलन के कारण समाजिक पहलू की प्राप्ति न करना	92.48	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई निर्माण डिवीजन–2, वाराणसी	2001/02 से 2002/03	भण्डारों की कमी	130.72	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
जीएम, सीपीसीयू, वाराणसी	2002/03 से 2003/04	निधि का व्ययावर्तन	33.19	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्ययाधिक्य	195.00	
ईई निर्माण डिवीजन–6, वाराणसी	2002-03 से 2003-04	राजस्व की कम वसूली	75.65	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बलरामपुर	2003-04	निधियों का अवरोधन	41.37	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, इकाई–10, गोरखपुर	2001-03	प्राक्कलन की बिना स्वीकृति के 97.00 लाख रुपये का व्यय	97.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस इकाई–14, गोरखपुर	2000/01 से 2001/02	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौतनवा के निर्माण पर निष्फल व्यय	63.84	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, प्रतापगढ़	2002/03	निष्फल व्यय	153.68	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		व्यर्थ व्यय	50.10	
ईई, इकाई–3, गाजीपुर	2000/01 से 2002/03	कारहिया ड्रिकिंग वाटर योजना पर किया गया निष्फल व्यय	38.57	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अपूर्ण योजना पर निष्फल व्यय	27.75	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निम्न मानक कार्य के कारण निष्फल व्यय	27.70	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		इंडिया मार्का–2 हैण्ड पम्प पर व्ययाधिक्य	64.29	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, इकाई–1, देवरिया	2001/02 से 2002/03	निधियों का अवरोधन	22.20	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस इकाई–21, अम्बेदकरनगर	2001/02 से 2003/04	35 लाख रुपये की निधि का विचलन	35.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, जीपीसीयू, नैनी, इलाहाबाद	2003-04	अनियमित, अप्राधिकृत व्यय एवं निष्फल व्यय	96.64	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय एवं अप्राधिकृत स्थानान्तरण तथा निधियों का अवरुद्ध होना	89.58	
––तदैव––	2001/02 से 2002/03	ट्रीटमेन्ट प्लांट के अनुरक्षण पर परिहार्य व्यय	33.09	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई इकाई–2, इलाहाबाद	2003-04	अनियमित एवं अप्राधिकृत व्यय का भार	29.17	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अन्य कार्य पर निधि का हस्तानतरण	78.99	
परियोजना प्रबन्धक सीएण्डडीएस (ई/एम), इलाहाबाद	2003-04	अन्त–इकाई के समन्वय न होने के कारण राशि का निष्फल होना	37.40	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई इकाई–6, इलाहाबाद	2002/03 से 2003/04	हैण्डपम्प की संस्थापना पर व्ययाधिक्य	95.55	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		काल्पनिक हैण्डपम्पों की संस्थापना पर निष्फल व्यय	12.69	

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
परियोजना प्रबन्धक सीएण्डडीएस इकाई–43, फर्रुखाबाद	1997/98 से 2002/03	निष्फल व्यय, निधि का विचलन तथा कार्य के समय से पूर्ण न होने पर मूल्य में वृद्धि	136.13	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक सीएण्डडीएस इकाई–51, बहराइच	2002-03	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय	126.60	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बहराइच	1999-00 से 2002-03	607 नम्बर हैण्डपम्पों की संस्थापना पर विवेकहीन व्यय	104.97	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक सीएण्डडीएस इकाई–51, बहराइच	2003/04	निष्फल व्यय	33.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन–16, बाँदा	2003/04	चित्रकुट के सेवरेज पर निष्फल व्यय	83.84	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
––तदैव––	2000/01 से 2002/03	गैर स्थानान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण पर अनियमित व्यय	199.86	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, मुजफ्फरनगर	2002-03 से 2003/04	हैण्डपम्पों की पुनः बोरिंग पर निष्फल व्यय	133.79	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बिजनौर	2003-04	बिना आबंटन के हैण्डपम्पों की रिबोर पर निष्फल व्यय	74.70	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		प्राक्कलन में बिना प्रावधान किये व्यय करना तथा व्ययाधिक्य	92.79	
परियोजना प्रबन्धक वाईपीसीयू, सहारनपुर	2000/01 से 2002/03	लक्ष्यों की उपलब्धि न होना	1161.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		परिहार्य व्यय	39.65	
		व्ययाधिक्य	--	
ईई, निर्माण डिवीजन, बदाँयू	2001/02 से 2002/03	निष्फल व्यय	56.90	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		बोरिंग पर अनियमित व्यय	54.45	
		निधि का अवरुद्ध होना	21.64	
ईई, निर्माण डिवीजन, गाजियाबाद	2001/02 से 2003/04	ठेकेदार द्वारा कार्य के विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि	2944.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, ग्रेटर नोयडा, गोतम बुद्ध नगर	2001/02 से 2003/04	सीवरेज का अपूर्ण कार्य तथा निधि का उपयोग न करना	70.18	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक सीएण्डडीएस इकाई–52, नोयडा	2001/02 से 2003/04	शासकीय राजस्व की हानि	29.35	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ठेकेदार को अनियिमित मोबलाइजेशन अग्रिम देकर अनुचित लाभ पहुँचाया	1046.84	
परियोजना प्रबन्धक सीएण्डडीएस इकाई–28, नोयडा	2002/03 से 2003/04	निधियों का अवरोधन	94.83	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई 6 इकाई, जयपुर हाऊज आगरा	2002/03 से 2003/04	निष्फल व्यय	305.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, संजय पैलेस, आगरा	2003/04	अप्राधिकृत व्यय एवं सूखा राहत के उद्देश्य निष्फल	250.75	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, वाईपीसीयू, गाजियाबाद	2000/01 से 2002/03	अपूर्ण कार्यों पर व्ययाधिक्य	9.73	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक सीएण्डडीएस इकाई–31, गाजियाबाद	10/2000 से 2/2003	गलत गणना के कारण लागत में वृद्धि तथा सेन्टेज चार्जेज में कमी के कारण हानि	98.45	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
			147.19	
ईई, वाईपीसीयू, आगरा	2000/01 से 2002/03	मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्ययाधिक्य	181.10	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		प्राक्कलित लागत पर कम व्यय	724.47	
		आकस्मिक व्यय हेतु निधि का व्ययावर्तन	250.77	
		पाँच वर्षों से अधिक निधियों का अवरोधन	90.00	
		अधिग्रहण में विलम्ब के कारण भूमि की लागत में वृद्धि	137.47	
ईई इकाई 1, गाजियाबाद	2000/01 से 2003/04	मोदीनगर वाटर सप्लाई स्कीम पर निष्फल व्यय	158.74	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कार्यों के निष्पादन पर विलम्ब के कारण निधि का अवरोधन	149.81	
ईई, देहली वाटर सप्लाई मेन्टेन्न्स इकाई, गाजियाबाद	2000/01 से 2002/03	वेतन पर व्ययाधिक्य	86.56	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, एटा	2000/01 से 2002/03	वेतन पर व्ययाधिक्य	76.11	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		14 वर्ष पूर्व पूर्ण हुई योजना का अहस्तान्तरण तथा रखरखाव पर व्यय	21.62	
महाप्रबन्धक, वाईपीसीयू, आगरा	2003/04	ठेकेदार को अनुचित लाभ	18.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईई, निर्माण डिवीजन, बरवारी, कौशाम्बी	2001/02	कार्य पर किया गया व्यय तथा अनुपभुक्त पड़ी धनराशि	98.98	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, हाथरस	2003/04	भारत सरकार से निर्धारित हैण्डपम्पों की संस्थापना पर व्ययाधिक्य	787.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, झाँसी	2001/02	जल कर का वसूली न होना	3057.87	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएम सीएण्डडीएस, झाँसी	2002/03 से 2003/04	निधि उपलब्ध न कराना तथा अन्य अनियमतिताओं के कारण कार्य की लागत का बढ़ना	90.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		कार्य के सम्पादन के लिये निधि का विचलन तथा ग्राहक से निधि का उपलबध न होना	33.39	
ईई इकाई 2, डिजाइन यूनिट, बलिया	2003/04	निष्फल व्यय	68.73	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		व्ययाधिक्य	279.72	
पीएम सीएण्डडीएस, इकाई 26, लखनऊ		ठेकदार को गोमती नदी में जल परिवहन के कार्य के लिये अनियमित लाभ तथा निष्फल व्यय	315.08	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेट स्पोर्ट्स स्टेडियम पर अधिक व्यय के कारण परिहार्य हानि	190.00	
––तदैव––	2001/02 से 2002/03	गोमती विकास कार्य के प्राक्कलन में अधिक प्रावधान तथा अनियमित व्यय	922.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्पोर्ट्स काम्पलेक्स कार्य के लिये अन्य मदों में प्राप्त निधि का विचलन तथा परिहार्य व्यय	82.56	
		कार्यों के लिये प्राप्त धन का व्ययावर्तन	72.15	
ईई इकाई 1, मेरठ	2002/03 से 2003/04	भारत सरकार के प्राधिकृत किये बिना सेन्टेज को भारित करना	55.53	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
महाप्रबन्धक, जीपीसीयू इकाई, कानपुर	2001/02 से 2002/03	योजना के अनुरक्षण पर अनियमित व्यय	1352.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निधि का विचलन	214.45	
		निधि का विचलन	41.97	
		सेंटेज का अनियमित भारित करना	117.68	
ईई, निर्माण डिवीजन, ज्ञानपुर, भदौही	2001/02 से 2002/03	असमायोजित दायित्व	339.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, इकाई 2, माती, कानपुर देहात	2003-04	रीबोर पर अनियमित व्यय	68.24	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, इलाहाबाद	2001/02	निधि के बिना विभाजन के व्यय	976.79	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		73.00 लाख रुपये का व्यय 106. 00 लाख रुपये की निधि	23.00	
		निविदा आमंत्रण के बिना सामग्री की खरीद	24.40	
		मासिक लेखा में हानि दिखाना	63.89	
		वाटर सप्लाई योजना का समापन न होना	58.11	
ईई, निर्माण डिवीजन, उन्नाव	2000/01	समय से कार्य चालू न करने के कारण लागत निर्माण में वृद्धि	42.52	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएम, सीएण्डडीएस इकाई 29, कानपुर	2002/03	अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	30.84	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएम इकाई 1, उन्नाव	2003/04	निष्फल व्यय	591.25	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सेन्टेज का अनियमित प्रभारण	798.15	
पीएम इकाई 1, उन्नाव	2001/02 से 2002/03	धन के खर्च के बावजूद अपूर्ण कार्य	500.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		हसनगंज ग्राम समूह योजना पर निष्फल व्यय	27.03	
		निविदा आमंत्रित न किये जाने के कारण वित्तीय हानि	20.05	
ईई, निर्माण डिवीजन, उन्नाव	2001/02 से 2002/03	निष्फल व्यय	16.59	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बाराबंकी	2000/01	योजना पूर्ण होने के पश्चात् अन्तरण न होना और परिहार्य व्यय	61.96	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएम, सीएण्डडीएस इकाई 36, झाँसी	2000/01 से 2001/02	तकनीकी स्वीकृति के बिना निष्पादित कार्य	581.97	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बिजनौर	2000/01	हैण्डपम्पों की संस्थापना पर परिहार्य व्यय	76.81	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ईई इकाई II इलाहाबाद	2001/02	ट्यूबवेल की संस्थापना पर निष्फल व्यय	60.76	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ट्यूबवेल के गैर विद्युतीकरण के कारण निष्फल व्यय	28.42	
ईई निर्माण डिवीजन इकाई 6, इलाहाबाद	2001/02	हैण्डपम्पों के संस्थापना पर अनियमित व्यय	28.39	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन के बिना काम करना		
		प्लेटफार्म का निर्माण न होने के कारण हैण्डपम्प का उपयोग न होना	17.15	
ईई, निर्माण डिवीजन, अम्बेदकर नगर	2000/01 से 2001/02	निक्षेप कार्य के लिये निक्षेप निधि का अवरुद्ध होना	29.70	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सेन्टेज का अनियमित प्रभारण	20.80	
		योजनाओं का गैर स्थानान्तरण	18.97	
		अपूर्ण परियोजनाओं के कारण योजना का गैर हस्तान्तरण	23.66	
पीएम निर्माण डिवीजन I, उन्नाव	1999/2000	अनियमित व्यय	22.77	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		भण्डार लेखे में भेद	248.00	
पीएम वर्ल्ड बैंक, झाँसी	1998/99	वसूली न होना	53.65	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		प्रत्यक्ष सत्यापन		
ईई, निर्माण डिवीजन, मैनपुरी	2000/01	निधि का व्ययावर्तन	63.70	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएम सीएण्डडीएस, उन्नाव	1999/2000	स्वीकृत लागत व्यय करने के पश्चात् भी परियोजना का पूर्ण न होना	578.89	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		धन के खर्च के बाद योजना का संचालन न होना	11.09	
ईई, निर्माण डिवीजन, इकाई 1, देवरिया	2000/01 से 2001/02	हैण्डपम्पों के रखरखावब पर अनियमित खर्च	524.85	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निष्फल व्यय एवं निधि का व्ययावर्तन	45.32	
पीएम, सीएण्डडीएस, लखनऊ	2000/01 से 2001/02	निक्षेप कार्य के धन का वसूली न होना	15.04	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		परिहार्य व्यय	12.27	
पीएम इकाई 4, सीएण्डडीएस, लखनऊ	1999/2000	अपूर्ण कार्य	116.21	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएम इकाई 38, सीएण्डडीएस, सोनभद्र	1997/98 से 1999/2000	कार्य के बन्द करने के कारण जल निगम को हानि	33.95	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, मुजफ्फरनगर	1997/98 से 1999/2000	समय से कार्य का निष्पादन न होने के कारण व्ययाधिक्य	12.80	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बुलन्दशहर	1998/99 से 1999/2000	बिना वित्तीय स्वीकृति के व्यय होना	221.30	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, बदाँयू	1999/2000	इण्डो डच योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प के संस्थापन पर अनियमित व्यय	35.25	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय	113.38	
पीएम 2 वाईपीसीयू, गाजियाबाद	1998/99 से 1999/2000	वेतन एवं भत्तों पर व्ययाधिक्य	137.42	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		परियोजना शुल्क का अधिक प्रभारण	9.30	
ईई, निर्माण डिवीजन, पीलीभीत	1999/2000	केन्द्रीय सरकार के प्रावधान के बिना सेन्टेज शुल्क का प्रभारण	40.85	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, सिद्धार्थनगर	1999/2000	उत्तरदायित्व बढ़ाना	131.38	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		सामग्रियों का गैर विवरणी	130.39	
पीएम सीएण्डडीएस इकाई 7, मेरठ	1999/2000	स्थल प्रभार के कारण परिहार्य व्यय	57.42	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		ग्राहक से धन की वसूली न होना और अनधिकृत व्यय	26.78	
पीएम गोमती पीसीयू, सुल्तानपुर	1999/2000	निष्फल व्यय	297.76	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		निष्फल व्यय	172.25	
		आकस्मिक व्यय हेतु निधि का व्ययावर्तन	179.34	
पीएम सीएण्डडीएस इकाई 25, अलीगढ़	1999/2000	निधि का व्ययावर्तन	73.65	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		अनियमित व्यय	15.64	

खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	प्रस्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
पीएम सीएण्डडीएस इकाई 1, देवरिया	2000/01	शासकीय निधि का अवरुद्ध होना	1041.00	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		लक्ष्य लाभ का उपयोग न होना	101.14	
पीएम, वाईपीसीयू, आगरा	1999/2000	संयंत्र का रखरखाव न होना और उद्देश्य की प्राप्ति न होना	76.33	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई इकाई 2, निर्माण डिवीजन, इलाहाबाद	1999/2000	कार्य का समापन न होने के कारण निधि का अवरुद्ध होना	45.16	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई इकाई–16, बाँदा	1999/2000	बान्दा सिवरेज योजना पर निष्फल व्यय	250.84	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		चित्रकूट वाटर सप्लाई योजना की वाटर सप्लाई पर निष्फल व्यय	24.09	
ईई, मैकेनिकल इकाई II, इलाहाबाद	2000/01	आपूर्तिकर्ताओं की बकाया देय राशि	48.92	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
पीएम, सीएण्डडीएस, इलाहाबाद	2000/01	निष्फल व्यय	28.83	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
		स्थायी जमा में निधि का अवरुद्ध	76.96	
XI निर्माण डिवीजन, मुरादाबाद	1997-98	सिसरी पेय जल योजना पर 16 लाख रुपये का अनियमित व्यय एवं 4.75 लाख रुपये का निष्फल व्यय	20.75	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदुषण नियंत्रण इकाई -I लखनऊ	1997-98	कार्य योजना से निधियों के व्ययावर्तन के द्वारा वेतन एवं भत्तों पर व्यय	37.40	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदुषण नियंत्रण इकाई -II लखनऊ	1997-98	वेतन एवं भत्तों की अदायगी पर कार्य योजना से निधियों का व्ययावर्तन	21.97	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
यूनीसेफ परियोजना (इलेक्ट्रिकल) यूपीजेएन, रार्बट्सगंज	1997-98	सेन्टेज का अनियमित प्रभारण	53.06	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, इकाई–8, इटावा	1997-98	सैफई ब्लॉक पेय जल योजना पर निष्फल व्यय	83.34	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदुषण नियंत्रण इकाई, मुजफ्फरनगर	1996-97	सुलभ शौचालय कार्य के पूर्ण न होने के कारण हानि	16.30	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, आगरा	1997-98	निधियों का दुर्विनियोजन	5.13	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, बिजनौर	1995-97	जल कर की कम वसूली	9.23	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
निर्माण डिवीजन, बदाँयू	1995-97	कटौती न करने के कारण हानि	0.65	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
परियोजना प्रबन्धक, इकाई 33, सीएण्डडीएस, इलाहाबाद	1996-97	पेशगियों का असमायोजन	18.62	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।
ईई, निर्माण डिवीजन, आगरा	1997-98	बकाया देय	28.34	उत्तर अप्राप्त, प्रस्तर जारी रहेगा।

परिशिष्ट–23

प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नही हुए थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.25 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं
1.	ऊर्जा (विद्युत)	14	11	14	4	18	18	14	14	17	16
2.	परिवहन	--	--	4	4	--	--	5	4	2	2
3.	सहकारिता	--	--			1	1	--	--	1	--
4.	समाज कल्याण	3	3	1*	1*	2	0	--	--	--	--
5.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	वक्फ एवम अल्पसंख्यक	1	1	1*	1*	--	--	--	--	--	--
7.	महिला कल्याण	--	--	1*	1*	--	--	--	--	--	--
8.	कृषि	--	--	--	--	2	2	2	1	1	1
9.	वस्त्र उद्योग	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--
10.	औद्योगिक विकास	4	3	5	1	4	2	4	3	6	1
11.	लोक निर्माण	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2
12.	पर्यटन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13.	लघु उद्योग	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--
14.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	1	0	--	--	3	--	--	--	2	--
15.	शहरी विकास	--	--	2	0	--	--	4	4	2	1
16.	गृह	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17.	वन	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
18.	आवास	1	0	--	--	1	1	--	--	--	--
19.	सिंचाई	2	0	--	--	1	1	--	--	--	--
20.	मत्स्य एवं पशुधन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21.	इलेक्ट्रानिक्स	--	--	1	0	--	--	--	--	--	--
22.	सार्वजनिक उपक्रम	2	1	3	3	--	--	--	--	--	--
23.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	--	--	--	--	1	1	1	--	--	--
24.	हथकरघा	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--
25.	ड्रग्स	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--
	योग	**30**	**21**	**31**	**14**	**38**	**31**	**35**	**31**	**33**	**23**

टिप्पणीः– पिछले वर्षों (2002–03 से 2004–05) में प्रस्तरों की संख्या तथा प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है, को कम्पनियों/निगमों का प्रशासनिक विभाग में परिवर्तित हो जाने के कारण री–ग्रुप्ड कर दिया गया है।

* समाज कल्याण क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के उत्थान पर एक समीक्षा में तीन विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन तीन कम्पनियों (उत्तर प्रदेश शेडयूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेडः समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेडः वक्फ एवं अल्पसंख्यक विभाग तथा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेडः महिला कल्याण विभाग) के प्रेक्षणों को निहित किया। अतः इसको एक प्रस्तर गिना गया है।

परिशिष्ट–24

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.27 मे सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	कार्यवाही किये जाने योग्य बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड					
1998-99	4अ.4	5.60	अपर्याप्त स्वीकृति–पूर्व मूल्यांकन एवं देयो के खराब अनुश्रवण के कारण हानि।	ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य–प्रणाली तथा देयों की वसूली के अनुश्रवण को मजबूत बनाये जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी थी।	कम्पनी 48.32 लाख रूपये वसूल कर सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
1999-2000	2अ.7.1	75.25	तदैव	तदैव	कम्पनी 9.57 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	2अ.7.2	28.09	तदैव	तदैव	कम्पनी 1.98 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	2अ.7.3	8.70	तदैव	तदैव	कम्पनी 2.04 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
2006-07	4.9	0.26	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि निदेशक मण्डल ने बकाया के अपलेखन का निर्णय लिया है परन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
	योग	**117.90**			
2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियॉ					
1997-98	3स.10.2(अ)	2.37	चेकों के अनादरण के बाद भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा को समाप्त नही किया जाना तथा विद्युत आपूर्ति विसंयोजित नही किये जाने से बकायों में वृद्धि।	समुचित कार्यवाही न किये जाने हेतु कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी।	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण उपभोक्ता के विरूद्ध बकाये की कुल राशि वसूल नही की जा सकी। उप्रराविप/कम्पनी द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध, बकायों की वृद्धि हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित नही की गई।
1998-99	3अ.6.2.3	8.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.6.2.6	16.66	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.14	11.45	तदैव	तदैव	तदैव
	4अ.17	0.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बकाया वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना दी। शेष 0.99 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। उप्रराविप ने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की।
2001-02	3अ.10	0.55	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.12	0.18	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.25	0.79	तदैव	तदैव	तदैव
2003-04	2.3.16	16.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि कार्यवाही की जाएगी।
	3.11	0.51	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि वसूली प्रमाण पत्र न्यायालय में लम्बित है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	कार्यवाही किये जाने योग्य बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2005-06	4.17	0.46	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1997-98	3स.12.1	61.39	परिर्वतकों की अतिशय क्षति (2 प्रतिशत के मानक से अधिक वितरण परिर्वतकों की क्षति) के कारण मरम्मत पर अतिरिक्त वित्तीय भार।	अतिशय क्षति के कारणों की जॉच एवं निरोधात्मक रख–रखाव हेतु समयबद्धता की आवश्यकता थी।	उपचारात्मक उपायों के तौर पर, प्रबन्धन ने समय–समय पर आंचलिक कार्यालयों को परिर्वतकों की अतिशय क्षति में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किया तथा सूचित किया कि उप्रराविप वर्तमान परिर्वतकों की क्षमता में वृद्धि तथा नये उपकेन्द्र की स्थापना कर रहा था। उपचारात्मक उपायों के प्रभाव जिनसे परिर्वतकों की क्षति में कमी होती, प्रतीक्षित थी।
1999-2000	3ब.6.2	325.28	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.19	1.94	ऊर्जा उपभोग हेतु निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण उपभोक्ताओं से वसूली में विलम्ब हुआ।	बिलों को जारी किये जाने की प्रणाली को सृदृढ किए जाने के अतिरिक्त उन कर्मचारियों, जो कि बिलो को जारी करने में त्रुटि कर रहे थे, की जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2000-01	4अ.8	2.90	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.21	0.43	तदैव	तदैव	तदैव
1998-99	3अ.5.17	3.17	अल्प निर्धारण एवं न्यूनतम उपभोग प्रतिभूति/विलम्ब अधिभार की अनियमित माफी।	उन मामलों में, जहॉ पर कम्पनी को हानि हुई तथा कर्मचारियों की घोर लापरवाही परिलक्षित थी, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना था।	तदैव
1999-2000	4अ.13(अ)	0.23	तदैव	तदैव	राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल को दिये गये ऋण से अदत्त देयों का समायोजन करने हेतु शासन ने निर्देश दिया। यूपीपीसीएल के बकायों को सरकारी ऋण से समायोजित किये जाने की सूचना प्रतीक्षित थी।
	4अ.26	0.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2001-02	3अ.19	0.49	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2002-03	2.2.21	0.52	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2005-06	2.2.15	1.32	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि उपभोक्ताओं की अधिक संख्या होने के कारण निर्धारित समय में बिलिंग सम्भव नहीं है।
2004-05	3.3	171.15	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	कार्यवाही किये जाने योग्य बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2003-04	3.9	8.22	शीर्ष समय उल्लघंन के दण्ड की अनियमित माफी।	कर्मचारियों द्वारा किये गये घोर लापरवाही के मामलों में तथा जहॉ कम्पनी को हानि हुयी उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3.13	0.44	तदैव	तदैव	तदैव
	3.18	0.18	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2004-05	3.10	0.36	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2003-04	3.14	0.79	शीर्ष समय उल्लघंन के दण्ड को भारित न करना/अप्रतिबन्धित आपूर्ति की दर को न लगाना।	कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही न करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्कता थी।	तदैव
	3.15	0.47	तदैव	तदैव	तदैव
	3.16	1.24	तदैव	तदैव	तदैव
2004-05	3.13	0.19	तदैव	तदैव	तदैव
1998-99	3अ.6.2.1	68.95	मासिक देयकों का किश्तों में भुगतान एवं विलम्ब भुगतान अधिभार की माफी।	राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन करने हेतु कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि सक्षम अधिकारी/समिति की अनुमति के पश्चात ही उद्योग मे व्याप्त मंदी एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किश्तों मे भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के परिणाम प्रतीक्षित थे।
2000-01	4अ.22	2.80	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि उपभोक्ता, पूर्ववर्ती केसा से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण कम्पनी थी, केसा द्वारा लिये गये निर्णय को निगम द्वारा अंगीकृत किया गया तथा केसा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वसूली की गई।
2003-04	3.12	0.27	दर अनुसूची का गलत प्रयोग करने के कारण कम बीजकीकरण।	लागू दर पर बीजकीकरण सुनिश्चित न करने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.7	1.12	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2005-06	4.25	0.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2006-07	4.15	1.53	तदैव	तदैव	खण्ड द्वारा बीजक निर्गत किये गये थे लेकिन वसूली प्रतीक्षित थी।
	योग	**714.63**			

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	कार्यवाही किये जाने योग्य बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
3. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड					
2000-01	4अ.1	1.41	प्राकल्लन/संशोधित प्राक्कलन से अधिक जिन्हें ग्राहक द्वारा अनुमोदित नही किया गया/अनुबन्ध में विहित नही किया गया एवं ग्राहक द्वारा स्वीकार नही किये जाने के परिणामस्वरूप हानि।	ऐसे व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता थी।	शासन के उत्तर मे यह राय व्यक्त की गई कि व्ययाधिक्य तकनीकी आवश्यकता/अनिवार्यता के कारण थी। तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी।
2001-02	2द.2.4.4	0.22	तदैव	तदैव	संशोधित प्राक्कलन ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया।
	योग	**1.63**			
4. उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड					
1999-2000	4अ.8	0.51	अनुचित भंडारण के कारण चीनी की क्षति एवं परिणामी हानि।	अनुचित भंडारण के कारण हुई हानि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि चीनी अपरिहार्य स्थितियों में गीली हो गयी थी जिसके लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था।
2000-01	4अ.5	0.83	तदैव	तदैव	सरकार/प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि चीनी निदेशालय ने रहतिये के अनुसार निर्गमन आदेश जारी नही किया एवं लम्बे समय तक अत्यधिक रहतिये को रखने के कारण चीनी गीली हो गयी।
2002-03	3.1.6	1.19	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
	योग	**2.53**			

परिशिष्ट–25

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.27 मे सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	कार्यवाही किये जाने योग्य बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम					
1997-98	3अ.7.2.1	2.39	वह ईकाइयॉ जो प्रारम्भ से ही साध्य नही थी के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव के त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि अथवा ऋण की राशि की वसूली नही किया जाना।	मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली को सशक्त बनाये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जिन्होनें ऋण स्वीकृति हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया था, की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	निगम सहाय्यित इकाई के निदेशकों से मात्र 36.32 लाख रूपये की वसूली कर सका तथा शेष राशि के लिये व्यक्तिगत प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई।
	3अ.7.2.3	1.66	–तदैव–	–तदैव–	निगम प्रर्वतकों से मात्र 28.53 लाख रूपये ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली हेतु व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई थी।
1999-2000	4ब.2	1.30	–तदैव–	–तदैव–	सम्पत्तियों की ब्रिकी द्वारा निगम 11.54 लाख रुपये वसूल कर सका। देयो की वसूली के लिए निगम ने निदेशको तथा प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आरसी)/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण मत्र (पीआरसी) निर्गत किये। किसी कर्मचारी की उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं की गई थी।
	4ब.7	1.39	–तदैव–	–तदैव–	सहाय्यित इकाई की सम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से निगम मात्र 25.15 लाख रुपये ही वसूल कर सकी। पीआरसी निर्गत की गयी है। किसी भी कर्मचारी की उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं की गई थी।
2002-03	3.2.2	11.68	–तदैव–	–तदैव–	कोई वसूली नहीं की जा सकी। आरसी निर्गत की गई है।
	3.2.3	7.09	–तदैव–	–तदैव–	निगम 44.13 लाख रुपये वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है।
	3.2.4	4.85	–तदैव–	–तदैव–	निगम ने 1.95 करोड़ रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध 1.45 करोड़ रुपये अभी तक जमा हुये थे।
2004-05	3.16	5.65	–तदैव–	–तदैव–	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	कार्यवाही किये जाने योग्य बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1997-98	3अ.8.2.1	2.82	वितरण पूर्व शर्तों का पालन न किये जाने के कारण ऋणों की वसूली के असंभव होने से हानि हुई।	ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली को सुदृढ किये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जो वितरण पूर्व की शर्तों का पालन करवाने में विफल रहे, की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए थी।	निगम एक मुश्त समाधान (ओटीएस) निर्णय के अन्तर्गत मात्र 75 लाख रूपये ही वसूल कर सका।
	3अ.8.2.2	1.75	–तदैव–	–तदैव–	निगम 74.60 लाख रुपये (51.10 लाख रुपये के ओटीएस के विरुद्ध, 32.75 लाख रुपये सहित) वसूल कर सका। किसी भी कर्मचारी पर अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं की गई थी।
	3अ.8.2.3	1.36	–तदैव–	–तदैव–	निगम ने सम्पत्तियों की बिक्री से 12 लाख रुपये वसूले। निगम ने पीआरसी निर्गत की तथा पीआरसी के विरुद्ध एक प्रर्वतक से 70.50 लाख रुपये वसूले। किसी भी कर्मचारी की उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया।
	3अ.8.2.4	2.14	–तदैव–	–तदैव–	निगम बकायों को नही वसूल सका। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।
2003-04	3.21	2.21	–तदैव–	–तदैव–	निगम देयों की वसूली नहीं कर सका एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.15	13.59	–तदैव–	–तदैव–	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1999-2000	4ब.6	0.56	अनियमित विधिक दस्तावेजों/जाली दस्तावेजों पर ऋण वितरण किये जाने से हानि।	त्रुटिविहीन सत्यापन हेतु प्रणाली का सुदृढीकरण/दस्तावेजों की स्वतंत्र जॉच की आवश्यकता थी।	निगम ने 62.74 लाख रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध ऋणी ने अभी तक 31.30 लाख रुपये जमा किया।
2000-01	4ब.3	4.44	–तदैव–	–तदैव–	निगम प्रर्वतकों से नाम मात्र की धनराशि ही वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है।
	4ब.5	0.97	–तदैव–	–तदैव–	निगम मात्र 28.80 लाख रूपये ही वसूल कर सका। प्रवर्तकों एवं प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध पीआरसी निर्गत की गई।
	4ब.6	0.62	–तदैव–	–तदैव–	निगम प्रर्वतकों से कोई धनराशि वसूल नही कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2002-03	3.2.6	4.50	–तदैव–	–तदैव–	निगम 1.46 करोड़ रुपये वसूल कर सका। आरसी निर्गत की गई है। प्रबन्धन ने इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों को नही दर्शाया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	कार्यवाही किये जाने योग्य बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2003-04	3.22	2.06	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब से हानि।	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब के लिए कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.18	10.79	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
2005-06	4.30	11.64	–तदैव–	–तदैव–	सुरक्षा पर अधिक व्यय के कारण कब्जा नहीं लिया गया था।
	योग	**95.46**			
2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम					
1997-98	4ब.2	0.32	विलम्ब से जमा किये गये इपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	विलम्बित जमा पर क्षतिपूर्ति के आरोपण को बचाने के लिए समयानुसार ईपीएफ का भुगतान आवश्यक था।	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
1998-99	4ब.1	0.19	–तदैव–	–तदैव–	प्रबन्धन ने सूचित किया कि न्यायालय के स्थगन आदेश के क्रम में क्षति की धनराशि को समायोजित कर दिया गया था।
2000-01	4ब.2	0.27	–तदैव–	–तदैव–	प्रबन्धन ने सूचित किया कि कर की राशि को जमा करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गयी थी। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2006-07	4.26	1.28	विलम्ब से जमा किये गये पीपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	–तदैव–	प्रबन्धन ने बताया (जून 2007) कि निगम में वित्तीय संकट एवं भारी हानि के कारण, पीपीएफ का समय से भुगतान नहीं किया जा सका।
2007-08	3.28	0.33	विलम्ब से जमा किये गये इपीएफ पर परिहार्य भुगतान	–तदैव–	प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2008) कि निगम में वित्तीय संकट एवं भारी हानि के कारण, इपीएफ का समय से भुगतान नहीं किया जा सका।
	योग	**2.39**			

परिशिष्ट–26

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.28 मे सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित है
1.	कृषि	4	21	75	1988-89
2.	मत्स्य एवं पशुधन	3	9	24	1996-97
3.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	8	85	231	1992-93
4.	सिंचाई	1	7	24	1998-99
5.	लघु उद्योग	2	18	130	1984-85
6.	औद्योगिक विकास	3	47	207	1995-96
7.	निर्यात प्रोत्साहन	2	16	80	1992-93
8.	वस्त्र उद्योग	2	22	50	1992-93
9.	इलेक्ट्रानिक्स	7	29	111	1980-81
10.	लोक निर्माण	2	439	1404	1979-80
11.	समाज कल्याण	2	8	13	2000-01
12.	महिला कल्याण	1	2	2	2006-07
13.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2	12	35	1996-97
14.	गृह	1	4	18	2004-05
15.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	59	200	1998-99
16.	पर्यटन	1	2	7	2007-08
17.	वक्फ एवं अलपसंख्यक	2	11	63	1994-95
18.	परिवहन	1	96	419	1988-89
19.	सहकारिता	1	9	34	1991-92
20.	वन	1	80	344	1996-97
21.	पंचायती राज	1	4	6	1983-84
22.	ऊर्जा	10	2333	8705	1989-90
23.	ड्रग्स	1	4	21	2002-03
24.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	1	8	19	1984-85
25.	आवास एवं शहरी विकास	2	1607	4974	1985-86
26.	हथकरघा	2	15	67	1986-87
27.	खनिज एवं खनन	1	24	154	1995-96
28.	विविध	2	2	12	1980-81
	योग	**68**	**4973**	**17429**	

परिशिष्ट–27

विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.28 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रस्तरों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी करने की अवधि
1	औद्योगिक विकास	5	--	जून एवं जुलाई 2009
2	आवास एवं शहरी विकास	3	--	मार्च से जुलाई 2009
3	ऊर्जा	11	2	मार्च से अगस्त 2009
4	परिवहन	--	1	सितम्बर 2009
5	समाज कल्याण	2	--	मार्च से जून 2009
6	वित्त	2	--	अगस्त 2009
	योग	**23**	**3**	